राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 14

बुधवार

21 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे

विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल जीनगर ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लाभ/हानि के आगार

191. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य पथ परिवहन निगम के कितने आगार लाभ में व कितने हानि में चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा घाटे में चल रहे आगारों को लाभ में लाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये ?

(3) क्या सरकार घाटे में चलने वाले आगार के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ आगार प्रबन्धक के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों ?

(4) राजस्थान पथ राज्य पथ परिवहन निगम की किन-किन राज्यों में कितनी-कितनी बसें चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कर्मचारियों की कमी है ? यदि हां तो किस-किस श्रेणी के कितने अधिकारी व कर्मचारी कम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): (1) वित्तीय वर्ष 2006-07 में अप्रैल, 06 से जनवरी, 07 के संकलित शुद्ध लाभ हानि खाते के अनुसार निगम के 48 आगारों में से 4 आगार लाभ में व शेष 44 आगार हानि में हैं सूची परिशिष्ट ‘1’ पर संलग्न है ।

(श्री युनूस खान)

(2) निगम स्तर पर घाटे में चलने वाले आगारों को लाभ में लाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं । घाटे के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं अत: सिर्फ अधिकारियों को घाटे के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । उपरोक्त कारणों में से घाटे के आधार पर चित्तौड़गढ़ आगार प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है ।

(4) वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम की बसें 11 पडौसी राज्यों में संचालित हो रही हैं, राज्यवार दैनिक संचालन हेतु स्वीकृत एकल परिचक्रों की संख्या दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है ।

(5) जी हां । रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट '4' पर संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में 48 आगारों में से मात्र 4 आगार ही लाभ में हैं। ऐसा धंधा कौन करता है? एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छी सरकार कभी ऐसा धंधा नहीं करेगी । लेकिन जो कारण इन्होंने बताये हैं कि अभी भी हमारा डिपो घाटे में है और ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे यह लाभ में आ सकते हैं । वाहन उपयोगिता प्रतिदिन इन्होंने 10 बताये हैं । वर्ष 2003-04 में 342, 2004-05 में 346 और फिर बाद में बढ़ते बढ़ते यह उपयोगिता 370 हो गई फिर भी घाटे में है । ऐसे इन्होंने 6 पाइंट बताये हैं उनमें सारा का सारा ऐसा विवरण है जिससे यह आगार कभी घाटे में जाने ही नहीं चाहिये फिर भी यह घाटे में जा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जिन अधिकारियों की वजह से जो रोडवेज को घाटे में ले जा रहे हैं और जिनकी जांच रिपोर्ट आ गई है उसके बाद भी आप कार्यवाही नहीं करना चाह रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? दूसरा पिछले वर्षों में हर साल मई-जून के महीने में चित्तौड़गढ़ आगार की आय अधिक हुई है। लेकिन अभी वर्तमान में जो आगार प्रबन्धक है उसके रहते हुए यह घाटे में क्यों गया? तीसरा, क्या चित्तौड़गढ़ उदयपुर की जो बस है वह 16 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से लाभ पहुंचा रही थी उसको 14 रुपये 33 पैसे में ठेके पर क्यों दिया गया? इस कारण से भी पर्टीकुलर लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने यह ठेका पद्धति की है । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना काम होने के बाद भी यह घाटे में है । क्या अप्रैल-मई, 2006 में मैरिज सीजन में..

श्री अध्यक्ष: आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न पूछिए ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): मेरा प्रश्न है क्या 27 बसें मई 2006 में बारातों के लिये कांट्रेक्ट पर दी गई ? क्या उनका पूरा पैसा जमा हुआ और पैसा जमा नहीं हुआ, लगभग 9000 रुपये जमा नहीं हुए, उसकी लेखा शाखा ने आडिट करके उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाही फिर भी कार्यवाही नहीं हुई । क्या 100 रुपये के गबन होने पर किसी कंडक्टर या अधिकारी को निलंबित किया जाता है तो उसके 9-10 हजार रुपये के गबन करने के बाद भी उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष: अब आप भाषण दे रहे हो आप सीधी-सी बात पूछिए घाटे के कारण क्या हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): चित्तौड़ में पर्टीकुलर घाटे के कारण...

श्री अध्यक्ष: वह इनसे पूछो ना ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): आप इसके लिये क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, इससे जुडा हुआ मेरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष: अब आप उनका जवाब आने दीजिए । मंत्रीजी घाटे के कारण बताइए ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, दोनों का साथ ही आ जायेगा मैं भी प्रश्नकर्ता हूं ।

श्री अध्यक्ष: आपको भी मौका दूंगी, आपको भी दूंगी पहले जवाब आने दीजिए । हां बताइए, आप तो घाटे के कारण बता दो बस और बातें छोड़ो ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में आई है ।

श्री अध्यक्ष: जब से आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हो ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): जी हां । लगभग 12 बार डीजल की कीमतें बढी हैं उसके विरुद्ध हमने किसी भी तरीके का किराया नहीं बढ़ाया है । दिसम्बर, 03 में जब हम लोग आये थे उसके पश्चात् मैंने आपको बताया कि लगभग 12 बार डीजल की दरें बढ़ी। जो डीजल 20 रुपये था वह आज 33 रुपये के करीब हम लोगों को मिल रहा है । महत्वपूर्ण जो कारण है वह डीजल की दरों में लगातार होती बढोत्तरी है । उस समय में और आज के समय में

(श्री युनूस खान)

जो वृद्धि हुई है वह 75 प्रतिशत के लगभग हुई है और किराया 33 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर था उसको आज हमने बढ़ा कर 40 पैसे किया है जो कि मात्र 30-33 प्रतिशत किराया बढ़ाया है । यह जो फर्क है एक तो किराया नहीं बढ़ना, राजस्थान की जनता पर किसी तरीके का भार नहीं डालना और समय-समय पर इस तरीके से डीजल में बढ़ोत्तरी हो जाना यह एक मुख्य कारण रहा है जिसकी वजह से निगम के आगार ज्यादातर घाटे में गये हैं। अगर हम आंकडों को उठाकर देखें तो हमारे कार्यकाल में जो घाटा हुआ है वह बहुत कम है और जो डीजल में बढ़ोत्तरी हुई है वह बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: प्राइवेट वाले सब घाटे में चल रहे हैं क्या ?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर दूं सारे ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी आपकी सरकार ने भी तो डीजल पर सैस 50 पैसे प्रति लीटर लगाया है और 180 करोड़ रुपये सालाना का बोझ राजस्थान की जनता पर डाला है । वह उसमें कारण नहीं है क्या ? आपकी गवर्नमेंट से सैस हटवा दो ।

श्री अध्यक्ष: वह अलग प्रश्न है, वह आप इसके साथ जोड़ रहे हैं ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): .(व्यवधान) सैस का जो पैसा आता है वह पैसा सड़कों के विकास में खर्च करते हैं उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उससे फायदा हो रहा होगा ?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): नहीं, वह तो जनता के हित में ही लग रहा है जो सैस लगाया है वह अलग से लगाया है । वह कोई रोडवेज ने नहीं लगाया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रोडवेज के नहीं लगा रहा है, रोडवेज बिना सैस के डीजल ले रही है क्या ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): (व्यवधान) दोनों बातें कैसे कर रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है ।

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): (व्यवधान) इन्होंने रोडवेज के घाटे के कारणों को पूछा है इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि हमारे ऊपर लगभग 45 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जो भार पड़ा है वह एक मात्र डीजल से पड़ा है। और आपको पता है आज केन्द्र में किस की सरकार है, कितनी बार डीजल बढ़ा है। 75 प्रतिशत लगातार डीजल में बढोत्तरी होना ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, जिन बसों में लाभ हो रहा था उनको ठेके पर क्यों दी?

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको नहीं पुकारा है । बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, जब डीजल के भाव में बढ़ोत्तरी से रोडवेज घाटे में आ रहा है तो क्या राजस्थान सरकार उस सैस को वापस लेगी? उस सैस को वापस लेकर राजस्थान रोडवेज को ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): xxx

श्री अध्यक्ष: आपकी आवाज कमजोर है मैं क्या करूं, आपकी बात तो मुझे सुनाई ही नहीं दे रही है ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, जिसका नाम मैंने नहीं पुकारा है उसका अंकित नहीं हो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है । श्री मोहनलाल गुप्ता ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, पहली प्रायोरिटी तो मुझे मिलनी चाहिये, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। मेरा प्रश्न है, आप मोहन लालजी को बुला रही हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): साहब, मुझे चांस दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देखिये, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष: सॉरी, मैंने आपका नाम देखा नहीं था। आई एम सारी। हां, गुप्ताजी एक बार बिराजिए। मोहम्मद माहिर आजाद। मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप इनके बाद बोलिये। इनके बाद पूछ लीजिएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुल 48 आगार हैं राजस्थान में उनमें से 4 आगार तो लाभ में चल रहे हैं, 44 घाटे में चल रहे हैं। जिसमें मंत्रीजी के खुद के निर्वाचित क्षेत्र डीडवाना की आगार भी घाटे में चल रही है, जो इन्होंने अभी मंत्री बनने के बाद खोली थी कि यह बहुत आवश्यक है, यात्री परेशान होते हैं, आगार खुल जाएगा तो बड़ा लाभ होगा और यह होगा।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, कुल मिलाकर हमारी चिंता यह है कि रोडवेज को घाटे से कैसे उबारा जाए। मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सख्त कदम आपने जयपुर में उठाए, आपने प्राइवेट बसों को रोका सख्ती से, गृहमंत्रीजी का भी सहयोग रहा इसलिए यह 3 आगार सांगानेर, डीलक्स और जयपुर लाभ में आई। इन 44 आगारों में भी आप इसी तरीके के सख्त कदम उठायें। प्राइवेट बसें तो लाभ उठा रही हैं। एक बस वाला दस बस का परमिट लेता है और 30-30 बस संचालित कर रहा है। रोडवेज के अधिकारियों की मिलीभगत से कर रहा है। उसको रोकोंगें तो आपका यह रोडवेज लाभ में आएगा।

दूसरा निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं आप इनके जवाब परिशिष्ट दो पढ़ें। कितनी विरोधाभासी बात, आप खुद जवाब में दे रहे हैं, आप अपने उत्तर में निगम को हानि से उबारने हेतु किये जा रहे प्रयास में, आप क्रम संख्या दो पर बता रहे हैं कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 2006 द्वारा यात्री किराये में वृद्धि की गई है जिससे अब निगम घाटे से उबर सकता है। इसी बिन्दु दस में लिख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा में टिकने हेतु युक्तिपूर्ण तरीके से किराये में कमी की जा रही है। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा यह नियम दे रहे हैं आप इसको क्लेरीफाई करें कि एक तरफ आप वृद्धि का कारण बता रहे हैं, दूसरी तरफ कमी का भी कारण बता रहे हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तीसरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं कि एक तरफ यह कह रहे हैं कि हमने तेल कम्पनियों से बात कर ली, उससे हमको जो सस्ता तेल मिलेगा तो 4 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी, यह उपाय आपने लिखा यह उपाय आप तीन साल पहले भी तो कर सकते थे। आज 4 करोड़ रुपये की एक साल में आपको डीजल के कन्ज्म्पशन से डायरेक्ट लेने में बचत हो रही है, आप इसकी जांच करवाइये कि यह आज से पहले दो साल में क्यों नहीं की? या ऊपर ही ऊपर इसका कमीशन लेते रहे, अब रोड़वेज को करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सवाल तो स्पेसिफिक यह है कि आप घाटे के कारण, कितना घाटा है और रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए क्या कठोर प्रयास उठाएंगे वह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: प्रयास तो लिख दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, करे क्या इन्होंने?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वो ही जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो अवैध वाहनों पर (व्यवधान) सब ठीक हो जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, सारे प्रश्न आ जाएं तब जवाब दे देना।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं, उसके बाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ठीक है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नगर से आने वाले सदस्य ने तीन मुद्दे विशेष रूप से उठाये हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि परिशिष्ट दो पर जो दूसरे नम्बर का पाइंट है उसके लिए आपने यह कहा, यह बात सही है राजस्थान सरकार स्टेज केरिज के परमिट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को भी देती है और निजी क्षेत्र में दूसरे ओपरेटर हैं उनको भी देती है। यह दोनों हमारे यहां पर एक तरीके से राज्य सरकार के पास परिवहन विभाग में ओपरेटर के रूप में काम करते हैं, तो किराया बढ़ाने की और न्यूनतम रखने की सीमा राज्य सरकार तय करती है। जहां तक न्यूनतम का सवाल है उसमें राज्य सरकार का कोई राइडर नहीं है। लेकिन अधिकतम किराये के अंदर राज्य सरकार राइडर तय करती है। और आज राजस्थान के

(श्री युनूस खान)

अंदर जो किराया हमने तय किया है पहले 33 पैसा, जैसा मैंने निवेदन किया, पहले 33 प्रतियात्री प्रति किलोमीटर था उसको बढ़ाकर हमने 40 पैसा किया। और 40 पैसे से, दूसरी बार जिस पाइंट को आपने अभी उठाया उसको 40 पैसे प्रति किलोमीटर प्रतियात्री को बढ़ाकर हमने 46 पैसे किया। लेकिन उसके पश्चात भी रोडवेज ने अपना किराया अभी भी कम कर रखा है और वह लगभग 40 पैसे ले रहा है। एक फ्लेक्सिब्लिटी केबीनेट की बैठक के बाद राज्य सरकार ने रोडवेज को दी है वह यह है कि वह अपना राइडर तक किराया अपना स्वयं का घटा और बढ़ा सकता है, परिस्थितियों के अनुकूल।

दूसरा पाइंट प्रतिस्पर्धा का आपने उठाया है। यदि प्रतिस्पर्धा आती है तो रोडवेज को यह अधिकार दिया है राज्य सरकार ने केबीनेट में फैसला लेकर कि वह अपना किराया बढ़ा और घटा सकती है। ईवन हमने तो यहां तक दिया है कि अगर डीजल की कीमते बढ़ें उसी प्रपोरशन में वह अपना किराया बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह दोनों पाइंट अलग-अलग है। चूंकि राज्य सरकार ने उनको परमीशन दी इसलिए उन्होंने किराया बढ़ाया, एक किराया बढ़ना भी कारण है उसकी वजह से। जब किराया बढ़ता है तो लोड फैक्टर नीचे आता है और जब लोड फैक्टर नीचे आता है तो रेवेन्यू पर उसका असर पड़ता है। जिस समय डीजल बढ़ता है उस समय अगर यह किराया बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसका असर आयेगा।

प्रतिस्पर्धा की बात हमने कही, आपने यह कही, इन्होंने यह उपाय किये हैं तीन साल में, कभी इन्होंने किराया बढ़ाया है तो घटाया भी है। और किराया घटाने से इनका लोड फैक्टर बढ़ा है और रोडवेज का रेवेन्यू भी बढ़ा है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि प्रतिवर्ष हमने कोई भी तरीके का फ्लीट बढाये बगैर 100 करोड़ रुपये की आय, बिना किराया बढ़ाये और लोड फैक्टर को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की आय बढ़ाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया उसमें हमने यहां जयपुर के अंदर गृह विभाग के सहयोग से इस तरीके का अभियान चलाया और उसमें निश्चित रूप से सफलता मिली। 30 साल से लगातार हमारा सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड था उसके सामने इस तरीके से प्राइवेट ओपरेटर रात को बस चलाते थे, उन पर पूरी बंदिश लगाकर हमने उसको रोका। उसका परिणाम (व्यवधान) एक मिनिट बिराजिए आप, बिराजें साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपका जवाब दूंगा, बिराजें आप।

श्री अमराराम (धोद): हट गई तो 50 कदम दूर से चल रही है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): बिराजिये, मैं आपका जवाब दूंगा ना। आप बिराजिए, मैं जवाब दूंगा ना।

श्री अमराराम (धोद): सिंधी कैम्प के सामने से हट गई तो 50 कदम दूर से चल रही है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): बैठो तो सही, उसका भी जवाब दूंगा। आप जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा, मेरे पास सबके जवाब हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सिंधी कैम्प से यह एक्सपेरिमेंट किया, और यह माननीय नगर से आने वाले सदस्य ने जो मुद्दा उठाया, उसके लिए मैं निवेदन करूं कि हमने इस तरीके के आगार और इस तरीके के जिले चिन्हित, परिवहन विभाग के मंत्री होने के नाते तय किए हैं कि कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें इस तरीके का संचालन हो रहा है जो रूकना चाहिये। क्योंकि उससे राज्य सरकार को एक तो अगर कहीं भी अवैध तरीके का संचालन होता है तो आय की हानि होती है, दूसरी तरफ हमारे रोडवेज में भी लोड फैक्टर कम आता है तो उससे भी आय में गिरावट आती है। तो हमने अब अप्रैल माह से..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप मंत्री हैं, नागौर का ध्यान रखना, आपका जिला है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दूसरा आपने सवाल उठाया, अब हम अप्रैल माह में जोधपुर, कोटा विशेष रूप से कोटा पूरा सम्भाग, जोधपुर सम्भाग, बीकानेर पूरा सम्भाग अलग-अलग सम्भाग में हम इस तरीके का अभियान चलाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय गृहमंत्रीजी को और गृह विभाग को कि आपने सहयोग दिया। एक बात मैं जरूर स्वीकार करूंगा कि परिवहन विभाग के अंदर लगभग हमारे पास 365 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का स्टाफ है उसमें भी जो राजस्व हमारा आता है वह उन्हीं पर निर्भर करता है। हमारे डी.एफ.एस. हो या एफ.एस. उनके माध्यम से हम पैसे का कलेक्शन करते हैं।365 आदमियों को 32 जिलों में अगर पदस्थापन करें तो इस तरीके का सम्भव नहीं है। इसलिए हमारे के गृह विभाग का सहयोग मिलता है उसके माध्यम से हम रोक पाने में, सम्भव है।

अब की बार हम विशेष रूप से कोटा और जोधपुर प्रारम्भिक रूप से ले रहे हैं। हम अलग-अलग डिवीजन वाइज इस तरीके से जो अवैध संचालन

(श्री युनूस खान)

हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्य करेंगे। एक मुद्दा मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार एक कल्याणकारी सरकार होती है। उसका मकसद होता है जनता को सुविधाएं देना। आज रोडवेज लगभग 48 आगारों के माध्यम से लगभग साढ़े सोलह लाख किलोमीटर प्रतिदिन गाड़ी चलती है और गांव में भी जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा और सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा आपने प्राइवेट से रोडवेज का कम्पेरिजन किया। मैं आपसे कहूंगा कि रोडवेज के अंदर और प्राइवेट के अंदर कोई कम्पेरिजन इसलिए नहीं हो सकता, प्राइवेट के अंदर जो लोग गाड़ी चलाते हैं चाहे वो हमारा स्टेज केरिज का परमिट लेकर चलाए, चाहे कान्ट्रेक्ट केरिज का परमिट लेकर चलाए, उस व्यक्ति के पास एक ड्राइवर होता है, न्यूनतम वेतन के बराबर भी उसको वेतन नहीं मिलता। उसके अलावा उसके पास एक कंडक्टर होता है, चाहे जहां रोक लेता है जब कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वयं बस स्टैण्ड की व्यवस्था करता है, जहां पीने का पानी होता है, जहां बैठने की व्यवस्था होती है, साफ-सफाई की व्यवस्था होती है। एक गाड़ी पर लगभग 6 लोगों को लगाए रखते हैं। लगभग साढ़े बाइस हजार लोग, कुल हमारी जो 4445 गाडियां जो चलती हैं, 4537 गाड़ियां जो चलती है, 6 के औसत से लगभग साढ़े बाईस हजार कर्मचारी रोजगार लिए हुए हैं। उनको प्रोविडेंट फण्ड देना पड़ता है, उनको पेंशन देनी पड़ती है। उनको फिफ्थ पे कमीशन के ऊपर कोई इस तरीके का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माहिर आजाद..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सैकण्ड सप्लीमेंट्री, सैकण्ड सप्लीमेंट्री।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आपने एक बात कही, डीडवाना निश्चित रूप से मेरा विधान सभा क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अहम मुद्दा उठाया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: पहले सुनिये, सुनिये। आप विराजें ना।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर नहीं आयेगा तो फिर ये नाराज हो जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्षजी गुप्ताजी को बैठा रही हैं, आपको थोड़ी बैठा रही हैं। उन्होंने तो गुप्ताजी को बैठाया है, आपको थोड़ी बैठाया है। आप तो जवाब दो। गुप्ताजी को बैठाया है, आप बैठ जाते हैं बार बार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक समय में एक ही सदस्य बोले।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज्ञा दी थी। आपने मुझे आज्ञा दी है।

श्री अध्यक्ष: पहले मोहम्मद माहिर आजाद, मूल प्रश्नकर्ता हैं। (व्यवधान) नो, मैं जिनका नाम पुकारुंगी, उन्हीं का अंकित करना है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): xxx

श्री अध्यक्ष: आपका नाम किसने पुकारा है? नो, जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंकित नहीं हो रहा है। जो बिना मेरी आज्ञा के, आसन की आज्ञा के बिना जो बोलना शुरू करेंगे, न उनका प्रश्न अंकित होगा, न उसका जवाब दिया जाएगा। इसलिये केवल उन्हीं का अंकित होगा जिनका नाम पुकारा जाएगा आसन के द्वारा। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सप्लीमेंट्री मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। एक तो आपने आयल कम्पनियों की जो 4 करोड़ की बचत है, उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने परिशिष्ट 4 पर जो कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई है, जरा इसका अध्ययन करें कि आपके सहायक यांत्रिक अभियंता के 44 में से 23 पद रिक्त हैं। आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके 28 में से 22 पद रिक्त हैं। आपके आगार प्रबन्धकों के 46 में से..., 48 पद, यानि 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कनिष्ठ अभियंता के 54 में से 44 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ कार्यालयाध्यक्ष के 18 में से 12 पद रिक्त हैं। जब ये इतने बड़े-बड़े जो काम के अधिकारी हैं, आपके इंस्पेक्टरों के उठाकर देखें तो सहायक यातायात निरीक्षकों के 300 में से 140 पद आपके रिक्त चल रहे हैं। आपके सुरक्षा प्रहरियों के 200 में से 177 पद रिक्त हैं। तो यह यातायात निरीक्षक और दूसरे हैं जिनसे आय बढ़ती है, जो टिकट चेक करते हैं, वह तो इतने लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। इनको आप कब तक भर देंगे? एक तो आप यह बता दें। एक वह मैंने आयल कम्पनियों का कहा कि 3 साल पहले क्यों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं आपने डाइरेक्ट कांट्रेक्ट कर लिया जो और बचत होती। उसका जवाब दे दें। अन्त में मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप इन 44 जो घाटे में आगार चल रहे हैं, यहां निजी बसों को, जिनका किराया रोडवेज से कम होता है, अच्छी बेहतर सुविधा होती है जिनके कारण रोडवेज घाटे में चल रही है। आप गृह विभाग का या यातायात विभाग का सहयोग लेकर प्रभावी कार्यवाही करें ताकि आपका रोडवेज विभाग घाटे से उभर सके।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ डिपो आगार प्रबन्धन के द्वारा जो अनियमितताएं की गयीं, उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, या करने का विचार है या नहीं। नम्बर-दो, लाभ में चलने वाले रुटों को कम दर पर ठेके पर क्यों दिया गया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होने वाली है? तीसरा, चित्तौड़-भीलवाड़ा, चित्तौड़-उदयपुर रुटों पर जो अवैध वाहन चलते हैं उनको रोकने का सरकार कब तक प्रयास करेगी? अन्त में मेरा सवाल है गंगरार कस्बे में और सोनियारा कस्बे में रोडवेज की लोकल बसें, हमेशा जाती रहीं, पिछले 30 साल से, अब क्यों बंद कर दी गयीं, ऐसे क्या कारण रहे? इन प्रश्नों का जवाब दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूसिंह गुर्जर।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शोर्ट में पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपकी जो बसें हैं वह 10-10, 15-15 साल पुरानी हैं, इसलिये उनके डीजल का एक्सपंडीचर और दूसरे एक्सपंडीचर ज्यादा आ रहे हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप बैठ जाएं। स्पीकर को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बैठ जाइये। मेरा नाम पुकार लिया, बैठ जाएं।

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि बसें 10-10, 15-15 साल पुरानी हैं जिसके कारण, और बसों की संख्या कम है उसके कारण आपका खर्चा, डीजल पर और बाकी चीजों पर ज्यादा होता है तो एक घाटे का कारण यह है, क्या यह सही है? दूसरा आपके डीजल और टायर पर वैट के कारण 4 से

(डा. एन. एस. गुर्जर)

बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत, टायर पर वैट हो गया। और डीजल पर 13 प्रतिशत हो गया। क्या यह सही है? दूसरा, जो आपके 17 कैटेगिरिज हैं, जो कंसेशनल रेट पर ट्रेवल करते हैं जिसके कारण से 25 करोड़ रुपये का आपके ऊपर भार आता है तो इन फेक्टर्स को आप हटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं? और मेरा एक अन्तिम प्रश्न यह है कि आपने जो आपके पास सैंक्शंड स्टाफ है, वह है 26332, इसके अगेंस्ट में वर्किंग स्टाफ 21891 है। तो यह जो वेकेंट पोस्टें हैं इसके कारण से उस पर प्रभाव पड़ रहा है। एक जो मिलीभगत से, जो प्राइवेट अभी आपने कहा कि हमने किराया नहीं बढ़ाया इसके कारण, यदि आप किराया बढ़ाने की गलती करेंगे तो आपका लोड-फेक्टर प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और हम और ज्यादा घाटे में आएंगे। तो क्या मिलीभगत के कारण प्राइवेट बसें और प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे हैं जिसके कारण आपका घाटा है। कहीं तो प्रोफिट में आ गये और कहीं घाटे में चल रहे हैं। आज बीकानेर, कोटा, जोधपुर, कोई चार करोड़ से दो करोड़ घाटे में है। कोई छह करोड़, तो मेरा प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करें। हो गया प्रश्न।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपके माध्यम से कि आप रोडवेज को घाटे से उबारने के लिये क्या यह सही है कि आपके प्रशासन ने ही लिखकर दिया है कि एक हजार नई बसें हमको दे दो, पुरानी बसों को अलग हटाओ, और जो पुराने सैंक्शंड पद हैं...

श्री अध्यक्ष: अब आप भाषण तो दो मत।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): तो इसको पूरा करने के लिये आप कब तक कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: हां, मोहनलाल गुप्ता। पहले इतने प्रश्न पूछ लिये हैं, पहले इनका तो जवाब आ जाने दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा इनसे सम्बंधित ही है। आखिरी इन्होंने प्रश्न पूछ लिया। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय कि किसी भी कारपोरेशन में या किसी भी व्यापारिक संस्थान की दो कोस्ट होती है, डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट कोस्ट। मंत्री महोदय ने यह तो बता दिया कि रोडवेज की कई प्रकार की दिक्कतें हैं, यात्री-भाड़ा नहीं बढ़ाया और

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

कई बातें हुईं। मैंने कहा आपकी जो डाइरेक्ट कोस्ट है, वह प्राइवेट वालों से ज्यादा आ रही है। पहली बात डीजल का आपका एवरेज बहुत कम आ रहा है। आपकी कोस्ट आफ रनिंग आफ बस, वह बहुत ज्यादा आ रही है। डीजल का एवरेज कम आ रहा है, कोस्ट आफ रनिंग ज्यादा आ रही है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेसेंज ज्यादा हैं। उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेसेंज की वजह से प्राइवेट लोगों के पास में .. (व्यवधान) बस आप ले जा रहे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेसेंज को कम करने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? एवरेज को बढ़ाने के लिये आप क्या कर रहे हैं। अन-इकोनोमिकल जो रुट्स हैं, उनको आप इकोनोमिकल रुट बनायें, उसके सम्बन्ध में आपकी क्या-क्या योजनाएं हैं? वह भी कृपया बताने का कष्ट करें। और क्या आपको यह मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार ने रोडवेज को बंद कर दिया?

श्री अध्यक्ष: अब आप भाषण मत दें और सीधा प्रश्न पूछें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): रोडवेज को बंद कर दिया। क्या ऐसा प्रस्ताव भी आपके विचाराधीन है कि हम इस रोडवेज को बंद करके और उसकी जगह घाटे में चलने वाली बसें हैं, इसको बंद करके उन प्राइवेट लोगों को चालू रखें, क्योंकि इसका फायदा नहीं है?

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें। सुन लिया। मंत्रीजी, मंत्रीजी। (व्यवधान) इतने प्रश्न एक साथ पूछ लिये हैं, पहले जवाब देने दें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): xxx

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री अध्यक्ष: पहले के प्रश्नों का जवाब तो आने दीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): xxx

श्री अध्यक्ष: 28 मिनट हो गये हैं, नहीं, अब आप स्थान ग्रहण करें। 28 मिनट हो गये हैं। अब इनके जवाब आने दीजिये। मंत्रीजी खड़े हैं जवाब देने के लिये। अंकित नहीं हो।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): xxx

श्री अध्यक्ष: अब मंत्रीजी खड़े हैं जवाब देने के लिये। नहीं, अब नहीं, गुंजल साहब, अब नहीं। आप प्रश्न का जवाब सुनें। जो पहले पूछे गये हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जवाब सुनिये पहले, नो, नो। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दीजिये।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आयल से सम्बन्धित जो बात उठाई, यह बात सही है कि हमारी सरकार आने से पहले इस तरीके का कोई नेगोसिएशन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपके हाथ को देख लिया।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): और हम सरकार में आने के बाद हमने जो भारत सरकार की चार आयल कम्पनियां हैं उनसे नेगोसिएशन किया और नेगोसिएशन करके डीजल में हमने छूट प्राप्त की। और अब भी हम हर वर्ष, जब नया वित्तीय वर्ष आयेगा तो निश्चित रूप से चारों कम्पनियों को बुलाकर के उनके बाकायदा टेण्डर इन्वाइट करेंगे और उसके बाद में लोएस्ट रेट आयेगी उसको हम इस तरीके का देंगे। इसका मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा कि आज 16.02.2007 को जो डीजल की रेट बाजार के अन्दर 33 रुपये 8 पैसे है, वही हम रोडवेज में 30 रुपये 26 पैसे में ले रहे हैं। अगर आप इससे पहले के आकड़े देखें और यह हमने 2004-05, 2005-06, 2006-07 में इस तरीके से किया है। यह लगभग पौने तीन रुपये के आस-पास हम जो हैं, बाजार दर से कम पर डीजल ले रहे हैं। इसका भी मतलब हमारे को रोडवेज को लाभ हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इश्यू उठाया कि जो हमारे खाली पद पड़े हैं, विशेष रूप से आपने प्रशासनिक पदों की खाली की बात कही। मैंने आपसे निवेदन किया कि आज रोडवेज जो है उसकी संख्या लगभग 4500 के करीब है अगर हम औसत देखें तो 6 व्यक्ति प्रति एक बस पर हमारे पास अभी भी है। स्टाफ अवेलेबल है। बसें कम हैं और स्टाफ ज्यादा है इसलिए एक तो चूंकि बेन लगा हुआ है। एक्ट लागू है इसलिए नयी भर्तियां नहीं हुई। दूसरा अभी भर्तियों के अन्दर ड्राइवर और कंडक्टर पर हम जरूर विचार कर रहे हैं बाकी दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इससे तो खर्चा और बढ़ जाएगा आपका। आपका खर्चा और बढ़ जाएगा।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): थोड़ा सा। तीसरा जो विशेष रूप से ... (व्यवधान) नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूं न, साहब। मैंने लिख रखे हैं। मैं सब का जवाब दूंगा। बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। विशेष रूप से जो खाली पद हैं, चालक और परिचालक और टेक्निशियन, इस पर हम

(श्री युनूस खान)

विचार कर रहे हैं और राज्य सरकार से परमिशन मिली तो इन भर्तियों को किया जाएगा बाकी जो प्रशासनिक पद थे, जिस तरीके से एस.पी., डीवाई.एस.पी., एडिशनल एस.पी. उन लोगों को स्थानांतरण के बाद में हमने नहीं भरा क्योंकि वह एक तरीके से भार था। इंटरनल चैकिंग के माध्यम से हमने इस तरीके की जो चोरी हो रही थी उसको रोकने का प्रयास किया है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य ने चित्तौड़गढ़ डिपो की बात विशेष रूप से उठायी। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने यह कहा कि कोई अनियमितता हुई है। मैं सदन को और गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरीके की अनियमितता अगर डिपो मैनेजर ने की है तो उसकी हम जांच करवाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक घाटे का सवाल है ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): कितने दिनों में करा देंगे?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अप्रैल महीने के अन्दर ही, विधान सभा सत्र पूरा होने, 15 अप्रैल तक अगर कोई भी तरीके की अनियमितता है, कोई भी शिकायत आयी है तो 15 अप्रैल तक हम उस अधिकारी के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने अपने स्वयं के गांव, जिसका नाम...(व्यवधान) नहीं-नहीं गंगरार नहीं है इनका गांव। आपका खुद का गांव कौनसा है? राशमी गांव।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): तीन-तीन साल हो गये हमें भी माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): डीडवाना का भी बताऊंगा। डीडवाना की जनता ने यहां भेजा है तो डीडवाना के बारे में भी बताऊंगा। आप विराजिये। डीडवाना की जनता ने यहां पर भेजा है, डीडवाना के बारे में भी बताऊंगा।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): हमारे विधान सभा क्षेत्र में गाड़ियां नहीं चलतीं। तीन-तीन साल हो गये। तीन-तीन एम.एल.ए. ने आपको लिखकर दिया, आज तक गाड़ियां नहीं चलीं। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आप विराजिये। विराजिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या विराजिये? आपके आर्डर ही नहीं चलते हैं। आपने आर्डर दिये थे वे चलते ही नहीं हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): राशमी के बारे में, बसों के बारे में ... (व्यवधान) वे खड़े हो जाएंगे अगर आप खड़े होंगे तो। वे पीछे हमारे भी एक हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): खड़े होने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका नाम किसने पुकारा? आपको किसने पुकारा? अंकित नहीं हो। कोई आवश्यकता नहीं है जवाब देने की। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राशमी के बारे में यह बताना चाहूंगा कि आजकल बसें अगर कोई इंटीरियर में जाती हैं और एक या दो किलोमीटर पर मुख्य सड़क मार्ग से अगर कोई गांव है तो वहां पर उस बस में, वह गांव में जाकर वापस आती है। 15-20 मिनट लगते हैं और जो एक्सप्रेस या जो सीधे जाने वाले यात्री उन बसों में नहीं बैठते हैं। यह मुख्य कारण है इसलिए एक या दो किलोमीटर के अन्दर जाने वाली बसों में हमारे लिए संचालन करना मुश्किल है फिर भी गंगरार के माननीय सदस्य ने बात कही है ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 वर्षों से गंगरार में बस जा रही है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): तो उस पर हम विचार करके उस बस का संचालन करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। दूसरा, हमारे माननीय सदस्य नाथूसिंहजी ने वैट के संबंध में इश्यू उठाया। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री अध्यक्ष: आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। अंकित नहीं हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): वैट से संबंधित इश्यू उठाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैट से संबंधित आपने इश्यू उठाया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): क्या आप उस डिपो मैनेजर को हटाकर जांच करेंगे या उसको रखकर करेंगे?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हटाकर जांच कर देंगे। उसमें क्या है, हटाकर जांच कर देंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: आप तो यातायात मंत्रीजी, इतना ही बता दीजिए ... (व्यवधान) एक प्रश्न है इनका। माननीय सदस्य, एक प्रश्न पर 35 मिनट हो गये हैं। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, आप मोटी-सी इतनी बात बता दीजिए कि 2004 में कितना घाटा था, वह घाटा आपने कम किया है या वह घाटा और बढ़ गया? बस, इतनी-सी बात बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): xxx

श्री अध्यक्ष: आप तो मोटी बात बता दीजिए। अंकित नहीं हो रहा है। जवाब आने दीजिए पहले।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। लेट हिम सिट। (व्यवधान) आप कृपया स्थान ग्रहण करें। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): धोद से आने वाले माननीय सदस्य, एक मिनट में मैं ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : xxx

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वह। आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण

कर लें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन ने जो कहा है उसका जवाब दे रहे हैं वह। प्लीज, बैठिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट, जवाब तो देने दीजिए। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा है। आप आसन से भी बड़े हो गये कि उनका जवाब नहीं आया अभी तक आसन का और आप बीच में खड़े हो गये, स्थान ग्रहण करिये।

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका जवाब बाद में निकलेगा। मैंने कहा स्थान ग्रहण करें। आपसे कह रही हूं, स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन का आदेश हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि 1998 में जब हमारे मित्र सत्ता में आये तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप 98 में चले जा रहे हो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): तो कम्पेरीजन तो होगा। कम्पेरीजन तो होगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1998 से 2007 तक का पूरा देता हूं।

श्री अध्यक्ष: इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप इतने आदमी खड़े हो जाते हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):... (व्यवधान) आपने क्या-क्या किया, क्या-क्या उपाय किया, कितने लाभ में आये, पहले क्या था, दोनों स्थितियों का कम्पेरीजन होगा। बेलेंसशीट तो दोनों की ही बतायी जाएगी। रोडवेज ने कोई सजावटी विज्ञापन नहीं दिये हैं हमने। रोडवेज ने हमारे आने के बाद एक भी सजावटी विज्ञापन नहीं दिये गया है। यह आप असत्य बात कह रहे हैं। एक भी सजावटी विज्ञापन नहीं दिया गया। रोडवेज के प्रचार-प्रसार के अलावा कोई भी सजावटी विज्ञापन नहीं दिया। जब हमारी रोडवेज का एक अक्टूबर का जन्मदिन आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम विज्ञापन देते हैं। इसके अलावा रोडवेज कभी भी कोई सजावटी विज्ञापन नहीं देती है। आप विज्ञापन भी निकाल कर देख सकते हैं। विज्ञापन निकाल कर देख सकते हैं। जब रोडवेज का जन्मदिन आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन निश्चित रूप से हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे आने के बाद में हमने किसी भी तरीके का कोई विज्ञापन नहीं दिया। सिर्फ सजावटी विज्ञापन वह दिये हैं जब हमारे रोडवेज का जन्मदिन था।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब क्यों दे रहे हैं, अंकित ही नहीं हो रहा। जवाब क्यों दे रहे हैं आप, मैंने अंकित ही नहीं करने दिया। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का उत्तर रह जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में 44 करोड़ का घाटा था, आगे 73 करोड़ का घाटा था, मतलब इनके पांच साल के कार्यकाल में 44 करोड़ का घाटा निगम को हुआ।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): और हमारे आने के बाद में 2004-05 में...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री हीरालाल (निवाई): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं आपके सत्ता में आने के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की तो बात ही नहीं कर रहा। पहले तो माननीय भैरोंसिंहजी के राज में रोडवेज प्लस में थी। उसको अगर कोई घाटे में लेकर आया तो आपकी सरकार लेकर आई और माननीय भैरोंसिंहजी के शासन में वह प्लस में थी और जो 250 करोड़ रुपये का घाटा दिया, वह हमारे को विरासत में मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 2006-07 में इनके किये हुए पापों को धोकर इस वर्ष यह रोडवेज प्लस में आयेगी। यह विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं । हम अच्छी स्थिति में आये हैं, राजस्थान की जनता को नई बसें दी हैं और आज जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे हुआ है, वह इन तीन राज्यों में- उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान के बीच में कम्पीटिशन है। और मुझे विश्वास है कि आप सब के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से यह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अव्वल स्थान पर इस वर्ष आयेगी और इस वर्ष में हम घाटे से उबरकर पहली बार दस साल बाद में फायदे में आयेंगे। यह स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है, यह मैं हमारी विधान सभा में कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रतिभा सिंह, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, पौन घंटे से मेरा हाथ ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, पौन घंटे से मेरा हाथ ऊपर है और मुझे बहुत अफसोस है, अनुशासन की कोई कद्र नहीं है। नियम पालन करने वाले की कोई कद्र नहीं है। अनुशासन की कोई कद्र नहीं है आपके यहां, सॉरी।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न पर 42 मिनट हो गये हैं और सभी के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय जोगेश्वरजी, पिछले पौने तीन साल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ही नहीं देख पायीं हाथ तो अध्यक्षजी कैसे देख पायेंगी ?

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिभा सिंह, आपको प्रश्न नहीं पूछना क्या ?

श्रीमती प्रतिभा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न नम्बर बोल दिया।

टोडपुरा (नवलगढ़) ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित राशि

192. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बिखरी जनजाति के विकास हेतु वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कुल कितना बजट आबंटित किया गया ?

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में बिखरी जनजाति के विकास हेतु उक्त अवधि में कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ? प्रत्येक कार्य एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की ग्राम पंचायत टोडपुरा में काफी संख्या में जनजाति की जनसंख्या है ? यदि हां, तो इनके लिये सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत टोडपुरा पंचायत समिति नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं को बिखरी जनजाति विकास हेतु अतिरिक्त बजट आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना एवं कब तक व नहीं तो क्यों ?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : (1) सरकार द्वारा बिखरी जनजाति हेतु वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में क्रमश: राशि 1142.83 लाख एवं 1891.31 लाख कुल 3034.14 लाख रुपये का बजट आबंटन किया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त अवधि में व्यय की गई राशि एवं लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत टोडपुरा के लिये राशि रुपये 013 लाख आबंटित किये।

(4) बजट की उपलब्धता एवं प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राशि आबंटित की जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि सन् 2006-07 में पूरे नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आपने प्रतिभावान छात्रवृत्ति के नाम पर 3500 रुपये दिये।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

इतने बड़े इलाके में जहां पर पूरी जनजाति क्षेत्र के लिये एक पंचायत आरक्षित है, वहां आपको एक ही व्यक्ति मिला 3500 रुपये देने के लिये, बड़ी शोचनीय बात है तो इसका कारण बतायेंगे कि पूरे इलाके में एक ही को क्यों चुना ?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिभावान छात्र होगा उसको ही मिलेगा, हर किसी को तो मिलेगा नहीं। जो प्रस्ताव आया उसके अनुसार आबंटित कर दी।

श्री अध्यक्ष: प्रतिभा तो आपके पास आई और प्रतिभावान बचे ही कहां ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रतिभा सिंह तो राज्यपाल भी हैं, एक ही कैसे हैं।

श्री मुरारीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा सन् 2005-06 और 2006-07 में 30.34 लाख रुपये कुल बजट आबंटित हुआ जनजाति बिखरी आबादी के लिये।

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री मुरारी लाल मीणा : इसमें से टोटल खर्चा कितना हुआ, पहले कितना था और बैलेंस कितना रहा ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 2005-06 में तो 2 लाख 25 हजार रुपये खर्च किया और 2006-07 में मात्र 3500 रुपये खर्च किये। यह आपने एक साल में इतना भेदभाव सिर्फ इसलिए किया कि ये कांग्रेस की एसोसियेट मैम्बर हो गयीं ।

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, टोटल राजस्थान के लिये 30.34 लाख का बजट ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह मंत्रीजी आपका उत्तर कह रहा हूं । 2005-06 में आपने 2 लाख 25 हजार रुपये खर्च किये और 2006-07 में मात्र 3500 रुपये खर्च किये। आप राजनैतिक आधार पर भेदभाव कर रहे हो और जो कांग्रेस से जुड़े हुए सदस्य हैं, उनके क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हो आप ।

एक माननीय सदस्य : यह आरोप असत्य है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपका उत्तर कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मंत्री महोदय, आपके दिये आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं।

श्री मुरारी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे ट्राइबल की उपेक्षा हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 30.34 लाख रुपये दोनों सालों में आबंटित हुआ, उसमें से पूरे राजस्थान में कितना खर्च हुआ और बैलेंस कितना रहा और क्यों रहा ?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्षजी, क्या सरकार के पास बिखरी हुई आबादी ...

श्री अध्यक्ष: मैंने जीतमल खांट का नाम पुकारा है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी यह बतायें कि ग्राम पंचायत टोडपुरा में मात्र 13 हजार रुपये खर्च किये हैं । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत टोडपुरा में आदिवासी परिवारों की कितनी संख्या है ?

श्री अध्यक्ष: आदिवासी नहीं, जनजाति हैं। आदिवासी नहीं हैं वहां ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): जनजाति हैं, और एक परिवार के हिस्से में कितनी राशि आती है, यह आप बता दें।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह आपका कहना कि 13 हजार रुपये किये, यह 1300 रुपये हैं और टोडपुरा में कुल जनसंख्या ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह तो बहुत बड़ी तकलीफ है 13 हजार के बजाय 1300 रुपये हैं ।

श्री अध्यक्ष: आप सुनो तो सही।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): टोडपुरा में कुल जनसंख्या 4,932 है, उसमें जनजाति की है 1281, एक गांव और पड़ता है इस पंचायत में किरोड़ी, जिसके अंदर 1526 कुल जनंसख्या और उसमें 56 मात्र जनजाति में और इसलिए जो हिस्सा राशि जो को-ऑपरेटिव संस्था की सदस्य बनने को देना था, वह पूरी पीछे 1 से 26 तक जितने भी नाम हैं, चाहें तो मैं पढ़ दूं, यह पूरी की पूरी हिस्सा राशि इनको जमा करवा दी है।

श्री अध्यक्ष: डा. पी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दो तरह के आदिवासी हो जायेंगे। एक वह आदिवासी जो ट्राइबल सब प्लान में रहते हैं,

(डा. सी. पी. जोशी)

दूसरे आदिवासी, जो ट्राइबल सब प्लान में नहीं रहते हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो आदिवासी ट्राइबल सब प्लान में नहीं रहते हैं, खास तौर से मावली, कुम्भलगढ़, गोगुन्दा और नाथद्वारा और बहुत-से क्षेत्र हैं, बूंदी भी है वह जो ट्राइबल सब प्लान में नहीं रहने वाले आदिवासी हैं उनकी संख्या लगभग 12 लाख से ज्यादा है? क्या राजस्थान सरकार को बिखरी हुई जनसंख्या, जो आदिवासी की है, वह जनसंख्या, उन जनसंख्या के आधार पर पैसे का अलोकेशन करने का विचार रखती हैं?

श्री अध्यक्ष: यह तो अलग से प्रश्न है आपका।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसके अंदर है। बिखरी जनसंख्या यह हमारी सरकार की बता रहा हूं। बिखरी जनसंख्या में राजस्थान सरकार और भारत सरकार को पैसा मिलता है । यह राजस्थान सरकार और भारत सरकार लिखा है इसमें से केवल मात्र 20 करोड़ रुपये करते थे 12 लाख आदमी के हिस्से में 1500 रुपये दे रहे हैं आप तो नोन ट्राइबल इलाके में जितने आदिवासी हैं, उन आदमियों के 100 रुपये हिस्से आयेंगे और राजस्थान में दो तरह के आदिवासी हो जायेंगे । इससे आप भला नहीं कर पायेंगे। इसलिए बिखरी हुई जनसंख्या और माडा में रहने वाली जनसंख्या के लिये पैसे की व्यवस्था करें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उन आदिवासियों के लिये कोई प्लान है जो ट्राइबल सब प्लान में नहीं रहते हैं, जो छितरी हुई आबादी में हैं । हमारे यहां 32 हजार की आबादी है आदिवासियों की और उनके लिये क्या प्लान है ? क्या आप ट्राइबल सब प्लान में रहने वाले आदिवासी और उस जनरल कास्ट की जगह रहने वाले आदिवासियों में भेद करना चाहते हैं? आखिर आपके पास उसके लिये क्या प्लान है ? क्या वह ऐसे का ऐसा रहेगा? आज जनजाति के लिये सारा का सारा प्लान है। कहीं पर भी जनजाति का व्यक्ति होगा, वह लाभ उठा सकता है।

श्री अध्यक्ष: आप भाषण नहीं दें, प्रश्न पूछें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति हमारे एरिये में है, उसको कोई लाभ नहीं मिल सकता है, उसके लिये किस प्रकार की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछिये। भाषण दे रहे हैं आप।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हमारे एरिया में है उसको कोई लाभ नहीं मिल सकता। किस प्रकार की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बिखरी क्षेत्र और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि बिखरी माडा, टाडा क्षेत्र में रहने वाले ऐसे जनजाति भाइयों के लिए राशि और उस पर व्यय कम किया जा रहा है, इनके लिए क्या होगा?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): नहीं, माननीय मंत्री महोदय, मैं माडा, टाडा की बात नहीं कह रहा हूं, माडा टाडा के अलावा दूसरी आबादी और है। माडा, टाडा में हमारे यहां दो विलेज हैं। केवल डबोक अकेले में 1500 आदीवासी हैं और नाहरमगरा में 2500 लोग हैं जो माडा और टाडा में नहीं आते हैं उनके लिए आपके पास क्या प्लान है?

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुन नहीं रहे हो आप और खड़े हो जाते हो बीच में।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माटा, टाडा के अन्दर बिखरी योजना के अन्तर्गत भी हमने राशि का प्रावधान इस बार किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद आप सब की ओर से देना चाहूंगा कि पहली बार बहुत अच्छा बजट, एक करोड़ 54 लाख का बिखरी जाति के लोगों के लिए दिया है और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ, आपके जितने भी प्रस्ताव आयेंगे तो बजट की उपलब्धता के आधार पर इसमें लेकर आयेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप क्या बात कर रहे हो? आपका टोटल ट्रायबल सब प्लान का कितना पैसा है? महाराष्ट्र पैटर्न के हिसाब से दस डिपार्टमेंट का आपका यह डेढ़ परसेंट पैसा आ रहा है। आपका बजट है करीब 400, 500 करोड़ रुपये का जो नोन ट्रायबल में रहते हैं, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी भी जगह रहे उसको पूरा फायदा मिलता है। लेकिन ट्रायबल जो है एस.टी. उसमें ट्रायबल सब प्लान के अलावा जो आदिवासी रह रहा है उसको वो लाभ नहीं मिल रहा, ना व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है ना एरिया डवलपमेंट का लाभ मिल रहा है।

(डा. सी. पी. जोशी)

क्या राजस्थान सरकार नोन ट्रायबल में रहने वाले राजस्थान के जो ट्रायबल हैं, चाहे वो माडा में आएं चाहे स्केटर्ड पापुलेशन में आएं चाहे नहीं आएं, उन ट्रायबल को भी एस.सी. की तरह लाभ देने के लिए योजना बना रही है? एक करोड़ तो 12 लाख में कोई पैसा ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को सिद्धांतत: इस बात की स्वीकृति देनी पड़ेगी कि ट्रायबल सब प्लान के अलावा जो ट्रायबल हैं उन सब को भी वह लाभ मिले। यह सरकार की मंशा है या नहीं?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब शासन में थे तब भी ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम शासन में थे जब आरती उतार रहे थे। यह 1986 में बिखरी वाला ही हमने किया, यह माडा वाला हमने ही किया, खड़े होकर बताओ सरकार, बिना जानकारी के बात नहीं करते हैं। राजस्थान सरकार को और माननीय कनकमलजी, आप काबिल मंत्री हैं, आप से आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार से सिद्धांतत: फैसला कराएं कि राजस्थान सरकार ट्रायबल सब प्लान के अलावा भी राजस्थान में जो ट्रायबल रह रहा है चाहे वो माडा में आता है चाहे बिखरी जनसंख्या में आता है या नहीं आता है, व्यक्तिगत लाभ की योजना भी उन सब आदिवासियों को मिलेगी, इसका हम एलोकेशन करेंगे, यह घोषणा करिये आप।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी चिंता वाजिब है और उसके अनुसार आप जब सरकार में थे उस समय 43 करोड़ रुपये की स्वीकृति और अभी भी 81 करोड़ रुपये की स्वीकृति का प्रावधान हमने रखा है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्नकर्ता के तो कोई जवाब ही नहीं आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी देर से हाथ उठा रखा है, आप देख भी नहीं रही हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी खड़े हैं न, तो मंत्रीजी का जवाब तो सुन लो। बैठ जाइये आप, जवाब सुन कर फिर ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और उसके अनुसार ही पिछले समय में उसके अनुसार सभी को लाभ मिलेगा। इसके अलावा छात्रावासों में जितने भी जनजाति छात्र हैं इनको व्यक्तिगत लाभ में

(श्री कनकमल कटारा)

और छात्रावास में रहने वाले का और जितने भी हैं उनको लाभ अच्छी तरह से मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की हमें कुछ गाइड लाइन हैं उसके अनुसार जब बी.पी.एल. परिवारों की, यानी कि जो राशि होती है वह जनसंख्या के आधार पर होती है। और इसीलिए जो व्यय करना होता है वह अधिकतर बी.पी.एल. परिवार के हिसाब से हम को व्यय करना होता है। इसलिए जहां पर माडा और टाडा क्षेत्र और बिखरी जनजाति क्षेत्र हैं वहां बी.पी.एल. की संख्या कम और ट्रायबल सब प्लान एरिया के अन्दर जहां पर उसकी बी.पी.एल. की संख्या ज्यादा और जनसंख्या के आधार पर जब पैसा आता है तो उसके अनुसार हमें उस पैसे को खर्च करने में हमारी तकलीफ होती है और इसलिए आपकी चिंता वाजिब है। हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में, अभी पिछले समय भारत सरकार की मीटिंग थी, मैं गया था, केन्द्रीय मंत्रीजी को मैंने कहा था कि यह हमारी आधारभूत समस्या है और उसके कारण से हम जनजाति भाइयों को हम लाभ नहीं दे पा रहे हैं, इसके अन्दर परिवर्तन करिये। उन्होंने कहा है कि यह गाइड लाइन भारत सरकार की पूरे भारत की है, अब एक प्रांत के लिए हम अलग से नहीं फिर भी हम विचार करेंगे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। डीटेल में मैंने पूरा बताया था।

इसलिए मैं सोचता हूं आने वाले समय में पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र की बिखरी और अन्य टाडा, माडा क्षेत्र में रहने वाले, उसकी राशि और ज्यादा बढ़े और उसका खर्च कैसे करें, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रमोद जैन 'भाया'।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया उसका तो जवाब दिया नहीं और दूसरी बातों के ऊपर कि आने वाले समय के अन्दर करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दिया कैसे नहीं, दे तो दिया। दे तो दिया जवाब उसका, आप थे ही नहीं, आप तो वहां बैठे थे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसके साथ कैसे भेदभाव हुआ, वो बताइये आप।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष: हां, दे दिया जवाब। आप तो वहां पधारे थे, आप यहां थे नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कहां दे दिया? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपका ध्यान कहीं और था।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वहां बैठा सुन रहा था पीछे।

श्री अध्यक्ष: दे दिया जवाब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 6 स्थगित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हां, इसलिए मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रमोद जैन 'भाया'।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो प्रश्न करने का मौका दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न का जवाब दे दिया उन्होंने।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): नहीं दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही बिंदु के लिए किया था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। मंत्रीजी ने खुद ने जवाब में कहा है कि 2005-06 में 2,25,000/- रुपये इनकी कांस्टीट्युएंसी में खर्च किये, 2006-07 में मात्र 3500 रुपये किये। मैंने बहुत स्पष्ट पूछा है कि यह कांग्रेस की एसोसिएट मैम्बर हो गयीं इसलिए राजनीतिक भेदभाव कर रही सरकार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप गलत आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक आधार पर, विधान सभा वाईज इस तरह से नहीं जो प्रस्ताव आते हैं उसके अनुसार हम स्वीकार करते हैं। ऐसा थोड़ी हम भेदभाव कर के दे रहे हैं। यह गलत आरोप है।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कारण रहा कम करने का?

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

सहायक अभियंता, बारां द्वारा कचरा कण्टेनर क्रय प्रकरण की जांच

193. **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2006 में किस-किस नगर पालिका को कितने-कितने कचरा कण्टेनर की किस-किस फर्म या कम्पनी के माध्यम से आपूर्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कचरा कण्टेनर निर्धारित वज़न के नहीं होने की जांच नगर पालिका, बारां के सहायक अभियंता से करवाने के क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार कचरा कण्टेनर की आपूर्ति नहीं देने पर फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य स्तर पर खरीदे गये कचरा कण्टेनर हेतु कितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): (1) वित्तीय वर्ष 2006-07 में अब तक बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से आपूर्ति किये गये कण्टेनरों का परिशिष्ट 'अ' पर एवं आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा ए.डी.बी. द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत आपूर्ति किये गये कण्टेनरों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) नगरपालिका बारां द्वारा नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को जारी क्रय आदेश के क्रम में फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कचरा पात्रों में से एक कचरा पात्र का वज़न दिनांक 29.11.2006 को सहायक अभियंता, नगर पालिका, बारां द्वारा करवाया गया जिसका वज़न 435 किलोग्राम पाया गया, जो निर्धारित वज़न 500 किलोग्राम से कम होने के कारण समस्त कचरा पात्र फर्म को लौटाए गए। पुन: दिनांक 11.12.2006 को

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

फर्म द्वारा कण्टेनर आपूर्ति करने पर सहायक अभियंता, नगर पालिका बारां द्वारा वज़न कराये जाने पर 24 कण्टेनरों का औसत वज़न 488.54 किलोग्राम पाया गया। दोनों जांच रिपोर्ट परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) नगर पालिका द्वारा कुल 24 कण्टेनरों का 275 किलोग्राम वज़न कम पाये जाने पर रुपये 57.80 प्रति किलोग्राम की दर से आनुपातिक कटौती रुपये 15890/- की जा कर फर्म को भुगतान किया गया।

(4) राज्य स्तर पर कोई भी कण्टेनर नहीं खरीदा जाने से ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उत्तर गलत है, राज्य स्तर पर ही खरीदी गयी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अभी आप बोल देना, मैं चुपचाप आपकी बात सुनूंगा और उसका जवाब भी दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सारे टेण्डर राज्य स्तर पर हुआ है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप, मुझे लगता है, हरिमोहनजी, ज्यादा मिर्ची खा कर आते हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मंत्री महोदय मेरा काम तो मिर्ची से ही चल जाता है, आप तो पूरे जे.डी.ए. को ही खा रहे हो तो ही नहीं बोल रहे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप बताओ न, आरोप लगाओ न। आप क्या-क्या कर रहे हो, मैं खुलासा करूंगा तो यहां बैठ नहीं पाओगे उसके बाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन टेण्डरों के मामले में पांच करोड़ और 20 लाख रुपये का सीधा यहां से आर्डर दिया है और सब नगर पालिकाओं में भेजा है। वहां कोई नगर पालिका स्तर पर कोई खरीद नहीं हुई।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सब बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और केवल-मात्र 12 का जो तुलवाया और कण्टेनरों को आपने नहीं तुलवाया और करोड़ों रुपये का घपला किया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आपको इतनी जल्दी क्या है, आप जो भी पूछना है पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा, सक्षम तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा पर आप थोड़े सीनियर हैं, मेरे पहले वित्त मंत्री रह चुके हो, थोड़ा आप छोटों का ख्याल किया करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मिर्ची खाने की बात ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, मंत्रीजी, आपने कहा हरिमोहनजी मिर्ची खा कर आते हैं, आप यह बताओ कि मिर्ची इन्होंने हरी खायी थी, लाल खायी थी या काली खायी थी?

श्री अध्यक्ष: क्या तमाशा करते हो आप? यह हरी और लाल, फालतू बात करते हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह तो आपके साथ खायी थी, आप बता दें कौनसी खायी थी।

(4) राज्य स्तर पर कोई भी कण्टेनर नहीं खरीदा जाने से कोई भुगतान राज्य स्तर से नहीं किया गया। विभिन्न निकायों एवं आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा किये गये भुगतान का विवरण बिंदु संख्या 1 से सम्बन्धित परिशिष्ट 'अ' और 'ब' में अंकित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 25027 कण्टेनरों की खरीद 187 निकायों और आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा अपने स्तर पर करना बताया गया है। कृपया सदन को अवगत करावें कि 187 निकायों एवं आर.यू.आई.डी.पी. ने कण्टेनरों की खरीद हेतु निविदाएं कब-कब जारी कीं? क्या सभी निकायों में एक ही दरों के टेण्डर एक ही फर्म के नाम से लोएस्ट आये निविदाएं और तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(समय : 12.00 बजे)

नम्बर दो, बारां नगरपालिका में प्रत्येक कण्टेनरों में वज़न कम पाया गया इसलिए यह प्रतीत होता है कि समस्त जगह सप्लायर एक ही था तो पूरी खरीद में एक करोड़ का घपला स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया गया है। सरकार उक्त फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर पूरी सप्लाई की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से करवाने का मानस रखती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे पास हमने सब नगरपालिकाओं को इस प्रकार के आदेश पारित किए थे, निविदाएं यहां पर आमंत्रित की थीं, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी का एक्जामिनेशन करने के लिए एक कमेटी और बनी थी उसके बाद हमने सभी नगरपालिकाओं को यह कह दिया था कि आप अपने लेवल पर इन-इन फर्मों से यह कण्टेनर खरीद सकते हो।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): अब सदन को गुमराह मंत्रीजी ने किया है, अब मंत्रीजी आप तो साफ बता दीजिए ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): जब कण्टेनर का वज़न कम पाया गया तो फर्म को ब्लेक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया और सरकार की ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य क्या गुमराह किया? उन्होंने कहा ...(व्यवधान) हां, निविदाएं आमंत्रित की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गुमराह यह किया कि इन्होंने कहा कि सब स्थान पर लोकल नगरपालिकाओं के द्वारा खरीद की गयी है और टेण्डर यहां आमंत्रित किये गये। सब नगरपालिकाओं को यहां से सामान भिजवाया गया और नगरपालिकाओं से कहा गया कि आप सीधा पेमेण्ट कर दो, यदि नहीं तो यहां से खरीद करके ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह निर्णय आप करें कि एक ही जगह टेण्डर ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): मेरी बात का जवाब तो आ जाने दो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): लेकिन जहां तक जांच की बात है तो माननीय मंत्रीजी साफ है गड़बड़ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, जांच में साफ हो जाएगा। आप विधायकों की कमेटी बनाओ, आप अधिकारियों की कमेटी बनाओ और मंत्रिमण्डल की कमेटी बनाओ। सीधा आरोप लग रहा है कि एक करोड़ का घोटाला हुआ है। कृपा करके इस सदन में घोषणा करें कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ और हुआ है तो जांच करें, नहीं हुआ है तो जांच में साफ हो जाएगा। हम तो इतना सा चाहते हैं यही माननीय सदस्य चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने

(डा. सी. पी. जोशी)

माना है कि बारां के जो कण्टेनर हैं उनकी दो बार आपने जांच करवाई, दोनों बार वज़न कम है, यह तो आप मानते हैं, यह आपका उत्तर है। इसका मतलब जो कण्टेनर बारां में सप्लाई हुए हैं वही कण्टेनर पूरे राजस्थान में सप्लाई हुए हैं तो उनका वज़न कम है और वज़न कम होने से जो पैसे का मामला है तो वह एक करोड़ रुपए की राशि आती है। इसमें कहां तकलीफ है जांच करवाने में? जब आप कहते हो कि एक तरह के कण्टेनर राजस्थान की 187 नगरपालिका में हुए और बारां में दो बार जांच कराने के बाद उनका वज़न कम है तो यह क्लियर कट एक्जाम्पल है अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान में जितने कण्टेनर सप्लाई हुए हैं, उनका वज़न कम था। और वज़न कम था तो स्पेसीमैन के हिसाब से जितना पैसा बनता है वह एक करोड़ रुपया उससे वसूल करने की आवश्यकता है। और नहीं वसूल करते हैं तो एक करोड़ रुपए का एक्सेस पेमेण्ट किया है आपने, इसको मानना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह स्वीकार करें कि यही टेण्डर है ... (व्यवधान) और यहीं ....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या तकलीफ है, जांच करवाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पांच करोड़ और बीस लाख के नगरपालिकाओं के कण्टेनर मंगाए ...(व्यवधान) वह जाकर के आप देख लो ... (व्यवधान) नगरपालिकाओं में कण्टेनर जो हैं ....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जवाब सुनिये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी खुद मानते हैं इस बात को कि कण्टेनर का वज़न कम था तो आपने जांच तो दो बार करवाई.......

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हां, मैं मान रहा हूं इस बात को कि बारां में जो कण्टेनर सप्लाई हुए उसमें वज़न कम था। इस बात को मैं मान रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बाकी में ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): इसका मैं मान रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जब आप खुद कह रहे हो कि सब एक ही फर्म की सप्लाई हुई है, सब एक ही फर्म से ...(व्यवधान) आप जांच करवाइये।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लीजिए एक बार प्रश्न का, ...(व्यवधान) आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप जवाब तो सुन लो फिर संतुष्ट नहीं हों तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जिस भी नगरपालिका को कहा उसको इस बात के लिए ताकीद किया था कि ट्राईपार्टी इंस्पैक्शन होने के बाद ही उस कण्टेनर को लें। हमने इसके लिए राइट्स संस्था है जो भारत सरकार का उपक्रम है, राइट्स भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित उपक्रम है जिसका गठन भारत सरकार के सबसे वृहद तकनीकी तंत्र रेलवे में आपूर्ति किये जाने वाले समस्त सामग्री के निरीक्षण हेतु किया गया था। कालान्तर में अन्य विभागों द्वारा भी निरीक्षण कार्य राइट्स के माध्यम से करवाया जाना प्रारम्भ किया गया है। इसका राइट्स द्वारा सामग्री निरीक्षण कर गुणवत्ता सही पाये जाने पर सामग्री पर होलो होलोग्राम अंकित किया जाएगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी छोड़िए आप। अध्यक्षजी, आपकी इच्छा की चार नगरपालिका की जांच करवा लें। आपूर्ति होने पर सामग्री में बदलाव ...(व्यवधान) वज़न कम नहीं हो तो हम बात कर लेंगे ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप फैसला कर लीजिए कि राजस्थान की चार नगरपालिकाओं के कण्टेनर का वज़न करवा दीजिए आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ट्राईपार्टी इंस्पैक्शन होता है जिसमें राइट्स का प्रतिनिधि होता है, नगर निगम का प्रतिनिधि होता है और संबंधित फर्म का इंस्पैक्शन होता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह सब थ्योरिटिकल बातें हैं। राजस्थान की चार नगरपालिकाओं के कण्टेनर का वज़न करवा दीजिए उसके बाद हम बात कर लेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उसमें संबंधित फर्म का इंस्पैक्शन होता है। जहां तक बारां का सवाल है वहां ट्राईपार्टी इंस्पैक्शन नहीं हुआ है। सवाल यह पैदा होता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, जहां के मंत्री हैं वहां की नगरपालिका का वज़न यदि कम है तो दूसरी नगरपालिकाओं की क्या हालत होगी? आप बताइये जिस जगह का मंत्री है वहां की नगरपालिका में ऐसी माल सप्लाई तो बाकी नगरपालिकाओं का क्या होगा? बाकी में तो ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसने कहा कि लगता है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जांच करवाओ इसकी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जिसकी भी शिकायत आएगी निश्चित रूप से उसके खिलाफ जांच करवाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करुंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनकी तो जांच करवा लो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, क्या तकलीफ है जांच करवाने में?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप एंटी करप्शन से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ ...(व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ। ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भी चार नगरपालिका बताते हैं वहां के कण्टेनर की जांच ...(व्यवधान) किसी के खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी निश्चित रूप से करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी ने कह दिया, सदन को भरोसा दिला दिया मैं जांच करा लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्नों का कायदा यह है कि यदि वह लिस्ट में पहले आते हैं तो मैं करा सकती थी लेकिन अब चूंकि आपका उससे पहले तो दो क्वेश्चन और हैं, इसलिए स्थगित तो स्थगित है। आपको जवाब मिल जाएगा लिखित में। यही है कायदा।

अनुपस्थिति-अनुमति

गंगाराम चौधरी, श्री को 20 मार्च, 2007 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि गंगाराम चौधरी, ...(व्यवधान) नहीं, स्थान ग्रहण कर लें, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 20 मार्च, 2007 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से अनुमति प्रदान की गयी।

उषा पूनिया, श्रीमती को 21 मार्च, 2007 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री ने अपनी पुत्री के इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाने के कारण दिनांक 21 मार्च, 2007 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. डा. श्रीगोपाल बाहेती एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से पुष्कर सरोवर में जलस्तर में कमी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री सी. डी. देवल एवं श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से पाली शहर

(श्री अध्यक्ष)

में रंगाई-छपाई उद्योग के कारण फैल रहे प्रदूषण से जन जीवन के भयंकर रूप से त्रस्त होने के सम्बन्ध में।

4 श्री रामनारायण मीणा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से तहसील नैनवां के ग्राम करवर में संचालित गौशाला को जिला प्रशासन द्वारा हटाने की कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। लेकिन जुबेर खान द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसको राज्य सरकार के पास उनके जवाब के लिये भेज दिया जायेगा। डा. बाहेती, पुष्कर में जल स्तर कोई आज कम हो रहा है क्या? यह कोई एकदम ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा पढ़िये। इसको आप पूरा पढ़िये।

श्री अध्यक्ष: हां पूरा पढ़ दूंगी। पढ़ दूंगी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण के दिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने पढ़ दिया ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसमें रिसेंट आकरेन्स है कि सूर्य ग्रहण के दिन जो स्थिति हुई ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब आसन पांवों पर होता है तो माननीय सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये।

5. डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों को भवन व सहनिर्माण कर्मकारक अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत लाभान्वित करने के सम्बन्ध में।

6. संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से बेगूं कस्बे में तनाव की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य डा. चन्द्रशेखर बैद एवं श्री संयम लोढ़ा को तीन-तीन मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री के. डी. बाबर, सदस्य की ओर से शेखावाटी के तीर्थ राज लोहार्गल में सुविधाओं में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में।
2. श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से ईसाई मिशनरियों द्वारा राज्य भर में धर्मान्तरण के सम्बन्ध में।
3. श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों को शस्त्र लाइसेंस देने के सम्बन्ध में।
4. श्री मदनलाल मेघवाल, सदस्य की ओर से मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ 28.2.1998 को हुए कथित समझौता को लागू करने के सम्बन्ध में।
5. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से मेवाड़ इन्फेन्ट्री में केवल मेवाड़ के लोगों का चयन किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से पेशकश करने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय होने के सम्बन्ध में। तो नवलगढ़ की सड़कों पर तो विचार हो रहा है ना। आज यह पी डब्ल्यू डी का ही तो डिपार्टमेंट है।
7. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शय्या एवं फालना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 शय्या का स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
8. श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से नगर परिषद् पाली के सभापति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।
9. श्री हरी सिंह रावत, सदस्य की ओर से भीम पंचायत को नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में।
10. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से हिण्डौली तहसील के 127 ग्रामों की 14872 बीघा भूमि का किस्म परिवर्तन कर किसानों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।
11. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से तहसील नैनवां के दुगारी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के सम्बन्ध में।

12. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में लुप्त प्राय: हो रहे गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप देखिये कि पुष्कर के पानी की स्थिति इतनी दयनीय है। तो यह पानी की स्थिति है ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पाली में जैतारण का मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग मर रहे हैं। शारीरिक ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैंने आपसे निवेदन किया कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे आपको निवेदन करना है कि नियम 50 में स्थगन प्रस्ताव रिसेंट आकरेन्स के जो होते हैं केवल उस पर दिया जाता है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आपसे यह है यह रिसेंट आकरेन्स ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी एक आदत पड़ गयी है कि ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है आप मेरा प्रस्ताव पढ़ें। मेरा प्रस्ताव पढ़ें आप।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। जो आपकी चाहे मर्जी करें। बात सुन लें पहले ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं क्या करूंगा मैडम?

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर तो नियम लागू होते हैं, अधिकारियों पर लागू नहीं होते ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह राज्य सरकार सदन से बड़ी नहीं है। राज्य सरकार सदन से बड़ी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह जा कौन रहा है ? हू इज ही ? कौन है यह?

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर देखो आप अधिकारियों का। इधर तो नियम लागू होते हैं लेकिन अधिकारियों पर लागू नहीं होते ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन जो है वह यहीं तक तो है। हालांकि उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये लेकिन सदन के नियम जो हैं वह लागू इधर ही होते हैं।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि जब आसन पांवों पर हो तो अधिकारी गैलेरी से भी कोई खड़ा होकर नहीं जाए।

श्री अध्यक्ष: हां, परम्परा है मैं मानती हूं। परम्परा है, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये। परम्परा है यह।

मैं निवेदन कर रही थी कि यह जो अजमेर से आते हैं डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती, आप 295 में दे सकते थे, आप परची के माध्यम से उठा सकते थे। नियम 50 के अन्दर केवल रिसेंट आकरेन्स और वह भी इतने महत्वपूर्ण कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को रोककर के उस पर चर्चा की जाए वह ऐसे आकरेन्स आपको लाने चाहिये। पुष्कर में पानी कोई एक दिन में तो कम हुआ नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पानी कम होने की बात नहीं है। आप पूरा पढ़िये उसको। सूर्य ग्रहण ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जलस्तर में कमी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, उसको पूरा पढ़िये आप। सूर्य ग्रहण के दिन वहां मछलियों की मृत्यु हुई। हजारों लोग वहां नहा रहे थे और पानी की स्थिति देखिये। पानी की स्थिति यह पुष्कर की है।

श्री अध्यक्ष: अब आप कैसे खड़े हैं जब मैं खड़ी हूं ? (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): और ऐसे पवित्र स्थान के लिये भी यदि हम दो मिनट का समय नहीं दे सकते सदन का, तो वहां क्या करेंगे फिर हम ? जो सरकार 2005 के अन्दर वहां फोटो खिंचाकर आयी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप अपने सदस्यों को समझाएं कि आसन की अवहेलना नहीं करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को सीधी चुनौती उन्हीं के माननीय सदस्यों ने दी है।

श्री अध्यक्ष: बोलने दो। करने दो। इनको भी करने दो। बैठने दो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब किस तरह की निरीह हालत है नेता प्रतिपक्ष की। अध्यक्ष महोदय, यह झुंझुनूं के हैं इसलिये आपको नेता प्रतिपक्ष से सहानुभूति होनी चाहिये कि आज जिस तरह के हालात में यह हैं आज इनकी बात कोई सुनता नहीं। मेरी भी पूरी सहानुभूति है। अब आप देखिये क्या हालत बनी है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर सरोवर जिस पर करोड़ों आदमियों की श्रद्धा है, उसमें पानी कम हो, स्नान के वक्त जो लोगों को तकलीफ हुई उस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। आपको सरकार से रिपोर्ट लेनी चाहिये कि क्या स्थिति है। यह जो प्रस्ताव है राज्य सरकार के पास भेजा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: भेज देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब तक रिपोर्ट नहीं आए, रिपोर्ट आने के बाद ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भेजेंगे। सरकार के पास भेजूंगी। इस स्थगन प्रस्ताव को ऐसे के ऐसे राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा। साथ ही यह पानी भेज दिया जायेगा। ठीक है? बिराजो आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दूसरा, मैं आपकी मार्फत यह सूचना चाहता हूं कि 20 तारीख को राज्य सरकार की तरफ से ओलावृष्टि आदि पर जो नुकसान हुआ उस पर मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, प्रभारी की जो रिपोर्ट आयी उसके आधार पर मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देने वाली थीं सदन में। उसका

क्या हुआ ? आज भी भीनमाल के अन्दर 5-7,000 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और इनमें से 30 आदमी भूख हड़ताल पर हैं। मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है ... (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख से छह...

श्री अध्यक्ष: आपके नेता खड़े हैं और आप 15 तारीख बोलने लगे। क्या बात हुई यह ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप कृपा करके अकाल राहत मंत्री हैं, इनसे जानकारी लीजिये कि वहां आपने क्या किया? 27 आदमी भूख-हड़ताल पर हैं और दो-तीन हजार आदमी वहां पर इक्ट्ठा हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कहां पर?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भीनमाल में, यह हकीकत है, वास्तविकता है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह तय हो गया है कि 23 तारीख को स्टैटमेंट देना है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका एस.डी.ओ. वहां पर गया था।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 23 को देंगे 23 को।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एस.डी.ओ. ने कोई कार्यवाही नहीं की, उनसे मिलकर के वापस चला गया, आपके अधिकारियों को आपने इतना बना रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या बना रखा है?

श्री अध्यक्ष: कमजोर, कमजोर।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने अधिकारियों को इतना नपुंसक बना रखा है कि वह कोई कारगर कार्यवाही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष क्या कह रहे हो आप ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मुहावरा है यह, नेता प्रतिपक्ष का मुहावरा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब आप एम.एल.ए. थे और

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो जद्दोजहद आप करते थे, किस तरह से भैरोंसिंहजी को आपने एड़ियों पर खड़ा कर दिया था और आज आपके विभाग में इतनी गिरावट हो रही है। लोग भूखे-प्यासे मर रहे हैं। आप कोई खैर-खबर नहीं ले रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि क्या स्थिति है, कुछ बोलेंगे कि नहीं, कुछ देंगे कि नहीं। कुछ देना है, कुछ लेना है तो कह दें कि यह देंगे, नहीं है तो कह दें कि कुछ नहीं देंगे तो हम हमारा रास्ता पकड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, मंत्रीजी ने जब वक्तव्य दिया था, इनके वक्तव्य से तो आप संतुष्ट होते नहीं हो। उन घोषणाओं को आप मानते नहीं हो। आपने खुद ने ही इस बात का आग्रह किया था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बारे में घोषणा करें, तो मुख्य मंत्रीजी करेंगी घोषणा।

श्री अमराराम (धोद): जब मुख्य मंत्रीजी ने बयान दिया है कि 21 तारीख को हम कर देंगे और आज 21 तारीख है।

श्री अध्यक्ष: कर देंगे, कर देंगे। क्या बात है, आजकल में कर देंगे।

श्री अमराराम (धोद): सदन में उन्होंने कहा है।

श्री अध्यक्ष: आजकल में कर देंगे।

श्री अमराराम (धोद): सदन में उन्होंने कहा है कि 20 और 21 तारीख को घोषणा करेंगे।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): मंत्री महोदय आज दिन तो कोई अधिकारी आपका बात करने नहीं आया उनसे ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह सवाल आसन का नहीं । सदन की नेता ने यह कहा कि 20 और 21 तारीख को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 23 तारीख को सरकार का वक्तव्य आयेगा ...(व्यवधान) आपने जब आसन से फरमाया था कि 23 तारीख को सरकार वक्तव्य दे तो 23 तारीख को सरकार वक्तव्य देगी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 23 तारीख को मुख्य मंत्रीजी इस बारे में जो कुछ राहत पैकेज देंगी उसकी घोषणा कर देंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, यहां लॉ एण्ड आर्डर सिचुवेशन पैदा हो जायेगी।

श्री अमराराम (धोद): मुख्य मंत्रीजी ने हाउस में 20 और 21 तारीख को ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुवेशन पैदा हो जायेगी। अगर सरकार कुछ बोलती है तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ सूचनाएं आनी बाकी होंगी तभी तो...(व्यवधान) सूचना होगी बाकी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरी जानकारी में आया है, पूरी रिपोर्ट अभी तक कलेक्ट नहीं हुई है, कैलकुलेशन हो रहा है और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि काश्तकारों को अब की बार ऐसी राहत मिलेगी जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज बात यह है कि जिस दिन से ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, जिन-जिनका नुकसान हुआ था उनको पैसा देना शुरू किया गया और वहां पर नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं। और मैं उस क्षेत्र में भी गया था ...(व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): आप वहां से निकले उनको पूछा तक नहीं कि आप भूख-हड़ताल पर क्यों बैठे हैं?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): ऐसा है माननीय विधायक महोदय, आप तो थे ही नहीं। आप तो थे ही नहीं ...(व्यवधान) मैंने जालौर जाकर के मीटिंग ली है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं लाया था उसकी जानकारी में, उसको पता ही नहीं था ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): पांच करोड़ रुपये मुख्य मंत्रीजी ने जालौर के उन काश्तकारों के लिये जिनका नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा ...(व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): जो भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे आपने पूछा ही नहीं, उनसे आप यह पूछ नहीं सकते ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): आप तो स्वयं ही नहीं थे, आप तो कल-परसों जाकर के आये हैं, मैं तो वहां जाकर के आया।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): आप गये तो आप वहां जाते तो यह उनसे ...(व्यवधान) आपको सरकार ने भेजा, आप बात तो करते उनसे, आप उनके दु:ख-दर्द तो पूछते। आप पास से ही निकल गये उनसे, 27 लोग अगर भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): ऐसा है विधायक महोदय, आप मेरी बात सुनिये। 13 तारीख को ओलावृष्टि हुई ...

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): यह सरकार की संवेदनहीनता है ...(व्यवधान) बात ही नहीं करें आप उनसे जाकर के।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): 14 तारीख को हमको भेजा, 15-16 को सिरोही उसके बाद में जालौर ...(व्यवधान) जाकर के सब जायजा लेकर के जो नुकसान हुआ है ...(व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): आज भी आप देखे जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आपने तो ओलावृष्टि में ही ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): आप उनको भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोग बैठे हैं। किसी को ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक किसान जिसका नाम हरजीराम चौधरी है जो 16 तारीख से उपवास पर है। आज उसकी तबीयता खराब हो गयी है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि 16 तारीख से हरजीराम चौधरी वहां पर उपवास पर बैठा हुआ है, आज छठा दिन है उसके उपवास का।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, घोषणा कर दें ...(व्यवधान) तीन दिन की छुट्टी में हमारे मंत्री जायेंगे और मैं जो भी राजस्थान के किसानों को ओलावृष्टि से ...(व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): बी.जे.पी. का है, भारतीय जनता पार्टी का बैठा है। यह कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, उन्हीं के दल के बैठे हुए हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, कांग्रेस के लोग नहीं हैं, आपके भारतीय किसान संघ के लोग जो आर.एस.एस. की विंग है, उसके लोग बैठे हुए हैं।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): आप पूछते ही नहीं जो वहां पर ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): भ्रम पैदा करने की बात की जाये, जो सहायता देने की बात की जा रही है वह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कोई भी किसान इस सहायता को नहीं लेगा ...(व्यवधान) 21 तारीख को जायजा लेकर के सहायता की घोषणा कर देंगे। घोषणा के बाद ही वितरण होगा तो सदन की नेता घोषणा करने के बाद उससे मुकर रही हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा धोखाधड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए सरकार कर रही है ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के काश्तकारों को और इस हाउस को इस बात का आभास है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, एक किसान हरजीराम चौधरी जो पांच दिन से उपवास पर है भीनमाल में, उसकी आज तबीयत बिगड़ गयी है। दूसरे आठ किसान उसके साथ अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हुए हैं। सवाल उन किसानों की जिंदगी बचाने का है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपवास पर तो ममता बनर्जी भी बैठी थी। नंदीग्राम में 17 लोग मारे गये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 17 लोग मारे गये। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्या नुकसान चाहते हो? गोली चलाना चाहते हो आप?

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): आप वही करना चाहते हो? किसानों के साथ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चलाओ गोली, आपकी अगर हिम्मत है तो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप भी मारना चाहते हो किसानों को ...(व्यवधान) मंत्री महोदय आप भी किसानों को मारना चाहते हो ...(व्यवधान) रावला, घड़साना में गोलियां चलाकर के मारा, वहां जालौर में भी मार दो। आप यही चाहते हो। नंदीग्राम में मारे, वही आप भी करना चाहते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यह फरियाद कर रहे हैं कि किसानों की वहां तबीयत खराब हो गयी है। सरकार को हस्तक्षेप करने का निर्देश प्रदान करें। मंत्रीजी कह रहे हैं कि नंदीग्राम में 17 लोग गोलियों से मार दिये। अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब है? हम सरकार के नोटिस में भी नहीं ला सकते हैं, यह क्या मतलब है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कोई नोटिस नहीं आया है और जो ज्यादा उपवास से मर रहा है उसको जूस पिलाकर के उठा देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आर.एस.एस. के लोग बैठे हुए हैं ...(व्यवधान) कमाल कर रहे हैं आप ...(व्यवधान) भारतीय किसान संघ के लोग जो आपके ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस सरकार ने ध्यान दिया है और काश्तकारों को वह सहायता दी जायेगी जो आज तक उपलब्ध नहीं करवायी है। इसको कंट्रोवर्सी में डालने से कोई फायदा नहीं है। हम सब को मिलेगा। प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा काश्तकारों को किस तरह से मिले और जो जिंस पहले सम्मिलित नहीं थी उन सब जिंसों को शामिल किया जाये। चाहे केन्द्रीय गाइड लाइन में कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी तो मांग यह है कि सब तरह की जो फसल हैं, जीरा, धनिया, टमाटर, लहसुन कोई भी फसल नहीं छूटनी चाहिए। और अगर सरकार मुआवजा देगी तो मुझे यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि काश्तकार इस सरकार का अहसान मानेंगे और जितना सरकार देगी उसको ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इनको बैठाया जाये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मुझे आभास हो गया है कि यह सरकार देगी ...(व्यवधान) आभास हो गया है और यही आपको हो गया है ...(व्यवधान) मुझे पता है, यह आभास है कि सरकार सहायता राशि उपलब्ध करवायेगी जो आज तक किसी ने नहीं करवायी।

श्री अमराराम (धोद): 21 तारीख की बात करके मुकर रहे हैं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने इशारे से अंकित नहीं करने के आदेश प्रदान किये।)

श्री अमराराम (धोद): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): xxx

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल):xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): xxx

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): xxx

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: वह आपने कहने का मौका मंत्रीजी को कब दिया? आप स्थान ग्रहण करें। आप तो खुद दो-दो, चार-चार एक साथ बोलते हैं। (व्यवधान) आप कुछ कहना चाहते हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नो, नो बैठिए। आप सब को आसन का काम करने की क्या आवश्यकता है, आसन सक्षम है। (व्यवधान) अब आप फिर खड़े हो गए। नो। बैठिए आप, मिस्टर जोगाराम, आप बात-बात पर खड़े हो जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है। आप आसन का काम करने लगते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने तो हमें निर्देश दिए हैं कि सदस्य का आचरण शालीन रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप बैठिए। मंत्रीजी खड़े हैं, यह बहुत गम्भीर बात है। आप बैठिए, पहले सुनिए उनको।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और नेता प्रतिपक्ष ने सदन को जो जानकारी दी है कि कुछ किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उपवास पर बैठे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। (व्यवधान) पूरे राजस्थान में बैठे हैं।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): पूरे राजस्थान में नहीं भीनमाल की मैंने स्पेसीफिक सूचना दी है। आप कह रहे हैं पूरे राजस्थान की, आप ग्रेविटी से नहीं ले रहे बात को। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, भीनमाल की बोल रहा हूं। जहां-जहां भी किसान बैठे हुए हैं उनकी हम जानकारी ले लेते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और प्रशासन को निर्देश देंगे कि उनको उठाए। और 23 तारीख को, वैसे तो हमने पहले भी कोशिश की थी, तो उन्होंने कोशिश यह की कि हम मंत्री को नहीं सुनना चाहते, मुख्य मंत्री को सुनेंगे। मुख्य मंत्री आई तो उनको भी नहीं सुना, पता नहीं वह किसको सुनना चाहते हैं। लेकिन हम 23 तारीख को, राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रभारी मंत्री जिनको हमने भेजा था, कल मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग बुलाई, हमारी सारी तैयारी है और 23 तारीख को मैं सदन में वक्तव्य दे दूंगा और जैसे इस बजट से आप निरुत्तर हुए वैसे ही हमारे पैकेज से निरुत्तर हो जाएंगे, इनके पास कुछ मिलेगा ही नहीं सवाल करने को।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): 23 तारीख को पैकेज दे रहे हैं तब तक उनसे बात करने का कलक्टर को निर्देश तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कह तो दिया न उन्होंने और आप क्या चाहते हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमको निरुत्तर करने से काम नहीं चलेगा, किसान को जो ओला पीड़ित है उनको निरुत्तर करें आप।

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है, हो गई बात आपकी। डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, आप गुस्सा न करें, आप जो भी करें अच्छा करें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब का, किसान का भला करें, सरकार का भला करें लेकिन गुस्सा करके अपने बी पी को न बढ़ाएं, यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: यह आपका भी कर्तव्य है कि आप कोई ऐसी बात न करें जिससे वे गुस्सा करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जोशीजी, मेरा बी पी तो सही है लेकिन आप बिना बात बी पी मत बढ़ाओ। मैं इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि सरकार ने हर मंत्री और जो भी इलाके में गए हैं, हर जनप्रतिनिधि इलाके में जाकर आया है, नुकसान का जायजा हमारे पास 50 पर्सेण्ट तो आ गया है और आना बाकी है। और पूरा जायजा लेने के बाद सरकार पूरी तैयारी के साथ आपके पास रिक्वेस्ट रखेगी लेकिन आपने तो आज तक इस पर कोई बात कही ही नहीं और सदन में कोई बात कही नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सिर्फ हू हा के, तो हू हा ही आएगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने सुन लिया, आपको जो देना है वह कह देना।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमारे रिकार्ड पर है, हू हा के सिवा कुछ आया ही नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे जब भी आप घोषणा करेंगे, आपको ही श्रेय मिलेगा, हम तो आपको धन्यवाद देंगे। अभी तो इश्यू था कि भीनमाल में किसान पांच-छह दिन से बैठे हुए हैं। आप अधिकारियों से बात करके कोशिश करें कि उनको समझाए, यह बात करनी चाहिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी लोकायुक्त पर, अच्छा है। लेकिन सरकार से एक दो दिन में उत्तर आ जाना चाहिए क्योंकि वरिष्ठ मंत्री सरकार के सारे यहां बैठे हुए हैं मुख्य मंत्री को छोड़कर। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इनको कहिए एक दो दिन में जवाब दें लोकायुक्त के ऊपर।

श्री अध्यक्ष: लोकायुक्त में केवल गृह मंत्रीजी मैम्बर होते हैं, और तो है नहीं मैम्बर, इसलिए मुख्य मंत्रीजी को जब समय मिलेगा तभी तो मीटिंग होगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं, यह कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है, मुख्य मंत्री नहीं है तो कुछ नहीं होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माफ करें, आप यह गलत परम्परा डाल रही हैं। मुख्य मंत्री हो या न हो मंत्रियों की कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है। अब मुख्य

(डा. सी. पी. जोशी)

मंत्री नहीं आएंगी तो कुछ नहीं होगा ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सरकार बैठी हुई है, मुख्य मंत्री नहीं है, यह हम बार-बार शेल्टर लेते हैं, आप मुख्य मंत्रीजी को निर्देश दें कि वे हाउस में रहें। मुख्य मंत्री हाउस में नहीं है तो हाउस में कुछ नहीं होगा। आप मेहरबानी करके इस गलत परम्परा का निर्वहन न करें। मुख्य मंत्री है या नहीं, सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोकायुक्त के सम्बन्ध में दो दिन में जब भी आप चाहें वह इस पर स्टैटमेंट दे।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में पहले ही कह दिया था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी ने यह मामला उठाया था तो मुख्य मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि एक सप्ताह के अंदर हम लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे और अपनी घोषणा के अनुरूप क्रियान्विति नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सरकार को आप प्रताड़ित करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी तो कर ही दिया करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन न तो आपके कहने से उनको प्रताड़ित करेगा और न उनके कहने से आपको प्रताड़ित करेगा।

डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

राज्य में निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भवन व सहनिर्माण कार्मकारक अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत लाभान्वित करने बाबत

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन और सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विदिन थ्री मिनट्स। हां, तीन मिनट में।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): राजस्थान के अंदर तकरीबन 20 लाख लोग मजदूर हैं और शायद उनकी आवाज आज तक इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि यह पूरा संगठन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और ये 20 लाख मजदूर जैसा कि स्टेटिस्टिकली माना गया है राजस्थान में एक परिवार में सदस्यों की संख्या छह हो तो 6 करोड़ 50 लाख की जनसंख्या में एक करोड़

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लोग इससे प्रभावित होते हैं। 20 लाख मजदूर जो सरकारी या गैर सरकारी निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं इनके लिए सामाजिक सुरक्षा के जो मापदण्ड केन्द्र सरकार द्वारा 1996 में बनाया गया आज तक पिछले तीन साल से लगातार इस बारे में अनेक बैठकें हुईं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 1996 के अंदर भवन व सहनिर्माण अधिनियम, 1996, जो केन्द्र सरकार ने बनाया उसको दिल्ली सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने, तमिलनाडु व केरल सरकार ने अपने-अपने राज्यों के उन मापदण्डों के आधार पर कानून बनाकर लागू कर दिया है इसके कारण उन मजदूरों को सामाजिक सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है। इन मजदूरों को क्या सामाजिक सहायता उपलब्ध होगी, अनेक मजदूर जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं दुर्भाग्यवश जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको मुआवजा नहीं मिलता, कोई बीमार हो जाता है उसके लिए कोई साधन नहीं है, उनकी जो पत्नियां हैं उनके प्रसव के समय कोई अनुदान नहीं दिया जाता, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में लोन दिया जाता है वह राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया जाता और उनके लिए जिस प्रकार से पेंशन की सुविधा अन्य राज्यों में उपलब्ध करायी गयी है वह भी उपलब्ध नहीं करायी जाती।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर तकरीबन दो हजार से 2200 मजदूर एक साल के अंदर निर्माण का कार्य करते समय मृत्यु के ग्रास में जाते हैं और तकरीबन साढ़े चार से पांच हजार मजदूर राजस्थान राज्य के अंदर प्रतिवर्ष विकलांग होते हैं। तो ऐसे मजदूरों को जिनकी मृत्यु हो गई, जो विकलांग हो गये राज्य सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार द्वारा पारित किये गये अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कोई इस तरह का प्रावधान रखना चाहिए जिससे उनको सामाजिक सहायता उपलब्ध करायी जा सके। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इससे राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत जो लोग करोड़ों के निर्माण कार्य के अंदर इंगेज होते हैं उसमें दो प्रतिशत सेस लगाने का प्रावधान है। और इस सेस के माध्यम से जो करोड़ों, अरबों रुपये का निर्माण कार्य हो रहा है, दो प्रतिशत हिस्सा अगर निर्माण करने वाला व्यक्ति और संस्था दे दे तो इतने बड़े कारपस की व्यवस्था हो जाएगी जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 20 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सकेगा। मैं आपके माध्यम से जो अधिनियम बना है इसकी चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं- "To raise a fund for provision of various welfare measures, the main Act provides for construction of Welfare Boards. Their major source of the fund shall be collection of cess at a rate not exceeding 2 per cent." दो परसेंट आप नहीं लगाना चाहें तो आप आधा परसेंट भी लगा दें तो करोड़ों रुपये के कोरपस का गठन इससे किया जा सकता है।

इसी बाबत जब इस संगठन के कुछ लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर केस किया तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिये कि– "On hearing the learned counsel'' यह माननीय के.एस. राठौड़ और माननीय श्री अनिल देवजी, चीफ जस्टिस आर्डर की चार लाइनें बताना चाहता हूं जिसकी अवहेलना करने के उपरान्त आज तक राज्य सरकार ने इस तरह का कोई कानून मजदूरों के लिए नहीं बनाया है। "On hearing the learned counsel for the petitioner, we consider it appropriate to direct the State to discharge their duties as ordained by the Building & Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996." इन सब के माध्यम से यह सारी चीजें बताने के बावजूद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सेक्टर आर्गेनाइज्ड नहीं है जिसमें लाखों लोग प्रभावित होते हैं, राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है, बनिस्बत एक डिपार्टमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से फाइनेंस, फाइनेंस से लेबर में पिछले तीन साल में अनेक मीटिंग हो गई, लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो इसको गंभीरता से और संवेदनापूर्वक लेकर राज्य सरकार तुरंत कानून बनाए जिससे इन करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया जा सके। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब हाईकोर्ट से आपको डाइरेक्शन मिल गये ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हाईकोर्ट से 2004 में डाइरेक्शन मिल गये और आज तक न तो एडवाइजरी बोर्ड है और न वेलफेयर बोर्ड है। आप इनसे यह तो कहें कि 2004 में जब हाईकोर्ट ने डाइरेक्शन दे दिये और उन्होंने कहा कि इस एक्ट को आप इंप्लीमेंट करो, एडवाइजरी बोर्ड बनाओ और वेलफेयर बोर्ड बनाओ, फिर सरकार अब तक मौन क्यों बैठी हुई है? आप उनसे यह तो कहें। उन गरीबों के हितों के लिए सरकार को डाइरेक्शन तो दें आप।

श्री अध्यक्ष: कर रही है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा की थी उसके विपरीत आप स्वयं बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर कल के वाद-विवाद को आप यह समझें तो मूल कंसेप्ट ही आपका गलत है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, कानून केन्द्र सरकार ने बना दिया और मजदूरों के वेलफेयर के लिए सरकार एक नया पैसा नहीं दे, उसको केवल इंप्लिमेंट करना है, बोर्ड बनाना है और 10 लाख से ऊपर के जो निर्माण कार्य हैं उन पर लागू करना है ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): न्यायपालिका के बिना राज और अधिक निरंकुश हो जाएगा। न्यायपालिका भी बहुत आवश्यक है, आपकी निरंकुशता पर बेड़ी लगाने के लिए। नहीं तो आप निरंकुश हो जाओ। न्यायपालिका बहुत जरूरी है, वह हमारे अधिकारों का अतिक्रमण न करे, कल यह बात थी। आप यह समझ गये कि न्यायपालिका के हम खिलाफ हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ..(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): यह भवन एक्ट बनाने के उपरान्त..(व्यवधान)..उस आधार पर क्यों नहीं देखते? यह लॉ की जानकारी .. (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, आपको यह कहा उस एक्ट की भावना के अनुसार काम करो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत इंपोर्टेंट सवाल सदन के सामने उठाया है कि वो अनआर्गेनाइज्ड लेबर जो राजस्थान के अंदर है उसकी कोई सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान नहीं हो रही है। श्रम मंत्रीजी थे वे बीच में छोड़कर चले गये।

श्री अध्यक्ष: श्रम मंत्रीजी को बुलाकर लाएं। आप कहना चाहें तो कह दो। श्रम मंत्री ..(व्यवधान) श्रम और रोजगार में आएगा, वे कैसे कह देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कंपीटेंट हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप हर बात में बोल रहे हो राठौड़ साहब, इसमें क्यों चुप्पी साध रखी है आपने?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत सरकार का कानून है उसके तहत सुरक्षा ऐसे लेबर को जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, हजारों आदमियों का जिक्र किया है, अपाहिज हो जाते हैं..

श्री अध्यक्ष: हजारों नहीं, लाखों का कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उनके पास जमीन नहीं है, कोई सम्पत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो केन्द्रीय कानून 1996 के अंतर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसमें यह भी कहा कि दो परसेंट सेस भी लगाओ।

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं लगाना है। उन भवन के ठेकेदारों पर .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमें ही लगाना है। जो निर्माण कार्य करेंगे उन पर दो परसेंट सेस लगाने की बात की है। निश्चित तौर पर आपकी भावना के अनुसार इसको दिखवाएंगे, जो कुछ किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के आदेश की बात की है उसको भी दिखवाएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समय की सीमा हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जल्दी दिखवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: संयम लोढ़ा। इसमें ऐसा है कि आप उनका ही रजिस्ट्रेशन करिए, यह कण्डीशन उसमें डाल दीजिए, दो परसेंट या एक परसेंट जो भी है उनके वेलफेयर के लिए निकाल दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें मंशा भी वही है, दो परसेंट सेस लगाने की जो मंशा है ..(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं इसमें राज्य सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: वह बात तो हो गई।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जो अरबों रुपये की बिल्डिंग बन रही हैं उसमें एक परसेंट या डेढ़ परसेंट सेस लगा देंगे तो वह कोरपस बन जाएगा और इन गरीबों को लाभ मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: संयम लोढ़ा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सहायता हो सकती है आप ऐसा कमजोर वक्तव्य क्यों दे रहे हो? माननीय राठौड़ साहब, आप जो आश्वासन, प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से दी, थोड़ा राठौड़ी भाषा में दो, क्या ऐसी दबी-दबी जबान से बोल रहे हो।

श्री अध्यक्ष: वे राठौड़ी में देंगे तब आप कहोगे कि राठौड़ी दिखाते हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ी तो अच्छी भी कही जाती है, राठौड़ी में अच्छी बात भी बोली जाती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह राठौड़ी भाषा, राठौड़ी भाषा, मुझे नहीं मिली, मैं खोज रहा हूं यह भाषा कहां है? प्रतिपक्ष के नेता बता दें कहां है? राजस्थान में तो कोई है नहीं।

श्री अध्यक्ष: पूछें इनसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आजादी के बाद तो बिलकुल है ही नहीं।

श्री अमराराम (धोद): एक महीने की घोषणा कर दो एक महीने में लागू हो जाएगी, यह राठौड़ी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वैसे वे राठौड़ी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन यह कानून 1996 का है, शायद आप सब लोगों के ध्यान में, पढ़ने में नहीं आया होगा, केवल इस बात के लिए सारा दोष इन पर डालकर आप बात को कह रहे हैं। उन्होंने जब यह बात कह दी इस विषय में सोचकर सरकार जो भी कार्यवाही कर सकती है वह कर रही है, लेकिन 1996 से लेकर आपका राज पूरे पांच साल रह गया तब तो आपको इस गरीब की चिन्ता नहीं आयी। परन्तु एकदम तीन साल और गुजर जाने के बाद ध्यान में आया, जो विषय आपने ध्यान में लाया, हम कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन आपको भी तीन साल तक चिंता नहीं रही।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह है राठौड़ी भाषा, यह है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कि तीन साल तक आपको भी चिंता नहीं रही, हमको तो नहीं रही, हमको पांच साल नहीं रही, तीन साल तो आपने भी निकाल दिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो कोई बात नहीं हुई?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हाई कोर्ट का जजमेंट 2004 में आया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको ऐसे बोलना शोभा नहीं देता है, आप राजस्थान के गृह मंत्री हैं, ऐसे बोलना शोभा नहीं देता कि अब इनको चिंता हुई है। चिंता पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। (व्यवधान) हां, तो क्या कह दिया, क्या करोगे, बताओ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो काम आप नहीं कर सके, 1996 के बाद वह हम करने की कोशिश करेंगे, असंगठित श्रमिकों का हित ध्यान में रखना सरकार का कर्तव्य है, उसको देखने की कोशिश करेंगे, आपने कुछ किया नहीं।

श्री अध्यक्षः आधी राठौड़ी तो बोली है। चलिए, संयम लोढ़ा।

बेगूं कस्बे में तनाव की स्थिति विषयक

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, फाल्गुन के महीने का हमारे भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति में बहुत खास महत्व है। प्रेम बांटने और जीवन में उल्लास भरने का एक महीना यह निमित्त है और इसी महीने की ······

श्री अध्यक्षः भूमिका में चले जाओगे, मिनट मिले हैं तीन, अब तनाव में आ जाओ, उल्लास तो छोड़ो, तनाव में आओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने, अध्यक्ष महोदय, सदभाव कायम करने का स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान) इसलिए मैं उस महीने की और उस रंग तेरस की ····

श्री अध्यक्षः मेरे सामने जो संयम लोढ़ा ने ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): त्योहार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्पर्श करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या है ? दिखाना, इनका क्या है, दिखाना मुझे जरा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, रंग तेरस के दिन 17 मार्च को चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं कस्बे में गुलाल उड़ाते चार पांच सौ का एक समूह शहर से निकल रहा था। और उसका जो हमेशा रूट होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि छीपों के मंदिर से होते हुए सिलोरियों की बावड़ी होकर पूर्व विधायक घनश्याम जैन के मकान से होकर उसको गुजरना होता है। लेकिन छीपों के मंदिर से इस बार वह जुलूस मुसलमानों के मोहल्ले में घुस गया और माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां घटना हुई, पथराव की घटना हुई, तनाव हुआ। लेकिन उसके दो बजे यह पथराव की घटना हुई और उसके बाद शाम को करीब पांच बजे उससे पहले पुलिस को सारी जानकारी मिल चुकी थी कि तनाव हो गया है। लेकिन इसके बावजूद शाम को पांच बजे वहां पर 6 मुसलमानों की दुकानों को जला दिया गया और मोटर साइकिल भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जलाई गई। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद लगातार उस कस्बे में अफवाहें फैलती रही, तनाव फैलाने के प्रयास होते रहे, पुलिस का पूरा ज़ाब्ता बुलाया गया। लेकिन इसके बावजूद अगले दिन फिर 18 तारीख को फिर मुसलमानों की दुकान जलाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब पुलिस को 17 तारीख को दो बजे इस सब घटना की जानकारी मिल गयी तो क्या यह पुलिस प्रशासन की शिथिलता और उसका निकम्मापन नहीं था कि शाम को पांच बजे अल्पसंख्यक समुदाय की दुकान जलाने से वह नहीं रोक सकी। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद फिर 18 तारीख को फिर घटना हुई और फिर मुसलमानों की दुकानें जलाई गई।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हिन्दुओं का कितना नुकसान हुआ, ध्यान है कि नहीं? वहां कितने हिन्दुओं का नुकसान हुआ, हिन्दुओं के ऊपर वहां लाठियां और पत्थर बरसाये गये और सही तरीके से जुलूस निकल रहा था और फाल्गुन जुलूस निकाल रहे थे और शांति से जा रहा था और वहां के मुसलमानों ने उस जुलूस के ऊपर पत्थर बरसाये और वहां के लोगों ने मुसलमानों के जुलूस के ऊपर पत्थर बरसा कर वहां दंगा भड़काया आप लोगों ने और आप जैसे लोग वहां जाकर उनको भड़का-भड़का करके उनको ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): और आप मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, 1993 से लेकर 1998 के बीच बेगूं कस्बे में साम्प्रदायिक घटनाओं के 9 मुकदमे दर्ज हुए और 1998 से 2003 के बीच कस्बे में साम्प्रदायिक तनाव का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब वातावरण इसलिए खराब होता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन बजरंगियों को एक संरक्षण मिल जाता है और वह अपना रूट चेंज करके मुसलमानों के मोहल्ले में घुस जाते हैं। (व्यवधान) और यह राजस्थान सरकार का रिकार्ड ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

(समय : 13.00 बजे)

एक माननीय सदस्य : xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: आप इनवाइट करते हो ट्रबल को, खामख्वाह में बजरंगी न कहते... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप समझे नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि आप ट्रबल इनवाइट कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने यह कहा था कि आपने बजरंगी कहा उसकी वजह से किया... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना मुद्दा साम्प्रदायिक सदभाव बनाये जाने के लिए रख दिया, तनाव की स्थिति को खत्म करके सदभाव बनाने के लिए रख दिया। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से अब चाहूंगी कि इस बारे में....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: नो-नो। (व्यवधान) मैं अलाऊ नहीं करूंगी। मुद्दे की बात आ गई। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: यह क्या मतलब हुआ? आपने अपनी बात रख दी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: आपका जो मुद्दा था वह आपने रख दिया, सदन समझ गया, आसन समझ गया, गृह मंत्रीजी समझ गये और गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: नो-नो। अन-नेसेसरी... (व्यवधान) उत्तेजना के कारण सदन का समय बर्बाद हुआ।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री जयराम जाटव (खैरथल): xxx

श्री अध्यक्ष: विराज जाएं। माननीय मंत्रीजी। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। मैं कह रही हूं स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और जोर से बजाओ जब दे देंगे। आपके बजाते ही दे देंगे। जोर से बजाओ। एक बार जोर से बजा दो न फिर दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बात कहें अपनी। माननीय गृह मंत्रीजी, आप अपनी बात कहें। बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके ताली बजाने से मैं इस्तीफा दे दूंगा, मजाक समझ रखा है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री अध्यक्ष: खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। नेता, प्रतिपक्ष, आप अपने माननीय सदस्यों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी तरफ के सब लोग अनुशासित हैं लेकिन वक्तव्य देने से पहले ही होम मिनिस्टर साहब आग-बबूला हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कहां आग-बबूला हो रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कहां हैं? न आग है न बबूला है, आपको कहां दिख रहा है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बोले नहीं उससे पहले आग-बबूला हो रहे हो। आपको तो शांत स्वभाव से...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने तो कहा कि जोर से बजा दो, दे देता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी वाणी में आग नहीं बरसनी चाहिए, आपकी वाणी में आग नहीं बरसनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कर लें बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने की दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव को लेकर के आये, मुझे भी यह मन में लगा कि सारा सदन घटना जो कुछ भी हुई है उस घटना में काफी कुछ शांति के रास्ते पर हम बढ़ गये हैं और इसको आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे। पर दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटनाओं में भी हम पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं और उसके कारण से जिस चीज को हम चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे उसको बिगाड़ने का केवल तुच्छ बातों को लेकर काम करते हैं। न तो इससे किसी राजनीतिक पार्टी का भला होगा न वहां रहने वाले लोगों का भला होगा, न अपना भला होगा। चाहिए यह कि जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाए और उसमें कोई कमी रही है तो वह हो जाए। मैं सोचता हूं कि इन बातों को लेकर फिर उकसाने का अगर क्रम करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं निकलेगा। यह बात जरूर है कि निश्चित रूप से जो कुछ आपने आरोप जड़ दिये उससे न्यूज अच्छी जरूर बन जाएगी। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर मैंने मुकदमे हटाये हैं न, तो अभी तो मेरे पास चूंकि तुरंत आपने विषय खड़ा कर दिया, बाकी मैं मुसलमानों के विरुद्ध उठाये हुए मुकदमे साम्प्रदायिकता के भी मैं पढ़कर के आपको यहां सुना सकता हूं। मैंने हिन्दू और मुसलमान नहीं देखा है जो 15-15 साल के मुकदमे हैं, रोज पेशी पर जा रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है और उनके बीच में सौहार्द बनने के बनिस्बत टकराव की स्थिति रहती है, इस बात को ध्यान में रखकर के मैंने जहां-जहां भी संभव हुआ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: अब आप सुनें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, अब आपने जो विषय केवल इसको राजनैतिक दृष्टि से ले जाने का प्रयास किया है तो मैं आपको बांसवाड़ा का ही बताता हूं। बांसवाड़ा का मुकदमा नम्बर 6/2002

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आनन्दपुर कालू सरकार बनाम मोहम्मद अन्तर्गत धारा 153, 153बी, 295 भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा मैंने उस समय में उसका भी हटाया। इसी तरह से 41/2002 आनन्दपुर कालू सरकार बनाम बलदेवाराम अन्तर्गत धारा 147, 48, 295, 32, 252, 153, 188 सपठित धारा 149 दंड संहिता(3) पी.डी.पी. एक्ट, यह भी मैंने उसके विरुद्ध होते हुए भी हटाया। मेरे पास यह चार थे, जो अभी मैंने निकाल लिये, तुरन्त हटाया गया। इसी तरह से तीसरा और भी है, यह नसीराबाद सरकार बनाम अब्दुल अजीज, मुकदमा नम्बर 29/2001, यह भी मैंने मुकदमा वापस लिया है। इसी तरह से 132/77 यह है पुलिस थाना धान मण्डी, उदयपुर सरकार बनाम अब्बास अली, यह भी मैंने वापस लिया है। यह तो मैंने तुरन्त जो मेरे पास थे, ऐसे मैंने कई मुकदमे हटाये जहां दोनों ही समुदायों के 12-12 वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं। घटना हो चुकी है और उसका मैंने दोनों का ही विदड्रा किया है। ऐसा नहीं है कि केवल आरोप जड़ दें, आप चाहो तो ज़डिये, कोई चिंता नहीं है लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि आपने तुरन्त यहां से शुरू किया क्योंकि जुलूस का रास्ता बदला, इस कारण से हो गया। माननीय सदस्य, यह सच्चाई नहीं है। 1997 से अभी तक इसी रास्ते से यह रंग तेरस का जुलूस जाता है। पुलिस जितनी क्योंकि... (व्यवधपन)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हो आप लोग?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर इसमें भी कोई गलती है, अगर यहां पर मैं जो सूचना दे रहा हूं कि 1997 के बाद इसी रास्ते से जुलूस निकलता है तथा इसमें कोई अगर भिन्नता है, आप निश्चित रूप से लायें, जिस अधिकारी ने मुझे यह सूचना भेजी, मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। यानी मैं कोई बिना सूचना के नहीं बोल रहा हूं। आपने जो सूचना दी कि 1997 के बाद लगातार इसी रास्ते से जुलूस निकलता है। निश्चित रूप से घटना हुई है। एक थोड़ी सी उसमें, जो जुलूस था, लोग रंग तेरस खेल रहे थे, कुछ पत्थरबाजी हो जाने के कारण से आपस में दोनों वहां भिड़ गये थे। सामान्यतया क्योंकि रंग तेरस हमारे यहां कई गांवों में खेली जाती है तो पुलिस की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, फिर भी वहां पर थी। बेगूं में हमने एक्स्ट्रा पुलिस भेजी हुई थी क्योंकि वहां इस प्रकार के तनाव कई बार बीच-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बीच में होते रहते हैं। लेकिन सीमित थी, बहुत ज्यादा पुलिस नहीं थी। वहां दोनों में पत्थरबाजी होने से भी, दोनों को समझाइश करके जुलूस को आगे बढ़ा दिया। जुलूस खतम हो गया। वापस लौटकर आया, उसके बाद पांच बजे निश्चित रूप से छह दुकानें जली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसको कोई मना नहीं कर रहा हूं। छह दुकानें जली हैं। उदयपुर से जो हमारी खैरवाड़ा की प्लाटून वहां से रवाना हुई, आई.जी. स्वयं वहां से रवाना हुआ, हमारे ए.एस.पी. जो चित्तौड़गढ़ हैडक्वार्टर पर था, वह शाम को रवाना हुआ। जो कुछ आसपास में पुलिस फोर्स मिली, उसे लेकर रवाना हुआ। रात भर तक बिलकुल शांति, अमन-चैन, बातचीत चलती रही लेकिन ठीक बात है कि 18 तारीख को दो जगह अटैम्प्ट हुए। एक हिन्दू की दुकान में भी आग लगाने का प्रयास हुआ और एक मुसलमान की दुकान को भी बाद में, जो शहर को छोड़कर काफी दूर थी, वह उसमें हुई है और उस समय आई.जी. वहां स्वयं मौजूद था, उसको कंट्रोल किया, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ यानी चार मुकदमे उसमें दर्ज हुए हैं। उन चार मुकदमों में लगभग 64 लोगों को हमने उनमें गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है कि हमने, उसमें मैं यह गिनती भी नहीं बता सकता कि कितने हिन्दू हैं और कितने मुसलमान हैं? अगर आप गिनती निकालोगे तो अधिकांश हिन्दू हैं जो गिरफ्तार हैं उन 64 में से। हमने यह भेदभाव नहीं किया कि 12 इधर से कर लो, 12 उधर से कर लो, यह नाटकबाजी नहीं, जो वास्तव में इसके दोषी हैं, उसको हमने इसलिए पकड़ा है और उनके खिलाफ चार मुकदमे बनाये हैं। यह अभी जो जिन 64 लोगों को हमने पकड़ा, उसमें से 41 लोग जे.सी. में हैं और बाकी लोगों को हमने छोड़ दिया है और उसके बाद भी जो मुकदमे बने हैं। अभी इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। वह तो केवल 151 में, उस भीड़ में से जिन लोगों को हमने पकड़ा है, वही हैं, बाकी सारे के सारे पेंडिंग हैं। हमने इस बात की कोशिश की है कि घटना हो गई, लोग आगे नहीं बढ़ सके, कि वह विकराल रूप धारण न करें, इसके लिए हमने शांति समिति की बार-बार बैठक की। 19 तारीख की रात को भी बैठक हुई। सारे लोगों ने, शांति समिति ने सहमत होकर 20 तारीख को उन्होंने दुकान खोलने के लिए कहा था। लेकिन वहां का व्यापार मण्डल इस बात पर अड़ गया कि आप हमें यह कहो कि यह जितने भी मुकदमे बने हैं, इसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह जो हुआ, इसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी, तब जाकर हम खोलेंगे। हमने कहा कि आपकी सुरक्षा की गारंटी तो हम दे सकते हैं

लेकिन जो मुकदमे बने हैं, उन मुकदमों के दबाव में आप इसमें एफ.आर. लगाकर अगर हमसे करेंगे, यह हमारे लिए सम्भव नहीं है। हम इसको कानूनी दृष्टि से जो कुछ हो सकता है, वह हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाद में समझाइश के आधार पर वह तैयार हुए और आज 21 तारीख को 10 बजे वहां सारा का सारा मार्केट खुला है। और मुझे तो अफसोस यह है कि जब शांति कायम हो गई, उसके बाद में उसमें पलीता लगाने का काम करना, यह समझदारी का काम नहीं है, यह समझदारी का काम नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्या कार्यवाही करेंगे? कार्यवाही क्या करेंगे? (व्यवधान) क्या बात है। केवल आपको बोलने के लिए बोलना है तो बात अलग है। आपके दबाव में कार्यवाही करूंगा क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

अनेक माननीय सदस्यः xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आप सुनना ही चाहते हो...(व्यवधान) मैं आपको बताता हूं कि यह जो केस नम्बर 74/07 है, यह वहां पर जो अब्दुल रहमान है, उसके घर से 11 तलवारें और चार हथियार बरामद किये हैं कल वाली घटना में। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसके घर से हथियार बरामद हुए, वह कौन है? उसके बारे में तो नहीं बोलते हो जिसके घर से 11 तलवारें और हथियार बरामद हुए हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके बारे में नहीं बोलना चाहते हो। इस प्रकार से हथियार रखने वाले को, उसको पकड़वाना नहीं चाहते हो। (व्यवधान) लेकिन यह अवैध हथियार रखकर, इस तरह से हमला करने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वाला व्यक्ति, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो जिसके घर से इतने हथियार बरामद हुए, उसके बारे में एक शब्द भी कहने में आपको झिझक लगती है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): बार-बार समझाइश के बाद दोनों समुदायों में शांति, अमन-चैन रहने के लिए वहां शांति समिति की बैठक हुई है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके बाद सारा बाजार खुला है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप क्या जानते हो बेगूं के बारे में? कभी बेगूं देखा भी है या नहीं देखा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अंकित नहीं हो। चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह कोई डोडे-चूरे की गाड़ी नहीं है। यह कोई डोडे-चूरे की गाड़ी नहीं है जिसको बेगूं में बेच दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, चर्चा समाप्त हुई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो। आपको मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: अब जो करेगा, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके राज में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए और कल आपके सामने मैंने एक-एक फिगर पढ़ा है। 18 लोगों की मौत हुई गोली चलने से, कल मैंने एक-एक आंकड़ा देकर यह प्रूव

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया कि हमारे टाइम में साम्प्रदायिक सौहार्द ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस के समय में मैंने कहा, कल मैंने आपको आंकड़े दिये सारे के सारे, मैंने कोई चीज नहीं छिपाई। आपके शासन में दंगों में 18 लोगों की गोली चलने से मौत हुई है। क्या बात करते हो? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल बात को उठा लेने से, इस तरह पलीता लगाने से कोई फायदा नहीं होता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री अध्यक्षः चर्चा समाप्त हुई। स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा, चर्चा समाप्त हुई। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): xxx

श्री अध्यक्षः बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्षः आज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मांग पर आपको विचार करना है, इसलिए मैं चाहूंगी कि 295 के जो प्रस्ताव दिये हैं, इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाये। और इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि केवल 250 शब्दों तक 295 सीमित रहना चाहिए। कुछ माननीय सदस्य हजार-हजार शब्द लिख देते हैं, इतना बड़ा लिखते हैं। इसलिए केवल ढाई सौ शब्द ही अलाऊ हैं उसी में आप अपनी बात को, संक्षेप में अपनी बात लिखा करें। पर्ची पर, मैं तीन मिनट से अधिक समय पर्ची पर नहीं दूंगी, इसलिए, सबसे पहले रामरतन बैरवा।

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-3देखें)

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आसन से कि मांग पर दस से पन्द्रह मिनट से ज्यादा किसी को बोलने नहीं दें, आसन से ऐसी व्यवस्था हो ताकि ज्यादा से ज्यादा मांगों पर अपनी बात रख सकें। दस और पन्द्रह मिनट के बीच में वाइंड-अप हो जाना चाहिए। (व्यवधान) अगर आप भी आसन पर नहीं रहें, अन्य कोई आसन पर आता है तो उनको भी ऐसा ही आप कहो।

श्री अध्यक्ष: जो कोई भी होगा, वह इस बात का पालन करेगा कि समय जो नियत किया गया है, उस नियत समय के अंदर, आप अपनी तरफ से सूची दे दें, उस सूची के मुताबिक वह समय को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। यदि आपके पांच बोलना चाहेंगे, इधर से दस बोलना चाहेंगे, दो-चार इंडिपेंडेंट या अन्य पार्टी वाले बोलना चाहेंगे, उस हिसाब से समय का वितरण करके और उसी हिसाब से समय दिया जायेगा। (व्यवधान) मैं नहीं, वह जो कोई भी बैठेगा यहां पर, उसी हिसाब से करेगा। रामरतन बैरवा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर-अजमेर मेगा हाइवे का शाहपुरा तहसील में स्थान परिवर्तन

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बार अपने यहां से शिष्टमण्डल संयुक्त राज्य अमेरिका गया विकास देखने के लिए और वहां जाकर विकासकर्ताओं से बात की कि आपका विकसित राष्ट्र है इसलिए शानदार सड़कें हैं। वहां के विकासकर्ताओं ने यह कहा हम विकसित राष्ट्र हैं इसलिए शानदार सड़क नहीं है, शानदार सड़कें हैं इसलिए हम विकसित राष्ट्र हैं। और यही सोच हमारे राष्ट्रनायक अटलजी का लक्ष्य बनीं, और उसी सोच के तहत वर्तमान हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से हमारे यहां जयपुर से....

श्री अध्यक्ष: आप मेगा हाइवे पर आ जाओ। हां, बस। तीन मिनट का समय है, मेगा हाईवे पर आओ।

श्री रामरतन बैरवा: कांकरोली का मेगा हाईवे स्वीकृत हुआ बड़ा भारी-भरकम वाला। (व्यवधान) वह मेगा हाइवे स्वीकृत हुआ और राजमार्ग, स्टेट हाईवे नम्बर बारह पर स्वीकृत हुआ है वह, जो जयपुर से अजमेर चौराहे तक बनेगा, वह हमारी शाहपुरा तहसील में गुजरेगा। एक शानदार मेगा हाइवे पर चमचमाहट करती हुई सड़क बनेगी। (व्यवधान) और उससे शाहपुरा तहसील

(श्री रामरतन बैरवा)

का विकास होगा। जिस मार्ग पर निकलेगा वहां आलरेडी एक पांच-छह मीटर की चौड़ाई की सड़क है और वह भी शानदार सड़क है। मैं चाहूंगा कि यह सड़क उस जो वर्तमान में स्वीकृत है, वहां से नहीं निकल करके वाया फुलिया कलां, जो मेरी तहसील का शाहपुरा कस्बे के बाद में सबसे बड़ा ग्राम है और उप तहसील है, प्रसिद्धि शक्तिपीठ दीनाब माताजी का मंदिर है और एक तरफ खारी मानसी त्रिवेणी संगम पर धानेश्वर महादेव का स्थान है। अगर यह इधर निकलेगा तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। छह ग्राम पंचायतें तो हमारी शाहपुरा तहसील की इससे जुड़ी हुई हैं और इतनी की इतनी हमारी केकड़ी तहसील की ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं, तो उनका विकास होगा। और एक तहसील में दो ऐसे हाइवे हो जायेंगे, डबल मार्ग हो जायेगा तो ज्यादा विकास होगा। और एक तरफ डबल मार्ग है उसी में परिवर्तन होगा तो यह सिंगल रोड ही रह जायेगी। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से, आपके आशीर्वाद से मंत्री महोदयजी से मेरा निवेदन है कि मेरा आप यह थोड़ा सुन लो और शाहपुरा की जनता के ऊपर आप कृपा करें। यह राजमार्ग मेगा हाइवे शाहपुरा तहसील में फुलिया कलां होकर के निकले तो अच्छा विकास होगा। वैसे शाहपुरा कोई परिचय का मोहताज नहीं है, हमारे यहां प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बारेठ परिवार के हिसाब से पूरा भारत जानता है, ऐसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जन्मस्थली है। और जितना रियासतों का विलय हुआ है, वह हमारे राजाधिराजजी ने सर्वप्रथम अपनी शाहपुरा स्टेट का उसमें विलय कराया, तो शाहपुरा मोहताज नहीं है परिचय का। तो आपके आशीर्वाद से मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मैं चाह रहा हूं, यह मेगा हाइवे इधर निकले जिससे हमारे शाहपुरा का विकास हो सकेगा। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

खुदरा व्यवसाय में मल्टी-नेशनल्स के प्रवेश का प्रभाव

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को सीमित समय में मैं निवेदन करना चाहूंगा, बेसिकली यह उस चीज से रिलेटेड है कि आर्गेनाइज्ड बिजनस कार्पोरेशंस, मल्टी-नेशनल्स जिस तरीके से रिटेल बिजनस के अंदर आ रहे हैं, इसका जो इम्पेक्ट हमारे रिटेल बिजनस होल्डर्स पर और उनके लाइवलीहुड पर और एम्पलायमेंट पर पड़ेगा उससे यह सीधा कनेक्टेड है। कोई साइंटिफिक सर्वे या स्टडी नहीं हुई है। लेकिन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पेनसिलवेनियन यूनिवर्सिटी ने जब इसकी सर्वे करी और उन्होंने यह पाया कि जहां से इस सोच को हम अपने यहां, अपने देश में और अपने प्रदेश में प्रतिपादित करने जा रहे हैं उसकी स्टडी इसके बारे में क्या कहती है और उसका इम्पेक्ट कितने लोगों पर पड़ेगा। आपकी जो स्टडी है वह यह कहती है कि there are at least 12 million small shopkeepers. There are 40 million hawkers. Out of 600 million small farmers, there are 200 million who are directly connected with it. जब यह मल्टी नेशनल कम्पनीज रिटेल बिजनस में आयेंगी तो you will have companies like Walmart coming into India. You will have companies like Morrison coming into India. और इस चीज के तरीके से हमारे जो कार्पोरेट वर्ल्ड हैं वह भी रिटेल बिजनस के अंदर आने लग गये हैं। अब अगर इसकी स्टडी जो, जहां से इस सोच को हम यहां इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी जब अमेरिका में की गई तो यह पाया कि इसके रिसर्च पर 1987 से 1999 का जो पीरियड था, in just first half of 1980s, इस फर्स्ट हाफ आफ द नाइंटीन एटीज के अंदर जिस वक्त यह आर्गेनाइज्ड सेक्टर रिटेल बिजनस में गया उसके बाद में जब 1999 में उसका सर्वे हुआ तो poverty ratio in these developed countries rose up. और 1987 से 1995 में जितनी फेडरल स्टेट्स हैं

(समय : 13.26 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, सभापति, पदासीन)

अमेरिका की, उन्होंने जब वाल्मार्ट के एनक्रोचमेंट को अपने यहां देखा और उन्होंने सर्वे कराया तो वह भी चौंकाने वाले रिजल्ट्स आये कि poverty ratio went up. Now we are talking in the context of a country which is already suffering from unemployment and poverty. इसके साथ-साथ एक सर्वे आया है वर्ल्ड बैंक का। World Bank says that global poverty estimates report the number of people living on less than one dollar to 2 dollar a day but the purchasing power disparity जिसको अपन पीपीपी कहते हैं, if negotiated and co-related in India, we have people who are living on .20 dollar to .50 dollar which is basically 20 cents to 60 cents. You have a scene which is already there, as transparent as it used to be. And here you have these multinationals encroaching upon livelihood of people, 12 million people who depend on what they are doing everyday from morning till evening. At least these people are termed to be those individuals who are earning a livelihood in a decent and self-respectful manner. You will render 12 million more people unemployed. You will render 200 million farmers totally dependant on these multinationals. और एक सर्वे आई है जिसकी तीन चीज है। जब यह मल्टी नेशनल्स आर्गेनाइज्ड रिटेल

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बिजनस में गई तो वहां जो अमेरिका के अंदर खुदरा व्यापारी है जिसको अपन यहां खुदरा व्यापारी कहते हैं, those shops are known as 'Mom and Pop' shops, mother and father's shops. एक तो उन पर जो इफेक्ट पडा, those shops which were having a socio-economic bearing on their society, वह खुद के लिए भी नहीं कमाते थे, उसकी कमाई का कुछ अंश सोसाइटी को जाता था, सोशियल वहां पर अपब्रिंगिंग को जाता था।

दो मिनट मैं, सभापति महोदय, लूंगा, बिकाज अल्टीमेटली इसके इम्पेक्ट का पता नहीं पड़ेगा। उसके अंदर they were rendered unemployed. They were forced to seek employment in these multinationals like Walmart which are supposed to be retail outlets where their salary was dictated by the person concerned. उनका जो सोशियल इकोनोमिक फाल आउट हुआ उससे इवन एजुकेशनल पर्सेंटेज का रेश्यो, children who were seeking higher education, may be going in for research, because in developed countries, education is a very expensive affair, even they were rendered forfeited. इसका जब फाल आउट इंडिया पर देखा गया कि what would be the scene in India and I am talking about Rajasthan because we have already seen corporate world moving into this. रिलायंस फ्रेश आने लग गया है, it will soon be time when Walmart will start coming into it. आपने कभी देखा है कि आपका सब्जी वाला या आपका हाकर, जो आपका आम बिजनसमेन है उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है? अगर आप एक वाल्मार्ट को यहां ले आये या एक रिलायंस फ्रेश आयेगा, कितने सब्जी वाले, कितने हाकर्स और कितने फार्मर्स, जहां से यह सीधे सब्जी खरीद कर लेकर आते हैं, जिस मंडी से लेकर आते हैं, मंडी के बीच का जो आढ़तिया होता है, यह पूरे के पूरे एक ट्रेड की एम्पलायमेंट की जो चेन है, किस तरह से इसका डिस्टर्ब होगा? आपका खुद का सर्वे इस बात को कहता है कि जिस कम्पनी के, और यह 2006 में जब मौजूदा राष्ट्रपति जार्ज बुश इंडिया आये और हैदराबाद के अंदर जिसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा है, this is the soft launch of the second green revolution. Do you know, who are the members in the Indo-US Economic Forum and Education Forum? Walmart is one of them. Mozart is one of them. आये है एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पर, आये है एजुकेशन के नाम पर और उनके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो कहा, we are not interested in agriculture research, we are not interested in experimenting it. We are only interested in sending our products to India. You render the Indian population, the younger generation unemployed and you

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

bring in more poverty and these Walmart people in their Board of Directors meetings … and they are also members of the Governing Board of Indo-US research ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हैं। अगर ये वाकई में लागू हो गई तो आपको अपनी गली के अंदर अन-एम्प्लोइड बच्चे घूमते हुए मिलेंगे। इन एयरकंडीशन्ड रिटेल माल्स में जाकर सब्जी खरीदना फैशन जरूर है। लेकिन इस फैशन के पीछे कितने लोग घर से बेघर हो जाएंगे, कितने बच्चों को सुबह से शाम की रोटी नहीं मिलेगी और कितने ऐसे स्माल फार्मर्स हैं जो बड़ी मछलियों के निवाले बन जाएंगे? यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. Agriculture Department, the Department of Industries, who go to see it ….

श्री सभापति: आपने पांच मिनट ले लिया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): I am sorry, आप अगर फरमायें तो I will conclude it. Because this is a matter which is related to …which is multi-dimensional …

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, बात बहुत पते की बोल रहे हैं पर बोल इंगलिश में रहे हैं यह मेरी पीड़ा है बाकी बात तो बहुत बढ़िया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इस बात का क्योंकि यह सीधी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है इसकी सीरियसनेस पर जब कांग्रेस पार्टी की प्रेसीडेंट मिसेज सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का मैं आपको एक वर्जन देना चाहता हूं – ''In her letter, Mrs. Gandhi expressed the concern of the *aam adami*, the common man and has received a suggestion from many quarters about the desirability for a study to the possible impact of transitional phase of supermarket. Though I would convey this to you that they have considered, having the relevant issue, properly but unfortunately for Manmohan Singh, it is commerce rather than economics which matters a lot.”

We are living in a materialistic world but you cannot forego, you cannot ignore your social obligations towards the masses of this country. This country needs to be taken into confidence, the Government needs to take people of the country into confidence. And the Rajasthan Government should see to it that this does not filter into our federal State. We should put a stop to it. You do it in such a way that if they come here, they pay through their noses. Those who are affluent and rich enough can go and buy there. Otherwise common hawkers, common shopkeepers should not be deprived of a respectful livelihood.

Thank you very much.

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, यह विषय बहुत इम्पोर्टेंट है (व्यवधान) पूरी विधान सभा को पार्टीबाजी छोड़कर के फैसला करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि राजस्थान में वाल-मार्ट या रिलायंस को इस सब्जी में या परचूनी मार्केट में परमिशन नहीं दी जाए। क्योंकि वास्तव में इतनी भयंकर स्थिति होने वाली है यह वाल-मार्ट के आने के बाद अगर किसान, यहां का मजदूर और यहां का डेली-वैजेज वाला व्यक्ति बेघर हो जाएगा और बजाय धंधे के वह क्राइम करेगा (व्यवधान) बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए मेरा आपसे सजेशन यह है कि पूरी विधान सभा में यह प्रस्ताव पास करके सरकार यह घोषणा करे कि हम वाल-मार्ट को या रिलायंस को या किसी भी एजेंसी को इस फिल्ड में परमिशन नहीं देंगे।

श्री सभापतिः सरकार चाहे तो कर सकती है। श्री तगाराम चौधरी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इस व्यवस्था से हजारों लोगों का काम छीना जा रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग।

बाड़मेर नगर के मध्य से निकलने वाली रेलवे लाइन से होने वाली असुविधा

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरे को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के जिला मुख्यावास और नगर बाड़मेर की जनता और आणंद से दूर-दूर से आने वाली सभी जनता जो बाड़मेर से आती है उनकी विकट समस्या की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाड़मेर नगर की लम्बाई है ज्यादा उसके बीचों-बीच ब्राड गेज रेलवे लाइन निकलती है और आगे पाकिस्तान की तरफ भी जाती है, जो अन्तरराष्ट्रीय मार्ग भी कहा जा सकता है। रेल मार्ग पर इतनी गाड़िया आती हैं, जाती हैं, सात गाड़िया आना और सात गाड़ियां जाना तो अभी है और फिर बढ़ने की सम्भावना है, उसको देखते हुए नगरवासियों को चौबीसों घंटे रेल पार करने में बड़ी भारी कठिनाई उत्पन्न हुई है और उसका सामना करना पड़ रहा है हमको। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच समपार है लेकिन उसमें से चार समपार ऐसे हैं जो एक तो कांडला से पठानकोट जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-15, बाड़मेर के सर्किट हाउस के पास वाला समपार, दूसरा है चिलम बस स्टेशन और विवेकानंद चौराहे से सिणधरी रोड जाने वाला समपार, तीसरा है किसान छात्रावास से नेहरू नगर जाने वाला समपार, चौथा है ढाणी बाजार से

(श्री तगाराम चौधरी)

चौहटन जाने वाली सड़क के ऊपर रेलवे समपार। इन चार समपार पर चाहे ऊपरी पुलिया निर्माण किया जाए तो वह तो तकनीकी अधिकारी तय करेंगे या भूमिगत इन चार समपार को जब तक नहीं निर्माण किया जाएगा तब तक बाड़मेर की जनता और दूर-दूर से आने वाली पठानकोट से कांडला की नेशनल हाइवे भी है, दूसरी रोड भी हैं, सभी पार होती हैं तथा बहुत वाहन पार होते है, जनता पार होती है। तो उनकी सुविधा के लिए मैं माननीय निर्माण मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करके और रेलवे से भी और सरकार क्या कर सकती है इसके बारे में, यह विकट समस्या, जिनको दूर करने का पूरा भरोसा दिलाये और आश्वासन मिले तब जाकर के मैं यह कहने लायक होऊंगा कि मेरी यह समस्या है उसका कुछ न कुछ होगा।

श्री सभापतिः आज डिमाण्ड भी है इस पर।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): डिमाण्ड तो है ही परंतु पर्ची के माध्यम से मैं वहां की विकट समस्या है उसके बारे में (व्यवधान)

श्री सभापतिः ठीक है, आप बिराजें। बोलना चाह रहे हैं आपके बारे में।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपका समय लिया, बिलकुल दो मिनट ही लिया ज्यादा नहीं लिया, आपने समय दिया इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, बाड़मेर से आने वाली माननीय सदस्य ने बाड़मेर जैसलमेर का जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाइवे नम्बर-15 जो शहर के मध्य से गुजरता है उसमें आर ओ बी बनाने की मांग की है और एक स्टेट हाइवे 40 है यह भी शहर के मध्य से गुजरता है इसमें भी आर ओ बी बनाने की मांग की है। दो अन्य स्थानों का उल्लेख भी आपने किया है। सभापति महोदय, जो नियम बने हुए हैं एक लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट, यानी जो आपका रेलवे फाटक है वह 24 घंटे में कितने घंटे बंद रहा और उसमें कितना ट्रेफिक रुकता है इसका एक रेलवे मंत्रालय ने, एक निर्धारित मापदण्डों के अनुसार इसकी स्टडी करवाता है और उसमें एक लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट तो होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के जिस आर ओ बी का आपने जिक्र किया है उसमें भी जो स्टडी हुई है उसमें 67,314 है मैं इसको फिर दिखवा रहा हूं। अगर किसी के अंदर भी मापदण्ड पूरा करता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है चूंकि इसमें आधा पैसा केन्द्रीय सरकार रेलवे मंत्रालय के मार्फत देती है और आधा पैसा राज्य सरकार का है। इसलिए जो भी मापदण्ड पूरा करोगे उसमें निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति: श्री राकेश मेघवाल, अनुपस्थित।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

आउटकम बजट वर्ष 2005-06 व 2006-07

श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्य मंत्री आउटकम बजट वर्ष 2005-2006 एवं वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगी।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय सभापति महोदय, मैं आउटकम बजट वर्ष 2005-2006 एवं वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री मोहन मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2006-2007 समिति के दो प्रतिवेदन उपस्थापन करेंगे। (अनुपस्थित)

याचिकाओं का उपस्थापन

डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की तीन याचिकाएं

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मैं श्री पुष्कर राज से डबल फाटक ब्यावर रोड तक सड़क का निर्माण करने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, II. जिला अजमेर के ग्राम पीसांगन में बीसलपुर से पानी सप्लाई किये जाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिला अजमेर श्री पुष्करजी में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री हीरालाल (बामनवास), सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तीन याचिकाएं

श्री हीरालाल (बामनवास): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नालों से बेकार बहकर जाने वाले पानी को रोक

(श्री हीरालाल)

कर एनीकट बनवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित II. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कस्बा बौंली को चरपक्या दय योजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर में बोरदा नाले की क्षतिग्रस्त पुलिया का पुन: निर्माण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री अशोक बैरवा 'खण्डार', सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

विधान सभा क्षेत्र खण्डार की दो याचिकाएं

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): सभापति महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम टोडरा फलौदी से श्री कमलेश्वर महादेव तक सड़क एवं पुलिया निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम टोडरा फलौदी को रेल्वे स्टेशन खाजना डूंगर से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की दो याचिकाएं

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की विभिन्न सड़कों के निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिला राजसमन्द में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति: विधायी कार्य।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): सभापति महोदय,

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

मैं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): सभापति महोदय, मैं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (वर्ष 2006 का अध्यादेश संख्या-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2007-08।

श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 19 एवं 21 तथा श्री कनकमल कटारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अनुदान की मांग संख्या-30 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,72,11,81,000/- (तीन अरब बहत्तर करोड़ ग्यारह लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या-19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-21 सड़क एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,10,35,19,000/- (तेरह अरब दस करोड़ पैंतीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या-21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-5देखें)

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,93,37,25,000/- (आठ अरब तिरानवे करोड़ सैंतीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या-30 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

श्री सभापति: श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

मांग संख्या 19, 21 व 30 पर विचार

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): सभापति महोदय, मैं आज सड़क की मांग का समर्थन करते हुए मेरी बात रख रहा हूं। सभापति महोदय, किसी भी देश और राज्य में जहां अच्छी सड़कें हों, अच्छे पुल हों, अच्छे मकान हों वो प्रगतिशील प्रदेश कहलाता है और वह प्रदेश प्रगति का द्योतक भी कहलाता है। राजस्थान प्रदेश में आज की तारीख में सबसे अग्रणी है सड़क। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक ने कक्षा में बच्चों के सामने ब्लेक बोर्ड पर एक लाइन खींच कर पूछा कि इस लाइन को बिना मिटाये तुम छोटी कर दो, तो बड़ा संकट हो गया बच्चों के। बिना मिटाए बड़ी कैसे की जा सकती है, लेकिन एक विद्वान छात्र ने उस लाइन के पास एक चाक लेकर के एक बड़ी लाइन खींच दी तो यह साबित हो गया कि ये लाइन छोटी है। इसी तरह मैं यह बात कहना चाहता हूं सभापित महोदय, राजस्थान की पूर्व सरकार के बाद जब वर्तमान सरकार की हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने राज सम्भाला तो अच्छे-अच्छे कर्मठ और व्यक्तित्व के धनी अच्छे-अच्छे मंत्रियों को नियुक्ति दी। उससे आज नतीजा यह निकला कि आज के तीन साल पहले राजस्थान में सड़कें बिलकुल टूटी हुई थीं और नहीं के बराबर सड़कें थीं। और आज की तारीख में, सभापति महोदय, मैं आंकड़ों से बताना चाहता हूं कि

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

जिस राजस्थान 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और गांवों में 70 प्रतिशत आबादी रहती है 32 जिले और 241 तहसीलें हैं, 237 पंचायतें हैं वहां 1949 में कुल 13553 किलोमीटर डामर की सड़कें थीं। और 4350 किलोमीटर मैटल सड़कें थीं और कुल 230 किलोमीटर ग्रेवल सड़कें थीं। एक लाख जनसंख्या पर 80.25 किलोमीटर की सड़कें थीं। कई जिला मुख्यालयों पर 32 जिलों में से 16 जिलों में सड़कें नहीं थीं ये तो मैं देखता आ रहा हूं । राज्य में 2006 तक कुल सड़कों की लंबाई 1,67,128 किलोमीटर हो गयी थी जिसमें 1,12,200 किलोमीटर डामर और 4980 किलोमीटर मैटल और 44,300 ग्रेवल सड़कें थीं। राज्य में घनत्व के हिसाब से 48.83 किलोमीटर प्रति सौ किलोमीटर में ये घनत्व है उसका। पांच वर्ष के कार्यकाल में पूर्व सरकार के पास 1904 करोड़ का निवेश था। हमने 4055 करोड़ निवेश किया यानी पूर्व सरकार के निवेश से हमने तीन गुना ज्यादा निवेश सड़कों के लिए किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 18660 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। 5538 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। 14724 डामर सड़क का निर्माण किया गया। 4600 किलोमीटर गांवों को जोड़ा गया। पूर्व सरकार ने सिर्फ 3936 किलोमीटर डामर का कार्य किया वो भी जर्जर और जिसकी गुणवत्ता की भी गारंटी नहीं थी। सभापति महोदय, केवल 918 किलोमीटर गांवों को जोड़ा। हम प्रतिवर्ष 430 किलोमीटर लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य करवा रहे हैं। मुख्य मंत्री सड़क योजना में, सभापति महोदय, 7 अक्टूबर, 2005 से सड़क योजना शुरू की गई। मेगा हाइवे परियोजना प्रथम पांच राजमार्ग जो 1053 किलोमीटर सड़कों का चौड़ाइकरण एवं नवीनीकरण भी किया गया। 11 ओवरब्रिज भी बनाये गये, 28 बाइपास का निर्माण प्रगति पर है।

सभापति महोदय, इन सडकों में पूर्व सरकार ने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया, जहां भी डामर की सड़क बनाई और वहां गांव आ गया। गांव में जो जल बहता था उससे सड़कें टूट जाती थी और लाखों करोडों रुपये का प्रतिवर्ष का नुकसान होता था । हमारी सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया, हमारे इंजीनियरों ने इस पर ध्यान दिया और जिन गांवों में डामर रोड थी उनमें सीमेंट कांकरीट पत्थर की 238 किलोमीटर की सडकों पर 171 करोड़ रुपये खर्च किये गये। सभापति महोदय, राज्य में 4600 किलोमीटर मेटल रोड के डामरीकरण हेतु 458 करोड़ की स्वीकृतियां की हैं उन पर कार्य हो रहा है। इतना ही नहीं हमारी सरकार जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको भी नहीं छोड़

रही है क्योंकि वह जनता की भावनाओं से जुडा हुआ है। इसलिए हमारी सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों को भी 544 किलो मीटर लंबी सडके बनाकर जोड़ा है जिस पर 79 करोड़ रुपया खर्च होगा ।

मान्यवर, हमने कई आदर्श सडकों का निर्माण किया और हमने 17 ओवर ब्रीज, 8 रेलवे ओवर ब्रीज का कार्य हमने शुरू कर रखा है जो प्रगति पर है । राजस्थान सरकार ने अभी जितनी भी रोड बनाई है वह इतनी रोड बनाई जिसमें कई मिस लिंक बाकी रह गई । हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और हमारी सरकार में हम लोगों ने मांग रखी है कि ऐसी मिस लिंक को जोड़ना जरूरी हो गया है क्योंकि उसके बगैर आधा मामला हो जायेगा। कई गाड़ियां दो-दो, तीन-तीन किलो मीटर पार नहीं कर पायेगी इससे कई तकलीफें आयेंगी। इसलिए हमारी सरकार ने इसी बजट में 3 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। 2000 करोड़ रुपये सडकों में और 78 कृषि उपज मंडी के खाते में, मतलब 3000 करोड़ रुपये की सडकें बनेंगी जिससे मुझे विश्वास है राजस्थान की काफी सडकें मिस लिंक से जुड जायेंगी। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सडकों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। यह काली-काली सडकें इस बात को दर्शाती है, आज इन सडकों पर कोई भी आता है वह सभी लोग इस बात की सराहना करते हैं कि गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश की कम्पेरीजन में हमारे राजस्थान की सडकें इतनी सुंदर हैं, लोग मजाक में कहते थे सडकें ऐसी बननी चाहिये जो हेमा मालिनी के गालों की तरह हो । यह तो उससे भी सुंदर सडकें बनी हैं और इस बात का सबूत है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह पुरानी बातें हो गई, नई बात करो। माननीय मंत्रीजी के गाल जैसी होनी चाहिये कहां हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको क्या मालूम राजेन्द्रजी के गाल कैसे हैं ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): वह तो सबको पता है सफेद है। कलर सफेद है सबको पता है रोड का तो कलर काला होता है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो राजेन्द्रजी के गाल का कलर है वही सड़क का कलर है कोई तकलीफ है आपको? जो राजेन्द्रजी के गाल का रंग है वैसा राजस्थान की सड़क का रंग है तकलीफ क्या है आपको? कोई तकलीफ है क्या आपको?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): राजेन्द्रजी आपके गाल पर हाथ फेरते हैं क्या ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): बहुत सुंदर है और गाल की तरह आपको दिखाते हैं । आप उदयपुर के निवासी हैं आप देखिए जो नेशनल हाईवे जो रोड उदयपुर जाती है कितनी सुंदर है, देखने लायक है । रात को तो देखने लायक ही होती है वह सड़क । आपको किसने मना किया था, कौनसी सरकार ने मना किया, कौनसी जनता ने मना किया कि आप काम मत करो? रुपया कोई बरसात से ही पैदा हो गया था क्या, यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तो पहले भी थी आपने तत्परता से काम नहीं कराया, कराया तो गुणवत्ता नहीं थी । गुणवत्ता नहीं होने से आज सडके टूट गई । टूटने से आज कितना नुकसान हुआ, अरबों रुपये तो रिपेयरिंग में लग गये । हमारी सरकार इस बात का दावा करती है कि जो सडकें बनी हैं उसमें गुणवत्ता है । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो सडके बनाई हैं उसमें गुणवत्ता सबसे बड़ी बात है और जो टार्गेट हमने लिया है उसको हम पूरा करेंगे । वही तो सफल सरकार कहलाती है जो पैसा सरकार को मिलता है, जनता देती है या विधान सभा देती है उसका अच्छा पर्सेंटेज खर्च करे । हमारे व्यय का पर्सेंटेज बहुत अच्छा है । इसलिए सभापति महोदय, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आगे बढ़ रही है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सदस्य सड़क जहां बन रही थी वहां मंत्री खडे थे या इंजीनियर खड़े थे ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मंत्रीजी का ऐसा आदेश कि मंत्री के आदेश से वर्तमान के इंजीनियर कांपते हैं । उनको पैसा खाने में तकलीफ होती है । पहले जो मिलकर पैसा खा जाते थे, 50 प्रतिशत पैसा भी नहीं लगता था इस बात का सबूत है । हमारे यहां सड़कें बनी हैं, मैं आज से नहीं 40 साल से राजनीति में हूं। मैं जानता हूं कि सडके कैसे बनी थी । आज के हमारे जो मंत्री हैं उनके आगे इंजीनियर, आज का ठेकेदार पैसा खाते डरता है । पैसा खाता है तो उसको एक साल में वापस बनानी पडती है ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): चीफ इंजीनियर डरते नहीं हैं । चीफ इंजीनियर खुद ही ईमानदार है और अपनी ईमानदारी की वजह से... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आज भी तीन साल तो मुझे हो गये, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं मेरे यहां साढ़े तीन सौ किलो मीटर सड़कें हो गई । इतनी सड़कें मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं । मेरा कोई गांव नहीं बचा है । मेरी जनता सरकार की आभारी है कि मेरे मकराना क्षेत्र में साढ़े तीन सौ किलो मीटर से ज्यादा सड़कें हो गई । 6-6 करोड़ रुपये मेरे मकराना क्षेत्र में लग गये । कोई गांव नहीं बचा है सिर्फ मिस लिंक बची है । मैं यह कह सकता हूं कि कोई एक तहसील है जो सब सड़कों से जुडी हुई है । सभापति महोदय, मैं फिर भी मिस लिंक के लिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार मेरे कुछ क्षेत्र में जो मिस लिंक बची हैं उनका मैं यहां नाम बताना चाहता हूं उन मिस लिंक को जोड दिया जाये जो तीन-तीन किलो मीटर की मिस लिंक है । उनका नाम है:- (1) बोरावड से कोला डूंगरी, (2) बोरावड से बील्लू, (3) हरनावा तोसीणा से कलौलिया, (4) जिवाविया से धाननवा, (5) लाडोली से सिरसू, (6) लाडपुर से गेलासर, (7) मकराना से गांगवा, (8) मकराना से कुचामन, (9) नावद से तोसीना।

सभापति महोदय, यह सड़कें यदि मकराना क्षेत्र में हो जायेंगी तो कई तहसीलों से जुड जायेंगी । मैं डीडवाना, कुचामन, परबतसर से जुड जाऊंगा । इन सडकों के बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मिस लिंक हैं आप कृपया इन मिस लिंक का ध्यान दें तो चारों तरफ से विकास हो जायेगा । सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया मैं बहुत ही संक्षेप में बोला हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ जो नये विधायक बन कर आये हैं उनको भी बोलना है। इसलिए मुझे जो आपने मौका दिया उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस मांग का मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, वित्त वर्ष 2007-08 की अनुदान की मांग संख्या 19, 21 और 30 पर विचार प्रकट करने के लिये मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । सभापति महोदय, राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों में सड़क निर्माण का जो इतिहास लिखा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । सड़कों के क्षेत्र में जो काम हुआ है इस पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान में एक अनूठा कार्य किया गया है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

सभापति महोदय, गत पांच वर्षो में प्रदेश में मात्र 1904 करोड़ का निवेश किया गया उसकी तुलना में इन तीन वर्षो में माननीय मंत्रीजी ने जो कार्य किया है 4055 करोड़ रुपये का कार्य करवाकर एक यशस्वी कार्य किया है जो गत वर्ष की तुलना में तीन गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में दिसम्बर, 2006 तक कुल 18092 किलोमीटर का सड़कों का निर्माण किया गया । उसमें से इन तीन वर्षो में इस सरकार के आने के बाद 14176 किलोमीटर सडकों का निर्माण किया गया है और करीब 4276 गांवों को सडकों से जोड़ा गया है। सभापति महोदय, इस सरकार द्वारा गत तीन वर्षो में जो सड़क बनाने की गति रही प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनाकर चार गांवों को जोडने का कार्य किया गया है । इसी प्रकार 7 अक्टूबर, 2005 से मुख्य मंत्री सड़क योजना प्रारम्भ की गई और उसके माध्यम से पांच मेगा हाईवे जो स्टेट हाइवे हैं वह प्रारम्भ किये गये। 1053 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हाथ में लिया है उसमें सुदृढ़ीकरण उन्नयनीकरण का कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। सभापति महोदय, पहले मेटल रोड को डामर से जोडते नहीं थे । पूर्ववर्ती सरकार में जहां मेटल रोड थी उसी को सड़क से जुडा हुआ मान लिया गया था। लेकिन इस सरकार ने मेटल सड़कों का डामरीकरण किया और उन गांवों में जहां पहले मेटल रोड थी उनमें भी सड़क बनाने का कार्य किया है । सभापति महोदय, वर्ष 2007-08 के लिये कुल 608 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें कई सड़कें बनाने की व्यवस्था की गई है । मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा, 8 जून 2006 को माननीय मुख्य मंत्री जल चेतना यात्रा में मेरे क्षेत्र में गई थी।

(समय :14.80 बजे)

उस समय देवली से जहाजपुर की जो सड़क है एम डी आर-7 उसके सुदृढीकरण और नवीनीकरण की घोषणा की गई थी। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी जब रिप्लाई दें तो उस सड़क का भी जिक्र उसमें हो!

मेरे क्षेत्र में तीन गांव ऐसे हैं ग्राम नाथून, बेई और गेवरिया जिनकी जनसंख्या क्रमश: 1099, 1133 और 926 है उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जोड़ी गई है। बार-बार निवेदन करने के पश्चात भी इस और, माननीय मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का कष्ट करें।

(श्री शिवजीराम मीणा)

माननीय मंत्री महोदय, मैं सभापतिजी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र की जो एम डी आर सड़के हैं कोटडी से कंकरोलिया घाटी, कोटडी से बीगोद, नंदराय और शकरगढ़ से बिजोलियां, उनका कई वर्षों से नवीनीकरण नहीं हो रहा है, वह साइकिल में आ रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सड़कों का भी नवीनीकरण कराने का कष्ट करें इसी बजट में।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की केवल एक सड़क है स्टेट हाइवे नागौर से शतूरे, उसकी स्थिति इतनी खराब है न उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है न उसको सुदृढीकरण किया जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है इस सड़क पर भी काम कराने का कष्ट करें।

इसी प्रकार जहाजपुर में उपखंड कार्यालय होते हुए, पिछले 6 साल से उपखंड कार्यालय चल रहा है वहां उसका आफिस नहीं है, उपखंड अधिकारी के रहने का आवास नहीं है। 6 वर्षों से यह कार्य चल रहा है लेकिन उसके कार्यालय की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जहाजपुर में एस डी ओ कार्यालय बने, एस डी ओ के रहने का आवास बने। इसी प्रकार से कई वर्षों से बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही है लेकिन उनका कार्यालय सरकारी भवन नहीं है, कई वर्षों से किराये के भवन में चल रहा है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है जहाजपुर में सीडीबीओ का कार्यालय बनाने का कष्ट करें।

इसी प्रकार कुछ सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हो रही है कोटडी से देवरिया की जो सड़क है उसमें कई वर्षों से रिपेयरिंग नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं उस सड़क का इसी साल में नवीनीकरण कराने की व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 21, मांग संख्या 19 और मांग संख्या 30 पर वाद-विवाद हो रहा है उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपके माध्यम से सरकार को कुछ निवेदन करना चाहूंगा, सुझाव भी देना चाहूंगा और कुछ अनियमितता और कमियां हैं उनके बारे में, कुछ कमियों को उजागर करना चाहूंगा।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मांग संख्या 30 जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र की मुख्य मांग है, उसके सन्दर्भ में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, इसका 1975 में गठन हुआ और मुख्य तौर पर सम्पूर्ण राजस्थान के जनजातियों के विकास के लिए क्षेत्र पोकेट्स बनाया गया। उसमें अनुसूचित क्षेत्र जो उदयपुर सम्भाग की 23 पंचायत समितियों का आता है जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ की दो पंचायत समितियां और सिरोही की एक पंचायत समिति। मांडा क्षेत्र तीसरा, मांडा कलस्टर योजना क्षेत्र, चौथा बिखरी जनजाति, बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र, पांचवां सहरिया आदिम जाति क्षेत्र इन सबका नियंत्रण उदयपुर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय से होता है। सम्भागीय आयुक्त इसका पूरा नियंत्रण रखते हैं। लम्बे समय से हम, चूंकि यह विभाग बहुत बड़ा भी है और सम्भागीय आयुक्त के पास बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्षेत्र भी होता है, डिविजन का काम भी देखना और जनजाति का काम भी देखना है। इसलिए समय-समय पर हम मांग भी करते आए हैं कि जनजाति कमिश्नर अलग से किया जाए। सम्भागीय आयुक्त का काम बहुत विशाल होता है, पर सरकार को पता नहीं क्या दिक्कत है। कई विभागों के जहां राजस्थान में एक आई. जी. बैठा करते थे वहां 46-46 आई. जी. बन गये पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य सदन में अख़बार पढ़ रहे हैं, इनको कुछ तो सिखाइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अख़बार नहीं पढ़ रहे, अख़बार उलट पुलट कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी आप नियम जानते हो अखबार उठाकर नहीं पढ रहे। (व्यवधान) अब आप जानते हैं, आप रघुवीर सिंहजी का टाइम क्यों ले रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सरकार ने अखबरों में अपने गीत छपवाने की जो व्यवस्था कर रखी है मैं उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्ययन कर रहे हैं कि क्या मसाला ढूंढे कि आप लोगों को उकसाया जा सके और आपके ऊपर भाटे फोड़े जा सकें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, सार्वजनिक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निर्माण मंत्री महोदय हमारे जो सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य आपके विभाग से संबंधित बात कह रहे हैं वह तो नोट नहीं कर रहे और ध्यान आपका सिरोही के सदस्य की तरफ जा रहा है। जो आपका काम है वह करें। आपको तो वह ही वह दिखते हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, मेरा समय कम हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि इस विभाग के माध्यम से जो खर्चा होता है, वह विशेष केन्द्रीय सहायता जो केन्द्र सरकार से मिलता है उसके माध्यम से संविधान की धारा 275-1, जो केन्द्र से विशेष सहायता मिलती है। और राज्य योजना इसमें टी ए डी ए और महाराष्ट्र पेटर्न है मुख्य तौर पर, चौथी योजना है केन्द्र प्रवर्तित योजना के माध्यम से राशि अभी आती है उससे विकास कार्य होता है। अब मेरा निवेदन है कि पिछले समय में 2005-06 और 2006-07 में जो पैसा सरकार के पास आया है और जिस तरह सरकार ने बड़े-बड़े वादे किये थे इन लोगों से, बड़ी-बड़ी डींग हांकी थी उसके अनुरूप जो विकास कार्य किया, उसमें जो खर्च किया उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 2005-06 में 31 करोड़ 77 लाख 49 हजार रुपये आये थे उसमें व्यय किए 19 करोड़ 78 लाख 87 हजार। आधे के आसपास खर्चा किया। 2006-7 में 32 करोड़ 84 लाख 60 हजार रुपये आए उसमें से खर्च किया दिसम्बर तक 16 करोड़ 27 लाख 55 हजार, आधा खर्च 50 प्रतिशत खर्च। इसी तरह संविधान की धारा 275-1 के तहत जो पैसा आया 2005-6 में 9 करोड़ 93 लाख 94 हजार, खर्च किया 28 करोड, 48 लाख। 2006-7 में 22 करोड रुपये आए और खर्च किया 10 करोड़, आधे से भी कम खर्च। आगे महाराष्ट्र पैटर्न में हम देखें तो 77 करोड़ 33 लाख, 11 हजार के अगेन्स्ट में 48 करोड 51 लाख 97 हजार रुपये खर्च किए। 2006-7 में 75 करोड़ 50 लाख 1 हजार में से 38 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च करके यह सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके आगे इन्होंने, जैसा इन्हीं के प्रतिवेदन में, जो विकास के काम करते हैं उसमें सब्जी विकास कार्यक्रम के लिए प्रावधान रखा था, 1640 कृषक लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 2006 तक 4 लाख 32 हजार रुपये खर्च किये जब कि प्रावधान था 18 लाख 19 हजार, मतलब वन फोर्थ खर्च किया और 1640 कृषकों के अगेन्स्ट 671 कृषकों को लाभान्वित

किया और 1640 कृषकों के अगेंस्ट में 671 कृषकों को इन्होंने लाभान्वित किया। वेब के माध्यम से उद्यान विकास के लिये जो वहां के काश्तकारों के आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिये बहुत लाभदायी सिद्ध हो सकता है, 2006-07 में 155 लाख 48 हजार रुपये का आबंटन किया गया था। इसके विरुद्ध दिसम्बर, 2006 तक 22 लाख 24 हजार खर्च किये। 155 लाख और 22 लाख खर्च किये। और पता नहीं यह सरकार और क्या करना चाह रही है। आगे मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र पैटर्न की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मूल रूप से महाराष्ट्र पैटर्न की जो भावना थी, पिछली सरकार के समय में नहीं जाना चाहूंगा, क्या किया, क्या नहीं किया। परन्तु अब जो शासन में हैं उनकी विशेष ड्यूटी रहेगी कि इसमें किस तरह से...(व्यवधान) आप बोल लेना, भाई, आप बोल लेना।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): पिछले समय में 44 करोड़ रुपये ही दिये थे। 119 करोड़ रुपये दिये हैं 3 साल में। इनके भी 3 साल में 44 करोड़ थे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, अशोक गहलोत सरकार ने ही महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया था। हो सकता है, सही रूप से वह लागू नहीं हो पाया हो, वह अलग बात है। परन्तु मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न में यह प्रावधान है कि जितने पर्सेंट पापुलेशन है उसके अगेंस्ट में डिविजिबल फण्ड जो भी है, बजट का, वह पूरा का पूरा ट्रांसफर करना चाहिए। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, यह जो टोकन मनी देते हैं यह महाराष्ट्र पैटर्न की मूल भावना नहीं है। फिर भी इन्होंने जिस तरीके से जो प्रावधान रखे थे उसके अगेंस्ट में जो काम करते हैं, आश्रम छात्रावास संचालन के लिये, बच्चों को, विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने के लिये पोशाकें आदि देते हैं। 2006-07 में 18 करोड़ 61 लाख के अगेंस्ट में आबंटन जो था उसके अगेंस्ट में इन्होंने दिसम्बर, 2006 तक 9 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च किये। 18 करोड़ में से 9 करोड़ खर्च किये, इसका मतलब 50 प्रतिशत खर्च किया। अब छात्र गृह किराया योजना, इसमें बच्चों को किराया, डेढ़ सौ रुपये प्रतिमाह, आज कोई कमरा मिलता है क्या? इन्होंने 2006-07 में 10 हजार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के लिये प्रावधान रखा था और 90 लाख रुपये का रखा था। उसके अगेंस्ट में, दिसम्बर, 2006 तक 4 लाख 70 हजार, आप देखिये 90 लाख के अगेंस्ट में 4 लाख रुपये खर्च करके यह

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों का बहुत उत्थान करने वाले हैं, और 80 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। 10 हजार बच्चों का जहां टार्गेट रखा था, वहां 80 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। आगे चलते हैं, एकलव्य खेल छात्रावासों का संचालन किया...(व्यवधान) आपके पास भी है, किताब आपके पास भी है। एकलव्य छात्रावास का संचालन, मंत्रीजी बता दें, जब आप जवाब दें, आपने इसमें प्रावधान किया है कि इन छात्रावासों में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरंदाजी एवं एथलेटिक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। आपके कौन-कौन वहां खेरवाड़ा में, कौन-कौन दक्ष आपके प्रशिक्षक हैं, भीलवाड़ा में कौन हैं, उदयपुर में कौन हैं? यह आप जब जवाब दें तो निश्चित तौर पर बतायेंगे तो आपकी स्थिति के बारे में जान पायेंगे। छात्रावासों में विशेष कोचिंग चलती है।

सभापति महोदय, आप गौर करेंगे कि एक हजार रुपये प्रतिमाह जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, मेथ्स, इंग्लिश या साइंस के, कोई भी सब्जेक्ट है, उनको कोचिंग के लिये 3 महीने का प्रावधान होता है, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के लिये। जहां 2006-07 में 141 आश्रम छात्रावासों में विद्यार्थियों को उक्त योजना में लाभान्वित करने हेतु दिसम्बर तक प्रावधान रखा था, इन्होंने 141 आश्रम छात्रावासों के विद्यार्थियों के लिये, और खर्च कितना किया, 40 हजार रुपये। 40 हजार रुपये में कितने, 141 छात्रावासों में कितने बच्चे होंगे और 40 हजार रुपये मात्र खर्च किये हैं, पूरे साल में दिसम्बर तक। अगर दो महीने और भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। यह हाल है, इस विभाग का। मैं इस बात के लिये तो आपको निश्चित तौर पर धन्यवाद दूंगा कि जनजाति बालिकाओं को आपने साइकिलें दीं 6200 बालिकाओं को साइकिलें दीं। आपने स्कूटी दी, 12 स्कूटी दीं, उसके लिये भी आपको धन्यवाद। जहां धन्यवाद के पात्र हैं आप, निश्चित तौर पर धन्यवाद तो देना ही देना है। परन्तु सभापति महोदय, आपका ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ले जाना चाहूंगा। मंत्रीजी, आयोडीन युक्त नमक वितरित करना था जनजाति क्षेत्र में और यह नमक करीब साढे 5 लाख परिवारों के, साढे 5 लाख परिवारों से भी ज्यादा लोगों को वितरित करना था इनको, और किया, इसमें आपने 120 लाख रुपये का प्रावधान रखा। और आपने जो नमक बांटा, वह नमक सभापति महोदय, गरीबों के नमक में सरकारी सेंध मारी। नमक बांटने में भी नमक हलाली नहीं करते, नमक-हरामी कर दी। नमक में भी नमक हरामी कर दी इस सरकार ने। और मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा माननीय मंत्रीजी, कि जब आप जवाब दें तो इस

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

मामले को स्पष्ट करें कि कितने घोटाले हुए हैं इसमें और जिन लोगों ने घोटाला किया, उनके विरुद्ध आप क्या-क्या कार्यवाही करेंगे। यह नमक खाने योग्य भी नहीं था। 563317 परिवारों को आपने नमक बांटा है। उसमें यह नमक घटिया था। इतना बड़ा घपला था सभापति महोदय कि 20 प्रतिशत आयोडीन की कमी थी, सोडियम क्लोराइड कम था। कानून का खुला-खुला उल्लंघन हुआ है। साम्भर साल्ट लिमिटेड ने कडाना की एक कम्पनी को माइक्रो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव के सहयोग से अप्रैल, 2006 में साम्भर में उच्च गुणवत्ता के नमक उत्पादन के लिये एक प्लांट लगाया और उस प्लांट से जो नमक पैदा होना था वह प्रदेश के गरीब तबके के लोगों को पहुंचाना था। उच्च गुणवत्ता का नमक पैदा होना था। 4 सितम्बर, 2006 तक इस प्लांट से 7 हजार मीट्रिक टन उच्च कोटि का नमक तैयार हुआ। लेकिन साम्भर साल्ट लिमिटेड ने बिना आयोडाइज्ड किये नमक एक निजी कम्पनी को, नवाकार साल्ट को लाभ कमाने के उद्देश्य से दे दिया। नावां की एक अन्य कम्पनी से मंहगी दरों का नमक खरीदा और बांटने के लिये एक वर्ष का ठेका दे दिया। अरिहन्त से खरीदा गया नमक 1686 मीट्रिक टन नमक अगस्त तक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बांट दिया। सभापति महोदय, यह कृत्य...

श्री सभापति : घड़ियां चल रही हैं, घड़ियां चल रही हैं आपकी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): चल रही हैं, चल रही हैं। सभापतिजी, आज तो पहली बार ही बोल रहा हूं मैं।

यह कृत्य भी, 1974 के मानदण्डों का खुला उल्लंघन है। मंत्रीजी, आप मुझे बताएंगे कि आप इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे और आपकी जानकारी में अभी आया कि नहीं आया? आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है? जनजाति क्षेत्र का विकास खाली रुपयों का प्रावधान रखने से या किताबों में छापने से नहीं होगा। मेरा सुझाव यह है कि हमारी मानसिकता भी ठीक होनी चाहिए। मन भी साफ होना चाहिए और वहां काम सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसकी मोनिटरिंग प्रोपर जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अभी जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिये आपने अनुकृति योजना का प्रावधान रखा है। उसमें आई.ए.एस., आई.पी.एस. के लिये जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उनके लिये एक लाख रुपये का जो बच्चों के लिये प्रावधान रखा है, 25 हजार पहले देते हैं, फिर मेन के लिये 50 हजार देते हैं, फिर 25 हजार रुपये इंटरव्यू के समय देते हैं। परन्तु एक मात्र ऐसे इंस्टीट्यूट को अधिकृत

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

किया है, जहां बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। बच्चे चाहे दिल्ली में कोचिंग लेंगे, परन्तु सर्टिफिकेट यहां से लेना पडा और पैसा यह देंगे और 18 हजार रुपये उससे काट देंगे कमीशन के। उसका तो शोषण हो ही रहा है। क्यों नहीं आप इसको और विचार करके और कोई तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं? दूसरा जहां, हमारे ट्राइबल सब प्लान इलाके का जो प्रावधान है, महामहिम राज्यपाल महोदय के सीधे ही, उनके अधीन में आता है और संविधान की धारा 244 के तहत जो उनका नियंत्रण है उनके हाथ में होता है। उन्होंने प्रावधान कर रखा है कैटेगिरी 1-6 तक, 7 और 9 सर्विसेज में वहां के टोटल रिक्रूटमेंट का 45 प्रतिशत उनको रिजर्वेशन देना है। परन्तु इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए अगर हम कोई प्रावधान नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा वहां के लोगों को कोई हो नहीं पाएगा। अभी हाल ही सरकार ने अपने भाषण में, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि स्टेट सर्विसेज के अतिरिक्त जितनी भी सर्विसेज हैं, इसको मंत्रीजी क्लियर करें जब भी आप जवाब दें क्योंकि स्टेट सर्विसेज के अतिरिक्त कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जो आप उनका बेनिफिट वह 45 परसेंट उस क्षेत्र के लोगों को देना चाह रहे हैं ताकि वहां के लोग भी उसका फायदा उठा पाएं और कब से लागू करेंगे? यह भी बतायें। अभी क्योंकि यह बात चली है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उदाहरण के तौर पर बात चल रही है अभी 1.3.2007 को कोई विज्ञप्ति निकली, उसमें 512 पद हैं, महानिदेशक, कारागार, राजस्थान के और उसमें सामान्य के हैं 256 पद, महिला के 109, अनुसूचित जाति के मात्र 3, महिलाओं के कोई नहीं, अनुसूचित जनजाति के 34 और महिलाओं के 44, 48 पद मात्र रखे हैं जब कि प्रावधान के हिसाब से देखें, रिज़र्वेशन के अगर 12 परसेंट और 16 परसेंट ही देखें तो एस.टी. के 61 पद होते हैं और एस.सी. के 82 पद होते हैं परन्तु यह जो विज्ञप्ति निकली है, यह त्रुटिपूर्ण है। एक बार हो जाने के बाद वह लोग कभी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मैं निश्चित तौर पर क्योंकि मंत्रीजी खुद ही इसका मोनेटरिंग करते हैं, इस विभाग का तो आप निश्चित तौर पर इसका ध्यान रखें। ट्राइबल सब प्लान इलाके में एक और विज्ञप्ति भी निकली है। ट्राइबल सब प्लान इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूं। उसमें प्रावधान तो यह है कि 45 परसेंट रिज़र्वेशन देना है परन्तु 463, फोर सिक्स थ्री, टीचर्स और थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती हो गयी उसमें एस.टी. के 18 महिलाएं और 23 पुरुष, 41, 463 में से 41 पद अध्यापकों के, जब कि होने

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

चाहिए थे 45 परसेंट के तहत 205 तो यह टीचरों के नहीं अपने पुलिस कर्मियों के। ट्राइबल सब प्लान इलाके में प्रावधान यह है कि 45 परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए अगर इसको देखें तो हम न तो आपके यह फुलफिल हो पाता है और न कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देकर और आगे की कार्यवाही करेंगे ताकि इन लोगों का फायदा हो सकेगा।

एक एकीकृत जनजाति विकास योजना है। विकास कार्यक्रम है। अनुसूचित क्षेत्र में, वहां आपने कितना-कितना खर्चा किया है? कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं में प्रावधान है दो हजार, 6452.22 लाख, उसके अगेंस्ट में 1954.25 खर्चा किया है। विशेष क्षेत्रीय परियोजना में आपने आबंटन तो किया है 360.80 लाख और खर्चा किया है निल। क्यों?

इसी तरह से उद्योग एवं खनिज में, माननीय सभापति महोदय, खनिज जनजाति उप योजना क्षेत्र में ट्राइबल सब प्लान इलाक़े में मार्बल की ढेरों-ढेर खाने हैं परन्तु वहां के लोकल लोगों को आज तक उसका फायदा नहीं मिला। क्या हमारा जनजाति डिपार्टमैंट इस बारे में कोई विचार नहीं कर सकता? वहां के लोगों को सेठ नहीं बनाना चाहता। मजदूर ही बनाकर रखना चाहता है क्या? आज 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, समता बनाम आन्ध्रा एण्ड अदर स्टेट, वह फैसला आज तक आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। आज तक क्यों अटकाया रखा है? क्यों वेरियर गाड़ रखे हैं? माइंसों का अलाटमैंट बंद कर रखा है। न वहां के लोगों को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी इस बारे में क्या करना चाहेंगे?

माननीय सभापति महोदय, आप बार-बार घड़ी भी देख रहे हैं। समय भी, घंटी बजा देंगे। एक बात मैं ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि छात्राओं, छात्रों व आश्रम छात्रावासों के लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को 2006 से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है जो विशेष चिन्ता की बात है। किसी तरह का कोई प्रस्ताव आपने नहीं भेजा है, क्यों? आप बतायें जरा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-21 पर भी निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क और जैसे ही सरकार अपने आप को, खुद ही पीठ थपथपाती है परन्तु सड़कों का हाल क्या है? मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में सड़कें स्वीकृत हैं 23, उसके लिए

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

रुपयों का प्रावधान है 1768 लाख 66 हजार और अभी तक खर्च किया है 832.48 लाख। 8 करोड़ 32 लाख रुपये और 17 करोड़ के अगेंस्ट में कितना खर्च किया है? अभी काम कितने स्पीड से चल रहे हैं? डब्ल्यू.बी.एम. बी.टी फेज-II, 2 सड़कें स्वीकृत हैं, 63 लाख के विरुद्ध खर्चा किया 21 लाख 44 हजार रुपये। डब्ल्यू.बी.एम. बी.टी फेज-III में 5 स्वीकृत सड़कें हैं, 192 लाख रुपये स्वीकृत है और खर्च किया मात्र 57.17 लाख रुपये। टी.एफ.सी.-3054 के तहत, 17 सड़कें स्वीकृत हैं, 235.75 लाख रुपये स्वीकृत हैं और 23.22 लाख रुपये खर्च किये हैं अभी तो फरवरी, 2007 तक। 3054-टी.एफ.सी. सी.सी. रोड एक स्वीकृत है, 26 लाख का, वह भी काम स्टार्ट नहीं किया है। बाढ़ सहायता-2245 के तहत 13 सड़कें स्वीकृत हैं 60 लाख रुपये का प्रावधान है। 23 लाख 56 हजार रुपये खर्च किये हैं। 3054-विशेष मरम्मत, बाढ़ सहायता, ऋषभदेव, सराड़ा, जयसमंद, जगत, इस तरह से चार सड़कें स्वीकृत हैं उसमें से स्वीकृत है 9 लाख 50 हजार और खर्च किया 1.26 लाख, 8443-डिपोजिट बाढ़ सहायता, 6 सड़कें स्वीकृत हैं। स्वीकृत है रुपये 24 लाख 35 हजार, खर्च किये 8 लाख 72 हजार। 8443-डिपोजिट तृतीय एन.आर.आई.जी.एच., 74.24 लाख स्वीकृत है, खर्च किये 4.75 लाख। मंत्रीजी, सुनना नहीं है आपको? सुनना है तो सुन लो। बिल्डिंग वर्क्स चल रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-4210 के तहत 3, उसमें 10 लाख 60 हजार स्वीकृत है और 3 लाख 13 हजार खर्च किये हैं। डिपोजिट एन.आर.आई.ए.एच.एम., डाक्टर्स, नर्सिंग, वार्ड ब्वाय क्वार्टर्स, झाड़ोल और सेमारी में स्वीकृत है, 92 लाख 30 हजार स्वीकृत हैं और खर्च किया जीरो।

8443-डिपोजिट टी.ए.डी. कन्या छात्रावास का 33 लाख 37 हजार का कार्य स्वीकृत है और खर्च किये हैं 22 लाख 80 हजार का। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपने आपकी स्वीकृति के मुताबिक, मार्च महीना यह चल रहा है, इतना 50 प्रतिशत भी पैसा आपका खर्च नहीं हुआ है और आप कैसे कह सकते हो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम सब क्षेत्र का विकास कर देंगे, जनजातियों का विकास कर देंगे, रोडों का विकास कर देंगे? आपकी स्वीकृत सड़कें और जो कार्य हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, मुझे भी घूमने का काम पड़ता है। मैं कुछ जगह गया हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों का जो हाल है, खैरवाड़ा में कल्याणपुर का एक बाइपास है। वह बाई पास बना और चालू नहीं हुआ उसके पहले वह उखड़ गया, खतम हो गया।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

आपमें से कोई मंत्रीजी गये होंगे बांसवाड़ा वाले, कभी इधर-उधर घुस जाते हैं तो निश्चित तौर पर गये होंगे, वह रोड बिलकुल साफ हो गया है झाडोल से अमरपुरा। यह झाडोल-फलासिया की बात कर रहा हूं। झाडोल से अमरपुरा सड़क, झाडोल से अडोल सड़क, दो वर्ष हुए हैं और आज उसकी स्थिति यह है कि बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती। झाडोल से गोगुन्दा रोड, अभी चल भी रहा है। आप मंत्रीजी जाकर जांच कर लें, उसकी क्या स्थिति है तो मेरा निवेदन यह है कि आप बड़ी-बड़ी घोषणाएं करें, बड़ी-बड़ी किताबें छपवायें, खूब आंकड़े छपवायें, हमें कोई एतराज नहीं है परन्तु अगर धरती पर देखें तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपका किसी भी तरह से इन लोगों को फायदा देने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अब आप सावधान हो जाओ, डूंगरपुर में अभी आपको झटका देकर हमारी वहां की जनता ने सावधान कर दिया। आपने बहुत कोशिश की कि वहां किसी भी तरह से इनको ललचाया जाये और किसी तरह आपके कब्जे में आ जायें पर वह लोग आपके कब्जे में नहीं आये और डेढ़ साल बाद जो चुनाव आ रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। आपको उधर से उठकर इधर आना पड़ेगा। यह मैं अभी से निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरीश कुमावत। ...(व्यवधान) माननीय हेमराजजी, आप कुछ समय पहले उधर बैठे थे।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-19 के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देऊंगा कि इन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र में इतने काम किये हैं, उसकी अगर मैं पूरी लिस्ट गिनाऊं तो बहुत लम्बी होगी । परन्तु मैं तीन साल के समय में मिसिंग लिंक, डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी.रोड, आर.बी.एम. फर्स्ट का काम, साल्ट रोड, प्रधानमंत्री रोड, सी.आर.एफ. रोड, एस.आर.एफ. रोड और यह सारा जो काम किया है, वह हमारे विधान सभा क्षेत्र में इन तीन साल के समय में 18 करोड 22 लाख का काम कर दिया है। और इसके साथ अभी जो काम चालू है, वह साढे 11 करोड़ का काम चालू है। और इस काम के अतिरिक्त यह तो सड़कें हैं ही इनके अलावा मेगा हाइवे, जो हमारे किशनगढ़ से रतनगढ़ तक का बनेगा, वह 207 कि.मी., उसमें भी हमारे परबतसर, कुचामन, डीडवाना, लाडनूं, यह कस्बे सम्मिलित हैं और उसमें करीब 219 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

प्रकार यह सारे मेगा हाइवे का काम अभी द्रुत गति से चालू है और काफी अच्छी सड़क बन रही है।

इसके साथ-साथ हमारे यहां पर दूसरे मेगा हाइवे भी सैकण्ड फेज में जो स्वीकृत हुए हैं, वह भी नारनौल-कोटपूतली-नीमकाथाना-सीकर होकर कुचामन सिटी भी आयेगा। तीसरा मेगा हाइवे जयपुर-जोबनेर-नावां-कुचामन होकर खाटू होकर नागौर जायेगा। यह मेगा हाइवे बनने के बाद हमारे यहां भी इम्पोर्टेन्ट बहुत बढ़ जायेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को, मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से इन्होंने मेगा हाइवे को जोड़कर हमारे यहां का विकास करने में बहुत कुछ इसको आगे बढ़ाया।

इसी के साथ-साथ हमारे यहां पर सड़कों के काम के साथ बिल्डिंग कार्य जो हुआ है, वैसे पुलिस लाइन के हमारे यहां पर डिप्टी आफिस का काम हुआ, पुलिस थानों पर काम हुआ और यह साढ़े 55 लाख का काम हुआ, जो निर्धारित समय में पूरा कर दिया और आज हमें गर्व है कि इन्होंने इस प्रकार का काम किया।

इसके साथ-साथ सी आर एफ में 46 जो रोड्स हैं उनके लिये भी अभी -अभी हमारे यहां पर 86 लाख रुपये मंजूर किये और उसके अलावा हमारे जो राजलिया, मुहाना, कुचामन होकर जो स्टेट हाइवे नम्बर 19 है, उसके लिये भी 1.86 लाख रुपया स्वीकृत किया, उसके लिये भी माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देऊंगा।

इसके साथ-साथ हमारे यहां जो एम डी आर 46 रोड है, उनके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुचामन से जो चितावा तक है, यह 86 लाख रुपये स्वीकृत किये, अच्छी सड़क बन जायेगी। उसके बाद चितावा से लालास तक की सड़क और बचती है, उसमें भी कुछ सड़क जो आबादी क्षेत्र की है, वहां पर जो क्षेत्र है, वह टूटा-फूटा है। इसलिए उसको भी सीमेंटेड रोड बनायें और इस रोड को यदि आप स्टेट हाइवे घोषित कर देंगे तो उसका हमको बहुत लाभ होगा, क्योंकि यह सीकर से आने वाला जो मुख्य मार्ग है, उससे यह जुड़ेगा और कुचामन-लालसा जो है, एम डी आर 46 रोड है, उसको स्टेट हाइवे घोषित करें। यह मेरा अनुरोध है ताकि एक आने-जाने का सीकर और दिल्ली-जयपुर इसका अच्छा मार्ग बन जायेगा और सारी सुविधाएं बढ़ जायेंगी। खुर्द से सीकर, सीकर से नीमकाथाना आगे चली जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह तो बना हुआ है।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : नहीं, यह तो बना हुआ है लेकिन हमारे कुचामन और लालसा के बीच का हिस्सा है, यह बन जाये तो आगे। तो यह जो स्टेट हाइवे हैं वह बनाने का कष्ट करें।

इसी के साथ-साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जो पिछली सरकार के समय में गांवों की सड़कें उन्होंने रिपेयर तो कराई लेकिन जो आबादी का क्षेत्र है वो वैसे का वैसा छोड़ दिया। आज भी कुछ जगह ऐसा छूटा हुआ है अभी जो बरसात आई थी उस समय वहां पर आने जाने की काफी तकलीफ बढ़ गयी। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और वहां जो लोग रहते हैं उनके लिये भी काफी तकलीफदायक है। वह सड़कें मींडा, देवली जो है वह सड़क है, इसमें देदियाबास और शम्भुपुरा वहां की करीब एक कि.मी. सड़क ऐसी है जो टूटी-फूटी है और आने-जाने में काफी तकलीफ होती है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो आबादी का क्षेत्र है उसमें सीमेंट रोड मंजूर करायें ताकि उनको आने-जाने की सुविधा बढ़ जाये और वहां पर जो कीचड़ है, वह भी नहीं रहे, इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था कराई जाये।

इसी प्रकार से कुचामन-राजलिया सड़क के लिये आपने पैसा दिया। वह पहले भी एक करोड़ चार लाख रुपये मंजूर किये और अब 1.86 करोड़ रुपये और मंजूर किये हैं। उससे यह सारा रास्ता अच्छा बन रहा है। वह स्टेट हाइवे नम्बर 19 घोषित भी हो गया है। इसलिए हमारे यहां से आने-जाने की सुविधा और बढ़ जायेगी । उसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में प्रधानमंत्री सड़क योजना जो चालू है उसमें कुछ गांवों को छोड़ दिया गया। वह गांव ऐसे हैं कि वह गांव तो हैं और रेवेन्यू विलेज हैं लेकिन उनका नाम इस प्रकार का जैसे - रेवासा, दलीलपुरा है और रेवासा दलीलपुरा, जो रेवासा है वह गांव रेवेन्यू विलेज है, दलीलपुरा रेवेन्यू विलेज नहीं है। वह पहचान के लिये उसके साथ जोड़ दिया गया और वहां से यह स्टेट हाइवे 19 निकलता है और दलीलपुरा की कुछ बस्ती उस सड़क पर बनी हुई है इसलिए उसको ही रेवेन्यू विलेज मान लिया, इसलिए रेवासा वंचित रह गया। वह डेढ़ कि.मी. अन्दर की तरफ है । वहां मिडल स्कूल बनी हुई है। वहां पर वाटर वर्क्स की जो योजना है वह बनी हुई है। बस्ती वहां पर है इसलिए जो ऐसे गांव छूट गये हैं, उनको भी प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ा जाये ताकि वहां सड़क

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

बन सके। इसी प्रकार से देवला देवली, देवला गांव अलग रेवेन्यू विलेज हैं अब वहां मींडा, जो रोड जाती है, उस पर उपासिया होकर जाती है। लेकिन गांव जो अन्दर है, एक कि.मी. वहां पर सड़क नहीं बनायी गयी है। इसलिए जो ऐसे स्थान छूट गये हैं देवला छूट गया, दादियाबास छूट गया, रेवासा छूट गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों में जो छोड़े गये हैं और रेवेन्यू विलेज पहले से घोषित हैं, उनकी आबादी भी अधिक है । वहां पर यह प्रधानमंत्री सड़क में इसको शामिल किया जाये और वहां पर वह सड़क बने। इसी प्रकार जो हमारे यहां पर इतना सारा काम हो रहा है, वह सारे इस प्रकार से काम चल रहे हैं तो कुचामन क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर अधिशासी अभियन्ता का आफिस होना जरूरी है क्योंकि केवल सहायक अभियन्ता के कारण से वहां सारे काम की देखभाल नहीं हो सकती। हमारा तो सहायक अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय है वह दूर है। इसलिए अभियन्ता का कार्यालय भी कुचामन बनाया जाये जिससे सारे निर्माण कार्य ठीक प्रकार से चल सकें और वहां पर व्यवस्थित काम चल सके। इसी प्रकार से जो डब्ल्यू.बी.एम.बी.टी. रोड जो सब क्षेत्रों की सड़कों के हिसाब से लिया गया है, लेकिन हमारे नागौर जिले की डब्ल्यू.बी.एम. बी.टी. रोड बनाने का था, उसको छोड़ दिया गया है । उन रोड को, नागौर जिले की जो रोड डब्ल्यू बी एम है, उनको शामिल किया जाये, उनकी भी स्वीकृति जारी की जाये । नागौर जिले में इसी प्रकार की रोड है, वह वंचित नहीं रहे।

इसके साथ-साथ हमारे जो नावां से कुचामन शहर है उस शहर में भीतर जो सड़कें बनी हैं, अभी हमने देखा कि अभी आपके जो सांभर में, फुलेरा में अच्छी सीमेन्ट की सड़कें बनी रही हैं। लेकिन जब नाचां में आते हैं तो वहां पर यह सड़क है वो नहीं बन रही। उसका कारण वो बता रहे हैं कि यह तो, साहब, आपके स्टेट हाइवे, मेगा हाइवे बनेगा। अब पता नहीं मेगा हाइवे कब बनेगा और कब उसकी मन्जूरी होगी लेकिन शहरी पोर्शन है वह अभी छूटा हुआ है और मेगा हाइवे बनेगा और तब ही वो बाईपास होकर जायेगा नावां के अन्दर नहीं आयेगा। अभी रोड पी.डब्ल्यू.डी. की है इसलिए नावां के फाटक से लेकर उधर आगे कुचामन मोड़ तक की सड़क है ताकि नावां शहर का विकास भी हो वहां पर चौड़ी सीमेन्टेड सड़क बने, वहां लाइटिंग भी लगे। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर करवाएं। इसी प्रकार से कुचामन में करवाएं।

इसी प्रकार से राजास और गोविन्दी, जहां पर नमक का उद्योग है,

नमक बनता है और स्टेट हाइवे नम्बर सात है लेकिन बरसात जो आती है तो इतना पानी भर जाता है कि छोटी-छोटी गाड़ियां तो उनसे पार ही नहीं हो पाती हैं क्योंकि दोनों तरफ नमक उद्योग की इंडस्ट्री लग गयीं और आने-जाने का रास्ता है नहीं। इसलिए वहां पर सीमेन्टेड रोड अभी बनायी जाए क्योंकि यह जो मेगा हाइवे वगैरह है वह सेकण्ड फेज में है और बाद में बनेगा तब तक हमारे बहुत कठिनाइयां होती हैं। इसलिए वहां पर यह सीमेन्टेड रोड बनायी जाए जिससे आने-जाने की सुविधा हो।

इसके साथ-साथ अभी जो हमारे खाकड़दी है, जिसको कभी लंका कहते थे, वहां पर आने-जाने की बहुत दुविधा थी और आपने अच्छी सड़क बना भी दी है, तीन करोड़ रुपये वहां पर खर्च करके उसको जोड़ भी दिया है, सड़क भी बन गयी है लेकिन मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लंका क्यों कहते थे?

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): लंका इसलिए कहते थे कि वहां नमक की झील है, केवल वो एक गांव है धूड़ता बाकी पानी भरा रहता था इसलिए उसको कहते थे लंका। यहां नावां के लिए आने के लिए पहले परबतसर होकर चक्कर लगाकर आना पड़ता था, सीधा रास्ता नहीं था कोई। लेकिन यह जो रोड आपने बना दी तीन करोड़ की सीधी रोड जुड़ गयी तो 8 किलोमीटर में हमारा काम चल गया और यह रोड बन गयी है। इनके जो ठेकेदार लोग हैं वो पैकेज आप बड़े-बड़े ठेकेदारों को देते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सदस्य, माफी चाहता हूं, लंका की रोड तो जोड़ दी पर आपकी रोड नहीं जोड़ी सरकार ने, वो उस रोड की बात करो, लंका वाली रोड से काम नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब तो मिसिंग लिंक जोड़ने का टाइम है। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मिसिंग लिंक की घोषणा इस बजट में हो गयी।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): छोटे ठेकेदार उसको ठीक प्रकार से नहीं करते इसलिए वहां पर पुलिया वगैरह जो बनी है उसमें कुछ जगह टूट-फूट हो गयी, उसको भी ठीक करवाएं।

इसके साथ-साथ अभी जो मिसिंग लिंग की बात चली, अभी आपने

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

कहा कि मिसिंग लिंक की भी आपने दी है, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मिसिंग लिंक का यह कहा, 200 करोड़ पी.डब्ल्यू.डी. से 100 करोड़ कृषि मण्डी से यह राशि आपने आबंटित की है लेकिन इससे सारी विधान सभाओं में बंटवारा करेंगे तो दस-दस किलोमीटर हमारे हिस्से में आयेगी और वह बहुत कम है। इसलिए मिसिंग रोड हैं वह जरूरी भी हो गया है क्योंकि आज जो आपने विकास किया है और प्रधानमंत्री सड़क से जो गांवों में सड़कें बन गयी हैं। तो इधर भी सड़क बन गयी उधर भी सड़क बन गयी, मिसिंग रोड का बहुत लाभ होने वाला है। इसलिए इसका कुछ बढ़ाया जाए और जो मिसिंग रोड है वो कम से कम हमें 25 किलोमीटर सड़क तो देनी चाहिए क्योंकि आज इतनी आप सड़क नहीं देंगे तो हम किसी को राज़ी करेंगे, किसी को नाराज करेंगे, इतनी हमारे लिए बहुत दुविधा हो जायेगी इसलिए सड़क को भी बढ़ाया जाए।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क का बोर्ड लगता है उसी हिसाब से मुख्य मंत्री सड़क का भी उस पर बोर्ड लगे और मिसिंग लिंक है वो भी उस हिसाब से बने ताकि आने-जाने वाले लोगों के लिए सारी सुविधा हो जाए और यह सारी सब तकलीफ मिट जाए। इस प्रकार का वहां पर आप काम कराएं, यह मेरा निवेदन है।

साथ ही मेरा जो सुझाव था कि यह जो आप पैकेज दे रहे हैं वो पैकेज छोटे ठेकेदार को भी दें ताकि उनकी जिम्मेदारी रहे। आज बड़े ठेकेदार ठेके ले लेते हैं और फिर वो अपना टेण्डर है वो दूसरे को, छोटे आदमी को दे देते हैं। सड़क का काम वो करते हैं, आपस में कांट्रेक्ट होता नहीं और वो सड़क ठीक बनती है कि नहीं बनती, उसकी सम्भाल होती नहीं। इसलिए इसके पैकेज आप छोटे ठेकेदार को देने के बनाएं ताकि छोटे ठेकेदार को भी लाभ मिल सके।

आपने यह इतना सारा काम करके और हमारे यहां विकास के काम में पूरा-पूरा योगदान दिया और विकास के लिए भरपूर सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और साथ ही पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो लिंक रोड है इसको बनाएं, हमारे जो गांव छूट गये, रेवेन्यू विलेज, उनको प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ें और हमारे यहां पर कुचामन सिटी में अधिशासी अभियंता का कार्यालय बनाएं और हमारे जो स्टेट हाइवे हैं उसको घोषित करवाएं कुचामन-लालास सड़क को, यह मेरा अनुरोध है।

इसके साथ-साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस मांग पर अपना समर्थन व्यक्त करता हुए इसे पास कराएं, ऐसा अनुरोध करता हूं। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती प्रतिभा सिंह।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का वक्त दिया। ...(व्यवधान) आसन के ऊपर उठा रहे हैं आप अंगुलि।

एक माननीय सदस्य: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। मैंने आसन को कुछ नहीं कहा।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 21 एवं मांग संख्या 30 पर अपने विचार रखना चाहती हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी और कुछ सुझाव मैं मेरी तरफ से देना चाहूंगी कि वो अपने सिस्टम को कैसे स्ट्रेन्थन करें।

सभापति महोदय, सड़क निर्माण में इन्जीनियरिंग पहलुओं की शुरू से ही अनदेखी करनी शुरू हो जाती है। उसका नतीजा यह होता है कि सड़क पर पानी भरा होता है और उससे डामर की सड़कें अधिकांश जगह पर टूट जाती हैं। तो शुरू में जब हम इनको बनाएं उसी समय इनके किनारों की तरफ इनका स्लोब बने और किनारों पर पानी बहाव की प्रोपर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन पर बार-बार पैसा लग कर खराब नहीं हो।

दूसरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि बिजली, पानी की लाइन, कभी टेलीफोन की लाइन, कभी पाइप लाइन, इनके लिए बार-बार अधिकांश सड़कें हमें खुदती हुई मिलती हैं। यह करीब-करीब पूरे राजस्थान के अन्दर ऐसा ही माहौल रहता है। इसके लिए बार-बार हम उस पर खर्चा करें, तोड़फोड़ करें, खुदाई करें तो हमें सड़क निर्माण के समय ही इन सुविधाओं के लिए डक्स छोड़ने चाहिए, उन डक्स को छोड़ने से जो बार-बार उस पर अनावश्यक खर्चा होता है जनता के पैसे का वो नहीं होगा।

तीसरा मेरा सुझाव है कि आर.सी.आर.डी.एस.सी. व सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का अलग-अलग वर्गीकरण हो। बिलकुल, करेक्टली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरा।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): जैसा कहते हो वैसा ही रहोगे क्या आप पूरा? ठीक है।

श्री सभापति: आप बोलिये, आपका समय खराब हो रहा है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): सरकार हैरिटेज संरक्षण व नव-निर्माण पर तो ध्यान दे रही है कि परिसम्पत्तियां बना रहे हैं, यह बना रहे हैं लेकिन जो पुराने सार्वजनिक भवन हैं उनके रख-रखाव की ओर आपका ध्यान नहीं है बल्कि उनको ओने-पौने दामों पर कई जगह निकालने में लगे हुए हैं। इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान दे कि अपनी पुरानी परिसम्पत्तियों को भी जो जर्जर अवस्था में हो चुकी हैं, उनको बचायें।

शहरी सड़कों के सौन्दर्यीकरण पर किये जाने वाले खर्च में बार-बार एक ही स्थान पर अलग-अलग तरह का कार्य करवाया जा रहा है और उसको पसंद नहीं आने पर बार-बार तोड़ा जा रहा है और बार-बार बदला जा रहा है। इससे श्रम और सामग्री दोनों का दुरुपयोग हो रहा है।

(समय : 14.48 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज साइंस का युग है, सरकार कम्प्यूटर पर पहले डिपार्टमेंट से डिजाइन तैयार करवाए और यह जो बार-बार रिपीटेशन होता है उस प्रवृत्ति को रोकें। सड़कों के किनारे लगे पेड़ों में जल भराव के लिए जो घेरे हैं उनको कच्ची मिट्टी के घेरों को बढ़ा किया जाए और उसके बाद जो सोलिड कंस्ट्रक्शन है वो बाद में किया जाए, उनके घेरों का जो व्यास है वो बढ़ाया जाए ताकि पेड़ों तक प्रोपर पानी पहुंच सके।

कुछ डिपार्टमेंट द्वारा ऐसी जगहों को आइडेंटिफाइड किया जाए जहां पर पानी के बहाव में बराबर निरन्तरता रहती हो। ऐसे स्थानों पर सड़कें डामर के बजाय सीमेन्ट की बनायी जाएं ताकि बार-बार लगने वाला रुपया वहां पर नहीं लगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की जब भी शिकायत की जाती है तो जांच भी एक जो मैन प्रोब्लम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच भी उन्हीं अधिकारियों द्वारा की जाती है, जो वहां से लगे होते हैं और जिनकी मिलीभगत से ही वह घटिया निर्माण सामग्री वहां पर काम में ली जाती है। यानि कि जो लोग जिस चीज के लिए जिम्मेदार हैं और वही उसकी जांच करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि जांच का क्या हश्र होगा? तो इन शिकायतों की लीपापोती न हो, इनकी जांच दूसरे लोगों से कराई जाए जो इनके निर्माण से संबंधित नहीं हों। ऐसा मेरा सुझाव है।

दूसरा, गारण्टी अवधि में कोई भी मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा अमूमन हम देखते हैं। इन सड़कों की ठेकेदार को मरम्मत के लिए इसलिए नहीं कहते हैं अधिकारी लोग कि ठेकेदारों की राजनीतिक पहुंच होती है और अधिकारियों से उनकी क्या रिलेशनशिप होती है इसको मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहूंगी, वह सभी लोग जानते हैं। इसलिए दो कारण हैं, राजनीतिक पहुंच और अधिकारियों से उनकी मिलीभगत की वजह से वह बिलकुल भी, कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए तब ही सड़क की मरम्मत का कार्य टाइमली करते हैं अन्यथा नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें तो सेंटर से भी टीम आती है, सेंटर के भी अधिकारी वगैरह आकर के देखकर के जाते हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मैं इससे इन्कार नहीं करती मगर आप जानते हैं कि जितनी जांच यहां की टीम से कराना सफिशिएंट है उतना सेंटर तक कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जो यहां वाले हैं वही सही करके दें, तो, इसलिए हम यहां के अधिकारियों को थोड़े ही ना छोड़ सकते हैं कि सेंटर की टीम आए वही सही करे? हमें अपना सिस्टम भी स्ट्रेन्थन करना चाहिए। गारण्टी अवधि समाप्त होने पर सड़कों की दुर्दशा रहती है, उसके लिए विभाग के पास बजट का अभाव रहता है और उस अभाव की वजह से यह हालत है कि छोटी-मोटी मरम्मत से जो सड़क शुरु में दुरूस्त हो सकती थी वह बाद में इतना बड़ा घाव बन जाता है कि उन सड़कों का अस्तित्व ही उड़ जाता है। इसलिए डिपार्टमैंट के अन्दर इन छोटी-मोटी दुर्दशाओं को, छोटी-मोटी मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।

अब मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के बारे में अर्ज करूंगी कि डूमरा से सोटवारा और डूंडलोद मिर्जवास दो सड़कें ऐसी हैं जिनकी प्रत्येक की लम्बाई तीन-तीन किलोमीटर है और निर्माण को करीब बीस साल हो गये हैं। लेकिन आज तक भी रिपेयरिंग उनकी नहीं होने की वजह से वह सड़क के नाम पर मजाक ही है लोगों के साथ। तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि आप कृपया उनकी मरम्मत करवाइये, ठीक करवाइये।

दूसरा नवलगढ़ के अन्दर माननीय मंत्री महोदय, पी. एम. जी. एस. वाई. में सड़क बनी थी जो पुजारी की ढाणी से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़ने का प्रस्ताव था। पंचायत समिति नवलगढ़ की साधारण सभा

की मीटिंग, जिला परिषद झुन्झुनूं की मीटिंग, दोनों ने नवलगढ़ गुढा रोड से बाय तक पुजारी की ढाणी को जोड़ने की सिफारिश की थी। जो नम्बरिंग का आपका सिस्टम है कि वहां पर हाई स्कूल होना चाहिए, वहां पर हास्पिटल होना चाहिए, वह सारी चीजें भी बाय में ज्यादा थीं वनिस्पत गोठड़ा के लेकिन आपने वहां पर अपनी राठौड़ी काम में ली और उस सड़क को गोठड़ा से जुड़वा दिया ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह राठौड़ी क्या होती है?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): वह राठौड़ साहब जानते हैं जब काम में लेते हैं तब मालूम होता है। तो यह सारे पंचायत समिति के, जिला परिषद के और नम्बरों में माननीय मंत्री महोदय सारी चीजें पुजारी की ढाणी से बाय के फेवर में होने के बावजूद भी आपने गोठड़ा तक बना दी, यह तो बहुत अच्छा किया लेकिन कम से कम अब इस पुजारी की ढाणी से बाय तक की सड़क पर भी विचार कर लें तो ठीक रहेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह इस सीट का ही प्रभाव है। कभी राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ बैठते हैं, कभी खेतसिंहजी राठौड़ बैठते हैं। यह सीट का ही प्रभाव है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि यह सत्ताधारी दल का नशा जो आपके ऊपर हो रहा है इस मृग जल की मरीचिका से थोड़ा निकलो और पार्टीवाद, पक्षपात, यह वाद, वह वाद इन पगडंडियों को छोड़ो और मानवता के राजमार्ग पर चलो और सभी विधायकों को एक आंख से देखने की प्रथा डालो ...(व्यवधान) यह हंसने की चीज नहीं है। दो तरीके से नहीं एक आंख का मतलब है समदृष्टि से देखने की प्रथा को विकसित करो। भाव को समझो। आपके तो कुत्सित कुछ मन में है जो यह है, भाव को समझो आप।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उनके दो आंखें हैं और एक तीसरा नेत्र भी रखते हैं नजर रखने के लिए।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): दिव्य दृष्टि है क्या उनके पास? इसीलिए सारी पार्टी उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है, चाहे विपक्ष वाले हों चाहे साथ रहने वाले हों सी. एम. के, सभी पीछे सलटाने में लगे हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): लेकिन आपका जब तक समर्थन है हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मेरा समर्थन नहीं है माननीय घनश्यामजी आप बिगाड़ सको तो मेरा समर्थन बिलकुल आपके साथ है, यदि मेरे समर्थन से ही काम चले तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह भरोसा नहीं था प्रतिभाजी मुझे। यह भरोसा नहीं था मैं तो मृग मरीचिका में ही था।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): आपने तो कई बार मेरी पीठ में छुरी लगाई है, मौका आए तो मुझे भी लगानी चाहिए।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय मंत्री महोदय, आपकी गलतफहमी दूर कर दी उन्होंने एक बार में ही।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): नहीं, ममताजी, मेरी उनसे कभी कोई गहरी नहीं रही, आप घबराइये मत।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): यह तो बहुत अच्छी बात है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सीकर लुहारू रोड जो बी. ओ. टी. के तहत उसके बारे में यह जानकारी मिली है कि जो अनुबंध के समय इसकी समयावधि रखी गई थी उसको बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। जब कि उसकी जो रिपोर्टस हैं नीचे से वह फेवरेबल नहीं आई हैं फिर भी मालूम नहीं आप किन लोगों को बेनीफिट देना चाहते हैं कि सर्वे रिपोर्ट की भी अनदेखी करके उसकी समयावधि बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा न करें क्योंकि यह नियम विपरीत है।

मैं अब मांग संख्या-30 के बारे में बोलना चाहूंगी कि जो आदिवासियों का जीवन है वह स्याह काली रात होती है उसकी परतों की भांति है यानि कि शैक्षिक, मानसिक, राजनीतिक तो कोई सवाल ही नहीं, आर्थिक हर क्षेत्र में वह लोग पिछड़े हुए होते हैं ...(व्यवधान) तो वह तो सुरक्षित क्षेत्रों से जीतकर आए हैं, कोई वैसे जिताकर भेजा है क्या? उनका वहां पर बहुमत है इसलिए आ गये और खाली राजनीतिक लोग यहां पहुंचने से ही कोई उनकी पूरी जाति लाभान्वित होती हो ऐसा भी नहीं है। उनकी बहुत दयनीय दशा है और कोई भी सरकार रही, हमेशा उनके भोलेपन का फायदा उठाया। उन्हें एक वोट बैंक समझा और उस वोट बैंक की परिणति यह रही कि आज तक भी आदिवासी हर क्षेत्र में उपेक्षित है। जब तक शिक्षा उनके अन्दर नहीं आएगी, जागरुकता उनके अन्दर नहीं आएगी तब तक खाली बजट एक उनको आदत यह डाल देना कि कमा कर नहीं खाओ और इस तरह से ही अपना भरण पोषण करो,

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

यह बहुत गलत चीज है। हमें उन्हें स्ट्रेन्थन करना चाहिए कि वह पढ़े लिखें, जागरुक बनें और अपनी यह जो सुविधाएं हैं उससे अपनी इकनोमिक इंडिपेन्डेंस खुद लें। इसलिए सरकार का इन योजनाओं को इम्पलीमैंट करने के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए खाली बजट बढ़ा देने से उनकी समस्याएं कम नहीं होने वाली हैं जब तक प्रोपर इम्पलीमेंटेशन उसका टाइम टू टाइम नहीं होगा तब तक सारा पैसा बेकार है ।

आज तक आजादी के इतने साल बाद वह उसी स्थिति में क्यों हैं? इसलिए मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, मंत्रीजी से आग्रह है कि वह इम्पलीमेंटेशन पर ज्यादा जोर दें। दूसरा एक जो असंगठित एक तो संगठित क्षेत्र है जैसे उदयपुर है और भी कई बैल्ट हैं जिसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि जहां पर आदिवासी और जनजाति यह लोग संगठित हैं इसलिए उनके यहां बजट लगने में बहुत आसानी है। लेकिन पूरे राजस्थान के अन्दर असंगठित क्षेत्र में भी छोटे-छोटे समूहों के अन्दर एस.सी. के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं उनके लिए भी सरकार को नया सिस्टम अब तक नहीं हुआ तो क्या आगे भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम अभी हमें और डवलप करना चाहिए कि यह जो असंगठित क्षेत्र में जनजाति के लोग हैं उन लोगों के लिए भी हम बजटिंग की व्यवस्था करें ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा के साथ आगे आ सकें, उनका भी विकास हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

(समय : 15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती वन्दना मीणा।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 बाबत आज जनजाति की चर्चा करूंगी। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र व जनजाति उप योजना में आने वाले क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और अभी-अभी जो सरकार ने नया जिला बनाया है प्रतापगढ़ इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया व माननीय मंत्री महोदय का पूरे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जनता की ओर से व अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि एक नया जिला बनाकर जनजाति के लोगों को एक विकास का मार्ग दिखाया है।

(श्रीमती वन्दना मीणा)

आज जनजाति के बारे में पूर्व में माननीय सदस्यों ने काफी चर्चाएं भी की हैं। मैं तीन वर्ष में जनजाति उप योजना क्षेत्र में जो बजट आया है वाकई में पिछली सरकार में इतना बजट नहीं आया। इस तीन साल के कार्यकाल में जनजाति क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे छात्रावास के लिये हो। पिछली सरकार जो बैकलाग छोड़कर गयी थी, दस हजार से अधिक का वह बैकलाग मुख्य मंत्रीजी ने तीन साल में पूरा करके दिखाया है और पांच साल तक यह बैकलाग शून्य करके जायेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य महोदय, बीच में बोलने की कृपा न करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में आप डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्रीजी व मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करती हूं कि इस सम्भाग में जो बेणेश्वर धाम है वह जनजाति लोगों के लिये एक संगम स्थान है। इसके जीर्णोद्धार और सुधार के लिये करीबन दो करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये हैं।

जनजाति विभाग के द्वारा कई छात्रावास भी चल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी ने दो दिवसीय हास्टल वार्डनों का प्रशिक्षण दिया इसके लिये भी मैं आभार व्यक्त करती हूं कि प्रशिक्षण देकर हास्टल में बच्चों के लिये सुधार की व्यवस्था की जानकारी दी। सरकार जनजाति छात्रों के लिये कई तरह की सुविधाएं कर रही है पर मेरा एक सुझाव है कि जनजाति के बालक-बालिकाएं जो पढ़ते हैं उनके लिये एक टेबल और कुर्सी की भी व्यवस्था हो जाए ताकि पलंग पर झुककर पढ़ना न पड़े। इतना सब कुछ कर रहे हैं तो टेबल और कुर्सी कोई बड़ी बात नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 से 9 तक विभिन्न सेवाओं की वेतन श्रृंखला में आरक्षण किया है इसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पर मैं निवेदन करना चाहूंगी राज्य सेवा के सभी वेतन श्रृंखला में भी किया जाए ताकि जनजाति के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी हैं उनको फायदा मिले।

आज कई तरह की कमियां निकालते हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि कमियों की जब बात आती है तो कहीं न कहीं इधर-उधर चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग से काम करवाना पड़ता है तब बात आती है। मैं प्रशंसा करना चाहूंगी कि अभी पहली बार माननीय मुख्य मंत्री महोदयाजी ने जो अलग से सेक्रेटरी साहब लगाये हैं जनजाति विभाग में। कोटा

(श्रीमती वन्दना मीणा)

सहरिया सम्भाग में वहां देखभाल नहीं होती इसके लिये भी अलग से कमिश्नर साहब लगाये हैं, इसके लिये भी मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं। जो कमियां अब बता रहे हैं वह शायद अब कमियां नहीं आएंगी।

एक सुझाव है माननीय मंत्रीजी व माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी से कि जनजाति विभाग अलग से अपना एक कैडर बनाए ताकि इस उप योजना में और चहुंमुखी विकास हो सके। जब हास्टल वार्डन की बात आती है तो शिक्षा विभाग से लेना पड़ता है। वह बनकर आ तो जाते हैं हास्टल में लेकिन बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती है और वह अपने हाल में मस्त रहते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है या तो अलग से इसकी भर्ती की जाए ताकि स्थायी रूप से वह सेवा दे सकें। आज शिक्षा की बात जनजाति क्षेत्र में करते हैं लेकिन वहां टीचर कहीं शहर से आते हैं। कहीं और से भी आते हैं बाहर से। वह सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते इस वजह से मेरा निवेदन है कि स्थानीय लोग जो चयनित होकर आते हैं जनजाति से उनको जनजाति क्षेत्र में ही लगाया जाए। अब की बार जुलाई में उनका चयन किया जाए। वह दूसरे जिले में न लगाये जाकर उदयपुर सम्भाग में ही लगाये जाएं मेरा ऐसा आपसे निवेदन है।

आज जनजाति उप योजना क्षेत्र में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया व मंत्रीजी ने जनजाति के लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए इसके लिये अभी नयी एक योजना चलायी है। केशवबाड़ी योजना हाथ में ली है। एक अच्छी योजना की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है ताकि वहां की गरीब जनता को फायदा मिलेगा। काफी लम्बे समय से ऐसी योजनाओं की घोषणा हुई है। वाकई में दो-ढाई बीघा जमीन पर आधारित है उन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

जनजाति क्षेत्र में जनजाति बस्तियों में विद्युतिकरण की बात आती है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि काफी बस्तियों में कनेक्शन भी हुए हैं लेकिन थोड़े दिन बाद उनकी लाइटें लगती हैं, पर सवाल वही आता है कि वापिस विद्युत विभाग वाले जाकर के कनेक्शन काट देते हैं। उदयपुर सम्भाग वास्तव में इतना संपन्न नहीं है कि वह लोग समय-समय पर बिल जमा कर सकें। ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं ट्राइबल जोन में बिजली फ्री कर दी जाये ताकि यह झंझट ही हमेशा-हमेशा के लिए ही खतम हो जाये। जिस तरह गुजरात में बिजली फ्री है, इसी तरह से जनजाति

(श्रीमती वन्दना मीणा)

एरिये में राजस्थान भी करे तो वाकई में सारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र आपको याद करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बात करना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां पड़ती हैं, गिरवा और बड़गांव पंचायत समिति। गिरवा पंचायत समिति टाडा क्षेत्र में आती है और बड़गांव पंचायत समिति के कुछ ही गांव माड़ा में हैं, उसमें 105 गांव हैं जिसमें से मात्र 36 गांव माड़ा में सम्मिलित हैं। यह जो बचे हुए गांव हैं उसको भी माड़ा में सम्मिलित किया जाये ताकि वहां की जो बिखरी हुई आबादी है उनको जो योजनाएं माड़ा के तहत चल रही है उनका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 पर भी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी कि उदयपुर जिले में जो रोडें बनी हुई हैं वाकई में वह बहुत ही तारीफे काबिल हैं। उनकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। चाहे पीएमजीएसवाई हो, चाहे स्टेट हाइवे हो लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगी कि गत वर्ष बहुत बारिश होने की वजह से एक तो उदयपुर से झाडौल रोड के बीच में सीसारमा पुलिया है, उसकी दयनीय स्थिति है और उस पुलिया को बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे झाडौल यह रोड जाता है और स्टेट हाइवे घोषित हो चुका है। उसके साथ-साथ पंचायत बाड़ा में मोरवानिया करके एक गांव है वहां भी एक छोटा सा पुलिया बना हुआ है। पहले इतनी बारिश कभी हुई नहीं थी लेकिन इस वर्ष इतनी बारिश हुई जो बड़े तालाब का पानी वहां तक इतना आया कि प्रशासन को वहां पर नावें चलाने की स्थिति बनी। यह भी पुलिया आपके माध्यम से बन जाये ताकि वहां की जनता को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि पीएमजीएसवाई की जो रोडें बनी हैं, मेरे क्षेत्र में भी करोड़ों की रोडें चल रही हैं। लेकिन ठेकेदार कहीं-कहीं वाकई में घटिया किस्म का काम कर रहे हैं। वह भी थोड़ा देखने की जरूरत है ताकि वहां जो काम हो रहा है वह सही रूप से होवे। कई बार ...(व्यवधान) यह हकीकत वाली बात छोड़ो, वैसे तो पांच साल का इनका समय होता कि यदि टूट जाये तो रिपेयर करने की जिम्मेदारी इनकी ही रहती है, वही करेंगे, लेकिन फिर भी दूसरी बार बनाने का भी मौका नहीं मिले। आज मैं दोनों मंत्रियों और मुख्य मंत्री महोदय का सब का आभार व्यक्त करती हूं कि उदयपुर सम्भाग का जो चहुंमुखी विकास हो रहा है। वाकई में बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तरह से जो छोटी-छोटी रोड भी हैं, मिसिंग लिंक

में भी आप हमें बजट देंगे ताकि वहां भी गांव जुड़ जायें। आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती स्नेहलता।

श्रीमती स्नेहलता (डग): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19, 21 एवं 30 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में इन तीन वर्षों में सड़कों का रिकार्ड तोड़ काम हुआ है। गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा दी गयी हैं। आज तक 196.21 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। इसमें कुछ तो मिसिंग लिंक हैं, रूरल रोड हैं, कुछ सम विकास में बनी हैं और भी रोडें बनी हैं, इंटर स्टेट रोड भी बनी हैं। सीआरएफ में कई सड़कें चौड़ी की गयी हैं। इसके लिए तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं और भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का इतना जाल बिछा दिया गया जो कांग्रेस सरकार ने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ दो रोड और बननी बाकी रह गयी हैं। उनके बारे में मैं मुख्य मंत्रीजी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी, रामनगर से लेकर पचपहाड़ तक बाइपास रोड बनाने की मांग बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। यह रोड मात्र चार किलोमीटर है। भवानी मंडी शहर एवं भवानी मंडी ग्रामीण की जनता की यह आवश्यक मांग है इसलिए यह रोड बनाना बहुत जरूरी है। भवानी मंडी में मेन मार्केट से भारी वाहन निकलते हैं। कृषि उपज मंडी में जाने वाले भारी वाहन जैसे ट्रेक्टर, ट्रोला आदि बीच मार्केट से गुजरते हैं। मार्केट में कई स्कूल मेन रोड पर बने हुए हैं, स्कूल की छुट्टी के समय बच्चों के एक्सीडेंट होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। भवानी मंडी ग्रामीण के लोगों को कृषि उपज मंडी में अपने वाहन ले जाने हेतु तीन किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इस रोड के बार-बार टेंडर होते हैं लेकिन कोई टेंडर नहीं डालता है। इसी वर्ष में 15 जनवरी से 30 जनवरी तक टेंडर लगाने की तारीख थी और 3 फरवरी को टेंडर खुलने थे परन्तु किसी ने टेंडर नहीं डाला। यह टेंडर बी.ओ.टी. में डाले गये थे। मुझे ऐसा लगता है कि बी.ओ.टी. में यह टेंडर नहीं हो पायेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि यह भवानी मंडी में रामनगर से पचपहाड़ तक

(श्रीमती स्नेहलता)

बाइपास मुख्य मंत्री सड़क योजना में बनाने की कृपा करें तो हमारी भवानी मंडी की जनता हमेशा याद रखेगी। भवानी मंडी में बहुत सकड़ी-सकड़ी सड़कें बनी हुई हैं और वहां इतनी भीड़ रहती है, इतना ट्रेफिक रहता है कि पूरी जनता बहुत सालों से परेशान है।

अभी हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई थी तब भी मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक एप्लीकेशन दी है और उसमें एस्टीमेट भी सम्मिलित करके दिया है, वह 4 करोड़ 70 लाख का बना है। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे भवानी मण्डी की यह बाइपास रोड रामनगर से पचपाड़ तक मात्र 4 किलोमीटर की है, अपनी सरकार के इसी कार्यकाल में यह रोड बनवा दी जाएगी तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक नगरपालिका क्षेत्र है और वहां एक ही रोड की मांग है जो आप बनवाने की कृपा करें। माननीय मंत्रीजी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में गंगधार गुफा शरीफ मात्र दो किलोमीटर की सड़क है इसे भी आप बनवा देंगे तो यह धार्मिक स्थल है और वहां के सभी लोगों की बहुत मांग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा डग विधान सभा क्षेत्र पिछले 50 सालों से पिछड़ा हुआ रहा है, अब हमारी सरकार ने चारों तरफ सड़कों का इतना जाल बिछा दिया है कि जो क्षेत्र कभी सड़कों में पिछड़ा हुआ था, जब हम चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में घूमते थे और गांव-गांव में जाते थे तो कितनी ही, 40-45 सड़कों के टुकड़े दो-दो, ढाई-ढाई किलोमीटर के थे उनकी हमने लिस्ट बनाकर हमारे मुख्य मंत्रीजी को दी थी और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह सारी ही रोडें बनवाकर कम्पलीट कर दी हैं। मेरा डग विधान सभा क्षेत्र जो 50-55 वर्षों से विकास में पिछड़ा हुआ था, बहुत बैकवर्ड था वहां इतनी विकास की गंगा बहाई है कि वह हमेशा माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता है और करता रहेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी सारगर्भित बातें हुई। मैं ज्यादा नहीं कहकर कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहूंगा। यह सही है कि हिन्दुस्तान में गांवों के विकास के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की

(श्री रामनारायण मीणा)

स्वीकृतियां जारी हुई हैं, यह सही है सार्वजनिक निर्माण निर्माण मंत्रीजी, आपके अधिकारी थोड़े सक्रिय हैं इस मामले में, जिस स्टेट के अधिकारी सक्रिय न हो वहां काम नहीं होता है! लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि क्वालिटेटिवली आपका काम कैसा हो रहा है। यह सही है कि 5 साल यह देखेंगे, काम करेंगे, जितना होगा, सब ठीक होगा! लेकिन यह बहुत ही खेदजनक है कि श्रेय लेने के साथ ही कुछ कार्यों में गुणवत्ता की दृष्टि से कुछ काम किया जाए। आप करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन माननीय मंत्रीजी, मेरा सुझाव है कि आपके पास देखिए पिरामिड उल्टा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो इन्जीनियर्स हैं, मुख्य अभियंता 3, अधीक्षण अभियंता 3, अतिरिक्त मुख्य अभियंता 8, आपके सिविल में सहायक अभियंता 752 हैं, वहां आकर आप कमजोर पड़ते हो। हम आपसे कहें कि अमुक सड़क का कार्य ठीक नहीं हो रहा है, आप किससे काम करवाएंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह समय गया जब 10 वर्ष पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेक मिस्त्री हुआ करते थे, अधिकारियों का काम मेक मिस्त्री भी निकाल दिया करते थे और आज आप देखिए, चूंकि वह बात मैं बाद में कहूंगा लेकिन आपको एक बात बताता हूं माननीय मंत्रीजी, आपने मुख्य मंत्री सड़क योजना कैसे चलाई, उसका फण्ड कहां से आएगा, गुणगान करना तो आता ही है, देखिए नम्बर दो बनना होगा तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा नहीं तो पिछड़ जाएंगे! लेकिन आपको मैं पूरी तरह से चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान में आपकी एक भी सीमेन्टेड सड़क सही नहीं है, आप उसकी जांच करवा लो। अब इसके लिए हम किसको दोष दें? ...(व्यवधान) गर्ग साहब, आप तो बड़े समझदार माननीय सदस्य हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ऐसी सी सी रोड बन रही है जो 50 साल के इतिहास में नहीं बनी और श्रेष्ठ क्वालिटी की, दुनिया की किसी भी लेबोरेट्री से जांच करवा लो, मैं चैलेंज करता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह तो नम्बर दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे पर आपका नम्बर कट जाएगा। आप बैठो। मैं कह रहा हूं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जिन्दा हैं तब तक रोड नहीं टूटेगी मेरी यह गारण्टी है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सही है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): इसका उदाहरण सुनना है तो माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सागवाड़ा के पास देख लो, 6 महीने पहले वह सी सी सड़क बनी है, बांसवाड़ा रोड पर और जाकर देख लो, कमेटी बनाकर, 6 महीने नहीं हुए अभी बने हुए। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, खैर, जो भी है, आप मेरी बात सुन लें। आपसे कालूरामजी, मैंने पहले भी कहा है, मैं सजेस्टिव कहूंगा, आपके पास लेबोरेट्री नहीं है, आप अधिकारियों का कितना ही दोष निकालो, आप चीफ इन्जीनियर से कहेंगे तो वह तो वहां जाकर देखने से रहा, आप तो सीधी बात करेंगे तो चीफ इन्जीनियर से करेंगे, आपके प्रयोगशाला ही सही काम नहीं कर रही है, जिस प्रयोगशाला में ईमानदार अफसर चाहिए वहां आप कूड़ा करकट डाल रहे हो! जिसको आप निकम्मा मानते हैं आप उसको प्रयोगशाला में डाल रहे हो। आपके केन्द्रीय स्तर पर कोई भी लेबोरेट्री नहीं है कि शिकायत आने पर वहां जांच के लिए भेजा जा सके। नहीं भेज पाएंगे तो काम तो जैसा होगा वैसा ही होगा।

जैसा अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, गर्ग साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको याद दिला रहा था कि आपके ओवरसीयर जो फील्ड में रहकर काम करता है, उसकी 899 पोस्टें हैं, वह जमाना गया जब एक पुलिया बनती थी तो एक्सइएन वहां खड़ा रहता था, आज आपके पास 899 पद स्वीकृत हैं! लेकिन हैं कितने आपके पास? आपके पास पद ही नहीं है। मेक मिस्त्री जो फील्ड में रहता है, गर्मी में काम करवाता है ठेकेदार से तो यह जो स्थिति है माननीय मंत्रीजी, इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए, यह आप जाने। आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, आप बताएंगे! लेकिन यह जो आपने सुधार कर लिया तो श्रेय आपको मिलेगा नहीं तो श्रेय तो भारत सरकार को मिल रहा है, वह केन्द्रीय सड़क नीति हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो! इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, एक तो यह सही है कि आपने ठेके बड़े लेवल पर देने शुरू कर दिए हैं, एक ठेकेदार के पास 20 सड़क मिलेगी, 25 सड़क मिलेगी। यह व्यवस्था जैसे शराब के ठेके होते हैं बड़े-बड़े गिरोह बन जाते हैं, मुझे याद है कि पिछले दिनों कोटा में टेंडर के लिए मारपीट हुई। आपके डिपार्टमेंट की यह औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वह मुकदमा दर्ज करवा सके। टेंडर 30 प्रतिशत जाता है अबोव और उसको सब लेट किया जाता

(श्री रामनारायण मीणा)

है 30 प्रतिशत बिलो पर। आप राजस्थान की पूरी सड़कों में अपने ढंग से अपने आदमी भेज कर जांच करवा लीजिए कि जब 30 प्रतिशत अबोव पर टेंडर जाता है, 30 प्रतिशत बिलो पर वहां काम मिल रहा है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, 80 प्रतिशत केसेज में आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी अबोव टेंडर जाएगा उससे उतना ही बिलो पर टेंडर जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप देखने की स्थिति में नहीं है। जब आप इस बात को देखने की स्थिति में नहीं हैं तो माननीय मंत्रीजी, काम कैसे ठीक होगा? स्टाफ पूरा नहीं है, मेरा अर्ज करना है कि सड़क वाइज, छोटी सड़क है तो ठेकेदार की वह क्षमता रखे, बड़ी सड़क है तो उसके अनुसार ठेकेदार हो! लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होने दें जिससे आपका टेंडर का फार्म ही सही आदमी को नहीं मिल पाए और वह सब लेट हो। मेरी आपसे अर्ज है माननीय मंत्रीजी, कि यह जो चार्ट दिया है इसको आप कैसे ठीक करेंगे, इसका श्रेय अफसरों को नहीं जाता है, श्रेय तो सरकार को जाता है, सरकार में आप हो। खैर, जो भी है।

एक और अर्ज करना चाहूंगा चूंकि आपका मामला है, मैं राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की तो बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन आप भी यदि किसी मामले में ए सी डी को कहेंगे तो आपके इन्जीनियर तो परेशान हो जाएंगे, ठेकेदार भी परेशान हो जाएंगे, वहां केस रजिस्टर नहीं होगा, जो परिस्थितियां बनी है, कुछ केसेज में आपको देखना चाहिए और देखेंगे तो शायद कुछ सुधार हो पाएगा।

एक बात और बताना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, आप मेगा हाइवे का बहुत प्रचार ले रहे हैं और बहुत ज्यादा गैन उसमें ले रहे हैं, यह मेगा हाइवे क्या बीमारी है और क्या यह करप्शन का अड्डा है, अगर ईमानदारी से आप राजस्थान का विकास कर रहे हैं तो ठीक है, मुख्य मंत्री सड़क योजना में आपने 50 पैसे सेस लगा दिया। पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जो मेगा हाइवे हैं इसकी स्थिति क्या है, आपने देखा? आपने इस मामले में पारदर्शिता को देखा, आपने कोई टेंडर कॉल किये या कुछ सलेक्टेड पार्टीज को आपने बुलाया? जो कम्पनी एक बार 2004 में रजिस्टर्ड होती है उस कम्पनी को आप 239 करोड़ रुपया ब्याजमुक्त दे रहे हो बिना किसी बात के। उसमें आप डाइरेक्टर भी उसके ही डाल रहे हो और आप कहते हैं आपका नियंत्रण है। आपका चीफ इंजीनियर उस मेगा हाइवे को जाकर देख ले, चपरासी की औकात

मानते हो, आपके चीफ इंजीनियर की नहीं मानते। जब यह स्थिति बन रही है, मैं नहीं कहता कोई करप्शन का अड्डा है, आपने किस भावना से किया है, मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाता माननीय मंत्रीजी, लेकिन और भी कोई काम करो सोचकर करो, पारदर्शिता से काम क्यों नहीं किया? हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं इसलिए इन बातों को देखकर हम कुछ करेंगे तो थोड़ा ठीक हो पाएगा। रिडकोर जैसी संस्थाएं बुलायी हैं, खैर जो भी है मैं तो इस मामले को यही कहकर खतम करूंगा आप 1053 किलोमीटर सड़क बना रहे हो, मंत्रीजी अगर आप टेंडर काल करते, पारदर्शिता रखते तो 40-45 लाख से ज्यादा टेंडर नहीं जाता और बड़े से बड़े ईमानदार ठेकेदार आपको काम करने को मिलते। आप एक करोड़ रुपया एक किलोमीटर का दे रहे हो, कैसे दे रहे हो आप जानो, लेकिन मुझे तो डाउट है कि पारदर्शिता तोड़ने की हद हो रही है आपके विभाग में। इस तरह के और भी मामले हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक बहुत बड़ा ठेका था, जो रिफाइनरी का क्रूड आयल निकलता है उसको डामर में मिलाकर काम करते हैं, कोई देखभाल नहीं। इसलिए माननीय मंत्रीजी, यही बात ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहना क्या चाहते हो?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं कहना यह चाहता हूं जिस तरह की भी शिकायत आये उसकी जांच के लिए आपको तैयार होना चाहिए। जैसा मैंने मेगा हाइवे के लिए कहा आप पता कर लीजिए 50 लाख से कम में एक किलोमीटर सड़क मिल जाएगी। आप एक करोड़ रुपया दे रहे हो मैं यह कहना चाहता हूं। यह पारदर्शिता है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं और आप समझदार हो।

अभी बात हो रही थी सीमेंटेड रोड की। मेरा आपसे आग्रह है आप सीमेंटेड रोड को चैक करिए, यह एक मसला है, पांच साल बाद जब उसका समय खतम होगा उस सीमेंटेड रोड को चैक कराइए स्टेट में और उससे आपको समझने का मौका मिले। मैं नहीं कहता आपके इंजीनियर्स उसमें शामिल हैं। सब लेट हो रहा है, ठेकेदार बड़े हैं, 20-20 रोड्स जा रही हैं। मेरे वहां खटकड़ में जाकर देख लीजिएगा। ज्यों ही नदी चढ़ोगे आप नैनवां की तरफ से जाओगे, जिस रास्ते से मैं आता-जाता हूं वह टूटने लग गया। खैर, यह सही है कि नैनवा में जांच हो रही है, आपका डिपार्टमेंट सो नहीं रहा, लेकिन यह एक ऐसा मसला है जिसका आप प्रचार कर रहे हो। छह महीने बाद

(श्री रामनारायण मीणा)

में यदि कलर साबित हो गया तो उसकी गालियां भी पड़ सकती हैं। खैर जो भी स्थिति हो।

लिंक रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा एक अनुरोध है, हम लोग भी उसको कहेंगे, आप भी कुछ करने की कोशिश करोगे, लेकिन लिंक रोड्स जो भी हैं इन लिंक रोड्स के बारे में क्या आप सर्वे कर पाओगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बूंदी जिले में तहसील बूंदी में गोखपुरा से जेसल, खोरलदेवर आती है। हमने सीएडी वालों से कहा, सीएडी के मंत्रीजी यहां बैठे हैं, यह बूंदी से जेसल जैसे कामर्शियल कस्बे को जोड़ने का एक साधन है। वह केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ता है, बूंदी विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ता है और नैनवां को भी जोड़ता है। इस तरह का आप लें, अभी कृषि मंत्रीजी शायद यहां नहीं हैं, बिजलवा से बालूंदा नैनवां और टौंक के बीच में एक लिंक है। इस तरह का काम हो पाएगा, लेकिन यह काम तभी हो पाएगा जब आपका काम सही होगा।

मंत्रीजी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट में जो गड़बड़ हो रही है उसका मुख्य कारण है आपकी शराफत। छबड़ा से आपने एक्स.ईएन. को हटाया। ...(व्यवधान) यह तीसरे नम्बर पर हैं, दूसरे नम्बर पर भी नहीं हैं, इसलिए इनको नहीं कहूंगा, या तो दूसरे नम्बर को कहूं तो पहले की बात करें या होड़ में हो तो उससे बात करें। मेरा तो आपसे ही बात करने का है, घनश्यामजी पक्के पंडित हैं। ये आशीर्वाद मन से दे दें तो पार हो जाएंगे और यदि इन्होंने गड़बड़ कर दी तो तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए पण्डित को और घनश्यामजी जैसे को धार्मिक मामले में नहीं छेड़ रहा हूं, मैं छेड़ने की स्थिति में नहीं हूं ..(व्यवधान) ये भस्मासुर तो नहीं हैं, लेकिन भगवान की इनके ऊपर कृपा है कि एक का तो विभाग छिन गया और दूसरा दादा बनकर बैठा है अभी तक। खैर, जो भी स्थिति है, यह छबड़ा का प्रकरण हुआ, आपने मंत्री के कहने से एक्सईएन को हटाया या क्या किया, लेकिन ठेकेदारों का रोल आपके यहां ज्यादा चल रहा है अधिकारियों को हटाने में। आप देख नहीं पाते, आपके पास संसदीय कार्य विभाग है, खैर जो भी स्थिति है। (व्यवधान) जो सब लेटिंग का सिस्टम आपको बताया माननीय मंत्रीजी, जैसा आपने सीमेंटेड रोड के लिए कहा, मैं आपको तीन-चार रोड का उदाहरण देता हूं जो मेरे क्षेत्र में है, आप जांच करवा लें आपकी गिट्टी भी 75 एमएम की मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलेगी। आप लिखिए हरियाली...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो तारीख बता दो, आपके साथ एडिशनल चीफ इंजीनियर को भेजूंगा, आप खुद साथ जाएंगे और जांच करवाएंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो आपको बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तारीख बता दो किस दिन जाएंगे?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप लिखिए, मैं तो अभी चला जाऊंगा। ...(व्यवधान) जोगारामजी ..(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये तो मंत्रीजी, आपसे बोलकर सड़कें लेना चाहते हैं, इनको न तो जांच करानी है, ये तो केवल भूमिका बनाकर आपसे सड़क लेना चाहते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं गलतफहमी में नहीं हूं, भारत सरकार ने इंतजाम किया है प्रधानमंत्रीजी ने आबादी के हिसाब से सड़कें दी हैं और आबादी के हिसाब से सड़कें मिलेंगी। मुख्य मंत्री सड़क का तो फण्ड ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हरियाली, खूरी, मीणों की झौपड़ी, ये तहसील नैनवां की बता रहा हूं। 25 सड़कें बनी होंगी, तीन-चार आपको बता रहा हूं। आप तीन की ही कर लीजिए, 10-20 का नाम तो मैं बता दूंगा, आप जांच कर लीजिए। दुबारा रिपीट कर रहा हूं हरियाली, खूरी, मीणों की झौपड़ी। ...(व्यवधान) आप खड़े होकर बात किया करो। खैर, जो भी स्थिति है, मैं तो माननीय मंत्रीजी, आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में आपका विभाग काम कर रहा है, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा काम हो रहा है, मेरे यहां सरवर में छात्रावास बन रहा है। उसमें सीमेंट लग रही है या रेत से बना रहे हैं पता नहीं चल पा रहा है। इसी तरह से आपके विभाग का एक गर्ल्स कालेज बूंदी में बना है। कैसे बना है, मैं नहीं कह सकता, उसकी फोटो मेरे पास है, अभी से टूटने लग गया। कुल मिलाकर सेंट्रल लेबोरेटरी वाली बात कही, मंत्रीजी, इन सारी बातों का एक ही जवाब है।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आपका जो केन्द्रीय सड़क निधि का पैसा आ रहा है उसका आप किस ढंग से उपयोग कर रहे हो। मुख्य मंत्री सड़क निधि का पैसा आ रहा है उसका स्टेट के लिए किस तरह से उपयोग कर रहे हो इन सारी बातों को देखकर आप कुछ कर पाएंगे तो मेरा खयाल है कि वह ठीक होगा। मैं आपसे अर्ज करूं राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने फुट तक

(श्री रामनारायण मीणा)

कामर्शियल काम नहीं होना चाहिए। आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। मैं एक बीसलपुर की नहर है, मंत्रीजी, आप भी देखते होंगे, वहां मैं एक दिन निकला और उस नहर पर कुछ भी नहीं था, दूसरे दिन निकला, उस नहर पर मजार नजर आ गई, न कोई आदमी मरा, न किसी को दफनाया गया, न किसी को जलाया गया, एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिसको आपका डिपार्टमैंट क्या हम कोई नहीं देख पाते हैं। मकान बन रहा है, बाइपास बनाना पड़ रहा है, आपकी एक सीमा है, आप उसको बदलने के लिए आपसे जवाब मांगा जाता है, आप जवाब नहीं दे पाते हो, शहरी विकास मंत्रालय या जहां से भी होता है, वह सारा का सारा हो रहा है तो इन सारी बातों को कर पाओगे तो मेरा जहां तक ख्याल है, ठीक रहेगा।

मैं माननीय जनजाति विकास मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा। मंत्रीजी, आप सरकार में हो, अभी बात आई और यह आया कि सी.पी. जोशी साहब ने भी कहा, ट्राईबल्स के मामले में ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप जो भेजते हो, अभी महाराष्ट्र पेटर्न की बात आई, क्या महाराष्ट्र पेटर्न पर नहीं है।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटा हो गया, सुबह यह तय हुआ था कि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट बोलेगा। ...(व्यवधान) आपसे निवेदन है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कि आबादी की दृष्टि से जितनी आबादी है उस आबादी के रेश्यो के हिसाब से आप पैसा बजट का दोगे। क्या राजस्थान में ऐसा हो रहा है ? जब राजस्थान में ऐसा नहीं हो रहा है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है ? माननीय मंत्रीजी, माडा योजना में जो आपका एरिया है, मैंने आपसे इस मामले में जानकारी भी चाही थी, 90 परसेंट आपकी लिफ्ट योजनाएं खराब हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मंशा गलत नहीं हो सकती। लेकिन जब 90, 80 परसेंट आपकी लिफ्ट योजनाएं खराब हैं, माडा योजना के बारे में क्वेश्चन था तो वह योजनाएं आपकी कब चालू होंगी ? क्यों नहीं चालू हो रही हैं? और आदिवासी लोगों से चाहोगे, मेरे कल्याणपुरा की योजना है, बिजली का बिल नहीं चुका पाते, आप उनसे चाहोगे कि वह अपने जेब से पैसा दें जिसके पास 2 बीघा जमीन है। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है, छोटी-छोटी लिफ्ट योजनाएं जब बंद हैं, आप कृपा करके अपने बजट का हिस्सा उनको दें, उनको चालू कराएं, प्रोडक्शन बढ़े, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

(श्री रामनारायण मीणा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों के साथ ही मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि मंत्रीजी, अभी फोरेस्ट के मामले आपके बहुत उलझे हुए हैं। और वह भारत सरकार ने भी गजट नोटिफिकेशन कर दिया, साल 6 महीने में कुछ न कुछ होगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे मामलों में, नहीं, आप को-आपरेट कर रहे हो ...(व्यवधान) लेकिन ऐसे मामलों में आप फोरेस्ट मंत्रीजी से बैठ करके अधिकारी आपके हैं, भारत सरकार कहां बीच में आ गई? आपके अधिकारी रिपोर्ट नहीं करेंगे, फोरेस्ट वाले, तो कौन कोर्ट तकलीफ करेगा? इसलिए कृपा करके मंत्रीजी, जहां पांच सौ साल से आबादी बस रही है, दो सौ साल से आबादी है, फोरेस्ट वाले जाते हैं, ठेकेदार को परेशान करते हैं, ठेकेदार उनसे बात कर लेता है ढंग से, काम चल जाता है। इसलिए मेरा जहां तक ख्याल है, आप दोनों बैठ कर के मुख्य मंत्रीजी के साथ बैठ कर के जो-जो रिजनेबल चीज है, अभी बूंदी की माननीय विधायक कह रही थीं, मैं उसकी गड़पेड़ा की सड़क है, कहीं न कहीं, कोई न कोई है और इससे आपकी जो केपेसिटी दिख रही है, राजस्थान में उसमें अवरोध आता है, इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे।

इसके साथ, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं, मैंने पहले ही कहा था, मैं आज वहां बैठ गया था, देख नहीं पाया। लेकिन कुल मिलाकर आप विभाग में नाम कमा सकते हो। भारत सरकार हिन्दुस्तान के रोड्स को जितना पैसा दे रही है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यदि आप इसी तरह से गति पकड़ते गये, साढ़े तीन की आबादी आ जाएगी, 2800 की आबादी आ जाएगी। लेकिन सड़क बने और पांच साल बाद टूटे, सीमेंटेड रोड के बाद नाम कमाने की बात करो, 6 महीने के बाद उसकी मरम्मत करनी पड़े, यह सब ठीक करोगे तो मेरा जहां तक ख्याल है, राजस्थान का विकास होगा और जनजाति मंत्रीजी, मैं तो आपसे बात कहना चाहूंगा, आपकी भावना है गरीबों के प्रति। लेकिन इनको कितना दे पाते हो, बजट से निकाल कर इनसे लड़ झगड़ करके जितना ले पाओगे उतना ही गरीब आगे बढ़ सके, आपका नाम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की उन्नति उसमें स्थित रोड्स की दशा देख कर लगायी जा सकती है और

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान प्रदेश की जो सड़कें हैं, वे एक गरिमापूर्ण स्थिति में हैं। उसका श्रेय जाता है माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को, मैं आप दोनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 93 से 98 में जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में कार्यरत थी उस समय उन्होंने हर पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उससे पहले ग्रामीण अंचल की सड़कों के बारे में किसी भी सरकार ने कभी नहीं सोचा था। केवल मुख्य सड़क जो कस्बे से कस्बे तक जाती थी या कस्बे से जिला मुख्यालय तक जाती थी उन्हीं रोड्स की रिपेयर होती थी, उन्हीं की देखभाल होती थी और ग्रामीण अंचल की सड़क बनाने का यदि किसी सरकार ने सोचा है तो पहली बार तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय भैरोंसिंहजी शेखावत ने इसके बारे में सोचा और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय तक सड़क पहुंचाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इतनी महत्ती सड़क योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन भा.ज.पा. की केन्द्रीय सरकार के प्रधानमंत्री थे, उन्होनें हमारे देश को दी और उस योजना के माध्यम से हमारे पूरे भारतवर्ष के लगभग 500 की आबादी तक के गांव अभी उस उस योजना में सड़क से जुड़ चुके हैं। हम माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी का हृदय से स्वागत करते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पूरे प्रदेश का एक गहन सर्वे करवाया था। उन्होंने स्वयं सर्वे किया था कि हमारे प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी समस्याएं हैं, चाहे वह सड़क की हो, बिजली की हो, पेयजल की हो, सिंचाई की हो या अन्याय, उन सब समस्याओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया और एक सपना उन्होंने हमारे प्रदेश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का देखा। आज उसी सपने को साकार करने में हमारी मुख्य मंत्री महोदया और उनका मंत्रिमण्डल निरन्तर लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने कितनी ही बार ऐसे स्टेटमेंट दिये थे कि हमारा खजाना खाली है, हम प्रदेश का विकास कैसे करें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने को जा रही होती है, अपने खजाने में जो कुछ होता है, विकास में खर्च करना चाहती है। जब हमने सत्ता सम्भाली उस समय भी कोई खजाना भरा हुआ नहीं था। लेकिन हमने एक दिन भी यह नहीं कहा कि हमारा खजाना खाली है। और कैसे कहते? क्योंकि यह सारे प्रदेश की गरिमा से संबंधित था, हमारे प्रदेश के लिए हमारे शेष देश में अच्छा मैसेज नहीं जाता। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खजाना खाली हो या भरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य करने वाले की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए तो खजाना तो भर लिया जाता है, वित्तीय संसाधन उत्पन्न कर लिये जाते हैं। और ऐसी दृढ इच्छा शक्ति हमारे मुख्य मंत्री महोदया ने दृढ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को बहबूदी कायम रखने के लिए उसकी बहबूदी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में निरन्तर वह कार्य कर रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सड़क और पुलिया की कुछ मांगें माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सूलिया चौकी से सुनेल तक 60 मीटर की रोड चौड़ा करने का काम आपने किया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। साथ ही सुनेल से पिड़ावा जो लगभग 25 किलोमीटर की रोड है उसकी स्वीकृति भी आपने 60 मीटर की रोड बनाने की जारी कर दी इसलिए मैं आपको और मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि जो वर्षों से हमारी मांग चली आ रही थी उस मांग को पूरा करने में हमें सहयोग प्रदान किया। शेष रही मात्र 8 किलोमीटर पिड़ावा से एम.पी. सीमा तक की रोड को और चौड़ा कर दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि एम.पी. में आने जाने के हमारे आवागमन के साधन और वहां की रिश्तेदारियां निभाने के लिए हमें काफी सहयोग मिलेगा। चूंकि मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र एम. पी. सीमा से जुड़ा हुआ है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन तरफ एम.पी. लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नीमच जो मध्य प्रदेश का कस्बा है वहां से लेकर के मेरे क्षेत्र का अंतिम गांव जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है झालावाड़ा रोड, वहां तक एक मेगा हाइवे का निर्माण हो रहा है। और झालावाड़ से आगड़ जाने वाली स्टेट हाइवे बनी हुई है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस स्टेट हाइवे तक उस मेगा हाइवे की

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

स्वीकृति प्रदान करें ताकि स्टेट हाईवे पर निकलने वाले वाहन और स्टेट हाईवे के द्वारा एम.पी. में जाने का साधन सुगम हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1993 से 1998 में हमारी सरकार थी उस समय वर्तमान सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय चिकित्सा मंत्री थे और आपने मेरे क्षेत्र की 5 पी एच सी बिल्डिंग की स्वीकृति लगभग 20-20 लाख की थी। उनमें कुछ काम शेष रह गया था और पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम शेष रह गया 5 साल तक, उन पांचों पी एच सी की कोई दशा नहीं सम्भाली और न उनके ऊपर कोई बजट दिया। अब मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा-थोड़ा काम उन पी एच सी में शेष है उस काम को पूर्ण करवा लिया जाए और चिकित्सा विभाग को उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाए तो जो इतना रुपया हमारी राज्य सरकार का उसमें लगा है उसका सदुपयोग हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनेल कस्बा मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा कस्बा है। वहां आहू नदी बसती है और उसके ऊपर एक संकड़ी पुलिया है। उस पुलिया को बने हुए लगभग 30-40 वर्ष हो गये हैं। उसमें एक टाइम में केवल एक ही वाहन गुजर सकता है। दो वाहन गुजरेंगे तो निश्चित रूप से एक वाहन वाले को पीछे लेना पड़ेगा लेकिन कभी-कभी गलतफहमी में, हेकड़ी में वाहन चालक यदि जबरन करते हैं तो काफी सम्भावना है कि दुर्घटना हो सकती है। इस पुलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा गुजरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1978 से 1980 में हमारे क्षेत्र से एक निर्दलीय विधायक श्योदानसिंहजी हुआ करते थे और इस पुलिया के संकड़ा होने से उनकी जीप नदी में गिर गई और हमारे क्षेत्र के तत्कालीन विधायक महोदय का निधन हो गया। एक-दो बार मोटर साइकिलें इस पुलिया से नदी में गिरीं। एक बार बैलगाड़ी गिरी तथा आये दिन इस तरह की दुर्घटनाएं इस पुलिया के ऊपर होती रहती हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पुलिया को जनहित में चौड़ा कराया जाना अति आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन डाक-बंगले हैं जो पूर्व से प्रचलित थे, पिड़ावा, रायपुर और सुनेल। तीनों की जर्जर अवस्था है। साथ ही यदि कोई बाहर से वी. आई. पी. आ जाए तो इन तीनों कस्बों में उन्हें ठहराने के लिए उनके योग्य कोई स्थान नहीं है। ऐसी दशा में इन तीनों डाक-बंगलों का पुनरुद्धार कर उन्हें आवास के लायक बनाया जाए।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी डग क्षेत्र की विधायक माननीया स्नेहलता जिस बाइपास का जिक्र कर रही थीं, मेरे पिड़ावा विधान सभा के सम्पूर्ण किसान भवानीमंडी में ही अपनी जिंस बेचने जाते हैं और भवानीमंडी में इतने संकड़े रास्ते हैं कि हर घंटे-दो घंटे में भवानीमंडी के रास्तों में जाम लग जाता है कि कभी-कभी तो मोटर साइकिल का निकलना तक दूभर हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब बाहर का किसान ट्रेक्टर ट्राली और बैलगाड़ी लेकर के अपनी जिंस बेचने मंडी जाएगा तो अड्डे का समय ही निकल जाएगा, बोली ही खतम हो जाएगी जब तक वो अड्डे में नहीं पहुंच पायेगा। ऐसी हालत में इस बाइपास, रामनगर से पचपाड़ तक जो 4 किलोमीटर की दूरी है, बाइपास का निर्माण होना अति आवश्यक है। हमने मुख्य मंत्री महोदया से भी इसके बारे में निवेदन किया है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से यह बाइपास मैं आपको दूंगी। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सहायक बनकर इस रोड को पास कराने में हमारी पूरी-पूरी मदद करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): एक मिनट और मिसिंग लिंक के बारे में बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पिड़ावा में आपका एक सब-डिवीजन है, ए.ईएन. आफिस है। ए.ईएन. वहां है लेकिन जे.ईएन. लगभग साल भर से इस सब-डिवीजन पर नहीं है जिसकी वजह से कितने इस प्रकार के कार्य बाधित होते हैं क्योंकि सड़कों का तो आपने एक तरह से जाल बिछाया हुआ है और उनकी देखरेख के लिए हमारे पास कोई ऐसा टेक्नीकल व्यक्ति जो हर साइट पर जा सके, उपलब्ध नहीं है। कृपया एक जे.ईएन. हमें दें।

दूसरा, मैं अपने क्षेत्र की कुछ मिसिंग लिंक्स के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष: वो आप लिखकर के दे देना माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): मात्र दो मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र की विधायक माननीया स्नेहलताजी मेरे पास विराजमान हैं। इनके क्षेत्र के 4 गांव हैं हरिपुरा, लखाड़ी, सादडिया और काली तलाई, इन चारों गांवों के ग्रामवासियों के लिए पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के गांव सिरपोई में इनकी चिकित्सा सुविधा है, इनका बस स्टैण्ड सिरपोई

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

में है, इनका नजदीकी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल सिरपोई में है और ये बाजार भी सिरपोई में आकर करते हैं। तो मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि मात्र 2 किलोमीटर की एक मिसिंग लिंक और आहू नदी पर रपट की स्वीकृति दे दी जाए तो इन 4 गांवों के ग्रामवासियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। मैं निश्चित रूप से आपका आभारी रहूंगा यदि इस रोड और पुलिया की हमें स्वीकृति दे दी जाती है।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिसिंग लिंक में सामरिया से सिरपोई, धारोनिया से सरोनिया, गोविंदपुरा से आवर, ओसाव से हिम्मतगढ़, दूगलिया से गुराड़िया और ओसाव से ओरियाखेड़ी, ये मिसिंग लिंक हमारे क्षेत्र में बनने अति आवश्यक हैं। 2-3 रोड रिपेयर के हैं उनके बारे में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सुनेल से पाटन रोड जो काफी वर्षों पहले बना था और आधा रोड माननीय मुख्य मंत्री महोदया के क्षेत्र में आता है और आधा रोड मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है तो आधी रोड का काम तो प्रारम्भ हो चुका है। इसलिए मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में जो सुनेल से पाटन रोड जाता है उसका भी पुनरुद्धार करावें। साथ ही पिड़ावा से ढाबलाभोज और पिड़ावा से पटपड़ा जो एम. पी. जाने का रास्ता है, इन दोनों रोड की भी रिपेयर करायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिड़ावा से पटपड़ा तक, पटपड़ा एम. पी. का है पिड़ावा हमारा है, इसको रिपेयर करवाना है, रोड तो बना हुआ है। इसके अलावा पिड़ावा से ढाबलाभोज, ये हमारे क्षेत्र के रोड हैं लेकिन गड्ढे पड़ गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

(समय : 16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30, 19 व 21 पर अपने विचार सम्मिलित करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें यहां सरकार के लिए कही। मैं उनको कुछ बातें बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1998 से 2003 तक इनकी सरकार थी। 326.68 करोड़ रुपये का बजट एलोकेशन हुआ, यह केवल इनके पांच साल में हुआ बजट एलोकेशन और हमारे समय में बजट एलोकेशन हुआ, तीन साल में 348.38 करोड़ रुपये का बजट एलोकेशन हुआ। ये कहना चाहते हैं कि बजट एलोकेशन कम है। मैं फिर कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, दोनों सरकारों के मुकाबले 70.77 प्रतिशत बजट हमने ज्यादा ट्राइबल एरिया में खर्च किया है। इन्होंने एक साल में 69.59 करोड़ रुपये खर्च किये, हमने एक वर्ष में 119.33 करोड़ खर्च किये और आबंटन किये। गत सरकार के मुकाबले में 71.48 प्रतिशत धनराशि ज्यादा आबंटित हमारी सरकार ने की है। सभापति महोदय,...

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपकी सरकार कहां है?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): यह निर्दलीयों की सरकार है क्या? यह आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपकी सरकार है? आप तो निर्दलीय हो। यह निर्दलीयों की सरकार है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह डबल रोल चलने वाला नहीं है। या तो साफ कहो कि इनके साथ हो। अपने आपको निर्दलीय बताते हो और तारीफें इधर-उधर करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह राम और श्याम है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मैं आपसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं हरिमोहनजी। सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने टिकट तक नहीं दिया। आपको बाहर फेंक दिया था, फिर भी चमचागीरी।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ...महाराष्ट्र पैटर्न कांग्रेस के जमाने में लागू हुई और तीन साल तक बजट एलोकेशन कांग्रेस के जमाने में इन लोगों ने किया। कांग्रेस के राज में आप लोगों ने एलोकेशन, जो सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, इनकी सरकार ने... (व्यवधान) महाराष्ट्र पैटर्न में 44.65 करोड़ रुपये

(समय : 16.02 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

आबंटन किये तीन सालों में, जब ये मंत्री थे, खेल-कूद मंत्री थे, ये नहीं कर पाये अपने इलाके के लिए। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि तीन वर्षों में हमारी सरकार ने 184.03 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया।

(श्री हेमराज मीणा)

यह स्टेट प्लान से किया और गत वर्ष के मुकाबले 412.16 प्रतिशत बजट हमने ज्यादा आबंटन किया। आपको वह भी बताऊंगा कि भौतिक उपलब्धियां हमारी क्या रही हैं, आप चिंता मत करिये। प्रतिवर्ष व्यय की स्थिति, आपने 47.41 करोड़ रुपये किये आपके पांच सालों में और हमारे तीन सालों में 96.89 करोड़ रुपये खर्च किये और आबंटन किये।

सभापति महोदय, अब माननीय सदस्य ने यहां यह भी बात कही है कि बजट आबंटन तो हो गया परन्तु भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि उन्नत खाद के प्रदर्शन में लाभान्वित व्यक्तियों, सभापति महोदय, एक-एक स्कीम का बताऊंगा, आपके 1998 से 2003 तक 3107 व्यक्तियों को आपने लाभान्वित किया, हमने तीन साल में 6434 व्यक्तियों को लाभान्वित किया।

स्टोरेज बीज वितरण में आपने 1520 व्यक्तियों को लाभान्वित किया, हमने 6630 व्यक्तियों को लाभान्वित किया। उद्यानिकी के कार्यक्रम में 17331 व्यक्तियों को आपने लाभान्वित किया आपके पांच सालों में और हमारे तीन सालों में 19162 व्यक्तियों को हमने लाभान्वित किया।

सभापति महोदय, यह तीन सालों में हमने इतना काम कर दिया, जो कांग्रेस पिछले पांच सालों में भी नहीं कर पाई और न 40 वर्षों में कर पाई। वह भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बस्ती के विद्युतीकरण के लिए आपके समय में जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, उसमें केवल 190 बस्तियां पिछले पांच सालों में आपने कीं, हमने तीन सालों में 204 बस्तियां इलेक्ट्रिफाइड कीं। डीज़ल पम्पसैट में 3253 व्यक्तियों को आपने लाभ दिया। इसी तरह से छात्र गृह किराया योजना में हमारे यहां 20964 छात्रों को लाभ मिला। छात्राओं को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 8780 छात्राओं को लाभ मिला और हमारे समय में यानी इन तीन सालों की मैं बता रहा हूं आपको कि 8931 छात्राओं को लाभ मिला और सब में आपसे अधिक है।

प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बोर्ड एवं विश्वविद्यालय छात्रों को प्रोत्साहन, इस योजना में 6147 छात्रों को आपके टाइम में लाभ मिला गत 1998 से 2003 तक और 2003 से 2006 तक 5923 छात्रों को लाभ मिला।

स्वरोजगार योजना में लाभान्वित होने वाले 6224 व्यक्तियों को आपके पांच साल में लाभ मिला, हमारे तीन साल में 10915 व्यक्तियों को लाभ मिला।

सम्पर्क सड़क के माध्यम से आपने केवल 21 सड़कें बनाई और तीन सालों में ट्राइबल क्षेत्र में 115 सम्पर्क सड़कें हमारी सरकार ने बनाई।

छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण करने की योजना आपकी सरकार ने बनाई थी। हमने 18837 छात्राओं को साइकिल वितरण की। हम ट्राइबल के बजट से सड़कें बनाते हैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, हम ट्राइबल से साइकिल भी देते हैं और सड़क भी बनाते हैं, डीजल पम्पसैट भी देते हैं, इलेक्ट्रिक पम्प भी देते हैं। छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का वितरण योजना में 12 छात्राओं को हमने स्कूटी का वितरण किया।

सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, ट्राइबल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आशातीत प्रगति की है और हमने भौतिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति की है। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आपका बजट एलोकेशन खर्च कम हुआ। 2003-2004 में बजट एलोकेशन खर्च हुआ हमारा 100 प्रतिशत, 2004-2005 में 100 प्रतिशत और 2005-2006 में 57 प्रतिशत और 2006-2007 में 50 प्रतिशत।

यह मैं बताना चाहूंगा आपको और यह बात भी मैं क्लियर करना चाहूंगा सभापति महोदय, जिस समय हमारी सरकार थी, उस समय जो आपका बजट आबंटन हुआ था तो उस समय ट्राइबल की किस्त समय पर आती थी। अभी हमारे सामने समस्या यह है कि केन्द्र सरकार से बजट एलोकेशन आता है, वह दिसम्बर के महीने में आता है और खर्च करना होता है, मार्च-अप्रैल के महीने तक हिसाब देना पड़ता है। तो यह सबसे बड़ी दुविधा हमारी सरकार के सामने है और हमारे मंत्रीजी के सामने भी है। यदि यह बजट एलोकेशन प्रारम्भ में हमें मिल जाये तो पूरे वर्ष भर में हम 100 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि इसकी प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र पैटर्न पर हमको 44.65 करोड़ रुपये दिये और हमने 184 करोड़ रुपये दिये जो 112.6 प्रतिशत आपसे अधिक है। यह स्टेट प्लान का पैसा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र पैटर्न को वैसे तो जो एडोप्ट किया है आपने, वह एडोप्ट करने के बाद सब विभागों का आठ प्रतिशत ट्राइबल एरिया को मिलना चाहिए और ट्राइबल एरिया के माध्यम से खर्च होना चाहिए। लेकिन

अभी मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में भी यह बात डालना चाहूंगा कि अभी हमको बजट मिल तो 184 करोड़ रुपये रहा है लेकिन अभी भी वह कम है। यह बजट और हमारा बढ़ना चाहिए। आठ प्रतिशत महाराष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत ट्राइबल एरिया पर खर्च हो ताकि ट्राइबल का पूर्ण रूप से डवलपमेंट हो सके।

सभापति महोदय, उपयोजना क्षेत्र में कितने काम किये हैं। सरकारी नौकरियों के लिए उपयोजना क्षेत्र और सहरिया क्षेत्र के लिए एक से नौ तक की जो सर्विस है, उनमें 45 प्रतिशत हमारा आरक्षण किया है। और राज्य सेवा तक की सब सर्विसेज को हम ले रहे हैं, सहरिया क्षेत्र में 25 प्रतिशत किया है, एक से नौ से ऊपर की जितनी भी राज्य सेवा के अन्तर्गत है...

श्री रघुवीर सिंह मीणा: एक से नौ इन्होंने किया? उन्होंने किया? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: एक से नौ से ऊपर किया हमने। एक से नौ तक के ऊपर भी राज्य सेवा के अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें हमने ट्राइबल क्षेत्र में, उप योजना क्षेत्र में 45 प्रतिशत किया, सहरिया क्षेत्र में 25 प्रतिशत करने का प्रावधान रखा, उसको हम पूरा करेंगे और मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को, आपकी बोलती बंद करी है। तीन साल से आप बार-बार उचक-उचक करते थे कि बेकलाग पूरा करो। बैकलाग पूरा करो, बेकलाग पूरा करो। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि जिन्होंने बजट में 2008 तक पूरा, 2008 तक जितना बैकलाग है उसको शून्य कर दिया जायेगा, हमारे पूरे समय में, साल के अंत तक, यह मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस किया। लेकिन इसमें मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मेरा सुझाव यह था बैकलाग वाले मामले में सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि बैकलाग हमारा लगभग चालीस हजार है, यह बैकलाग भरने में सरकार की मंशा ठीक है, हमारी सरकार करना चाहती है, मुख्य मंत्रीजी की भी मंशा है, मंत्री मण्डल भी चाहता है कि बैकलाग पूरा हो। लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी इसमें रोड़ा, अडंगा बने हुए हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा: आपके कहने का मतलब यह है सरकारी अधिकारियों के सामने मुख्य मंत्रीजी की नहीं चलती है?

श्री हेमराज मीणा: आप विराजिये, मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा: कैसा राज कर रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी की सरकारी अधिकारियों के सामने नहीं चले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है?

श्री हेमराज मीणा: आप विराजिये। यह इतना बड़ा लवाजमा है, इस लवाजमे में सब तरह के लोग मौजूद हैं। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं इस बात को यों कहना चाहूंगा कि जो यह बेकलाग पूरा करने का जो अनाउंस किया है, यह जल्दी हो, इसके लिए रिव्यू कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस रिव्यू कमेटी में या यों कहना चाहिए कि इसकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें पांच-सात सदस्य कोई अधिकारियों की कमेटी बने और बेकलाग कमेटी हो, उसमें एक एसटी का प्रतिनिधि, एक एससी, एक ओबीसी का और दो सामान्य वर्ग के अधिकारी हों ताकि वह बैठ करके सब डिपार्टमेंट को रिव्यू करें ताकि उसका लाभ आम जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का व्यक्ति है उसको, सभापति महोदय, यह लाभ मिले तो निश्चित रूप से राज्य में और अच्छा मैसेज जायेगा। और इसका बहुत बड़ा लाभ गरीब तबके को होगा क्योंकि यह बहुत, इनका राज रहा, चालीस-पैंतालीस साल तक राज रहा, यह भी बेकलाग की मांग करते रहे इनके राज में, इनके एमएलए भी मांग करते रहे, हमने भी तीन साल से मांग की लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने हमारी बात को सुना और 2008 तक पूरा करने का जो निर्णय किया है, यह बहुत बड़ा स्वागत करने योग्य सरकार का है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह धन्यवाद नहीं देंगे, यह धन्यवाद नहीं देना चाहते। (व्यवधान) नहीं, मैंने चुपचाप बात की थी....

श्री रघुवीर सिंह मीणा: आप बोलते तो धन्यवाद देता। यह बीच के आदमी हैं। जबरदस्ती में मक्खन लगा रहे हैं।

श्री हेमराज मीणा: सभापति महोदय, वैसे सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की मैं पोल खोलना चाहता हूं एक। पोल खोल देता हूं। अभी इनके बोलने के बाद यह मेरे पास आये, मैंने इनसे कहा, आप मेरे पड़ोसी हो, सब के सामने तो मत बोलो लेकिन चुपचाप तो मेरी बात मान लो कि भाई आपकी बात मैंने पूरी मान ली, लेकिन यह कहना मेरी मजबूरी है, सरकार की आलोचना करना मेरी मजबूरी है। यह माननीय सदस्य कह रहे थे। इसलिए मन से तो यह इस बात को मान रहे हैं कि ट्राइबल के एरिया में जितना बजट

(श्री हेमराज मीणा)

दिया है उतना बजट पिछली सरकारों में, चालीस साल, पैंतालीस साल में इतना बजट कभी नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी कुछ कमियां हैं उनको हम सब मिल करके दूर करेंगे। सभापति महोदय, एक हमने नई शिक्षा की योजना शुरू की है, सहरिया....

श्री सभापति: चौदह मिनट हो गये आपको। Start concluding it. Come to the point now.

श्री हेमराज मीणा: सभापति महोदय, बहुत लम्बी-चौड़ी रामायण है और मैं उसी तबके का हूं, इस तबके को सरकार कुछ कर रही है, कुछ अपनी बात कहने दीजिये, सभापति महोदय, टाइम बढ़ा दीजिये मेरा।

श्री सभापति: जो आपका प्रिफेस है वह ज्यादा आपने कह दिया, आप अपने सब्जेक्ट मैटर पर आ जाओ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा: जो सत्य बात कहे उसको तो बोलने दें, आप यों ही बोलने लगेंगे तो कौन बोलने देगा।

श्री हेमराज मीणा: सभापति महोदय, सहरिया और केथोड़ी जनजाति क्षेत्र में 135 मां बाड़ी केन्द्र खोले हैं। सभापति महोदय, कम से कम 4500 विद्यार्थियों को रेगुलर उसका लाभ मिला है और उससे शिक्षा के काम में हमने बहुत बढ़ोत्तरी की है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें। आवासी विद्यालय हमने खोले, आश्रम छात्रावास हमने खोले, स्वास्थ्य उप केन्द्र के लिए हमने एएनएम की भर्ती भी ट्राइबल के माध्यम से की। मैं बधाई देना चाहता हूं, आदिवासियों का बेणेश्वर बहुत बड़ा धाम है जिसके प्रति आम आदिवासी की बहुत श्रद्धा है सरकार ने उसके लिए चार करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया। सभापति महोदय, हर प्रकार से हमने प्रगति की है।

अब मैं, सभापति महोदय, इधर विपक्ष के सब लोगों को कुछ सहरिया क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूंगा। सहरिया क्षेत्र में 2003 में 22 लोग भूख से मारे गये थे। सभापति महोदय, 22 लोग भूख से मारे गये थे और सारे मीडिया ने, सब ने इस बात को लिखा था, इलेक्ट्रानिक मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात को जोर से उठाया और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी उस समय प्रदेशाध्यक्ष थीं, उन्होंने भी इस बात को उठाया। जब उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस राज कर रही है पैंतालीस साल, बयालीस साल से लेकिन आज दिन तक इन सहरियाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई, मुख्य मंत्रीजी ने सबसे

(श्री हेमराज मीणा)

पहले बजट में पहले एलोकेशन में निर्णय किया कि सारे बीस हजार परिवार जो आदिवासियों के हैं उनको एक आदेश में बीपीएल में सम्मिलित करके बीस हजार परिवारों को दो रुपये किलो गेहूं अंत्योदय योजना में शामिल करके दिया और बीपीएल की सुविधाएं उनको मुहैया करवाई। सौ दिन का रोजगार उन आदिवासियों को दिया और रोजगार के लिए वन जनशक्ति क्लोजर के रूप में बनाये, आज सौ परिवारों के लिए सौ क्लोजर वन जनशक्ति के नाम से बनाये। सभापति महोदय, न रोजगार की कमी रही, न खाने की कमी रही और न शिक्षा की कमी रही। यह पूरा प्रयत्न पैंतालीस साल के बाद नहीं कर पाये, हमने तीन साल में किया, हमारी सरकार ने किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। वह इसलिए किया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं उस इलाके से पार्लियामेंट की मेम्बर रही हैं पिछले चार-पांच बार लगातार, इसलिए उनको यह सब बातें ध्यान में थीं इसलिए उन्होंने यह किया।

सभापति महोदय, डीपीईपी के द्वारा चालीस हजार आवास बनाये, कई आदिवासियों को हमने आवास बनाकर दिये। उन्होंने मजदूरी की, सरकार ने पैसा दिया, मजदूरी का भी पैसा दिया, मेटेरियल कम्पोनेंट का भी पैसा दिया। सभापति महोदय, कुछ बातें मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। कुछ बातें हैं, ज्यादा नहीं हैं। सभापति महोदय, छात्रावास संचालन का काम चल रहा है, छात्रावासों के संचालन के काम में हमको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि जनजाति विभाग को बजट तो सरकार दे रही है लेकिन बजट देने के बाद में अपाइंटमेंट करने की अथारिटी ट्राइबल डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है। पैसा तो दे रहे हैं लेकिन अपाइंटमेंट करने की अथारिटी हमारे पास नहीं है। आज कई सारे छात्रावास ऐसे हैं सभापति महोदय, उन छात्रावासों में जगह खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशन से अध्यापक आते हैं डेपुटेशन पर, उन डेपुटेशन वालों को हम वार्डन का काम देते हैं। आज अगर जनजाति विभाग का एक कैडर बने, छात्रावास भर्ती करने का अधिकार मिले, रेजिडेंशियल होस्टल में अधिकारी-कर्मचारी लगाने का कैडर बने तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा और हमारे होस्टल में जो छोटी-मोटी कमियां रहती हैं वह दूर हो सकेंगी। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी कहीं न कहीं बैठी होंगी जो सुन रही होंगी, कि ट्राइबल डवलपमेंट के लिए यह भी आवश्यक है कि एक हमारा कैडर बन जाय, होस्टल वार्डन की भर्ती हो, रसोइयों की भर्ती हो, सब टेम्परेरी लोग चल रहे हैं, बेचारे इतने कम

(श्री हेमराज मीणा)

पैसे में काम कर रहे हैं तो वह भी तनख्वाह, रसोइयों की, चौकीदारों की, उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पैसा दे रहे हैं हम रेजिडेंशियल होस्टल के लिए, स्कूल भी उसमें चलता है और रहने की व्यवस्था भी है। लेकिन हमारे साथ समस्या यह आ गई, हमको टीचर मिलेगा एजुकेशन से मिलेगा, हमको वार्डन मिलेगा एजुकेशन से मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके कारण से हमको बहुत बाधा आ रही है। क्योंकि अभी एजुकेशन में इतनी भर्ती होने के बाद भी उनकी भी जगह पूरी नहीं हो पा रही है तो आज मैं समझता हूं कि यह एक अलग से कैडर बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए सरकार की ओर से ताकि इनको लाभ हो सके। सभापति महोदय, एक तकलीफ और है। हमारे जितना बजट एलोकेशन आता है, हम बजट ट्रांसफर करते हैं पंचायत समितियों में, बजट ट्रांसफर करते हैं इर्रिगेशन में, पीडब्लूडी में, सरकारी विभागों में।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं मंत्रीजी से कि हमारे यहां तकनीकी अधिकारियों के अभाव में हम कोई काम खुद नहीं कर पाते हैं। आज सारा पैसा हमको डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। डिपार्टमेंट को देने की वजह से हमको, सभापति महोदय, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि वह डिपार्टमेंट वाले अपना काम तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर करेंगे, परन्तु वह हमारा काम सेकण्ड प्रायोरिटी पर करेंगे। आज जो एलोकेशन बताया था, चर्चा की थी, उसमें साठ प्रतिशत पैसा खर्च होना बताया है जो हमारा बजट एलोकेशन है, यदि यूसीसी हमारे पास और आ जाती, पैसा हमारा जा चुका तो हमारे बजट का व्यय अस्सी प्रतिशत पर जाकर बैठेगा सभापति महोदय। मैं कहना चाहूंगा कि जनजाति विभाग में तकनीकी अधिकारियों को हम भर्ती करें, भर्ती करके या डेपुटेशन पर लेकर के उनके माध्यम से यह विकास की योजनाएं संचालित हों, तो निश्चित रूप से जनजाति क्षेत्र में उसका विकास भी हो जाएगा। वहां के सामान्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, एक निवेदन और...

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड करो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): स्वच्छ परियोजना, अभी मेरी साहब पी.डब्लू.डी. तो बाकी है...

श्री सभापति: It has already been 20 minutes.

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): स्वच्छ परियोजना टी.ए.डी. की एक संस्था है, कमिश्नर साहब उसके चैयरमैन हैं...

श्री सभापति: Two more minutes. I give you two more minutes and then I will call the next name.

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, बस दो मिनट यह टी.ए.डी. वाली बात है अब दो मिनट में करता हूं। यह सोशल डिपार्टमेंट जो है कमिश्नर हमारे जो बैठते हैं उदयपुर में, उदयपुर में बैठकर के सारी संस्था का संचालन करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोटा वाला कमिश्नर को जो चार्ज दिया है उनको भी यह अधिकार दिया जाए कि वह सारा संचालन करे। इसमें भर्ती प्रक्रिया होती ही, ऊपर से अपाइन्टमेंट हो जाते हैं जिसका पता नहीं है, इसको प्रक्रिया में लाने के लिए सहरिया परियोजना बनी हुई है बारां जिले में कलक्टर उसका अध्यक्ष है, उनको अधिकार दिया जाए ताकि वह अपनी भर्ती कर सके और सही लोगों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, यह बहुत आवश्यक है अब मैं यह कहना चाहूंगा सभापति महोदय कुछ आपको रोड के बारे में मेरी मांग संख्या 19 और 21 के बारे में और थोड़ा सा निवेदन करूंगा, पांच दस मिनट में अपनी बात खतम करूंगा, सभापति महोदय, पांच मिनट में कर दूंगा....

श्री सभापति: One more minute.

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): वैसे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने जितना राजस्थान में पी डब्लू डी के क्षेत्र में काम किया है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर क्षेत्र में उन्होंने किया है...

श्री सभापति: आप लिखकर के दे देना. He is not even present here.

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में किया, डी.ओ.टी. का भी एक अच्छा आइडिया उन्होंने बनाया, मिसलिंग भी अब लेने वाले हैं, कई सारी बातें उन्होंने अच्छी ली हैं। उसका लाभ मेरी कनस्टिट्युअन्सि को सबसे ज्यादा मिला है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं लेकिन मुझे एक तकलीफ भी है, मुझे तकलीफ है ट्राइबल का एरिया है, उप योजना क्षेत्र है उसको तो भारत सरकार ने सड़क निर्माण में ढाई सौ की आबादी के अंतर्गत ले लिया लेकिन सहरिया क्षेत्र को छोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहूंगा, मुख्य मंत्रीजी को भी कहूंगा कि ट्राइबल एरिया का अगर ढाई सौ की आबादी तक के गावों को सम्मिलित किया सड़क निर्माण करने के लिए। तो यह मेरा जो सहरिया क्षेत्र है

उसको भी ट्राइबल में माना जाता है। स्पेशल सेन्ट्रल गवर्नमेंट (व्यवधान) वहां आती है तो उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार भी प्रस्ताव भेजे और इधर बैठने वाले लोगों को भी कहूंगा कि जरा सहरिया पर भी कृपा करें ताकि कुछ काम हो सके। सभापति महोदय, दो तीन रोडों के बारे में सुझाव बजरंग गढ़ से किशनगंज रोड तो बन चुका सभापति महोदय लेकिन रोड़ की इतनी हालत खराब है कि इसको दुबारा भी रिपेयर करना पड़ेगा तो मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इसमें कुछ पैसा देवें। सभापति महोदय, जलवाड़ा से बराणा रोड तो बन गया लेकिन पार्वती का पुल नहीं बना इसके कारण बरसात में रास्ता बंद हो जाता है। तो पार्वती पुल का निर्माण हो ताकि जलवाड़ा से बराणा रोड ठीक प्रकार से चले। सभापति महोदय, रामगढ़ से मांगरोल रोड अभी बनाया इन्होंने, कौन से मद से बनाया? मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक से या सी.आर.जी. किसी से बनाया होगा लेकिन रोड तो बन गया, रोड बहुत अच्छा बना है लेकिन सभापति महोदय, बीच में एक पुलिया है, उस पुलिया के न होने के कारण रास्ता पूरे बरसात में बंद रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा मंत्रीजी जो यहां नहीं सुन रहे हैं लेकिन जो भी मंत्री बैठे हैं वो मेरी बात को सुन ले मंत्रीजी तक पहुंचा दें ताकि यह एक पुल बन जाए। केलवाडा से खंडेला रोड तो सरकार ने बना दिया लेकिन वहां पर खेडला की एक पुलिया है उसके कारण बरसात में रास्ता बंद रहता है, इसी तरह का कस्बा तानाशीया आगर, कस्बा तानाशीया आगर के बीच में एक नदी है, रोड बने बरस हो गये लेकिन उस नदी के कारण से पूरे बरसात में रास्ता बंद रहता है तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये जो मेरे कुछ अधूरे काम पड़े हैं वो आपके माध्यम से पूरे हों, एक पिनपांइट बात कहना चाहूंगा सभापति महोदय मेरे क्षेत्र में...

श्री सभापति: अब आप धन्यवाद दे दें मेरे ख्याल से।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): बस दो बातें कहूंगा सभापति महोदय, दो बात कहकर के अपनी बात खतम करूंगा..

श्री सभापति: You have already taken 5 minutes, asking for 2 minutes.

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, मेरे यहां एन एच 76 रोड बन रहा है। सभापति महोदय, एन एच 76 रोड मेरे यहां बन रहा है

उसके लिए बधाई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट को भी। लेकिन वहां पर 2-3 कम्पनियां काम कर रही हैं। उन कम्पनियों ने क्या किया सभापति महोदय, उन्होंने जितना काम किया है उनके डम्पर और ट्रक चलने की वजह से मेरे कम से 10-12 रोड तो बिलकुल खतम हो गये। तो मैं चाहूंगा कि वहां जिला प्रशासन की तो काफी मिलीभगत सी लगती है, जो पी डब्ल्यू डी के अधिकारी यहां बैठे होंगे, मंत्रीजी को कहूंगा यदि अगर हमने एल एन टी और केएमसी को दबाव देकर के यह नहीं कहा कि रोड की वे रिपेयर करे अन्यथा करोड़ों रुपए का नुकसान राज्य सरकार को भोगना पड़ेगा, उसकी मरम्मत राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इस बात को प्राथमिकता से लिया जाए...

श्री सभापति: चलिए थैंक्यू वैरी मच, खुशवीरसिंहजी, अब आप कन्क्लूड कर दें, थैंक्यू वैरी मच।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, मेरी एक छोटी सी बात है एन एच 90 जो बारां से एकलेरा के लिए अनाउंस किया है

श्री सभापति: There are others who are running out of time. This is like you are being selfish.

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, यह रोड एन एच 76 को जोड़ता है, सभापति महोदय, एन एच 76 को जोड़ता है तो यह जो हमारा 96 वाला रोड है एन एच 76 वाला यह एन एच 12 को जोड़ता है। तो सभापति महोदय, वह जो टुकड़ा बचा हुआ है मैं चाहूंगा मंत्रीजी इस एन एच 96 को चालू करवायें ताकि खड्डे मिटे ताकि लोगों को आसानी हो सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक्यू वैरी मच, श्री खुशवीर सिंहजी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 19 और 21 पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। सभापति महोदय, किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना बिना सड़क यातायात के अधूरी है, समय कम है मैं मेरे कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, सुझाव हैं वह मैं देना चाहूंगा। सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात जो माननीय सभी सदस्यों ने अपने वक्तव्य में बताया सड़क बनना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी गुणवत्ता पर

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

ध्यान दिया जाए। हो क्या रहा है हकीकत में कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में जानकारी दी है सदन में। सबसे पहले हम बात करते हैं सभापति महोदय, जो ये पैकेज बनाकर तब से ये रोड का जो कान्ट्रेक्ट दिया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और वह पैकेज बनाकर जिन बड़े ठेकेदारों को सड़क मिलती है वह सबलेट कर लेते हैं, यह सब को मालूम है और उसके साथ-साथ कुछ ठेकेदार पुल बनाकर पूल नहीं, पुल बनाकर जो कान्ट्रेक्ट ले रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा उसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। सभापति महोदय, हम डेनसिटी आफ रोड्स देखे। राष्ट्रीय घनत्व क्या है सड़कों का, उसके अनुपात में अभी हमें बहुत कुछ करना है। हम 50 प्रतिशत भी कम है इस घनत्व में सड़को के। इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, जो हमारी कुल राज्य में 1 लाख 67 हजार कि.मी. सड़कें हैं उनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 5655 और राज्यीय राजमार्ग जो करीब 11 हजार कि.मी. है उनको हम छोड़ दें तो बाकी सड़कों की देखरेख, बाकी सड़कों का पेचवर्क, बाकी सड़कों की रिपेयरिंग की तरफ सरकार का ध्यान कम जा रहा है और जब तक गांव के अंदर सही सड़क, सही आवागमन के साधन सही नहीं होंगे तब तक विकास की कल्पना करना मंत्री महोदय अधूरी है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हमारे लगभग 40 हजार के करीब गांव हैं राज्य में और उनमें से लगभग 25 हजार गांव सड़कों से जुड़े हैं। यह कह सकते हैं कि हर चौथा गांव अभी जोड़ना बाकी है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके विभाग द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, सभापति महोदय, और वह सुझाव है सबसे पहला मंत्री महोदय आप अपने विभाग के साथ-साथ यह जो कृषि उपज मंडी की ये जो आप ले रहे हैं कि हम कृषि उपज मंडी की सड़कें भी हम बनाएंगे, क्यों नहीं उनका काम उनको करने दें, अपना काम आप करें? मैं आपको स्थिति बताता हूं कि कृषि उपज मंडी द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बनी हैं उनकी देखरेख, उनका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग नहीं हो रही है। हम आपको लिखते हैं आप यह लिख देते है कि यह हमारी सड़क नहीं है, यह कृषि विभाग की है। कृषि विभाग को हम लिखते हैं तब यह कहते हैं कि साहब यह बजट नहीं है हमारे पास में तो इस चीज का समाधान मंत्री महोदय, आप खुद सक्षम

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

हैं कर सकते हैं। आपने जिस तरह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को राजस्थान में आपको जो पारितोषित किया है और आप सक्षम हैं तो आप इस समस्या का भी समाधान करें। उसके साथ सभापति महोदय, इस विभाग के साथ मंत्री महोदय, उद्यान विभाग भी आपसे जुड़ा हुआ है। और उसकी ओर पिछले लंबे अर्से से मैं आप ही का नहीं कह रहा हूं, विभाग ने कभी ध्यान नहीं दिया। रियासतकाल के जितने भी उद्यान थे और जिस कंडीशन में आपको सौंपे गये अगर आज उन उद्यानों की स्थिति हम देखते हैं तो आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है उनकी। पिछली बार सभापति महोदय, मैंने मंत्री महोदय को कुछ सुझाव दिये थे इसी से संबंधित जुड़े हुए सुझाव मैं दुबारा देना चाहूंगा। जितनी भी माननीय सभापति महोदय, सड़कों का निर्माण हो रहा है उसके दोनों तरफ आज जटिल समस्या हो गयी है हमारे सामने जूलीफ्लोरा की, अंग्रेजी बबूल की। मंत्री महोदय उस अंग्रेजी बबूल से एक्सीडेंट होने का खतरा बन गया और मोड़ पर जितने भी मोड़ हैं उन मोड़ों पर तो बहुत ही आवश्यक है उनको आप बिलकुल जड़ मूल से निकालें।

सभापति महोदय, उसके साथ-साथ मैंने पिछली बार एक सुझाव भी दिया था कि जो भी व्यक्ति या संस्था सड़कों के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण करते हैं उसके लिए कुछ योजना आप बनायें। और वृक्षारोपण कर अगर वो व्यक्ति या वो संस्था जिसके नाम से उस सड़क का नामकरण करना चाहे तो आपके विभाग का खर्चा भी नहीं होगा और सघन वृक्षारोपण भी हो जाए। और सड़क का नाम उनके नाम से जो वो चाहे, वो सुझाव दे उसके ऊपर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से एक पर्यावरण की समस्या का समाधान भी होगा। उसके साथ जो जेट्रोफा की बात चल रही है, रतनजोत की, तो मंत्री महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह और आपकी सरकार इसकी ओर जो कदम बढ़ा रही है तो आप भी शुरूआत अपने विभाग से सड़कों के दोनों तरफ जेट्रोफा लगाकर कर लें तो उससे आय भी होगी और पर्यावरण की समस्या का भी समाधान निश्चित रूप से होगा।

माननीय सभापति महोदय, कुछ सुझाव हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार ने पिछली बार कहा था कि डब्ल्यूबीएम से बीटी में सड़कों का निर्माण करेंगे, जो डब्ल्यूबीएम बनी हुई है। तो विभाग ने, विभाग द्वारा जो निर्मित डब्ल्यूबीएम थी वो तो सभापति महोदय, करीब-करीब मेरे विधान सभा क्षेत्र में बन चुकी हैं लेकिन जो अकाल

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

राहत के तहत डब्ल्यूबीएम का निर्माण हुआ मंत्री महोदय, उसको आपका विभाग मान ही नहीं रहा है कि यह डब्ल्यूबीएम है। और आपके विभाग के अन्दर आज भी ग्रेवल सड़क के नाम से दर्ज है और जब कि वो हकीकत में अकाल राहत के तहत डब्ल्यूबीएम पंचायत राज द्वारा या अन्य किसी एजेंसी द्वारा निर्मित हो चुकी थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी सड़कें हैं उनको डब्ल्यूबीएम टू बीटी योजना के तहत आप लें। उसके साथ ही जो सड़कें, मैं नाम नहीं बताऊंगा गांवों का, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ है अगर उसमें हम जाते हैं तो लगता है कि वास्तव में कोई ये सड़क है और उसकी चौड़ाई भी 3.75 मीटर्स है। लेकिन उससे जो मुख्य रोड पर जब हम आते हैं तो लगता है कि जैसे पगडंडी पर चल रहे हैं। तो आपने ये सड़कों का जाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तो चल रहा है लेकिन जब मुख्य मार्ग पर आते हैं तो पगडंडी सी लगती है हमें। तो मैं चाहूंगा कि आप जो कोरनेट वाली सड़क की बात कर रहे हैं थ्रू रूट्स की तो उसके तहत जितने भी प्रस्ताव अभी लिये थे उसमें एक भी माननीय विधायक को नहीं पूछा गया, न विधायक की सलाह ली गयी और न इसकी हमें कोई जानकारी दी गयी। अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही जो उनको ध्यान में आया वैसे दिये। तो मैं आपसे चाहूंगा मंत्री महोदय, उसमें हमारे सुझाव भी, हम भी महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कें बनीं उन सड़कों का लाभ मिल सके। एक जो सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग से जुड़ रही हैं उन सड़कों की ओर भी आपको ध्यान देना होगा कि उन सड़कों की स्थिति भी किस तरह हम सुदृढ़ कर सकें।

मंत्री महोदय, अंत में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ मेरे विधान सभा क्षेत्र में ओवरब्रिज की आवश्यकता है और दो राज्य मार्ग भी पिछले वर्ष आपने घोषित किये हैं उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मंत्री महोदय, अभी तक उन दोनों राज्य मार्गों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप बिना किसी दबाव में बिना किसी भेदभाव से इन राज्य मार्गों का कार्य तो प्रारम्भ करें। वहां पर सभी लोग गुजरते हैं कोई विधायक कांग्रेस का होने से मंत्री महोदय, कांग्रेस के व्यक्ति नहीं जाते हैं वो सड़क सब के लिये है। एक साल से लंबित पड़ी है घोषणा हो गयी लेकिन उस पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है इसलिए मुझे लग रहा है ऐसा। ऐसा महसूस हो रहा है

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

मुझे। मैंने धन्यवाद तो दे ही दिया। दो राज्य मार्ग दिये इसके लिए मैंने धन्यवाद दे दिया आपको मंत्री महोदय। उसके साथ-साथ मंत्री महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन सीसी सड़कों का...एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सीसी सड़कें जहां भी स्वीकृत हुई हैं उनकी लंबाई घटा दी गयी है मेरे वहां, तो आप इसकी ओर ध्यान दें कि वो लंबाई कम करके कहां बनाई गयी। क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम करके ले जायी जा सकती हैं? मेरे पास में स्वीकृति के पत्र हैं। जो मैंने याचिका लगाई उसका भी मेरे पास में जवाब है और उसके आधार पर वो सड़कें मौके पर कम हैं उस स्थान पर।

मैं मंत्री महोदय, अंत में, मेरी बात समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांव वंचित रह गये हैं सड़कों से जो पूर्व में बनी हुई हैं उन गांवों के अन्दर लो फ्लाइंग एरियाज हैं गांवों में वहां पर सीसी सड़क के लिए स्वीकृति आप प्रदान करें, ताकि बार-बार वो सड़कें टूटे नहीं। और उसके साथ ही अंत में, पिछली बार माननीय अशोक गहलोत की सरकार के वक्त में माननीय अशोक गहलोत साहब ने सभी विधायकों को बिना भेदभाव के बीस-बीस किलामीटर सड़कें दी थीं। तो हम चाहेंगे कि इस बार आप कम से कम मिसिंग लिंक जो एक गांव से दूसरे गांव के दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर जुड़ने से तीस-चालीस किलोमीटर तक की लंबाई कम हो सकती है तो इस बार भी आप मिसिंग लिंक्स के नाम से हमें पच्चीस किलोमीटर दें सभी विधायकों को तो लगभग सभी विधान सभा क्षेत्रों की अस्सी प्रतिशत समस्या का समाधान हो जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय, आपका धन्यवाद, आभार इस विश्वास के साथ कि आप हमें मिसिंग लिंक्स इस बार जरूर देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या- 19, 21 और 30 पर चर्चा में भाग लेते हुए सर्वप्रथम मांग संख्या-30 पर जनजाति क्षेत्रीय विकास की चर्चा में भाग लेते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय जनजाति मंत्रीजी का और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

माध्यम से उस दक्षिणी राजस्थान का वह आदिवासी क्षेत्र जो 45 साल से छूटा हुआ था, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उस क्षेत्र की जनता की तरफ हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमारे जो जनजाति मंत्री हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को उस समस्त जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में पूर्व में 1 से 9 स्केल तक के पदों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, माननीय महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय जब राजस्थान प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उनके शासन काल में जो 1 से 9 तक की स्केल में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उन्होंने उस क्षेत्र की जनता की आवाज को सुन कर, उस जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए 1 से 9 तक की स्केल के साथ-साथ राज्य की समस्त सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता के, उन बेरोजगार भाइयों और जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जो बीएड की डिग्री ले रहे हैं, टैक्निकल एजुकेशन में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं ।

मैं तीन साल की सरकार की उपलब्धियों के बारे में ज्यादा आंकडों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं शिक्षा विभाग में जहां पिछली सरकार ने लगभग 20 हजार का बैकलाग छोडा था और मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को और हमारे जनजाति मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा विभाग में लगभग चार हजार अध्यापकों को थर्ड ग्रेड में नियुक्ति दे कर एक रिकार्ड कायम किया है । इसके लिये मैं जनजाति मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं । साथ ही साथ चिकित्सा विभाग में 1119 एएनएम को नौकरी देकर, जनजाति बहनों को एएनएम के पदों पर स्थाई नियुक्ति देकर सरकार ने 45 परसेंट के आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से नौकरियों में जो उनको भागीदारी दी है, निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता सरकार की आभारी है। इसके साथ-साथ शारीरिक शिक्षक, कम्पाउंडर, आयुर्वेदिक कम्पाउंडर, पुलिस कांस्टेबल और विभिन्न विभागों की भर्ती में जो 45 पर्सेंट का जो आरक्षण था उसके माध्यम से सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है । उनको जो अवसर मिला है निश्चित रूप से वह सभी लोग

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

सरकार के आभारी हैं। मैं माननीय जनजाति मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस बजट में जो घोषणा की है कि राज्य की अन्य सेवाओं में भी 45 परसेंट आरक्षण जनजाति उप योजना क्षेत्र में दिया जायेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ तब से हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में 74 आरएएस एसटी वर्ग से है । उसमें मात्र 2 आरएएस उस शिड्यूल एरिये से हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि सरकार आरएएस और आरपीएस में भी यह 45 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था में उस क्षेत्र से लिये जाये तो निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में एक खाई है उस खाई को पाटने का एक काम किया जायेगा । सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल में जो पीएमटी में रिज़र्वेशन का आंध्र प्रदेश का, सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया था और उस मामले को लेकर हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी माननीय घनश्याम तिवाड़ी साहब, माननीय कनकमल कटारा साहब और मुख्य मंत्रीजी ने आदिवासियों के प्रति एक अहम भूमिका निभाते हुए, उनके प्रति चिंता करते हुए आरक्षण में जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइड लाइन दी थी उसको सही रूप में आदिवासियों की चिंता करते हुए 5 प्रतिशत का आरक्षण आरपीएमटी में उन्होंने दिया । मैं उस क्षेत्र के समस्त युवाओं की तरफ से और जो एमबीबीएस में प्रवेश कर रहे हैं उन समस्त छात्र-छात्राओं की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वह रिजर्वेशन कायम रखा । मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 45 साल के बाद इस सरकार ने उस क्षेत्र के लोगों की चिंता की है । निश्चित रूप से गरीबी की, आर्थिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति की जो चिंता की है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, हमारे टीएसपी क्षेत्र में जो होस्टल खुले हुए हैं लगभग 170 होस्टल वहां खुले हुए हैं । उन 170 होस्टलों में से बालक के 122 होस्टल हैं और 48 बालिकाओं के हैं । कुल 170 टीएसपी क्षेत्र में होस्टल खुले हुए हैं । जिसमें पांच जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ, सिरोही यह पांच जिले सम्मिलित हैं। इसमें लगभग 11571 लड़के और लड़कियां इन छात्रावासों में निवास करते हैं । 9 आवासीय विद्यालय प्रदेश में खुले हुए हैं । उन आवासीय विद्यालयों में और आश्रम छात्रावासों में पिछले तीन साल में अध्यापकों की, होस्टल वार्डन की और कोच की कमी थी । लेकिन इन पांच

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

सालों में, मैं माननीय जनजाति मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने प्रयास करके होस्टलों में जो वार्डन के पद खाली थे, अध्यापकों के पद खाली थे, विषय अध्यापकों के पद खाली थे उनको भरने का पूरा प्रयास किया है । लेकिन फिर भी अभी उन आवासीय विद्यालयों में और होस्टलों में अध्यापकों के पद खाली हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन होस्टलों और आवासीय विद्यालयों में जो अध्यापक लगाये जाते हैं वह उधार के अध्यापक हैं, शिक्षा विभाग से लिये जाते हैं । हमारे किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य और सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था उस बात को मैं पुरज़ोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सरकार अपने खुद का कैडर स्ट्रेंथ नहीं कर देती, जब तक अपने खुद के अध्यापक नियुक्त नहीं कर देती है, भर्ती नहीं कर देती है तब तक उन छात्रावासों में, उन आवासीय विद्यालयों में शिक्षा का गुणात्मक परिणाम जो हम चाहते हैं वह परिणाम हमें नहीं मिलेंगे। सभापति महोदय, सरकार ने प्रयास किया है लेकिन शिक्षा विभाग से डेपुटेशन पर कोई अध्यापक आता है, कोई लैक्चरर आता है, कोई होस्टल वार्डन आता है उसको 6-6 महीने तक एनओसी नहीं मिलती है । यदि एनओसी मिलती है तो अध्यापक नहीं आता है और अध्यापक आता है तो वह होस्टलों में रहते नहीं हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जब तक टीएडी विभाग अपना खुद का कैडर स्ट्रेंथ नहीं कर देता है तब तक इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो सकता है । ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की चार बार बैठक हो चुकी है और उस बैठक में हमने बार-बार यह प्रस्ताव पास करके माननीय राज्यपाल महोदय को और सरकार को भेजा है उसमें कुछ बातें तो हमारी मान ली गई हैं। लेकिन जो आवासीय विद्यालयों में और आश्रम छात्रावासों में जो अध्यापकों की कमी है इस बात की पूर्ति करायी जाये ऐसा मेरा निवेदन है ।

सभापति महोदय, इन तीन साल के शासनकाल में शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती, निशुल्क साइकल वितरण का कार्यक्रम और स्कूटी वितरण का कार्यक्रम, शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले अनूठे कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिये हैं और उस प्रोत्साहन के माध्यम से बालक और बालिकाएं स्कूल में पढने गईं, कालेज में पढने गये । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस क्षेत्र में और भी ऐसी अनेक लघु सिंचाई योजना हाथ में लेने की जरूरत है और ऐसी कई तरह की योजनाएं हैं जिसको यदि सरकार हाथ में लेती है, लघु सिंचाई

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

योजनाएं हैं, जिस तरह से लिफ्ट इर्रिगेशन योजना है, पिछली सरकार में लिफ्ट इर्रिगेशन का काम बंद पडा हुआ था। वर्तमान में तीन साल के शासनकाल में जितने लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना हमारे इस क्षेत्र में बंद पड़ी हुई थी तीन साल में वह सारी लिफ्ट इर्रिगेशन योजनाएं पुन: चालू की गई है। और उसके माध्यम से जितने छोटे-छोटे किसान थे, जो गरीब किसान थे, ट्राइबल किसान थे उनको उसका पूरा लाभ मिला है । मेरा आपसे निवेदन है कि जिस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां छोटे-छोटे एनीकट बनाकर, छोटे लघु सिंचाई बाँध बनाकर उस क्षेत्र की जनता को लाभ दिया जा सकता है। जिस तरह से जो हमारा जयसमंद बांध बना हुआ है, सराड़ा और सलूम्बर के क्षेत्र को एरिगेट करता है लेकिन उस बांध के ऊपर जो गांव है, जो क्षेत्र रहता है, मेवल क्षेत्र है उसमें वहां किसी तरह की सिंचाई योजना नहीं है यदि खरका नदी पर एक छोटा एनीकट बना दिया जाए जिस तरह से बेणेश्वर धाम पर एनीकट का निर्माण कराया गया है उसी तरह से यदि उस खरका नदी पर एक छोटा एनीकट का निर्माण कराया जाता है तो मेवल क्षेत्र के लगभग 30 से 40 गांव हैं, जो छोटे किसान हैं उनको निश्चित रूप से उस परियोजना का लाभ मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टी. ए. डी. विभाग में हमारे सम्भागीय आयुक्त बैठते हैं वह टी. ए. डी. कमिश्नर भी हैं और सम्भागीय आयुक्त भी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में पी.ओज. काम करते हैं, परियोजना अधिकारी काम करते हैं। परियोजना अधिकारी बहुत से जिलों में आर.ए.एस. अधिकारी लगे हुए हैं और बहुत से जिलों में कहीं दूसरी जगह से लिये हुए इंजीनियर और एक्स.ईएन. है वह उस पद पर बिठाया गया है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। एक जगह एक आर. ए. एस. अधिकारी काम करता है और उसी पोस्ट पर उसी पी.ओज पोस्ट पर एक इंजीनियर काम करता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि सभी पीओज की पोस्ट सीनियर हायर आरएएस की पोस्ट करके उस पर डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर का पद दिया जाकर उन परियोजना अधिकारी के पद पर उस परियोजना अधिकारी का पद बदलकर डिप्टी कमिश्नर का पद सृजित किया जाए तो निश्चित रूप से उस जिले को, जितने भी टी. ए. डी. विभाग में जितनी विभिन्न योजनाएं चलती हैं, व्यक्तिगत लाभ की योजना चलती है,

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

अनेक अन्य योजनाएं चलती हैं, इर्रिगेशन की योजना चलती है, शिक्षा विभाग की योजना चलती है, सड़क की योजना चलती है, व्यक्तिगत लाभ की कई तरह की योजना चलती है। उन सब योजनाओं का प्रोपर्ली मोनीटरिंग हो पाएगा यदि वहां आर ए एस अधिकारी लग जाए। और उन आर.ए.एस. अधिकारी उस पीओटी कार्यालय में जिन सुविधाओं का अभाव है हमने टीएसी की बैठक में पीओज के पास गाड़ी नहीं है, यदि वह सुपरवीजन का काम करेंगे तो कैसे करेंगे। उनके पास महीने में दस दिन गाड़ी किराये पर लेने का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी पीओज की पोस्ट आरएएस, सीनियर आर.ए.एस. की लगाई जाए और जो हमारा कमिश्नर का पद है वह ट्राइबल कमिश्नर अलग से नियुक्त किया जाए। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान में प्रिंसिपल सैक्रेटरी का पद टी.ए.डी. में करके पूरे जनजाति विभाग को एक अच्छा काम देने का, सुव्यवस्थित काम और योजना क्रियान्वयन करने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। बस दो मिनिट में।

माननीय सभापति महोदय, एक-दो बात और कहना चाहता था कि भारत सरकार ने जो पिसा एक्ट लागू किया है, ग्राम पंचायतों को जो अधिकार देने का काम किया है निश्चित रूप से ग्राम सभाओं में, जो हमारे क्षेत्र में जो वन उपज है, जैसे गोंद, तेंदूपत्ता, पत्तल है उसको बेचेने का और उसको सही मूल्य मिले इसके लिए ग्राम पंचायतों को उसका पूरा अधिकार दिया जाए। और टी.ए.डी. विभाग यह तय करें कि किस तरह से इसका संग्रहण करके किस तरह से इसकी मार्केटिंग करके, किस तरह से उन गरीबों को जो तेंदूपत्ता, पत्तल-दोने, जो बांस का काम करते हैं उनको किस तरह से उचित मूल्य मिले इस तरह का काम भी टी. ए. डी. विभाग करें।

मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री की, मांग 19 और 21 पर मेरे क्षेत्र की जो दो-तीन बड़ी-बड़ी मांगे हैं उस पर बात करके मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। पीएमजीएसवाई में 500 के ऊपर के जितने भी गांव थे सारे जुड गए हैं। लगभग 23 गांवों में यह, 23

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

सड़कों कम काम चल रहा है, मैं माननीय सार्वजनिक मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। 250 के ऊपर की आबादी के गांव जुड़ रहे हैं अभी, इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करना चाहता हूं कि एन.एच.-76 जो चित्तौड़ से उदयपुर जाता है वहां से कीर की चौकी से भिण्डर और सलूम्बर से कल्याणपुर और खेरवाड़ा एन.एच.-8 को मिलता है, वह स्टेट हाइवे घोषित हो चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस रोड का निर्माण सीआरएफ में जो भी बजट मिले हमें उस पर उपलब्ध कराकर इस रोड का, ताकि अहमदाबाद और गुजरात जाने वाला व्यक्ति है वह सीधा सलूम्बर और खेरवाड़ा निकल जाएगा। इस रोड की हालत अभी ठीक नहीं है, इस रोड का निर्माण कराने की मांग करता हूं।

दूसरा, सलूम्बर कस्बे के दोनों तरफ बाइपास का निर्माण कराने की भी मांग करता हूं। दूसरा, मिसिंग लिंक में 8-10 गांव जो मेरे जुड़ने है माननीय मंत्री महोदय को प्रस्ताव दे दूंगा, उसको भी जोड़ने का कष्ट करें। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

मांग संख्या 19, 21 व 30 पर विचार

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज मांग संख्या 19 और 21 के बाबत अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, सड़कें विकास का द्वार कही जाती हैं और राजस्थान में सड़कों के मामले में आज जिस प्रकार का जबरदस्त काम हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ है।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

अगर गांवों की सोची, हिन्दुस्तान के गांवों की सोची तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोची और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। उसके तहत आज पूरे राजस्थान में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इसके तहत 4620 सड़कों को जोड़ा गया है और यह हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी की कार्य कुशलता का परिणाम है, हमारी वसुन्धरा जी की कार्यकुशलता का परिणाम है कि 500 की आबादी वाले गांव जुडे हैं, 250 की आबादी वाले गांवों का नम्बर आयेगा ।

अभी विपक्ष में विराजमान जो भी माननीय सदस्य हैं वह भी बोल रहे थे कि यह तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैसा मिल रहा है इसलिए सड़कों के मामले में इतना अच्छा काम हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बिहार को पैसा नहीं मिल रहा ? वहां एक हजार की आबादी वाले गांवों का भी नम्बर नहीं आया है, यह तो हमारी मुख्य मंत्री साहिबा और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी की कार्यकुशलता का परिणाम है कि 500 की आबादी वाले जुडे हैं और 250 की आबादी वाले जुडेंगे। मुख्य मंत्री सड़क योजना, जिसके तहत पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने चार वर्ष के लिए मुख्य मंत्री सड़क योजना शुरू की है निश्चित रूप से इसमें जितने भी राजमार्ग हैं और उन राजमार्गो के रास्ते पर पड़ने वाले जो भी गांव हैं उन गांवों में सी.सी. सड़क बनी है और सी.सी. सड़कों का बहुत ही सुंदर जाल पूरे राजस्थान में बिछा है ।

मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत मैं मेरे पाली जिले की बात करती हूं, मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत काफी गांव पाली जिले के जुड़े हैं और

(समय : 17.00 बजे)

मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र के कम से कम इसमें 20 गांव जुड़े हैं। और प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 16 गांव जुड़े हैं। 78 गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पाली जिले के जुड़े, उसमें 16 गांव मेरे जुड़े हैं। आपके भी जुड़े होंगे मगर आपको प्रशंसा करनी नहीं है। विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के धर्म का पालन करना है, विरोध में तो बोलना ही पड़ेगा। अगर गांव की सोची है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सोची पूरी हिन्दुस्तान के गांवों की और राजस्थान के गांवों की सोची तो हमारी वसुन्धराजी ने और सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने सोची है। यह उसी के तहत है। अभी आप कहेंगे, आपके मंत्री हैं, केन्द्रीय मंत्री, रघुवंश प्रसादजी ने, उन्होंने भी इस बारे में राजस्थान की प्रशंसा की है। क्योंकि वह जानते हैं कि अच्छी चीज की प्रशंसा की जानी चाहिए। वह भारतीय हैं और

भारतीयों की आदत है कि अच्छी चीज की प्रशंसा करते हैं, बुराइयों की प्रशंसा नहीं करते हैं। मैं उनको अच्छा कह रही हूं। जो नहीं करते हैं, वह अपने को आंक लें, वे कहां हैं। भारतीयों की यह एबेलिटी होती है कि अच्छी बात, भारतीय संस्कृति में, मैं बताती हूं आपको, भारतीय संस्कृति में यह चीजें हैं। अभी मैंने कहा था, जब नवलगढ़ से आने वाली मेरी बहन बोल रही थीं, माननीय सदस्या, तब इन्होंने कहा कि आप एक आंख से देखते हो। एक आंख से नहीं, दो आखें हैं। एक आंख से तो...

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): घुमा-फिराकर के तो देखा करो। यह भी तो कहा था।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): हां, आपने यह भी कहा था।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): एक आंख कहां, 4 आंखें हैं। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सम-दृष्टि से, मैंने कहा था हमारे... (व्यवधान) जो ईश्वर को मानते हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): दो आखें हैं हमारे, 8-10...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सदन में मेरी डिमाण्ड पर चर्चा हो, सदन में मेरे विभाग के बारे में चर्चा हो, राजस्थान की सड़कों के बारे में चर्चा हो। यह मेरी आंखों के बारे में चर्चा, यह कौनसा मुद्दा हो गया? और सभापति महोदय, एक आंख से इस उम्र में देखना...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूं मैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कारण यह है कि आप झुंझुनूं के प्रभारी मंत्री हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): इसी पर तो चर्चा हो रही है कि इस उम्र में एक आंख से देखा जाए। इसलिये तो चर्चा हो रही है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): सभापति महोदय, अभी दिग्विजयसिंहजी ने और मैंने फैसला किया है कि 2 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई जाए कि इनकी आंखों के बारे में चर्चा क्यों होती है?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब आप राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, मंत्री महोदय, तब आपकी आंखें बड़ी खतरनाक थीं। उनको तब की याद आ गयी होगी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय नाथूसिंहजी ने और स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बैठकर चर्चा कर ली थी कि क्यों आंखों के बारे में चर्चा हो रही है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मैं तो भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रही हूं। हमारी वसुन्धराजी और हमारी भारतीय संस्कृति। वसुन्धराजी ईश्वर को मानने वाली हैं। और राजस्थान में आप भी ईश्वर को मानने वाले हो, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी। राजस्थान में 3 साल पूर्व जो सत्ता राजस्थान की जनता ने जिस वजह से वसुन्धराजी को दी...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने इनको कभी मंदिर में देखा। आप कहते हैं कि भगवान को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। आप तो 3 साल से देख रही हो, मैं 12 साल साथ रहा हूं और मैंने 12 साल में... (व्यवधान) इनको कभी घुसते नहीं देखा।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय सभापतिजी, मैं जो.... (व्यवधान) देवियों की पूजा तो करते हैं। मंदिर में नहीं जाने से कोई यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वे ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं हैं। भगवान तो मन में विराजमान होते हैं। ईश्वर हमेशा मन में विराजमान होते हैं। मंदिर में जाने से कोई प्रदर्शित नहीं होता। कोई प्रोपेगण्डा करते हैं, कोई नहीं करते।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): देसूरी से आने वाली माननीय सदस्या ने मुझे बहन कहा है तो थोड़ा सजेशन दे दूं बड़ी बहन होने के नाते। इनकी ज्यादा बड़ाई नहीं करो, कई दुश्मन हो जाएंगे आपके।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप तो नहीं होंगी ना?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मैं सत्ता में नहीं हूं। लेकिन जो उधर बैठे हैं ना, बहुत सारे, वह सब दुश्मन हो जाएंगे आपके।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उसकी मैं चिन्ता नहीं करती हूं। जब काम किया है तो उसको अच्छा कहना ही पड़ेगा। आप उसका कुछ भी समझें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): यह तो इन्होंने.... (व्यवधान) ठीक है, आप न डरें तो आपकी मर्जी, बाकी आपको आगाह करना मैं मेरा फर्ज समझती हूं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): कम से कम आप से तो यह उम्मीद

नहीं है कि आप, नारी-शक्ति किसी से डरती नहीं है। इसलिये आपसे तो यह उम्मीद नहीं है कि आप मुझे यह सजेशन दें। अगर अच्छा काम करेंगे तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मैं तो खतरों से आगाह कर रही हूं आपको।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): खतरे और जीवन एक ही चीज है। खतरों से क्या घबराना।

मैं भारतीय संस्कृति पर आती हूं वापस। हमारी वसुन्धराजी ने जब 3 साल पहले राज सम्भाला तब राजस्थान की जनता ने उन्हें जिस वजह से इस सर्वोच्च पद पर बैठाया, उसी के अनुरूप आज गांव, ढाणी में सड़कें बनी हैं और इसका परिणाम देखना आप, इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आयेगा। गांव, ढाणी में बहुत अच्छी सी.सी. सड़कें बनी हैं और कांग्रेसी, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, वे भी इसके लिये हमें धन्यवाद देते हैं, वह इतनी सड़कें मेरी कांस्टीट्एंसी में घोषित की हैं, इसके लिये धन्यवाद। वह यह कहते हैं कि हम बरसों तक, 50 साल तक हमारा राज रहा और हम यह चीज नहीं करवा सके और आपने करवाया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): देसूरी से आने वाली मेरी बहन, एक बात और बता दूं आपको कि आप इनका हश्र भी अटलबिहारीजी वाला ही करना चाहती हो क्या। उन्होंने बहुत सड़कें बनाई लेकिन परिणाम क्या रहा, आते चुनाव में उनको प्रधान मंत्री की गद्दी से हटना पड़ा। तो वही माननीय राजेन्द्रसिंहजी के साथ करना चाह रही हो क्या आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया, अब क्या करें, यह तो दुर्भाग्य की बात है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): आपकी जानकारी अधूरी है, मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा नहीं था। मांगा नहीं था, मैंने कांग्रेस का टिकट।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है, वह अच्छी विचारधारा, अच्छे काम करने के लिये ही बनती है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, देसूरी से आने वाली महिला ने कही है, यह बात मुझे बड़ी पसन्द है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): महिला नहीं, माननीय सदस्य कहें। यह महिला क्या कह रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): महिला कहना गलत है, माननीय सदस्य हैं वह, महिला नहीं हैं। सभापति महोदय, महिला नहीं हैं, वह माननीय सदस्य हैं।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हां, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ने जो कहा।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): एक जिले से एक बार में एक ही सदस्य बोल सकता है, वह बोल रही हैं, नवलगढ़ से माननीय सदस्य बोल रही हैं। एक जिले से एक ही सदस्य बोल सकता है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): इनके पक्ष में ही बोलूंगा, इनके पक्ष में बोलूंगा। बात तो सुनो एक बार। इसी पर मैं एक बात कहना चाहता हूं।

तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं,
तूफानों से उसको टकराने की जरुरत नहीं
जो लोग जिया करते हैं दूसरों के सहारे,
उसे जमाने की जरुरत नहीं।
इसलिये सीधे-सीधे बोलते रहा करो।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरुरत नहीं होती।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपको यह शेर पहले क्यों नहीं याद आया।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): अभी मैंने, अभी मैंने बात की कि मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस चीज को सराहा है और फिर श्रवणजी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी इस चीज को सराहा है। तो यह चीजें तो सराही जाती रहेंगी। (व्यवधान) आप चिन्ता क्यों करते हैं, मुझे बोलने दें ना।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आपको एक्सपीरियंस दे रही हैं सीनियरिटी का।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आपने तो जो डबल्यू.बी.एम. रोड बनायी थीं, उनके वहीं पर वह कलेक्शन करके ही छोड़ दिया था। जितनी भी डबल्यू.बी.एम. रोड हैं उनको सारा डामर वसुन्धराजी ने और सार्वजनिक

निर्माण मंत्रीजी ने ही कराया है। आप तो सुनें और सुनकर जाओ, और अपनी कांस्टीट्एंसी में जाकर जनता से बात करें। ऐसे ही खयाली पुलाव मत बनाइये आप।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सदस्य, आप हमारी सिफारिश तो करें, जाएं कहां।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मेरे को बोलने देंगे कि नहीं देंगे आप। अभी अतिवृष्टि, अप्रैल में जब अतिवृष्टि हुई...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह श्रवणजी को कहा है, कांग्रेस को नहीं कहा है। श्रवणजी पक्के कांग्रेसी भी नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य: वहां पर जाकर देखा था क्या?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हां, यह पहले मेरे साथ में एम.एल.ए. थे, निर्दलीय थे।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): अभी 2 महीने पहले जो अतिवृष्टि हुई, उसमें भी जहां पर ज्यादा बारिश हुई वहां पर सड़कों पर गड्ढे पड़ गये पानी की वजह से। उसमें भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, उनके सारे स्टाफ को। उन्होंने स्पष्ट रूप से मानसून जो सितम्बर में चला जाता है, उसके बाद में जो गड्ढे पड़े उन्होंने स्पष्ट रूप से विभाग के अपने अधिकारियों को कह दिया कि अक्टूबर तक यह सारी सड़कें ठीक हो जानी चाहिए और उसके अनुरूप जहां पर भी इस प्रकार से क्षति हुई वह सारी सड़कें ठीक हो गयीं। कुछ पुल टूटे, वह भी ठीक हुए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी रोड्स की हालत इस अतिवृष्टि की वजह से बहुत खराब हो गयी। चलो, हाथों-हाथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। देवली की पुलिया कहो, चाहे सोड़ावास की सड़क कहो, चाहे सोना-ए-माजी की सड़क कहो, इस प्रकार से नाडोल की पुलिया कहो, सारे जो बारिश की वजह से सड़कें और पुलिया टूट गयी थी वह भी हाथों-हाथ तीन महीने में ऐसा कभी नहीं हुआ राजस्थान के इतिहास में। बांध मेरे यहां फूटा, ऐसे भी कभी नहीं हुआ जब डिमांड्स पर आएंगे तो सिंचाई मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगी, उनको भी। तीन महीने में ही जो पुलिया और सड़कें बनी। टूटी, उनके पैसे मिल गये और काम स्टार्ट हो गया और काम प्रगति पर है और कहीं पर तो काम खतम भी हो गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का इतना जबरदस्त जाल बिछा है। गत वर्ष अजमेर सड़कों के

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

मामले में पूरे राजस्थान में प्रथम था और इस वर्ष पाली जिला प्रथम है और देसूरी में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं। बहुत से गांव जुड़े हैं सी.सी. रोड्स बनी हैं और इस बजट में मिसिंग लिंक की घोषणा कर दी तो कुछ मिसिंग लिंक बाकी है वे भी बन जाएंगी और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आपके भी उतनी की उतनी सड़कें बनी हैं जितनी हमारे बनी हैं। यह दिव्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बात है कि जो भगवान को पूजा करते हैं वे सब को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन में भारतीय संस्कृति रची-बसी होती है वह सब को देखते हैं। ठीक है, कहीं खान-पान खराब हो जाता है तो उनके संस्कार भी खराब हो जाते हैं। भारतीय ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह राठौड़ साहब पूजा करते हैं क्या? उनके संस्कार बिलकुल ठीक हैं पूजा नहीं करते हैं तो भी ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): राठौड़ साहब कौन से देवता की पूजा करते हैं?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): समय जाया होता जा रहा है, वाद-विवाद नहीं हो तो उचित रहेगा।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अगली बार जीतकर आना तब मजा आएगा।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): क्या? आएंगे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अगली बार जीतकर आएंगे तब मजा आएगा। सड़कों का मजा तब ही आएगा जब अगली बार जीतकर आओगे।

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): यह तो आ जाएंगी लेकिन आप नहीं आये तो?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं विशिष्ट दीर्घा में बैठा देख लूंगा। मैं वहां देख लूंगा बैठकर।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): हमारी सरकार वापस आएगी, यह निश्चित मानकर चलो। आप मन में खयाली पुलाव मत बनाओ। मैं बोल रही थी कि देसूरी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का बहुत जबरदस्त काम हुआ है। सादड़ी, जो रणकपुर वहां का पर्यटन स्थल है, परसराम महादेव पर्यटन स्थल है, आशापुराजी अंछी बाई का मंदिर है, कुछेला महावीरजी का मंदिर है, जैन तीर्थ है, वहां पर पंचतीर्थ है। और जहां पर भी रोड्स हैं वहां पर री-कारपेट

मांगी तो री-कारपेट हो गयी और सादड़ी में तो इतना सुन्दर काम हुआ है कि हमारे एक कांग्रेसी मित्र कहते हैं, वैसे तो कांग्रेसियों से भी मेरी अच्छी बनती है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उधर डेपुटेशन पर हो क्या?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): नहीं-नहीं, वह तो आप पता करो, मैं तो पहली बार ही जीतकर आयी हूं। मेरी सभी से अच्छी बनती है। वे कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि सादड़ी में इतनी बढ़िया जोरदार सड़कें, आपने बहुत सुन्दर सड़कें बना दी हैं। तो अब तो बहनजी, आप ऐसा करें कि इनके बीच-बीच में, क्या कहते हैं वह बीच-बीच में? डिवाइडर लगा दो आप, स्पीड ब्रेकर। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे बढ़िया जूते खरीदो कि इन पर चलने से आप फिसलो नहीं। इसलिए यह वास्तव में हकीकत है और हमने वहां पर मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि हमने वहां पर आपके विभाग का साढ़े चार करोड़ रुपया बचाया है। अतिक्रमण था वहां पर, वह हटवाया। सामने से एक गाड़ी आती थी तो वह भी पास नहीं हो सकती थी। वहां पर नगरपालिका के सभी पार्षदों को हमने इकट्टा करके, सादड़ी के सभी नगरवासियों को, प्रबुद्धजनों को इकट्ठा करके उनको समझाया कि अगर यह रोड चौड़ी हो जाती है तो इससे आपको आवागमन में बहुत सुविधा होगी। और उन्होंने इस बात को माना और अतिक्रमण हटाया। आपके विभाग का भी हमने साढ़े चार करोड़ रुपया उसमें बचाया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के मामले में आफ्टर-रोल बहुत अच्छी स्थिति है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्रीजी को हमारे यहां पर रानी में पी.डब्ल्यू.डी. का ए.ईएन. आफिस खोला इसके लिए, क्योंकि पहले खिवाड़ा के लोगों को बाली जाना पड़ता था, 100 किलोमीटर दूर, और टेक्निकल अधिकारी नहीं होने से सड़कों की हालत बड़ी खराब हो जाती थी। वहां पर मौके पर वे नहीं पहुंच पाते थे। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम करते थे मगर ए.ईएन. आफिस बनने से वह समस्या करीब-करीब दूर हो जाएगी और अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें मिलेंगी। वैसे भी जो ठेकेदार काम कर रहा है अच्छा कर रहा है फिर भी कहीं पर सड़कें किसी न किसी कारण से टूट जाती हैं उनके लिए भी मैं निवेदन करती हूं कि जांच करायी जाए। मैं लिखकर भी आपको दे दूंगी उसके बारे में। आज सड़कों के मामले में यह हालत हो गयी है कि

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट। आज सड़कों के मामले में यह हालत हो रही है कि टेंडर किये जाते हैं और टेंडर में ठेकेदार इतना व्यस्त है कि भर ही नहीं पाता। आज सड़कें इतनी जबरदस्त बन रही हैं, यह हालत है। (व्यवधान) खतम कर दूं?

आपने सभापति महोदय, मुझे सुना। आपने भी सुना और मेरी तरफ से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वसुन्धराजी को बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र और जो ग्रामीण इलाके के जितने भी विधान सभा क्षेत्र हैं, सड़कों से जो पिछड़े हुए थे, सड़कों के मामले में उनका अच्छा काम हुआ है तो निश्चित रूप से वे सभी धन्यवाद दे रहे हैं और राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद दे रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन बामनिया।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 30 पर आज सदन में विचार-विमर्श हो रहा है। मैं इसके साथ में मेरे भी अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के बारे में आंखों से लगाकर सड़कों तक और खड्डों तक काफी तारीफ़ सदन में हुई और मैं भी उस बात को दोहराते हुए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे चित्तौड़ से दाहोद जो राजस्थान और बांसवाड़ा, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली नेशनल नम्बर 113 रोड है जो बांसवाड़ा में राजस्थान की सबसे अधिक बारिश हुई, सबसे अधिक बारिश हुई और उसमें काफी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुए और उस सड़क में कहीं-कहीं खड्डे या पेचवर्क किया गया है और कहीं अभी भी काफी मात्रा में वह रोड टूटी हुई है। और यही नहीं, यह रोड बांसवाड़ा की तीन-चार और विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ती है। घाटोल, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, दानपुर यह सभी क्षेत्र और चित्तौड़ से जयपुर से आने वाला, गुजरात जाने वाला सारा ट्रेफिक बांसवाड़ा होकर निकलता है। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस रोड में अतिशीघ्र उसका काम चालू करें ताकि हमारा जो गुजरात जाने वाला ट्रेफिक है, वह अधिक मात्रा में बांसवाड़ा से निकले। इसके साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा प्रोपर सिटी हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी का विधान सभा क्षेत्र है, जिला हैड क्वार्टर है। वहां पर भी बाईपास रोड की आवश्यकता है और कुछ एरिया नगर

(श्री अर्जुन सिंह)

पालिका का मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। इसमें ढाई कि.मी. सड़क में से एक कि.मी. सड़क मैंने मेरे विधायक मद से बनाई है। मात्र डेढ़ कि.मी. सड़क अगर आप बनवा देते हैं तो पूरी सिटी से क्रोस करके मयूर मिल से सीधा दाहोद रोड जुड़ सकता है ताकि सिटी में आवागमन के साधन, जो बड़े व्हिकल हैं, वह नहीं आकर बाईपास से निकले जब तक दूसरा बाईपास नहीं बन जाता, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बांसवाड़ा में कालेज छात्रावास जो बन रहा है, उसको तीन साल होने को आया, वह अभी तक अधूरा है। और जहां तक मेरा अंदाज है जो वर्क की प्रोग्रेस है उसके आधार पर आने वाले तीन सालों तक भी नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज भी उस कान्ट्रेक्टर का मंथली जो वर्क ऑफ प्रोग्रेस है, वह आप देख लीजिये। मात्र 50 हजार रुपया महीने का जो प्रोग्रेस है उसके अन्तर्गत यह तीन-चार साल पहले नहीं बनना है। इस पर आप व्यक्तिश: ध्यान देकर इस हास्टल को बनवाने की कृपा करें। मेरा जहां तक अंदाजा है आप जब भी वक्तव्य दें तो हमें समय पाबन्दी भी दें ताकि हमारे बांसवाड़ा जिले में जो एस.सी., एस.टी. के छात्र हैं, वह उस हॉस्टल का लाभ ले सकें आपके राज के कार्यकाल में।

इसके साथ सभी वक्ताओं ने आपसे अपने प्रवचन में, अपने वक्तव्य में बोला है मिसिंग लिंक के बारे में। मैं आपसे कहना चाहता हूं तीन साल के कार्यकाल में मिसिंग लिंग का शायद आपके वहां से कोई भी सैंक्शन जारी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न गांव जुड़ते हैं जो हजार की आबादी हो चाहे पांच सौ की आबादी हो । इस बीच में छोटी-छोटी मिसिंग लिंक जुड़ने से कई जगह जो हाइवे तक या मैन सिटी तक व्यक्ति साधारणतया आ सकता है।

इसके साथ मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला मध्य प्रदेश से भी जुडा हुआ है डूंगरपुर से भी, पिंडवाड़ा से भी आपका स्टेट हाइवे है। उसमें भी बांसवाड़ा से रतलाम के बीच में करीब 35 कि.मी. का एरिया पड़ता है। उस 35 कि.मी. के एरिये में भी जो दानपुर विधान सभा के नाम से है, उसमें भी काफी रोड खराब है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन रोड को भी दिखवायें। इस के साथ सी.सी. सड़क जो मुख्य मंत्री योजना के अन्तर्गत दानपुर छोटी सरबन में पिछले सात महीनों से चल रही है, वह अभी

(श्री अर्जुन सिंह)

तक एकतरफा भी पूरी तरह कम्पलीट नहीं हुई है। उनको भी अगर आप प्राथमिकता के तौर पर दिखवायें क्योंकि दानपुर और बांसवाड़ा के बीच दोनों कस्बों में वहां हाट सिस्टम है और शनि और बुध को हाट सिस्टम के कारण वहां काफी मात्रा में लोग आते हैं और ट्रेफिक दो-दो घंटे तक जाम हो जाता है क्योंकि वहां सड़क एकतरफा ही बनी है और एकतरफा भी पूरी नहीं बनने की वजह से दोनों तरफ का रोड पर आना जाना रूका हुआ है। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप इन सी.सी. सड़कों को अतिशीघ्र बनवायें और उस ठेकेदार ने काफी समय से यानि तीन महीने से काम भी बंद कर रखा है तो आप इस पर थोड़ा एक्शन लेकर इन सी सी सड़कों को चालू करवायें।

इसके साथ मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जिला हैड क्वार्टर से कुशलगढ़ करीब 70 कि.मी. दूर है और कुशलगढ़ से पाटन 60 कि.मी. दूर है और पाटन में वहां करीब 7-8 पंचायत है और वहां के लोगों को जिला हैड क्वार्टर पर आने के लिये कम से कम 120 कि.मी. रन करके बांसवाड़ा आना पड़ता है तो आप मिसिंग लिंक के प्रावधान के अनुसार सिर्फ सात कि.मी. की रोड बनवा दें तो वह लोग मात्र सात कि.मी. में बांसवाड़ा आ सकते हैं। ये है नवागांव से सांभरिया। इसमें सात कि.मी. मात्र रोड है और सात कि.मी. रोड बनने से उन कुशलगढ़ के व्यक्तियों को बांसवाड़ा हैड क्वार्टर आने के लिये मात्र सात कि.मी. में वह बांसवाड़ा पहुंच सकते हैं। अगर वह सात कि.मी. की रोड नहीं बनती है तो उनको 120 कि.मी. का रन करके आना पड़ता है ।

मैं इसके आधार पर आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, जनजाति विकास मंत्री उनके साथ बैठकर कई ऐसी जगह हैं जो मिसिंग लिंक के तौर पर मात्र एक-दो कि.मी. की रोड बनने से दूरदराज के 70 कि.मी., 80 कि.मी. दूर के लोगों को बेनीफिट हो सकता है। ऐसी दो-तीन पुलिया हैं । मैं आपसे कहना चाहूंगा लिलवानी डेम के पास में नदी पर पॉवर हाउस पर एक पुलिया बनने से सल्लोपाड़ा 80 कि.मी. दूर जो जनजाति बाहुल्य के लोग हैं, वह बागीदौरा और बांसवाड़ा आने के लिये उनको शोर्ट में रास्ता हो सकता है और वहां अध्यापक जो बागीदौरा से 50 कि.मी. अध्यापक अध्यापन के लिये जाते हैं उनको भी शोर्ट रास्ता मिल सके। और वहां के आदिवासियों को शिक्षा के लिये आने-जाने का एक मात्र रास्ता एक पुलिया लिलवानी पर बनने से, जो बागीदौरा विधान सभा में है, उसके बनने से काफी मात्रा में फायदा होगा। इसके साथ घोड़ी तेजपुर एक कि.मी. रोड और एक

(श्री अर्जुन सिंह)

पुलिया बनने से 25 कि.मी. का अन्तर हो सकता है, यह भी आप नोट कर लें। मूलिया का डूंगरा और पुलिया के बीच में मात्र एक कि.मी. रोड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस पुलिया में अगर आप एक डेढ कि.मी. जो रोड है, वह मैं मेरे विधायक मद से आपको सहयोग करने को तैयार हूं । इस तरह से कई छोटे-छोटे रोड हैं वह बनने से कई तहसील हैड क्वार्टर, कई जिला हैड क्वार्टर पर आने से लोगों को सुविधा हो जायेगी। जैसे गढ़ी तहसील में छोटी पनासी से लगाकर आपके बोडीगामा मात्र सात कि.मी. का रोड है, उसको बनाने से आमजा, छोटी पनासी, और टीम्बूरवा कई गांवों को लाभ हो सकता है। उनको बांसवाड़ा घूम-फिरकर जाना पड़ता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो भी आपके सत्ता पक्ष के बांसवाड़ा के विधायक हैं, उनसे आप चर्चा करके जो मिसिंग लिंक है, छोटी-छोटी पुलिया एक दो कि.मी. की रोड है वह बनाकर वहां के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को बेनीफिट दें।

इसके साथ जहां तक जनजाति विकास विभाग की बात हो रही थी। काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी दो लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने की घोषणाएं या अभिभाषण में वक्तव्य दिया गया। पैरा नम्बर 41 में, मैं यह कहना चाहूंगा माननीय जनजाति विकास मंत्रीजी, आंकड़े बहुत हैं, सरकार ने राशि बहुत बताई है पर उन आंकड़ों का जो फायदा मिला है, उन आंकड़ों का जो परिणाम है, वह मैं आपके सामने रखूंगा। और जहां शिक्षा की कमी है और जहां शिक्षा नहीं है वहां आप कितने भी आंकड़े, कितने भी व्यक्तिशः लाभ और कितनी ही घोषणाएं करो, वहां कुछ नहीं मिलना है। माननीय सभापति महोदय, यह आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वह इस राजस्थान सरकार की और, राजस्थान सरकार में बैठे हुए जनजाति विकास विभाग के मंत्री की बात है। जहां उदयपुर संभाग में 158 आश्रम छात्रावास बता रखे हैं और उन आश्रम छात्रावासों में व्यक्तिशः दसवीं बोर्ड का जो रिजल्ट है, वह 22 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। आप चाहें तो मैं इस पेपर को टेबल पर रखता हूं। और उसमें व्यक्तिशः आप नाम चाहे कनकमलजी, तो व्यक्तिशः बांसवाड़ा जिले में जो आश्रम छात्रावास हैं जोलाना में, 15 परसेंट रिजल्ट दसवीं का, जो कन्या, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, स्कूटी की बात कर रहे हैं और साइकिलों की बात कर रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, आश्रम छात्रावास गर्ल्स, जोलाना, 6 लड़कियां पास हुईं, 15 परसेंट रिजल्ट। रामगढ़-

(श्री अर्जुन सिंह)

कुशलगढ़ में 14 परसेंट रिजल्ट, कुशलगढ़ 23 परसेंट, पीपलखूंट-घोड़ीतेजपुर में 22 परसेंट, गागड़तलाई 33 परसेंट, बड़ोदिया 28 परसेंट, सलूम्बर 22 परसेंट, आबापुरा 0 परसेंट, खेड़ावरलीपाड़ा 0 परसेंट, तलवाड़ा 30 परसेंट, बांसवाड़ा कन्या छात्रावास 4 परसेंट। बांसवाड़ा प्रोपर की हालत यह है, 4 परसेंट। नरवाली 25 परसेंट, डूंगरा 40 परसेंट, और पूजपुर डूंगरपुर में 23 परसेंट, सुराता 0 परसेंट, आजपांडवा 16 परसेंट और बीछीवाड़ा 42 परसेंट। इस तरह यह आंकड़े हैं।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ अपने आंकड़े दिये, मैं उनका भी इसके साथ में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टी.आर.आई. की बैठक में कई तरह के सवाल आये और उन सवालों के साथ में काफी चर्चाएं हुईं। चर्चा के साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, आपके सलूम्बर में भी क्या आंकड़े आये हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी बंद ही कर रहा हूं मैं। सलूम्बर में जो सब-डिवीजन हैडक्वार्टर है उसमें भी 25 परसेंट, बबराना में 0 परसेंट, करावली में 0 परसेंट। यह शिक्षा से जुड़ी हुई और यह आदिवासियों की भलाई के रिजल्ट हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूं ...

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दो वह तो आपके कहने पर बनी है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): वो तो मैं दूंगा न।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय आश्रम छात्रावास। आवासीय आश्रम छात्रावास में सारा बजट केन्द्र से आता है सिर्फ जनजाति विकास मंत्री को मानीटरिंग करनी है और वो भी उदयपुर संभाग में मैं आपसे बताता हूं कि सात आश्रम छात्रावास हैं और सात का रिजल्ट आप देखना चाहें। सलूम्बर छात्रावास, आवासीय में 26 परसेंट, खैरवाड़ा आवासीय में 28 परसेंट, कोटड़ा में 6 परसेंट, कुशलगढ़ 10 परसेंट, सीमलवाड़ा 12 परसेंट, आबू रोड के अन्दर 0 परसेंट और प्रतापगढ़ 66 परसेंट। यह आवासीय छात्रावासों के आंकड़े हैं।

अब मैं कहना चाहूं कि यह सरकार आदिवासियों के कितने भी तरह

(श्री अर्जुन सिंह)

के परिणाम दे दे, घोषणाएं कर दे, यह हमारी आने वाली पीढ़ी कौन से रास्ते से जायेगी, सभापति महोदय, यह मैं जानना चाहूंगा, जब भी माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें तो। यह आंकड़ों के आधार पर शिक्षा में जब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो कितने ही तरह से, एक से नौ तक ग्रेड, आर.ए.एस. में, आर.पी.एस. में आप रिजर्वेशन मांगने की बात कर रहे हो और जहां छात्रावासों में, सभापति महोदय, जो आठवीं और छठी, 80 परसेंट से 70 परसेंट वाले बालकों को एडमिशन दिया जाता है इनका रिजल्ट, परिणाम जीरो और पाँच परसेंट आता है। तो हमारा आने वाला ट्रायबल बैल्ट का विद्यार्थी, आने वाली ट्रायबल बैल्ट की जो पीढ़ी है वो कहां ले जाना चाह रहे हैं, यह मैं जानना चाहूंगा।

इस मौके पर मेरा, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी और संसदीय मंत्रीजी ने जो कहा है, तो मेरे एक ही लाइन में जो सी.एम. साहब ने रोड दी है उसमें भी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में, साहब। उसमें भी नौ किलोमीटर दोनों मन्दिरों को जोड़ने की बात मेरे निवेदन पर उन्होंने दिया है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पर एक बात दूसरी और कह रहा हूं, माननीय जनजाति विकास मंत्रीजी, आप के महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा हो चाहे और किसी पैटर्न का पैसा हो, सत्तापक्ष से लगाकर के विपक्ष तक आपने एक निगाह से पैसा नहीं आबंटित किया है। और सबसे ज्यादा इस सदन में अगर आप इसका परिणाम लाकर देखना चाहो तो मात्र सागवाड़ा ही आपका ट्रायबल बैल्ट है या उदयपुर संभाग का टाडा क्षेत्र का नहीं है, उसके लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी एम.एल.ए. को एक नजर से आपने नहीं देखा है। वहां भी आदिवासी रहते हैं।

माननीय जनजाति विकास मंत्रीजी, मेरा आप पर आरोप है कि आपने ट्रायबल संभाग के जितने भी सत्तापक्ष के जन-प्रतिनिधि हों चाहे विपक्ष के जन -प्रतिनिधि हों, सब को आपने दबाया है ना कि उनकी भलाई की है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं और, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। डा. सुरेश चौधरी।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): सभापति महोदय, अपनी एक बात और कह

(श्री अर्जुन सिंह)

रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, एक बात और कह रहा हूं कि इस सरकार में, वसुंधराजी की सरकार में मात्र नाम मात्र के लिए एक आदिवासी मंत्री बनाये हैं जो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। यह मेरा आरोप है, माननीय संसदीय मंत्रीजी।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, इनका सोच ठीक नहीं है। यह जागृत किया है मैंने तो। यह सोच रहा हूं कि जन-प्रतिनिधि जितने आगे आकर के इस क्षेत्र में काम करें। यह तो ठीक है कि भीखाभाईजी हुआ करते थे सागवाड़ा में और वो एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया उस एरिया में। सभी जन-प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष हो, पक्ष हो तो 50 साल में एक भी गांव में कोई काम, कोई सड़क, कोई काम ही नहीं किया। वो काम ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): भीखाभाईजी ने किया, नहीं किया वो बात नहीं है, आपने समान अन्तर से पैसा नहीं...(व्यवधान)...

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसमें अगर एक-दो काम ज्यादा हुए हैं तो उसका कोई एहसान नहीं है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, संसार छोड़ कर चला जाए उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। माननीय भीखाभाईजी इस दुनिया में नहीं हैं। और वर्षों तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया सागवाड़ा का, आप उनकी आलोचना कर रहे हो।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): पैसा वितरण करते हैं जनसंख्या के आधार पर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। माननीय मंत्री महोदय, आप विराज जाएं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इस सदन में तो उनको श्रद्धांजलि दी गयी है, भूरि-भूरि उनकी प्रशंसा की गयी है और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, अब आप उनकी आलोचना कर रहे हो।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह बात कह रहा हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमारी तो यह परम्परा रही है कि जो स्वर्गीय हो जाता है उसके गुणगान ही करते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते हैं। इतनी, थोड़ी-बहुत तो समझ होनी चाहिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें। माननीय मंत्री महोदय, आप भी विराज जाएं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। राजनीति से ऊपर उठकर के कोई काम किया है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): उदयपुर संभाग में आपकी कमी है, आपने उदयपुर संभाग के सभी विधान सभा में अगर समान बजट दिया है तो मैं इस्तीफा दूंगा और नहीं दिया है तो आप दें। सदन में इस बात की घोषणा करें और जांच करवा लें।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसलिए इस बात का कहना गलत है। (व्यवधान) सभी जिले के अन्दर जनसंख्या के आधार पर हमने किया। और इसलिए इस बात का कहना गलत है और यह आप अपने क्षेत्र में स्वयं जा नहीं पा रहे हैं, स्वयं काम नहीं कर पा रहे हैं। यह झूठा आरोप है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय मंत्री महोदय, उदयपुर संभाग के सभी विधान सभा क्षेत्र में अगर आपने समान बजट दिया है तो आप दें।

एक माननीय सदस्यः आप दोनों ही इस्तीफा दे दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि स्वर्गीय भीखाभाई के बारे में जो टिप्पणी इन्होंने की है वह आप कार्यवाही से निकालें। जो सदन उनको श्रद्धांजलि दे चुका, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा यह कर चुका, आज जो इस दुनिया में नहीं हो उनके पीछे से उनके बारे में निन्दा की जाए, यह परम्परा सदन की ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि या तो मंत्रीजी अपने शब्द वापस लें अन्यथा आप इसको कार्यवाही से निकलवाने का कष्ट करें।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हकीकत हो तो क्या वापस लेना है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कुछ भी कहा है, आपकी यह संस्कृति है क्या कि जो दुनिया में नहीं रहे उसकी पीछे से आप आलोचना करें? आज तक नहीं हुआ इस सदन के अन्दर ऐसा।

श्री सभापतिः अब विराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इसको दिखवा लीजिए, मेरा निवेदन है कि आप इसको कार्यवाही से निकलवाएं।

श्री सभापतिः विराज जाएं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा और वाकई में सही बात है कि अगर यह ...(व्यवधान) इसलिए नहीं हुए काम और कर दिया तो कौनसा जनहित में एक-दो काम ज्यादा हो गये और जिन्होंने, आप लोगों ने उस समय नहीं किया तो फर्क क्या पड़ेगा इसमें?

एक माननीय सदस्यः सदन में तो काफी कुछ नहीं हुआ आज तक जो यहां इस बारहवीं विधान सभा में घंटा है।

श्री सभापतिः आप विराज जाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सारे आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा में चाहे नहर लाये हों, चाहे डैम लाये हों, चाहे गुजरात से पानी लाये हों, भीखाभाईजी ने बहुत काम किया है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसमें कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आदिवासियों की काया पलटने का काम किया। जब भीखाभाईजी इस सदन में बैठते थे आप इस दुनिया में नहीं थे।

श्री सभापतिः आप विराज जाएं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): प्रारम्भ में ही, सागवाड़ा नहर तो खाली नाम रखा है और इसीलिए कि वोट मिलते रहें। यह प्रवृत्ति बनी हुई है शुरू से कांग्रेस की और नाम रखो तो यह शुरू से चलेगा नाम अपना और वोट मिलते रहेंगे। लेकिन काम किसने किया, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए कि इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कनकमल कटारा रखें? नाम उसका बदल दो न, उसका नाम कनकमल कटारा रखा जाए क्या?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और उनके दुःख-दर्द को समझा है तो मुख्य मंत्रीजी ने समझा है और काम किया है, इसमें धन्यवाद दो आप लोग।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): इसीलिए ट्रायबल का सारा बैल्ट सागवाड़ा है, इसीलिए काम नहीं हुआ। इसीलिए आप मान लो कि ट्रायबल फंड का सारा पैसा सागवाड़ा में लगा। यह आप कह दो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-19, 21, 30 पर आज चर्चा के लिए सदन में वक्त मुकर्रर किया गया। निश्चित रूप से आज की जो मांग है वह ग्रामीण राजस्थान या ग्रामीण भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान की मांग मानी जा सकती है। कारण कि विकास का पर्याय अगर कहा जाए तो वह चाहे सड़कों का हो, चाहे रेलवे का हो, अगर कोई गांव सड़क से नहीं जुड़ा या कोई प्रदेश या कोई जिला रेल यातायात से नहीं जुड़ा तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि वह जिला और वह गांव पिछड़ा है। आज भी किसी गांव में पहली बार कोई सड़क जाती है या पहली बार बिजली जाती है या पहली बार पीने का पानी या सिंचाई का पानी गांव के खेतों में जाता है तो वह पीढ़ियों तक याद किया जाता है।

तो, इसमें चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे किसी भी तरह के निर्माण का मामला हो, जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी कहा, गुणवत्ता के बारे में कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। 1949 उस समय राजस्थान में कुल किलोमीटर सड़कों का देखें तो 13553 किलोमीटर था और 2006 में चलकर देखें तो राजस्थान में सड़कों का जाल है एक लाख सड़सठ हजार एक सौ अट्ठाइस किलोमीटर है। निश्चित रूप से इतने सालों में आजादी के साठ साल में कुछ ही मेरे ख्याल से पांच सात माह कम हैं। इतने समय में और इतने बड़े देश को देखते हुए मेरे ख्याल में आज जो बातचीत चल रही है कि 250 की आबादी तक के गांव 2008 मार्च तक जोड़ने का हमारा प्रावधान है, अब तक जोड़ दिये जाते। बात थी उसमें इच्छा शक्ति की। चाहे वह सरकार उसमें कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो चाहे वह सरकार मिली-जुली रही हो। लेकिन इस मामले में पहल करते हुए मैं बिल्कुल याद करना चाहूंगा, मेरा नमन है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी को कि पूरे देश की इस विकराल समस्या को अपने दिलो दिमाग पर लेते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू करके फेज वाइज फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और वह एक इस तरह का लिया कि यूनिवर्सल डवलपमैंट हो, एक स्कैटर्ड डवलपमैंट नहीं हो क्योंकि डवलपमैंट सीधा-सीधा सड़कों से जुड़ा हुआ है और उसमें जो यह लिया गया चाहे वह आंध्रा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, एक तरीके से लेकर कि एक हेबिटेशन को उन्होंने यूनिट माना कि habitation upto 1000, then habitation upto 750, then habitation upto

(डा. सुरेश चौधरी)

500 and then habitation upto 250. और उसके बाद का दूसरा गांव भी नहीं लिया इसमें। हो सकता है कोई रेवेन्यू विलेज नहीं हो, रेवेन्यू रिकार्ड में उसको गांव का दर्जा ऐसे हासिल नहीं हुआ हो। लेकिन वहां जो ढाणियां चकों में बसी हुई हैं वहां का स्केटर्ड जो हेबिटेशन है वह ढाई सौ की आबादी, पांच सौ की आबादी पूरी करता है, भले ही उसको रेवेन्यू विलेज का दर्जा नहीं मिला हो लेकिन वह गांव, वह ढाणियां हेबिटेशन से ही तो जुडे।

बहुत बड़ी एक सोच लेकर और निश्चित रूप से मेरे ख्याल में पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर इस तरह की शख्सियत को हमें नमन करना चाहिए, इस तरह की शख्सियत को हमें धन्यवाद देना चाहिए।

घनत्व का जहां तक मामला है सड़कों का घनत्व देखें। अगर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर तो 1949 में हमारा था 3.96 किलोमीटर पर सौ स्क्वायर किलोमीटर। और आज अगर हम 2006 में जाकर देखें तो हमारा घनत्व 48.83 किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हमें इसमें ज्यादा खुश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय घनत्व 102.92 किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर है। निश्चित रूप से प्रयास रहे, अच्छे प्रयास रहे और इस सरकार के आने के बाद भी अच्छा प्रयास और एक टाइम बाउण्ड, सबसे बड़ी आवश्यकता आज हम घोषणा कुछ भी कर दें और घोषणा आगे से आगे करते रहें और वह घोषणाएं पूरी नहीं हों पांच साल। टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हम लेकर टाइम बाउण्ड टार्गेट अगर हम किसी भी चीज का लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को, गांधीजी ने जिस तरह से कहा था कि कोई भी स्कीम बनाते वक्त उस आदमी के बारे में हर हालत में सोचा जाना चाहिए जो सबसे गरीब व्यक्ति है और जो समाज की पंक्ति में सबसे अंतिम स्थान पर खड़ा है ।

निश्चित रूप से वसुन्धराजी के आने के बाद इस तरह की बातों पर ध्यान दिया गया, मनन किया गया। चाहे वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आज के हिसाब से देखें तो हम बारह किलोमीटर सड़कों का प्रतिदिन निर्माण करके चार गांवों को सड़कों से जोड़ रहे हैं । दिसम्बर 2003 से दिसम्बर 2006 तक 12547 किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण करके 3932 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। इसी तरह से जब देश के अन्य राज्यों में अभी भी प्रथम से तृतीय चरण के भी कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं और राजस्थान आज छठे चरण के कार्य पूर्ण करने की तैयारी कर रहा है, करना

(डा. सुरेश चौधरी)

शुरू भी कर दिया है। और छठे चरण की तैयारी करते-करते अब तक 16483 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके 4850 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। छोटी बात नहीं है, इस चीज की तारीफ की जानी चाहिए।

इसके अलावा मिसिंग लिंक में इसी तरह से जो छोटे टूटे टुकड़े थे, बीच में दो प्रान्त को, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को जो सिंगल सड़कें मिलाती थीं, बीच में आधा किलोमीटर का टुकड़ा टूट गया, जो हरियाणा, पंजाब के लोग आते थे, खास तौर से हमारे एरिया की मैं बात कर रहा हूं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी और मेरी जो एडजाइनिंग कांस्टीट्यूएंसी राजस्थान की है उनकी, हरियाण से आते ही हमारे बारे में पता नहीं क्या-क्या कहते हैं वह कि एक भूखा प्रदेश है, एक बीमारू प्रदेश है। वसुन्धराजी के आने के बाद इस बीमारू प्रदेश और भूखे प्रदेश की श्रेणी से हम बाहर आने लगे। इस तरह का इम्प्रेशन, एक इस तरह का रिफलक्शन पूरे देश भर में जाने लगा कि राजस्थान, अब चाहे हैल्थ का मामला हो, बीमारू प्रदेश में नहीं है, बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर आ रहा है।

ग्रामीण सड़कों का जहां तक मामला है, मतलब इतने-इतने बड़े पत्थर लगाकर छोड़ दिये गये, मैं सिर्फ 1998 से 2003 की बात नहीं कर रहा, 1993 से 1998 के बीच की भी बात कर रहा हूं। उस समय भी कुछ जगह ऐसी सड़कें थीं कि चाहे किसी तरह से बनाई गई, उसमें डामरीकरण उसका नहीं किया गया और उस सड़क का कम्पलीट वर्क नहीं किया गया और तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच, छह-छह, सात-सात साल तक सिर्फ आपके जो बड़े रोड़े थे वह पड़े रहे और उन रास्तों से जाना लोगों ने बंद कर दिया और दूसरे रास्तों का चयन कर लिया, वैकल्पिक रास्ते तलाश किये थे।

इस सरकार ने आने के बाद ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प किया उसमें सबसे बड़ा काम यह था कि जो रास्ते दुर्गम हो गये थे, जिन रास्तों से आम आदमी तो क्या आवारा पशु तक भी नहीं जा सकते थे, उनका कायाकल्प करते हुए डब्ल्यू. बी. एम. टू बी. टी. सड़कों का जिस तरह से निर्माण किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 885 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों के विकास और सुदृढीकरण का बड़ा काम वसुन्धराजी की सरकार ने हाथ में लिया। और इस कार्यक्रम के तहत 2500 किलोमीटर मेटल सड़कों को डामर सड़कों में क्रमोन्नत किया गया। बारह हजार किलोमीटर सड़कों के बैकलाग का नवीनीकरण करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया

और इसी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प करने के तहत 4668 किलोमीटर मेटल सड़कों को डामर सड़कों में क्रमोन्नत करने और 11846 किलोमीटर सड़कों के बैकलाग का नवीनीकरण करने और अब तक 2155 किलोमीटर मेटल सड़कों को डामर की सड़कों में क्रमोन्नत करने और 5231 किलोमीटर सड़कों के बैकलाग का नवीनीकरण करने और 208 किलोमीटर महत्वपूर्ण नवीन सड़कों के निर्माण का कार्य भी पूरा किया गया।

इसके अलावा राजस्थान में दूसरा देखिये, एक और पड़ाव सड़कों के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मुख्य मंत्री सड़क योजना मेगा हाई वे परियोजना के तहत 1053 किलोमीटर लम्बाई के राज्य उच्च मार्गों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का विकसित करने का काम हाथ में लिया गया। सोलह आर. ओ. बी. का निर्माण, नौ आर. ओ. बी. के निर्माण की स्वीकृति कर दी गयी, सात अन्य आर. ओ. बी के निर्माण का काम विचाराधीन है। इसी तरह से 4500 किलोमीटर मेटल सड़कों का डामरीकरण करके मुख्य मंत्री सड़क योजना में 2155 किलोमीटर लम्बाई में डामरीकरण का कार्य पूर्ण किया गया और शेष कार्य प्रगति पर है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : मंत्रीजी क्या बोलेंगे ?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बहुत महत्वपूर्ण है मंत्रीजी भी बोलेंगे। मंत्रीजी के पास बोलने को बहुत है। हेमारामजी, कम से कम मैं इस बजट सेशन में पहली बार बोल रहा हूं, मेरे को तो बोलने दें, मैं बोलूंगा इस बजट सत्र में डिमांड्स पर, 4500 किलोमीटर मेटल सड़कों का डामरीकरण महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क का निर्माण, यह इतनी बातें शो करती हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में राज्य सरकार चाहे वह पैसा केन्द्र सरकार का आता हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना में आता हो, चाहे ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कोई मद में आता हो, काम बहुत हुए हैं। लेकिन कहीं इस तरह का नहीं हो कि हम उजला पहनावा पहन कर सफेद कपड़े पहन कर झकाझक खड़े हों। दूसरों को अच्छे लग रहे हों और अन्दर से हमारा इंटेस्टाइन ही खराब हो। हमारा सारा मामला ही खराब हो। हम डाक्टर के पास जाएं तो डाक्टर एक तरह से ए मैन बिफोर डैथ डिक्लेयर कर दे।

जहां तक बात मैं बिलकुल इस चीज पर आना चाहूंगा जो कई माननीय सदस्यों ने यहां उठायी गुणवत्ता की बात। मैं और कहीं नहीं जाऊंगा।

(डा. सुरेश चौधरी)

बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप राजस्थान में। बहुत बढ़िया काम कर रही है राजस्थान सरकार राजस्थान में। लेकिन कहीं वह काम ऐसे ही तो नहीं है जैसे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मैं एक-दो उदाहरण देकर आपको बताऊं। चाहे वह मुख्य मंत्री सड़क योजना का काम हो, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम हो। मैं सीधा-सीधा आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो निर्माण हो रहा है वह अकार्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हो रहा है? मुख्य मंत्री सड़क योजना का काम हो रहा है वह अकार्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हो रहा है ? पिछले दिनों मेरी कांस्टीट्वेंसी का, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मेरी बात हुई थी। व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात हुई थी। दूरभाष पर बात हुई थी। मेरे को खुद निर्देश दिये थे आप मौके पर जाइये, इन सड़कों को चैक करिये, इनके फोटोग्राफ्स लेकर आइये। मैं खुद वहां मौके पर गया। सड़कों के फोटोग्राफ्स लिये। 24 घंटे पहले डामरीकरण उसका किया जाता है, 24 घंटे पहले उसका प्लास्टर किया जाता है और 25 घण्टे बाद स्थिति यह है कि मैं हाथ लगाकर ऊपर से निकालने लगा तो बजरी हाथ में आ गयी। उसके नीचे के जो बड़े-बड़े पत्थर हैं वह हाथ में आ गये। जहां पर डब्ल्यू बी एम में जो स्टोन स्क्रीनिंग डालनी चाहिये वहां मेकेडम की कुटाई की जा रही है। खुलेआम मिट्टी की कुटाई की जा रही है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने मेरे सामने और पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य कासनियाजी के सामने एस ई, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, एस ई, गंगानगर, पी डब्ल्यू डी को फोन पर डांट पिलायी। हम भी खुश हुए कि काम अकार्डिंग टू स्पेसिफिकेशन होना चाहिये। आप जाकर चैक करो। एस ई, पी डब्ल्यू डी, गंगानगर मेरे आफिस में आता है भादरा। मेरी कांस्टीट्वेंसी में कन्संर्ड ए ईएन और कन्संर्ड एक्स ईएन को लेकर आता है और खुद मैंने उनको बताया। उन्होंने खुद मेरे को कहा मंत्रीजी के डायरेक्शन हैं कि यह जो पैकेज है इसकी छह सड़कें मेरे को चैक करनी है। मैं खुद एस ई को बताता हूं कि आप जाकर इन छह सड़कों को चैक करें। छह सड़कें अगर सब स्टेंडर्ड, बिलो स्पेसिफिकेशन, अकार्डिंग टू स्पेसिफिकेशन काम अगर नहीं हो रहा हो तो आप अपनी एक्चुअल रिपोर्ट दें। ताज्जुब की बात है कि राज्य सरकार के इतने शक्तिशाली मंत्री के कहने के बावजूद वह एस ई मात्र एक सड़क पर जाकर आता है और वह सड़क भी इस तरह की कि जैसे डामर किया हुआ है डब्ल्यू बी एम पर। मैं स्कूल का उदघाटन करने गया था।

(डा. सुरेश चौधरी)

एक बांधला मेलिया सड़क बन रही है। मंत्रीजी वहां मेघलिया गांव में स्कूल पाँच का आठ में किया था। राज्य सरकार ने क्रमोन्नत किया है उसका मैं उदघाटन करने गया। गांव वाले कम से कम डेढ़ सौ जने इस तरह से दो-दो फीट के लेवड़े उतारकर उसके कारपेट के मेरे सामने लाकर इस तरह पटक दिये कि इस सड़क का हम क्या करेंगे? यह एस सी हैं, यह अफसर हैं, इंजीनियर हैं, यह इंजीनियर रहेंगे। आज यहां हैं कल वहां चले जायेंगे, परसों वहां चले जायेंगे, तरसो वहां चले जायेंगे और अल्टीमेटली 58-60 में अपने घर चले जायेंगे लेकिन हमें इसी जनता के बीच में रहना है। वह जनता हमें चोर

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कहती है उसके बाद ... वह जनता यह कहती है कि आपके बिना मिलीभगत के इस तरह के काम नहीं हो सकते। उसके बाद वह मंत्रीजी के पास आया। मंत्रीजी के पास आकर फोटो दी। फोटो साफ दिखा रही है कि कितना ज्यादा गलत काम हुआ है। जो सड़क का एजिंग होता है, मुख्य मंत्री सड़क योजना का ले लें, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का ले लें, एजिंग में एक नम्बर की ईंट लगाने का प्रावधान है। वहां एजिंग में लगाये जा रहे हैं खोरे दो नम्बर के। वह बिलकुल फोटो में साफ थे। 20 से 27 परसेंट तक स्टोन स्क्रीनिंग डालने का प्रावधान है पी. एम. जी. एस वाई में। ठेकेदार से बात करते हैं। ठेकेदार कहता है कि उन्होंने हमें माफ कर दिया हमें नहीं डालने हैं। डालने की अनुमति दे दी। हम आकर मंत्रीजी से बात करते हैं। मंत्रीजी ने एक्शन लिया इस पर। मैं यह नहीं कहता कि आपने एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन लिया। आपने तुरन्त चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर को विद क्वालिटी कण्ट्रोल टीम भादरा जाकर उन छह सड़कों को चैक करने के लिये भेजा। यह निर्देश दिये जाते हैं 15 तारीख को। टाइम दिया जाता है 7 दिन का और आज दिन हो गये 37, कोई कार्यवाही नहीं हुई। कल ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से आ रहा हूं। दूसरी जो सड़कें बन रही हैं एकदम वैसी की वैसी बन रही हैं। ठेकेदार सांड बने हुए हैं। इंजीनियर सांड बने हुए हैं। किसी को कुछ समझते नहीं और कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी सब व्यवस्था है। मेरी मंत्रीजी से बात हुई। मैंने कहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके मामाजी का वापस ट्रांसफर कर दूं तब तो सारी समस्या समाप्त हो जायेगी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरा कोई मामा नहीं है। एक मिनट, मैं साफ बता देता हूं इस हाउस में कि अगर वह सहायक अभियन्ता मेरा मामा है तो मैं आज ही इस्तीफा देता हूं या आप इस्तीफा दें। मैं कह रहा हूं साफ कि अगर वह सहायक अभियन्ता मेरा मामा है तो मैं इस्तीफा देता हूं और मेरा मामा नहीं है तो आप इस्तीफा दो। करा लो तय इसी सदन में, इस पवित्र सदन में। राजस्थान के बाहर आप कोई भेज नहीं सकते। एक सहायक अभियन्ता को षडयंत्र के तहत ए. पी. ओ. करके एक्स ईएन ने ए ईएन ... (व्यवधान) इस एस ई ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दर्द वह है आपको।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बिलकुल दर्द नहीं है। पाकिस्तान आप भेज नहीं सकते। बिलकुल दर्द नहीं है लेकिन 7 दिन में रिपोर्ट मंगवाने की बात थी ...

श्री सभापति: आप कनक्लूड कर दें।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 37 दिन तक रिपोर्ट आए नहीं बड़े ताज्जुब की बात है। 37 दिन तक रिपोर्ट नहीं आए और उस पर कार्यवाही नहीं हो। 37 दिन तक रिपोर्ट नहीं आयी। आप हमें एक बार उठाकर देखो अगर 37 दिन में कार्यवाही, 37 घण्टे में नहीं करके दे दें तो। वह तो वक्त खराब था कि 120 आ गये और ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं जवाब दूंगा तब बता दूंगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 80-90 आए हुए होते तो हम भी वहां बैठकर जवाब देते लेकिन यह नहीं है कि कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई भतीजा है, सरकारी नौकर है। कोई आदमी सरकारी नौकरी में है और हम राजनीति में हैं तो जब तक वह ड्यूटी पर है, सरकारी काम कर रहा है, हम एम एल ए हैं और वह सरकारी नौकर है। वह हमारा कोई मामा नहीं है। न हम कोई उसके भांजे हैं और यह पता भी करा लेना आप कि वह किस का मामा है और किस का नहीं है। तो यही चीज तो आ रही है और एक चीज मैं दावा करता हूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड कर दें। थैंक यू।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नहीं, तो मामा है तो मार दें क्या ? मामा है तो सरकारी नौकरी से हटवा लें क्या? मामा तो आपके भी होंगे और एक

काम करो उसको टर्मीनेट कर दो सहायक अभियन्ता को, मैं एक शब्द भी कह दूं तो।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अब आप अपने विषय पर आकर इसको कनक्लूड कर दें।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बिलकुल मैं विषय पर हूं और एक इस तरह के विषय पर हूं जो राजस्थान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सड़क का निर्माण निभाता है और निभाता रहेगा। इस तरह के काम अगर होते रहे तो चार दिन तो वह लोग हमारी वाहवाही करेंगे लेकिन पाँचवें दिन हमें गालियां देंगे, हम नहीं आ पायेंगे।

श्री सभापति: I think the Hon'ble Minister has taken a note of the problem. Now limit it.

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): और इस तरह की बात होगी तो मैं कुछ सुझाव भी देना ... (व्यवधान) सुझाव देने का कोई तुक नहीं है तब बात इस तरह की होने लग गयी कि वह ए ईएन मेरा मामा है और फलां है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि उस ए ईएन को आप चाहे फांसी पर लटका दें अगर वह दोषी हो तो। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, इतना तो जरूर कर लें कि उस सड़क निर्माण में और उस तरह की सड़क निर्माण में चाहे पी एम जी एस वाई हो, चाहे मुख्य मंत्री सड़क योजना हो, उसके अन्दर सवा से डेढ़ लाख रुपया प्रति किलोमीटर तक ठेकेदार बचा रहा है और मेरा यह मानना है कि 5-7-8,000 किलोमीटर सड़कें पूरे प्रदेश में बन रही हैं। सिर्फ और सिर्फ सहायक अभियन्ताओं की वजह से इतना अरबों रुपये का गोलमाल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कोई ऊँचा हाथ ही है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: Anyway thank you very much.

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): Ok, थैंक यू।

श्री सभापति: श्री ओ.पी. महेन्द्रा, सरकारी उप मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(समय : 17.59 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

कार्य सलाहकार समिति (संख्या 18) समिति का प्रतिवेदन

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

(समय : 18.00 बजे)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2007 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने 17वें प्रतिवेदन में परिवर्तन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 29 मार्च, 2007 से 3 अप्रैल, 2007 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

गुरूवार, दिनांक 29 मार्च, 2007	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 एवं 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण
शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2007 शनिवार, दिनांक 31 मार्च, 2007 रविवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2007	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2007	(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण (2) गैर सरकारी कार्य दिवस
मंगलवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2007	राज्य में बिजली एवं अकाल की स्थिति पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन की सहमति प्रदान की गई।

कौन बोल रहा था, श्री नानालाल अहारी।

मांग संख्या 19, 21 व 30 पर विचार

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19, 21 तथा 30 पर चर्चा हो रही है। अभी दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों पर चर्चा की थी । मेरा जनजाति मंत्रीजी से निवेदन है कि जहां पर बालक और बालिकाओं के छात्रावास हैं उनमें प्रत्येक बालक को एक-एक टेबल और एक-एक स्टूल दिया जाये तो उनके बैठने और पढ़ने में काफी सुविधा रहेगी। अभी दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य पर्सेन्टेज के बारे में बता रहे थे और सारा दोष सरकार पर लगा रहे थे। पिछले पाँच साल में इन्होंने एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं की जिसके कारण से आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्होंने जहां-जहां पर अध्यापकों की जरूरत थी आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में सभी अध्यापक लगा रखे हैं। इसमें मेरा एक सुझाव और था कि ट्राइबल एरिये में जहां पहली से तीसरी कक्षा के जो बच्चे पढ़ने आते हैं। कई स्कुलों में जिनके मां-बाप की स्थिति बिलकुल खराब होती है, हैंड टू माउथ होते हैं ऐसी स्थिति में कई विद्यालयों में जहां ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं होते हैं, जिनके पास में पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते हैं। तो उनका भी चयन करवाकर के एक-एक विद्यालय में पांच-पांच, सात-सात और ज्यादा से ज्यादा दस बच्चों की संख्या होती है तो उनके लिए कपड़ों की भी सुविधा अगर एक हाफ पैंट और एक शर्ट दिलाई जाये या उनके लिए कोई पैसे फिक्स कर दिये जायें तो यह हमारे आदिवासी बच्चों के हित में रहेगा। साथ ही जो हमारे माननीय सदस्य अर्जुनजी ने सुझाव दिये हैं उनका समर्थन करते हुए मैं अब सड़कों पर चर्चा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने इस ट्राइब एरिये में जहां ट्राइबल रहते हैं उनके लिए विचार किया, सड़कें निकाली। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे तीन साल के कार्यकाल में 300-350 करोड़ की सड़कें बनी हैं। पहले जो सड़कें बनी थी कांग्रेस के कार्यकाल में हम जीप में बैठकर के जाते या मोटर साइकिल पर बैठकर के जाते तो मोटर साइकिल पर अगर बैठकर के जाते तो पीछे वाली सवारी बैठी है तो उसका पता करना पड़ता था पीछे मुड़कर के देखना पड़ता था कि वास्तव में वह सवारी है कि नहीं है। अगर जीप में किसी महिला की डिलीवरी का

(श्री नानालाल अहारी)

समय होता तो जीप में ले जाता तो उसकी डिलीवरी जीप में ही हो जाती। सड़कों की यह कंडीशन थी और आज जो हम सड़कों पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं या मोटर साइकिल लेकर के जाते हैं तो हमारे पेट में पानी भी नहीं हिलता है। इस प्रकार की सड़कें हैं। यह हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री और हमारे मुख्य मंत्रीजी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच है और आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 19 सड़कों का कार्य चल रहा है और उनकी लागत करीब 17 करोड़ रुपये की है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर सागवाड़ा रोड दो बार टूट चुका है, एक बार 2001 में और अभी 2004 और 2005-06 में भी काफी टूटा है। जहां पर फ्लड में पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो गया था, रोड ही नजर नहीं आ रहा था। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि सागवाड़ा रोड जो टूटा हुआ था, पुलिया सारी टूटी हुई है। यह सागवाड़ा जो रोड है, सागवाड़ा से मादड़ी, फलासिया विधान सभा क्षेत्र को जोड़ता है। इस रोड पर भी आप विचार करें और इस पर जो भी बजट सैंक्शन मिलेगा, इसके बाद भूदर से लराठी और पालिया जो रोड है वह भी काफी पुराना रोड है, टूटा हुआ है। इसको भी आप अगर जोड़ेंगे तो काफी हमारे ट्राइबल के हित में रहेगा। रानावाड़ा से पीपलबारा, जाड़ौल रोड है जिसके लंबाई 75 किलोमीटर है, अगर यह रोड जुड़ जाता है तो केवल 10 किलोमीटर का अंतर रहता है तो लोगों के आवागमन में काफी सुविधा रहेगी। ऋषभदेव से कल्याणपुर और खैरवाड़ा से सलूम्बर स्टेट हाइवे रोड घोषित हो चुका है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको बजट शीघ्रातिशीघ्र दिया जाये ताकि इस रोड को चौड़ा करके आने-जाने में सुविधा होगी। यहां पर सलूम्बर में एक फास्ट ट्रेक कोर्ट भी लगता है और वहां पर खैरवाड़ा से कई मुलजिम पहुंचते हैं, आने-जाने में काफी दुविधा होती है तो उस पर भी आप जल्दी ही विचार करें। साथ ही मेरे वहां पर एक तहसील का भवन है, पूरी विधान सभा क्षेत्र में एक ही तहसील है जिसका भवन अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। वहां पर केवल एक वार्ड है जो बाद में बना हुआ है। इस हास्पिटल और भवन दोनों अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं तो मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें भी आप भवन बनाने की अनुमति देंगे तो काफी वहां लोगों के हित में रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा में महाविद्यालय बन चुका है और इस महाविद्यालय में एक छात्रावास भवन बनाया जाये ताकि वहां के आदिवासी बालक और बालिकाओं को उसमें रहकर के अध्ययन करने में सुविधा होगी।

(श्री नानालाल अहारी)

मेरे यहां 9 रेवेन्यु विलेज बने हैं जिनकी जनसंख्या 500 से लेकर के 1400 तक की है। उन्हें भी आप सड़क से शीघ्रातिशीघ्र जुड़वायें तो हमारे हित में रहेगा। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19, 21 और 30 पर माननीय सदस्यों ने इस सदन में जो महत्वपूर्ण सुझाव रखें हैं मैं भी अपनी बात को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं।

उदयपुर संभाग से आने वाले मेरे सभी माननीय साथी विधायकों ने शिड्यूल्ड एरिया की समस्याओं और सुझावों की ओर सदन में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराया है। सबसे पहले निश्चित रूप से यह कहना पड़ेगा कि वसुन्धरा राजेजी ने शिड्यूल्ड एरिया के लिए जिस तरीके से नीतिगत फैसले लिए हैं, कहीं न कहीं इसके सार्थक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं।

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में शिक्षा के मायने में पिछले गहलोत साहब के राज में राजीव गांधी पाठशालाओं का सिलसिला शुरू हुआ। हम इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं कि एनरोलमेंट था लेकिन पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक थे उनके मन में एक बहुत बड़ी कुण्ठा थी कि हम बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दें। स्वयं 1200 रुपए में अध्यापन करवाने के लिए शिक्षक पहुंचते थे, उनके मन में बड़ी व्यथा थी। वर्तमान सरकार ने उस पालिसी को बदला और हमारे ट्राइबल सब प्लान के अंदर आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट में सर्विसेज है तो वह एजूकेशन डिपार्टमेंट है। पूरे उदयपुर संभाग में हम लोगों के सामने पिछले पाँच सालों में एक ही बात थी कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है, राजस्थान सरकार का खजाना खाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के समस्त मंत्रिमण्डल और मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने जो पॉलिसी तय की और उस पॉलिसी के तहत पूरे उदयपुर संभाग के अंदर इन तीन सालों के अंदर आदिवासी की झोपड़ी से निकले हुए कम से कम 15 हजार लड़के और लड़कियां अध्यापक बने, यह हम सब के लिए गौरव की बात है और उसका परिणाम है कि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 5 हजार अभी और बनने वाले हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपकी ख्याति और बिखरेगी इसके

(श्री जीतमल खांट)

लिए राजस्थान में। आपकी काफी कुछ बहुत जोर शोर से भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जिन विद्यालयों के अंदर पहली से आठवीं तक की तो पढ़ाई होती थी वहां आज नवीं से लेकर बारहवीं तक हमारे लड़कों का एनरोलमेंट तो बढ़ा ही है लेकिन आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे ट्राइबल सब प्लान एरिया में लड़कों के अनुपात में लड़कियों का एनरोलमेंट इतना बढ़ा है कि आज वहां स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बनी है, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा में जिस तरीके से एक प्रगति देखने को मिली है उसमें इस सरकार ने कहीं न कहीं कुछ सोच थी यह उसी का परिणाम है कि आज उस पूरे ट्राइबल सब प्लान एरिया में शिक्षा का ग्राफ ऊंचा हो गया है।

अभी एक माननीय सदस्य यहां पर हर आदिवासी छात्रावास के परिणाम पर सब का ध्यान आकर्षित करवा रहे थे। इनको पिछला पांच साल का अपना इतिहास उठा कर देखना चाहिए कि हमारे राज में शिक्षा की क्या दुर्गति थी। इसी विधान सभा में हम चिल्ला-चिल्ला कर कहते थे कि गेहूं की घूघरी खिलाई नहीं जाती है, उस गेहूं के बाकले बनाकर हमारे गरीब बच्चों को खिलाया जाता है, हम सरकार से बार-बार निवेदन करते थे कि यह उबला हुआ दाना उस बच्चे के पेट में जाएगा तो इस तरीके का प्रोटीन युक्त भोजन उसके दिल और दिमाग को किस तरीके से प्रभावित करेगा। पिछली बार हम सारे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की मंशा थी कि कम से कम उनको दलिया तो बनाकर खिलाया जाए। भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो लेकिन वर्तमान सरकार ने मिड डे मील के माध्यम से गांव और ढाणी में रहने वाले उस गरीब के बच्चे को सात दिन अलग-अलग वैरायटी का भोजन देकर बहुत बड़ा न्याय किया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कांग्रेस ने पिछले 45 साल राज किया और गैर कांग्रेसी दलों ने बाकी पीरियड राज किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ट्राइबल सब प्लान के अंदर गैर खातेदारी से खातेदारी का अधिकार देने का काम पिछले पचास सालों में अगर किसी सरकार ने किया तो इस सरकार ने किया। और एक किसान चालीस-चालीस साल से पेनेल्टी भरता आ रहा था, इस पेनेल्टी से छुटकारा दिलाने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्व मंत्रीजी को जो यहां नहीं है लेकिन उनके मन में भी एक सोच रही है और उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया।

(श्री जीतमल खांट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जनजाति विकास मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अंदर प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर हम लोगों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति विकास मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर ट्राइबल सब प्लान का बाकी का शेष हिस्सा दो तरह के आदिवासी लोग हैं हम इस पूरे राजस्थान में मीणा और आदिवासी। हम ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले, आज हम लोग वहां पर राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हमारा कितना पर्सेण्टेज है, यह आपसे और हमारे से छिपा हुआ नहीं है। आज जहां पर प्री मेडिकल टेस्ट में हम लोगों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार ने काम किया, हमने पिछली बार हमारे राजस्थान के अन्य हिस्सों से हमारे मीणा भाई वहां पर आए फर्जी सर्टिफिकेट लिए और 6 लोगों का वहां पर एडमिशन हुआ। मैं माननीय कटारा साहब, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम यह नहीं कहते, मीणाओं से हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जहां पर मूलभूत आवश्यकताओं का सवाल है यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस इलाके के अंदर हम 50 सालों की आजादी में हम वहीं बढ़े, इस आरक्षण की व्यवस्था से बड़े दु:खी हैं। और हमने किन्ही कारणों से या यह व्यवस्था सरकार के माध्यम से जो हमें मिली है तो वहां पर इस तरीके के कुछ दस्तावेज तैयार किए जाएं, कुछ शर्तें रखी जाएं जिससे वहां पर उदयपुर डिवीजन में रहने वाले आदिवासी, चाहे मीणा हो, कितने समय से रह रहा है, किन परिस्थितियों में रह रहा है, अगर इस व्यवस्था को पिछले दरवाजे से, पिछले दरवाजे को हमने खुला रखा तो हमारे प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर जिस तरीके से जो सुविधा हमें मिली है उस सुविधा से हमारे इस क्षेत्र का व्यक्ति वंचित रह जाएगा। कुछ चालाक लोग इस व्यवस्था का लाभ उठा ले जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हमने उस इलाके के लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन में रिजर्वेशन किया था, क्या हुआ फिर उसका?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): तिवाड़ीजी, अच्छी बात है लेकिन हुआ यह कि 5 लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर वहां पर एडमीशन ले लिए। तो सवाल यह है कि इस व्यवस्था पर कैसे अंकुश लगाया जाए? क्योंकि फर्जी तरीके से आएंगे, फर्जी सर्टिफिकेट लाएंगे तो एक बहुत बड़ी तकलीफ का विषय खड़ा होगा। वहां पर सारे लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। मैं चाहूंगा

(श्री जीतमल खांट)

कि आप अपने वक्तव्य में कोई ऐसी व्यवस्था दें या मंत्रिमण्डल के बीच में बैठकर ऐसा फैसला करें जिससे वहां के आदिवासियों में इस तरह का आक्रोश न बढ़े।

मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने उदयपुर डिवीजन का बार-बार कई गांवों का, कई क्षेत्रों का दौरा किया है, वहां की परिस्थितियों से काफी रूबरू हुई हैं। लेकिन मैं कटाराजी, आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा पूरा का पूरा ट्राइबल बेल्ट है और इस ट्राइबल बेल्ट में आजादी से लगाकर आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है और तिवाड़ी जी, आप जैसे विद्वान यहां बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा आदिवासियों के हितों से चिंतित हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, तो आबकारी नीति पर निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। वरना वहां का आदिवासी और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जिस हालत में शराब की जगह-जगह थड़ियां लगी हुई हैं चाय की तरह वहां शराब की थड़ियां लगी हुई हैं। आदिवासियों का विकास हम कितना भी कर देंगे, कितनी भी घोषणाएं कर देंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप मुख्य मंत्री महोदया को कहकर उस ट्राइबल सब प्लान, जो हमारा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

टीएसपी का क्षेत्र है उस पर विचार करें वरना हमारी आने वाली जेनरेशन पढ़-लिखकर होशियार होगी उससे पहले उन दुकानों का व्यापार शुरू कर देगी। स्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं से हम लोग कमजोर हो जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस बात पर आप विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम शब्दों में सम्माननीय कटाराजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारा उदयपुर संभाग जो पाँच जिलों का मुख्यालय है वहां पर उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु विद्यार्थी आते हैं। जगह-जगह होस्टल बना रखे हैं..

श्री अध्यक्ष: अब कृपया समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपने वहां पर एक होस्टल नहीं बना रखा है। कम से कम वहां पर जो भी उच्च शिक्षा के लिए आए वहां पर एक

एससी होस्टल का निर्माण करें जिससे पांचों जिलों के विद्यार्थी आकर पढ़ सकें, उनको सुविधा मिले। मैं यह भी कहना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: अब तो कहना चाहेंगे, लेकिन आप बोल लिये हैं। 6 बजकर 08 मिनट पर बोलना शुरू किया है 6.22 हो रहे हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब की भूरि-भूरि प्रशंसा हमारे माननीय सदस्यों ने की अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए वाहवाही करनी चाहिए।

हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त की। और मैं यह कहने से नहीं चूकूंगा कि 60 साल और भी निकल जाते यदि प्रधानमंत्री सड़क योजना इनके दिमाग की सोच, यह पहल शुरू नहीं की होती तो गांव और ढाणी में रहने वाले उस गरीब के इलाके को जोड़ने का सपना पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके दिमाग में यह सोच पैदा हुई और आज हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पीएमजीएसवाई सड़कों का जाल बिछ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, राठौड़ साहब, कि निविदाएं बड़े-बड़े ठेकेदारों के नाम से हो जाती हैं, जिस तरीके से अभी माननीय सदस्य अपनी व्यथा बता रहे थे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा बड़े ठेकेदार टेण्डर अपने नाम करा लेते हैं और मिनी ठेकेदार को यह काम संभला देते हैं। इससे कहीं न कहीं कार्यों की गुणवत्ता में फर्क आ रहा है।

मैं आपसे चाहूंगा पिछली बार बांसवाड़ा जिले के अंदर जिला हैडक्वार्टर पर कम से कम 70 लाख के होस्टल बन रहे थे...

श्री अध्यक्ष: अब आप बंद करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपको ध्यान होगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कार्यवाही की है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपने कार्यवाही की, अच्छी बात है, ठीक उसी तरीके से मानगढ़ की पहाड़ी पर, जहां पर एक बहुत बड़ा हमारा विजय स्तम्भ है वहां पर कई आदिवासी लोग शहीद हुए थे। वह काम अधूरा पडा हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसमें भी कार्यवाही हुई।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कार्यवाही आपने की इसके लिए धन्यवाद, लेकिन वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। हम चाहेंगे हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजस्थान व गुजरात दोनों स्टेट के लिए हमारे स्वाभिमान की जगह है। मानगढ़ का काम अधूरा क्यों पड़ा हुआ है उस पर आप विचार करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मिसिंग लिंक के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। मिसिंग लिंक के लिए आप हमें अधिक से अधिक बजट दें। मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे इजाजत नहीं देंगी। इसलिए मैं चाहूंगा आप मिसिंग लिंक के माध्यम से जितनी विधायकों को राहत दे सकते हैं निश्चित रूप से देंगे। इससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, सरकार की उपलब्धि गिनी जाएगी। मैं ज्यादा बात न कहते हुए पुन: एक बात और कह देना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: अब पुन: रहने दो, बस बहुत हो गया।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारा सागवाड़ा का इलाका है, गलियाकोट जहां पर हमारी दरगाह है और शीतला माता के मंदिर में ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उस दरगाह को लेकर पूरे विश्व के सभी धर्मों के, सनातन धर्म के लोग वहां आते हैं। वह सारी सड़क टूटी-फूटी पड़ी हुई हैं, जर्जर हालत में हैं। आप इसको भी देखेंगे।

श्री अध्यक्ष: बस अब समाप्त करें आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं ज्यादा बात न कहते हुए..

श्री अध्यक्ष: यहीं समाप्त करिए। नहीं, नहीं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कटाराजी, एक सेकण्ड में। (व्यवधान) मैं पुन: कहना चाहूंगा कि आप जितना भी विकास के माध्यम से महाराष्ट्र पेटर्न के माध्यम से, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना से, राज्य की मद से जितना भी पैसा आता है, जब तक आप मोनीटरिंग नहीं करेंगे उसका रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप इन कार्यों के पीछे थोड़ा मोनीटरिंग बढाएं तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी। हेमारामजी, मैं किसी को भी 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगी क्योंकि 6 बजकर 26 मिनट हो गये हैं, दो मंत्री बोलेंगे।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी जिसका नाम भेजेगी उसको तो मैं बुलाऊंगी। अब आपकी पार्टी आपका नाम भेजा है लास्ट में। लास्ट में बुलाऊंगी। हेमारामजी। I would not allow you. …. (interruption) … I give you only ten minutes.

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइंस के पैरा 3(5) की तरफ, पहले भी मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया और एक बार फिर मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अपना धर्म निभाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आप धर्म तो निभाओ, देखी जाएगी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, पैरा 3(5) में स्पष्ट लिखा है – "The unit for this programme is a habitation and not a revenue village or a panchayat. A habitation is a cluster of population, living in an area. *Desam*, *dhani*, *tola*s and *majra*s, hamlets, etc. are commonly used terminology to describe the habitations. A revenue village/gram panchayat may comprise of one or several habitations." इसलिए एक गांव में एक ही जगह सारी आबादी बसी हुई हो यह जरूरी नहीं है। एक गांव में अलग-अलग स्थानों पर ढाणियों के रूप में लोग बसे हुए हैं। एक गांव में 6-7 ढाणियां, कई ढाणियां हो सकती हैं और यदि उनकी आबादी 250 से ऊपर है तो आपको उन ढाणियों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार को भेजना चाहिए और आप प्रस्ताव भारत सरकार को भेज नहीं रहे हैं इसलिए वे ढाणियां सड़क से जुड़ नहीं पा रही हैं।

पूर्व में राज्य में जब हमारी सरकार थी उस समय ढाणियों के रेवेन्यू विलेज नहीं थे, मैंने पहले भी आपको बताया, अब दुबारा और बता देता हूं, बाड़मेर रूरल रेवेन्यू विलेज है, जिसका कोड नम्बर 199, सेंसस 1991 के हिसाब से है, 2001 की जनगणना अभी आई है उससे पहले ये सड़कें बन चुकी थीं। 1991 की जनगणना हुई उसमें सेंसस का कोड नम्बर 17 जिले का है, 4 पंचायत समिति का है, 199 कोड नम्बर बताया। उसकी पापुलेशन है 4217, बाड़मेर रूरल, यह सेंक्सेस पूरे लेकर के आया हूं, 4217, 91 के अभी तो 9196

(श्री हेमाराम चौधरी)

है, इतनी बढ़ गई है तो मैं तो 91 की बात कर रहा हूं, अभी आप 2001 की बात, अब तो हो गई 9196 तो उस समय चार सड़कों के प्रस्ताव भेजे, बाड़मेर से चार सड़कों के प्रस्ताव जिला परिषद् ने अप्रूव करके राजस्थान सरकार को भेजे। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को भेजे, चार सड़कों की स्वीकृति आई, उन चारों सड़कों के नाम मैंने आपको बताए, इंदिरा बस्ती 3 किलोमीटर, 26 लाख 94 हजार, बलदेव नगर 3 किलोमीटर 26 लाख 11 एस.सी., एस.टी. बस्ती पुराना शिवपुर मार्ग 5-7 किलोमीटर 56·54 लाख, मथरानियों की ढाणी, बाड़मेर 5 किलोमीटर 57·54 लाख, कुल 16·7 किलोमीटर और पैसा आया 167·27 लाख रुपये। इन चारों ढाणियों की पापुलेशन इंदिरा नगर बस्ती की 1684, बलदेवनगर की 1470 और एस.सी., एस.टी. बस्ती पुराना शिवपुर मार्ग की 1384 और मथुरानियों की ढाणी, बाड़मेर की 1330, कुल हुई 5873, जब कि 91 की आबादी है 4217 तो यह इतनी जो आबादी 1456 ज्यादा है, एक यह प्रोजेक्ट की पापुलेशन है। 2001 की प्रोजेक्टिव पापुलेशन को आधार माना, उन्होंने कभी इस तरह से इतनी जनसंख्या 2001 की हो जाएगी। एक प्रोजेक्टिव पापुलेशन को आधार मान कर यह चार ढाणियों के आपके प्रस्ताव हो गये। अब आप उसके बाद में कोई आप प्रस्ताव नहीं भेज रहे हो, अब आप ढाणियों को मान नहीं रहे गांव, अब यह पीएचईडी विभाग है, सांवरलालजी आपके मित्र हैं और आपके पास ही बैठे हैं। आप इनसे राय ले लीजिए, यह पीएचईडी की जो ढाणियां आइडेंटिफाई ढाणियां हैं, सांवरलालजी साहब, आपकी आइडेंटिफाई ढाणी है, पीएचईडी की 1996 की आइडेंटिफाई ढाणी 96 की आइडेंटिफाई ढाणियों की सूची में लाया हूं। आपके पीएचईडी विभाग की यह इसमें ढाणियां हैं आइडेंटिफाई जिसके लिए आपने पेयजल योजनाएं बनाकर भारत सरकार को भेजी। भारत सरकार ने आपको पैसा दिया, उन ढाणियों के लिए पीने के पानी के लिए, और उन ढाणियों में आपने पाइप लाइन लगाई, जीएलआर बनाया। आप पानी सप्लाई कर रहे हो, पानी मुहैया करा रहे हो, चार-चार, पांच-पांच, दस दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर क्योंकि एक गांव पन्द्रह पन्द्रह किलोमीटर···

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि यह आइडेंटिफाई ढाणी है, इनका तो हो सकता है भारत सरकार दे रही है। पर हमारी जानकारी में अगर अन-आइडेंटिफाई ढाणियां भी आ गई और पीने के पानी की समस्या है तो स्टेट गवर्नमेंट, हमने वहां पर स्वीकृतियां जारी की हैं, यह भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं यही तो कह रहा हूं, मंत्रीजी, आप तो नॉन-आइडेंटिफाई, अन-आइडेंटिफाई ढाणी को भी आप कमीशन कर रहे हो पेयजल के लिए। यह मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि आप अन-आइडेंटिफाई, नॉन-आइडेंटिफाई को छोड़ें, उनका पीछा छोड़ें। हम तो सिर्फ आइडेंटिफाई जो ढाणियां हैं, सांवरलालजी ने आइडेंटिफाई ढाणियां, जो भारत सरकार ने आपको ढाणियों का यह सर्वे किया है, यह सर्वे करके आपने भारत सरकार को भेजा है, भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया और अप्रूव करने के बाद में ही इसके लिए बजट दिया है। ये स्कीमें बनी हुई हैं, यह आपकी पेयजल की स्कीम बनी हुई है। इसमें 10 मैन हैबीटेंट हैं, सिर्फ 10 गांव हैं उसकी 116 अदर हेबीटेशंस हैं, उनकी यह स्कीम बनाकर के 116 और 10 सब को मिलाकर एक स्कीम बनाई, इस तरह से सारी यह पीएचईडी की पड़ी। और आप, यह पीएचईडी ने तो माना है, जब आपका पीएचईडी विभाग मान रहा है तो पीडब्ल्यूडी विभाग उन ढाणियों को क्यों नहीं मान रहा है? और उन ढाणियों की आबादी का आपके पास, सर्वे आप नहीं कराओ, आप जांच करो नहीं, कलक्टर से आप रिपोर्ट लेओ नहीं, रेवेन्यु से आप रिपोर्ट लेओ नहीं, सर्वे कराओ नहीं तो आप इस पीएचईडी की लिस्ट को तो मान लो। यह तो आपकी सरकारी है, सरकार ही मान रही है। पीएचईडी माने और पीडब्ल्यूडी नहीं, यह कितनी विसंगति है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान में अदर हेबीटेशंस में जिनकी आबादी 1991 की आबादी के हिसाब से ढाई सौ और पांच सौ के ऊपर के हैं, 2001 में तो वह और बढ़ गई है और आबादी उनकी बढ़ गई है तो, 91 की आप कहो तो मैं आपको सैकड़ों ढाणियों के बाड़मेर जिले के नाम बता सकता हूं, जिनकी आबादी आपको तहसीलवाइज अलग-अलग बता दूं कि इतनी आबादी होते हुए ढाई से ऊपर है, पांच सौ से ऊपर है। लेकिन आप प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को नहीं भेज रहे हो, हम भी उस समय भेज देते। लेकिन उस समय हजार से ऊपर की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा था, हजार से नीचे वालों के प्रस्ताव मांगे ही नहीं जा रहे थे तो हजार से नीचे वालों के प्रस्ताव उस समय तो हम भेज नहीं पाये जिस समय हमारी सरकार थी। अब सरकार आपकी है। वाजपेयीजी ने यह योजना लागू की है। तो आप वाजपेयीजी की भावना तो समझो, उनकी वाजपेयीजी की तो कद्र करो। आप वाजपेयीजी की भावना की कद्र नहीं कर रहे हो, वाजपेयीजी का क्या मंतव्य था, हेबीटेशंस को जोड़ने का

(श्री हेमाराम चौधरी)

था कि नहीं था, आप यह विचार कर लो, जोड़ दो। नहीं तो फिर मैं जाऊंगा वाजपेयीजी के पास, यह सारा लेकर के जो इनकी गाइड लाइन्स हैं उनको लेकर के यह जो ढाणियां हैं इन ढाणियों की सूची जो पीएचईडी विभाग यह राजस्थान सरकार मान रही है भारत सरकार मान रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं मान रहा है। मेरे पास तो कोई हथियार है नहीं कि इनको मना दूं लेकिन मैं यह लेकर के एक बार वाजपेयीजी के पास जरूर चला जाऊंगा। और सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप खुद चलो वाजपेयीजी की मंशा है, हमारी यह जो ढाणियां हैं जो रह गई हैं, मैं आपको बताऊं, कई गांव ऐसे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सदस्य, घनश्यामजी तिवाड़ी भी आपके साथ जाएंगे। घनश्यामजी, जाएंगे न आप वाजपेयीजी के पास तो राजेन्द्र राठौड़जी की शिकायत करने ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हम काम के लिए तो पार्टी के लोग क्या करते हैं कि राजेन्द्रजी के पास काम के लिए नहीं जाते ? क्या मुख्य मंत्रीजी के पास काम के लिए नहीं जाते हैं?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): केन्द्र में तो आपकी सरकार है और अटल बिहारीजी वाजपेयी के पास जाओगे आप।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिर्फ जो गांव हैं उसी को एक ही पाइंट माना है कि यह पीएचईडी की ही ढाणियों की सर्वे रिपोर्ट इसमें मैन गांव की आबादी ढाई सौ है ही नहीं, कम है, मैन गांव की, मेरे खुद की पंचायत में नाइयों की ढाणी है उसकी आबादी कम है। और उसमें तेलियों की ढाणी उसकी आबादी ढाई सौ से ऊपर है, अब तेलियों की ढाणी की तो सड़क नहीं बन रही है और नाइयों की ढाणी की सड़क बन रही है क्योंकि वह तेलियों की ढाणी नाइयों की ढाणी के साथ में शामिल है जब कि वह दूसरी ढाणी अलग है । यह पीएचईडी ने ढाणी बता रखी है, अलग ढाणी है। इसी तरह से धारासरकतला, अब धारासरकतला की आबादी तो ढाई सौ है, अब ढाई सौ होगी, मैं 91 के हिसाब से कह रहा हूं। वह नाइयों की ढाणी ढाई सौ हो गई होगी। लेकिन उसके बाद में गोदारों की ढाणी है वह ढाणी ढाई से ऊपर है, वहां सड़क नहीं बन रही है। तो आप जब कि धारासरकतला की सड़क स्वीकृत हो चुकी, आबादी अब 713 है, 2001 के हिसाब से इसलिए वह स्वीकृत हो गई लेकिन वह सड़क वहां जो मैन धारासर है वहां गोदारा और जाणी जो

(श्री हेमाराम चौधरी)

हेबीटेशन इसमें पीएचईडी ने दिखा रखी है, राज्य सरकार ने दिखा रखी है, उनके लिए कोई सड़क नहीं है। वह तो वहां से 4 किलोमीटर दूर है। तो फिर उनको इस सड़क का क्या फायदा मिला ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह इस हेबीटेशन वाले कंसेप्ट जो है, इस पर आप विचार करें, आप देखें, सोचें थोड़ा, ढाणियां हैं उनके लिए आप प्रस्ताव बनाकर के राज्य सरकार की तरफ से आप भारत सरकार को भेज दो। फिर भारत सरकार स्वीकृत करती है कि नहीं करती है। वह तो फिर भारत सरकार नहीं करेगी तो ठीक है, आपको तो कुछ कहने का हो जाएगा कि हमने ढाई सौ की आबादी की ढाणियों के प्रस्ताव बनाकर भेजे हेबीटेशंस के और गाइड लाइंस भी स्पष्ट कहती है। लेकिन भारत सरकार गाइड लाइंस को नहीं मानती है क्योंकि अब केन्द्र में वाजपेयी जी की सरकार है ही नहीं, अब मनमोहन सिंह की सरकार आ गई। इसलिए आपको तो बहुत अच्छा भाषण देने के लिए मुद्दा मिल जाएगा नहीं तो यह मुद्दा हमारे पास रहेगा, हम इस मुद्दे को भुनाएंगे। चुनाव में ये सारे लेकर के जाएंगे कि इस तरह से इन्होंने इन ढाणियों को सड़कों को जोड़ा नहीं। इस तरह से वंचित रखा है। तो कहने का मतलब मंत्रीजी है कि आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, पूर्व में भी मैंने आपको कहा तो मैं एक-एक ढाणियों के नाम पढ़-पढ़ कर बता दूं लेकिन उसमें इतना समय लगेगा, जैसे टूंकिया है, टूंकिया की आबादी 1238, 1991 के हिसाब से अब बढ़ी है उसमें दूसरी ढाणियां हैं, टूंकिया के अलावा टूंकिया की आबादी तो चार सौ है, मूल गांव जो टूंकिया को इसमें दिखा रखा है, पीएचईडी स्कीम्स में ढाणी को।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): दूसरी ढाणी गोदारों की ढाणी पांच सौ आबादी है उसकी पांच सौ वाली सड़क जुडी नहीं है, चार सौ की जुड गई है, भीलों की ढाणी 338, कोई प्रपोजल नहीं, इस तरह से लोलावा गांव है, आबादी 1066 और मूल लोलावा की 450 ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया भाषण कन्क्लूड करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट से ज्यादा हो गये आपको।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हां, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एक हमारे बाड़मेर में भीनमाल से धणाउ एक सड़क है, मंत्री महोदय, भीनमाल

(श्री हेमाराम चौधरी)

से धणाउ एक सड़क है जिसको आपने ग्रेप को दे दिया, वे आपसे पीडब्ल्यूडी वाले बात करें कि वह तो ग्रेप को दे दी, हमने ग्रेप वाले उसको देख नहीं रहे हैं, बिलकुल उसकी तरफ झांक ही नहीं रहे हैं। अब उस सड़क का कोई धणीधोरी नहीं है। भाई, कोई तो धणी हो उसका।

श्री अध्यक्ष: आप यह जल्दी समाप्त कर दें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): भीनमाला से धणाउ की सड़क का कोई धणीधोरी नहीं है। आपने तो कहा, पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं, हमने ग्रेप को दे दी, उसकी कोई मरम्मत नहीं, उसमें इतने गड्ढे पड़ गये हैं उसमें मतलब गाड़ी चल ही नहीं सकती। रास्तों में इधर उधर से, पास में रास्ते लोग देते नहीं, खेतों में गुजरने नहीं देते, उसके ऊपर चलते गये, उसके ऊपर इतने गड्ढे पड़ गये तो इस पर आप मेहरबानी करके, एक आपका भाटाला से नहरों की ढाणी ...

श्री अध्यक्ष: हां, वह विचार कर रहे हैं, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एक सैकण्ड, एक भाटाला से नहरों की ढाणी केयर्न्स ने इस सड़क को तोड़ दिया, केयर्न्स के वह बड़े-बड़े टैंक वहां पर कुए खोदे बहुत सारे तो उन्होंने उस सड़क को तोड़ दिया। आप केयर्न से ठीक कराओ या आप करो, कुछ तो करो। केयर्न वालों ने हमारे वहां रिफाइनरी तो लगा दी, रिफाइनरी लगेगी या नहीं लगेगी पता नहीं पर हमारी एक सड़क का पापा काट दिया। उसको भी मेहरबानी करके आप कराओ या केयर्न वाले करें, कोई भी करे, ठीक कराओ।

माननीय मंत्री महोदय, यह मिसिंग लिंक, आप अपने हिसाब से करोगे पर मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि जो सब से कम बीच में रह गई जैसे 100 मीटर की रह गई, ऐसी भी हैं कि 200 मीटर की भी है, 400 मीटर की भी है तो सबसे कम वाली को पहले लो आप। 100 मीटर का टुकड़ा अगर है तो उसको जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा सड़कें जुड़ेंगी। फिर 400 मीटर का, फिर 500 मीटर का यह यों स्टार्ट आप कम से कम शुरू करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप इन पी डब्ल्यू डी वालों पर ही छोड़ दें। आप अपने हिसाब से करें, कोई बात नहीं। मुख्य मंत्री सड़क योजना में मेरे यहां एक रुपया भी लगाया? एक पैसा ही नहीं लगा। मेरे यहां मुख्य मंत्री सड़क योजना में कोई काम नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। श्री बद्रीलाल जाट। अब अंकित नहीं होगा। श्री बद्रीलाल जाट।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। आप परवाह ही नहीं करते। (व्यवधान) आपका समय यों ही.... (व्यवधान) फिर आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा। अब अंकित नहीं होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। नो-नो, नॉट इट ऑल। श्री बद्रीलाल जाट। (व्यवधान) अब अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री बद्रीलाल जाट। आप कैसे खड़े हो गये? मैंने बद्रीलाल जाट का नाम पुकारा है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांवलिया सेठ को नमन करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जनजाति की मांग संख्या 30, मांग संख्या 21 और मांग संख्या 19 के बारे में अपनी भावना से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। मैं इस सुअवसर पर यह कहना चाहूंगा:

''इन्द्र भी उतावले हैं गागर में सागर भरने को,
बजट अमृत ने शांत किये हैं आंदोलन और धरने को।
धनवन्तरी बन आई मुख्य मंत्री अमृत वर्षा करने को,
मंत्रीजी भी हर राजस्थान का दु:ख-दर्द हरने को।।''

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को तहेदिल से बधाइयां देते हुए यह कहने का प्रयास करूंगा...

श्री अध्यक्ष: आप तो आशु कवि हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह स्वरचित है न? स्वरचित है अध्यक्ष महोदय। खुद ने रचना की है।

श्री अध्यक्ष: तभी तो मैंने कहा कि आशु कवि हो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सारे मंत्रीमण्डल को है यह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुअवसर पर यह कहना चाहूंगा.....

श्री अध्यक्ष: आपको यह था कि पढ़े लिखे नहीं हैं, एम. ए. पास हैं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): .... कि आजादी कि पूर्व के काल का यदि वर्णन करें तो रोड का विकास किया था शेरशाह सूरी ने। यदि उसके बाद हम चलें और पूरे भारतवर्ष को यदि माना जाए तो अखण्ड भारत को विश्व

(श्री बद्रीलाल जाट)

गुरु बनाने के लिए और पुन: इसको शिखरता प्रदान कराने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जो हमारे समाज का गरीब तबका है, जो ढाणी में रहता है, जो दीन-हीन है और समाज की अग्रणी पंक्ति से जो पीछे छूट गया है। उसको इस विकास की गंगा में मुख्य धारा बनकर के रहने का, जो विकास करने का सपना संजोया था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक हमारी सड़क कैसे पहुंचे और उसका विकास कैसे हो उनके मन में एक स्वप्न जगा था। उन्होंने इस स्वर्णिम सड़क योजना बनाने की बात हो, चाहे ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर बनाने की बात हो, चाहे एक नदी से दूसरी नदी का जो पानी यदि हमें मिल गया तो किसान धन-धान्य से सम्पन्न होगा। जब विकास की गंगा में यदि सड़क मुख्य अंग है तो निश्चित रूप से सड़क पर बोलने का मैं प्रयास करूंगा कि – ''कह दो इन आंधियों और तूफानों को, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं'' । ऐसे मन में दृढ़ संकल्पित होकर आदरणीय राठौड़ साहब ने अपने मन में संजोया था कि गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में रोड कैसे पहुंचे, वहां का जो किसान है उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है और उसकी जो कृषि जिन्स है चाहे टमाटर लें, चाहे मिर्ची लें, चाहे प्याज लें, चाहे धनिया लें, ये प्रतिदिन उत्पादन या उसको तोड़ने के बाद, उस जिन्स को लेने के बाद यदि वह उपयुक्त स्थान पर समय पर नहीं पहुंचती है तो उसको जो लागत मूल्य है वह भी इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में या 21वीं सदी में उनको नहीं मिल सकता। इसलिए चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, वहां किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मैं आदरणीय राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों से मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधियाजी ने जब परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उनके रास्ते में कहीं कंकर आये, कहीं मिट्टी आई और कहीं ऐसे खड्डे आये कि जब उनकी गाड़ी नहीं निकल पाई। तो उनके मन में एक संकल्प जगा कि राजस्थान को इस भारत में अग्रणी पंक्ति में यदि खड़ा करना है तो सड़क की मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। मैं आदरणीय राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रतिदिन 12 किलोमीटर का निर्माण कराकर के 4 गांवों को जोड़ा। यह एक कीर्तिमान स्थापित ही नहीं किया, यह भी साबित किया कि भारत में प्रधान मंत्री सड़क योजना में राजस्थान अव्वल नम्बर पर था। यह साबित करता है कि हमारे राजस्थान की चहुंमुखी सरकार हर गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का प्रयास कर रही

(श्री बद्रीलाल जाट)

है। मैं इस सुअवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उसके समय में लोग कहा करते थे-

आखिर इतने सालों तक क्या किया था आपने?
ऊबड़-खाबड़ रोड की सुध नहीं ली आपने।
हर गांव और ढाणी को सड़क से जोड़ा राज्य सरकार ने,
घायल की गति घायल जाने समझी थी क्या आपने?

यानि विपक्षियों ने।

श्री अध्यक्ष: कविताओं में रह जाओगे, अपने कट-मोशंस पर आ जाओ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आ रहा हूं। मैं इस सुअवसर पर यह कहते हुए प्रयास करूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे आर एफ सी हो चाहे एच एफ सी हो और चाहे विभिन्न प्रकार की जो मुख्य मंत्री सड़क योजना हो, चाहे मिसिंग लिंक हो, चाहे नेशनल हाईवे जैसी योजना हो, चाहे हमारे जो जयपुर को रिंग रोड से जोड़ने की बात हो। इन्होंने योजनाएं ही नहीं बनाई उसके लिए फण्ड और फंक्शनिंग की व्यवस्था की। व्यवस्था करके यह दृढ़ संकल्पित किया कि हमारी राजस्थान सरकार गरीब और हर तबके को साथ लेकर के इस विकास की मुख्य धारा में बहने का प्रयास करेगी। मैं इस आशय के साथ यह बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद हमारे जो पूर्व के व्यक्ति थे वे इस मिट्टी में जन्में और उसी में उनका सूरज उगा, उसी में अस्त हो गया। कहने का तात्पर्य जन्म से लेकर मरण तक उन्होंने कभी पक्की सड़क नहीं देखी, न उन्होंने डब्ल्यू बी टी की देखी या सी सी रोड, कंकरीट सीमेंट सड़क योजना देखी, उन्होंन तो केवल वो ही देखा, उस मिट्टी में जन्में और उसी में वापस स्वर्गवास सिधार गये। परन्तु मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने यह साबित कर दिया कि सी.सी. रोड भी गांवों में बनेगी और जो हमारी सड़क योजना है वह भी डामरीकृत होकर के हमारे जो भाई-बहने हैं, हमारे पूर्व के विधायकश्री थे, उन्होंने कहा था कि जब एक महिला ग्रामीण अंचल में गर्भवती होती थी उसको यदि स्कूटर पर, टैक्सी या जीप में बिठाकर ले जाया जाता तो उनकी जो प्रसव प्रक्रिया थी वह उस गाड़ी में हो जाती थी। इससे दयनीय स्थिति हमारे इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकती थी। इसलिए मुख्य मंत्री महोदया ने ऐसी

(श्री बद्रीलाल जाट)

अनूठी योजना दृढ संकल्पित होकर के इस राजस्थान का कायाकल्प करने के लिए उन्होंने आयाम दिया। उन्होंने कायाकल्पित किया ताकि वह मुख्य धारा से जुड सके और वहां जो बैठा हुआ ग्रामीण अंचल का गरीब का बेटा चाहे स्कूटी से विद्यालय जाए या साइकिल से विद्यालय जाए या अन्य प्रकार की रोजगार की व्यवस्था में जाए तो उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। ऐसी हमारी सड़क योजना बनाकर के राजस्थान को एक सुनहरा अवसर दिया है। मैं इस सुअवसर पर आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को और मुख्य मंत्री महोदया को तहेदिल से बधाइयां देना चाहूंगा कि हमारे चित्तौड़ जिले को ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना से जोड़ा और वहां पर जो चौराहा बन रहा है वह पूरे एशिया में सर्वश्रेष्ठ चौराहा हमारे इस चित्तोड़ जिले को दिया उसके लिए तहेदिल से आपको बधाइयां देता हूं। मैं यह कहने का प्रयास करूंगा कि आपके अपने अथक प्रयासों से जो हमारे किसान की जिंस थी, वह समय पर पहुंचे, उसके लिए आपकी चाहे मिसिंग लिंक योजना हो, वह 2007-2008 के बजट को लेकर किसान की जो कोई छोटी-छोटी अधूरी भावना थी, उसको आपने जोड़ने का प्रयास किया। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह विनती करना चाहूंगा कि आपने आने के बाद काफी प्रयास किये हैं परन्तु कुछ प्रयास जनता के लिए अभी शेष है।

एक तो पैकेज बनाकर रोडों की हम जो टेण्डर प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको यदि छोटी-छोटी इकाइयां मानकर यदि हम टेण्डर प्रक्रिया करेंगे तो यह जो भ्रष्टाचार की बात इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं, वे अपनी भावना अवगत कर रहे थे, उससे हमारी सरकार वंचित रहेगी और हम निश्चित रूप से पारदर्शी सरकार कहलाने का हक रखेंगे। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट का समय और है आपका, एक मिनट में बात समाप्त कर दें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि ए.ईएन. को आप 91 की कार्यवाही, सड़क पर अतिक्रमण करने की जो प्रक्रिया थी, उसको काम करने का, उसको कार्यवाही करने का पूरा हक था। परन्तु उसके बाद में उसके जो अधिकार थे, वह हर्डल कर दिये गये या छीन लिये गये। मैं तहे दिल से इनसे अपील करूंगा कि चाहे प्रतिदिन एक्सीडेंट होते

(श्री बद्रीलाल जाट)

हों या उन पर जो चाय या थड़ी लगाने की बात है, यह अतिक्रमण की प्रक्रिया इन रोड से अलग करने के लिए ए.ईएन. को अधिकार दिये जायें ताकि ग्रामीण अंचल में अच्छी कार्यवाही हो सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं इस शुभ अवसर पर यह कहते हुए नहीं भूलूंगा कि "कौन कहता है, आसमान में सूराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सूराख नहीं होता, मेरे यारों, एक कंकड़ तो सड़क से निकालो"। मैं विपक्ष के जो सदस्य हैं, उनको यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह डाक्टर सुरेशजी ने कंकड़ ही क्या, पूरी सड़क ही निकाल दी।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): वह तो मंत्री महोदय ने बता दिया कि मामाजी क्या है, इसलिए आप अन्यथा न लें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, आप तो बोलो, बोलो।

श्री अध्यक्ष: आप तो अपनी बात बोल जाओ, फिर बैठ जाइये। (व्यवधान) बीच में क्यों बोल रहे हैं आप लोग?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को फिर चुनौती देता हूं...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): इनको दो चुनौती, हमको क्यों देते हो चुनौती?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मामा और रिश्तेदारी वाला मामला है। मैं पूरे सदन में फिर चुनौती देता हूं कि अगर वह सहायक अभियन्ता मेरा रिश्तेदार है और उसकी गलती है तो उसको फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन वह सहायक अभियन्ता अगर मेरा रिश्तेदार नहीं है तो फिर सामने वाला क्या भुगतेगा? (व्यवधान) बात कर रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप अपनी बात खतम करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सुरेशजी, ऐसा है, इतना मत जाओ। लोहे से लोहा कटता नहीं, लोहे से लोहा कटता नहीं।

श्री अध्यक्ष: कपासन से आने वाले माननीय सदस्य, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): लोहे से लोहा कभी कटता नहीं। आपने वही सुना है, हमने वही सुना है, चिंता मत करो।

श्री अध्यक्ष: अब आप उन्हें जवाब दे रहे हैं। मैं कह रही हूं, बात समाप्त करिये। भाषण समाप्त करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप कन्क्लूड करने में खामख्वाह में कविता ही कविता कहे जा रहे हो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं आदरणीय राठौड़ साहब को यह बताने का प्रयास करूंगा...

श्री अध्यक्ष: हां, इनको आप धन्यवाद दे दो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): नहीं नहीं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मैं धन्यवाद देने का प्रयास करूंगा कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने पाँच साल में केवल तीन किलोमीटर का टुकड़ा जोड़कर इतिश्री की। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें पेवर सड़क की बात करने का प्रयास करूंगा। पाँच साल के कार्यकाल में केवल ढाई करोड़ रुपये...

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम (धोद)।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): तीन साल में हमारे यह राजाजी, मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा, राठौड़ साहब का और गुलाब चन्दजी ने जब कार्यकाल सँभाला था, उसके बाद में राठौड़ साहब के कार्यकाल में 22.50 करोड़ रुपये का एक ऐतिहासिक कार्य करके यह सिद्ध किया कि...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): चाहे डब्ल्यू.बी.एम. बी.टी. नहीं रहेगी, मिसिंग लिंक नहीं रहेगी और जो हमारे अन्दर रोड है, वह भी नहीं रहेंगी।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। श्री अमराराम धोद।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। नो नो। स्थान ग्रहण करें। आपकी कविताओं ने अपना समय खो दिया।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं टाडा माडा के बारे में बोलना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-19, मांग संख्या-21 और मांग संख्या-30 पर माननीय मंत्रीगणों के रिप्लाई व तीनों मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि मांगें पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांगों पर अग्रेत्तर विचार

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, टाडा माडा के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं कि जनजाति...

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब कुछ नहीं। अब कोई अध्यक्ष महोदय नहीं। अमराराम धोद।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कि इस यशस्वी सरकार ने जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के लिए...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री अध्यक्ष: अब आप इतिहास कायम मत करो। आप बिराजो। कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय अमरारामजी, आप शुरू करें, आप प्रारम्भ करें। (व्यवधान) अब आप शुरू करो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री अध्यक्ष: वह गुरु है या गोविन्द है, यह तो बता दो। यह गोविन्द बनाया या गुरु बनाया आपने? (व्यवधान) श्री अमरारामजी धोद।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-19, 21 और 30 पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शायद पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने और सरकार ने इस आशय के साथ इस योजना को राजस्थान में लागू किया था कि पीएमजीएसवाई का पैकेज टेण्डर है, वह इस तरह के समृद्ध ठेकेदारों को दिया जाये जिनका खुद का प्लांट हो, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो। क्योंकि यह सोचकर शायद सरकार ने निर्णय लिया होगा कि गुणवत्ता बहुत अच्छी हो और सही समय पर काम हो, इसके लिए दिया था। लेकिन आज मैं समझता हूं, पूरे राजस्थान में जितने भी पीएमजीएसवाई के जो पैकेज टेण्डर हो रहे हैं, इसमें जिनके निविदाएं खुलती हैं, उनमें 70 से 80 प्रतिशत सब-लेट करते हैं और ज्यादा भी हो सकती है। मैं तो एक एप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं क्योंकि इसमें प्रोविजन है सब-लेट का, लेकिन आप उत्तर दें तो निश्चित रूप से बतायें कि आपकी जो पीएमजीएसवाई लागू हुई है। और आपके कार्यकाल में कितने पैकेज के कितनी सड़कों के सब-लेट विधिवत हुए हैं जब कि प्रेक्टिकल में आपके विभाग के सब अधिकारी, आपके चैकिंग करने वाले भी जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं, अच्छी मंशा के साथ में यह पैकेज बनाया गया। इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा जाये, आज क्राइटेरिया का ठेकेदार कोई भी सड़क नहीं बनाता है। चाहे आप कितनी ही वाहवाही लें, कितनी ही आपको बधाई दें, लेकिन 14 लाख रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जो खर्च कर रहे हैं, वह पूरा पैसा अगर लगता है तो मैं समझता हूं, पाँच साल तक रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से सब-लेट किया जा रहा है, जिस तरह से बड़े-बड़े लोग गिरोह बनाकर कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को करवा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप यह जो प्रतिबन्ध है, उसको हटा दें जिससे कम से कम जो टेण्डर लेगा, वह तो करेगा। इसलिए जो इसमें गुणवत्ता के ऊपर, इतना बड़ा पैसा जनता का खर्च होने के बाद भी जो गुणवत्ता आनी चाहिए, वह नहीं आती है। इसलिए इस बात का उत्तर दें तो निश्चित रूप से आप यह एन्श्योर करें कि सब-लेट की है, कितने प्रतिशत लोगों ने सब-लेट की है? की है तो कितनी सड़क है जो उन्होंने खुद की है? और अगर उसके बाद में भी आपके विभाग के अधिकारी सही सूचना नहीं दें तो मैं समझता हूं, इससे ज्यादा दर्दनाक स्थित नहीं हो सकती।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। सी.आर.एफ. के तहत सीकर से उदयपुरवाटी, सीकर से खूड़-रेनवाल, पलसाना

(श्री अमराराम)

से खण्डेला तक सी.आर.एफ. में जितना पैसा वाइडनिंग और स्ट्रेंथन में खर्च किया, मैं समझता हूं, एक महीने के बाद उन सड़कों की जो हालत हुई है, पूरी की पूरी सड़क, बहुत बड़ा हिस्सा, आप कहेंगे, उन्हें तीन साल के लिए उनको रिपेयर करनी है। जिस सड़क के ऊपर पूरा पैसा लगाया है और एक महीने बाद बरसात आते ही पूरी की पूरी अगर साफ हो जाती है। फिर आप पेच करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस पैसे का यह सबसे ज्यादा दुरुपयोग है और यह दुरुपयोग निश्चित रूप से आपके अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर कोई भी ठेकेदार नहीं कर सकता है। आप तो यह बता दो कि ऐसी सड़क जो सम्पूर्ण रूप से एक-डेढ़ महीने के बाद में उसका अधिकतर हिस्सा चला गया, ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिनको आपने पनिशमेंट किया है? मैं समझता हूं, आज दिन तक नहीं किया है क्योंकि उत्तर आता है, जांच में उन्हीं अधिकारियों को, उन्हीं इंजीनियर्स को बैठाते हैं तो कोई भी किसी भी तरह से मैं समझता हूं, उनका कुछ नहीं होता है। और आप जो कहते हैं, इसी का नतीजा है कि पीएमजीएसवाई में जहां 14 लाख रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च करने के बाद में साल भर बाद में या डेढ़ साल बाद में टूट जाती है और आपके ठेकेदार उसमें से कुछ प्रतिशत उसको रिपेयर करने के लिए रखते हैं, वह आज दिन तक भी नहीं आता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि 37-ए स्टेट हाईवे आपका किशनगढ़ से कुचामन,

(समय : 19.00 बजे)

लोसल और सालासर डिक्लेयर किया है। शायद डेढ़ साल से ज्यादा इसको हो गया और छह किलोमीटर हिस्सा आज भी उसमें ग्रेवल सड़क है जिसको बार-बार आपके विभाग के अधिकारियों ने इस प्रपोजल को भेजा है। मोरडूंगा से शाहपुरा तक जो स्टेट हाईवे 37ए आपने घोषित किया है, कुचामन से लोसल होकर के सालासर के लिए घोषित किया है उसमें छह किलोमीटर आज भी ग्रेवल सड़क है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके सीआरएफ में जो आप रिकमंड करके भेजते हैं उसके क्या मापदण्ड हैं, मैं नहीं समझता। सीकर से पचकोड़िया, जो सीकर जीरो से लेकर 27 किलोमीटर तक जो सड़क की वाइडनिंग, जो चौड़ाई है, आज मैं समझता हूं, सीकर जिले में नेशनल हाईवे नम्बर 11 को छोड़ दें तो उसके बाद सबसे ज्यादा ट्रेफिक, आपकी गणना, विभाग की आप सेंसस मंगा लें। आप हर साल ट्रेफिक की गणना करवाते हैं, नेशनल हाईवे के बाद सीकर से खूड़ तक सबसे ज्यादा, नेशनल हाईवे के बाद

(श्री अमराराम)

ट्रेफिक की गणना है। लेकिन उसकी चौड़ाई आज भी वही है, 27 किलोमीटर, जिस पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपने आज तक उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको वाइडनिंग, जो आपकी स्टेट हाईवे की उस ट्रेफिक के अनुसार जितनी चौड़ाई होनी चाहिए थी वह आज तक नहीं की। और सात किलोमीटर तो आज भी मैं समझता हूं आप जितनी पीएमजीएसवाई में रोड बनाते हैं उतनी भी उसकी चौड़ाई नहीं है। तो निश्चित रूप से जहां जनता को सुविधा देने की बात है, मैं समझता हूं आप सेंसस कराते हैं तो सीआरएफ में उन सड़कों को सबसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए बजाय इसके कि आपने ऐसी सड़कों को कर दिया जिसमें वन फोर्थ भी सीआरएफ में आपने पैसे के लिए रिकमंड किया, मैं नहीं समझता कि किस आधार पर आपने किया है। अगर जनता को, जनता के पैसे का सदुपयोग करना है तो सबसे ज्यादा ट्रेफिक है, जहां सबसे ज्यादा रोड को वाइडनिंग और चौड़ाई करने की आवश्यकता है। उनके भेजने के बजाय किस राजनैतिक आधार पर आप भेजते हैं, मैं नहीं समझता। अगर इस पैसे का सदुपयोग....

श्री घनश्याम तिवाड़ी: खूड वाली क्यों नहीं हुई?

श्री अमराराम (धोद): आपने भेजे नहीं प्रस्ताव, इसलिए नहीं हुई। और कुछ सड़कें ऐसी भेजी हैं, मैं समझता हूं उससे वन फोर्थ उसी सीकर जिले में सीआरएफ में चौड़ाई करने के लिए भेजी है। आप उत्तर दें तब बता दें, जो सीआरएफ में आपने भेजी है, मेरे पास यह सूचना भेजी है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की जो गणना है उसका बता दें और इस खूड की बता दें, वन फोर्थ नहीं है उसको तो सीआरएफ में आपने वाइडनिंग करवा दिया। इस पर सबसे ज्यादा ट्रेफिक है, उसको आपने आज तक, मैं समझता हूं सीआरएफ में नहीं भेजा। भेजा, अगर आपके अधिकारियों ने बनाकर भेजा है तो आपके उच्चाधिकारियों ने उसको टर्न-डाउन कर दिया। किस आधार पर भेजते हैं, मैं नहीं कहना चाहता। एक मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसी सड़क के मामले में कहना चाहूंगा कि जो एडजोइनिंग जिले हैं, जो क्षेत्र है, एक जिले से दूसरे जिले में जो मिसिंग लिंक रह गई हैं, दो किलोमीटर, चार किलोमीटर, आसपास के कई गांवों को फायदा हो सकता है। मेरे एक जो मांडोता से चोखा का बास है, मैं समझता हूं पाँच किलोमीटर की सड़क अगर बनती है तो जिला हैडक्वार्टर और तहसील मुख्यालय पर सीकर आने में दस गांवों को पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर खाकर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन पाँच किलोमीटर के लिए उन दस

(श्री अमराराम)

गांवों के लोगों को पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर खाकर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे जो मिसिंग लिंक हैं, निश्चित रूप से सरकार उस ओर ध्यान देकर के इस पैसे का सदुपयोग करेगी।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो मांग संख्या 30 है, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं समझता हूं राजस्थान में सबसे गरीबतम कोई व्यक्ति है तो उस जनजाति क्षेत्र के व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा पैसा, निश्चित रूप से आज इस बात का अहसास और एग्जामिनेशन करने की जरूरत है कि जितना पैसा जा रहा है उसका सदुपयोग असल में जिसके पास, आखिरी व्यक्ति तक जाना चाहिए, वह असल में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि पैसा जाता है उसका सदुपयोग मैं समझता हूं अगर होता तो 58 साल के बाद में आज राजस्थान के उस आदिवासी की हालत यह नहीं रहती। लेकिन आपने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है, अध्यक्ष महोदय, उसकी हालत यह है कि जितना बजट आपने, योग विशेष केन्द्रीय सहायता 2005-06 में आपने बजट आबंटन किया 3177.49 लाख रुपये और व्यय हुआ है। 2005-06 में 1978.87। अनुसूचित क्षेत्र महाराष्ट्र पैटर्न पर 2005-06 में आपको आबंटन हुआ है 6991.18 लाख रुपये और आपने खर्च किया है 2005-06 में 4141। मतलब पचास प्रतिशत आप जितना बजट अलाट करते हैं उसका जो कंजम्प्शन है, मैं समझता हूं, चालीस प्रतिशत, पचास प्रतिशत, इतना तो खर्च होता है। और जितना खर्च होता है वह जिस व्यक्ति के लिए खर्च हो रहा है, सही सलामत उसमें से कितना पहुंचता है, मैं समझता हूं, बीच में बैठे हुए ठेकेदार, दलाल और यहां तक, जब तक आदिवासियों का, मैं समझता हूं, आदिवासी स्वायत्त परिषद बनाकर के उन्हीं के द्वारा योजना नहीं बनाई जायेगी, उनके द्वारा उन योजनाओं का निरीक्षण नहीं किया जायेगा, तब तक मैं समझता हूं, आदिवासी में जो अशिक्षा है, आज भी जो रिजर्वेशन के माध्यम से, अभी माननीय सदस्य जीतमलजी खांट कह रहे थे, पीएमटी में जिस तरह का पाँच प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया गया है। आज भी पचास साल के बाद में जो आदिवासियों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे लोगों ने कंजम्प्शन कर लिया और आज भी....

श्री अध्यक्ष: आपका समय खतम हो गया, कृपया कन्क्लूड करें।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासियों को अगर असल में सरकार चाहती है कि उनका जितना बजट जाता है, अगर आदिवासी स्वायत्त परिषद बनाकर के उनके लोगों के हाथ में नहीं देंगे, केवल मशीनरी के हाथ में हम रखेंगे तो योजनाओं का यही हाल होगा और आदिवासी का सम्पूर्ण विकास हम नहीं कर पायेंगे जिस मंशा के साथ करना चाहते हैं। आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद पेश करता हूं और मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। धन्यवाद। सरदार गुरजंट सिंह।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं भी मांग संख्या 19 व 21 पर आपके माध्यम से शामिल होना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री को, धन्यवाद देना चाहता हूं पीडब्लूडी मंत्री को और कृषि मंत्री को। मेरा विधान सभा क्षेत्र दो डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है जिसमें हनुमानगढ़, संगरिया और मेरे पिछले साल सादुलशहर तहसील अकाल राहत में थी और हमने सबने मिलकर सीएम साहब को यह निवेदन किया कि साहब, अंतिम छोर तक पानी नहीं जाता है, अकाल राहत में पक्के खाले, मेरा ख्याल है इतना विकास, मैं कह सकता हूं कि सन् 47 के बाद कभी नहीं हुआ, जो पिछले इन तीन सालों में हुआ।

श्री अध्यक्ष: तो पक्के खाले इनके पास तो हैं नहीं।

श्री गुरजंट सिंह बराड़: उसमें छह करोड़ के लगभग के पक्के खाले, धोरे (व्यवधान) पक्के खाले और उसमें डिग्गियां जो फव्वारा सिस्टम से, वह उन्होंने..

श्री अध्यक्ष: वह इनके पास आज नहीं है न ।

श्री गुरजंट सिंह बराड़: अकाल राहत में और दूसरा है कि साहब जो भी हमारे रोड का या सड़क का काम है, मैं धन्यवाद दूंगा पीडब्लूडी मंत्री को और जो आज तक कितनी सड़कें और मेरी कोई भी ऐसी सड़क और कृषि उपज मंडी के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कृषि मंत्री को, ऐसा मेरे कोई भी गांव नहीं रहा कि जो सड़क से वंचित रहा हो। इस मामले में क्योंकि मेरा......

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, बढ़िया, बढ़िया।

श्री गुरजंट सिंह बराड़: ऐसा क्षेत्र है कि जहां नब्बे प्रतिशत हम काश्तकार हैं। उसकी जो जिंस कृषि उपज मंडी के माध्यम से, कृषि जो हमारी मंडियों में जाती है, एक ऐसा गांव नहीं रहा। एक गांव रहा जिसमें मैंने मेरे

कोटे से डेढ़ किलोमीटर सड़क बना दी, वह है 11 डीकेडब्लू। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह डेढ़ किलोमीटर रह गई है, अगर उसको शामिल कर लिया जायेगा तब मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा, ढाणी तक हमारे जुडी है। यह मैं इनका बहुत ही आभारी हूं।

दूसरा मेरा आपके माध्यम से थोड़ा सुझाव है कि जैसे हमारी यह रोड्स है, संगरिया-हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जोड़ती है, यह हरियाणा से लगती है, पंजाब के साथ भी लगती है साहब, उसमें काफी गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटी हुई है। हमने उनको निवेदन भी किया है कि वह हम चाहते हैं कि जो रोड बड़ी है उनको थोड़ा ठीक कराया जाये।

श्री अध्यक्ष: आपके तो क्षेत्र में सब बनी हुई है सड़क।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ : नहीं, बनी तो है न साहब, उसकी मरम्मत तो करानी है न।

श्री अध्यक्ष: हां, तो उनसे क्या मतलब है। आपके तो बन गई सब।

श्री गुरजंट सिंह बराड़: बनी तो है। दूसरा संगरिया से हम जाते हैं पंजाब, मालारामपुरा है, वह सड़क बनी जरूर है उसके पास से वह पंजाब में जाती है, उसमें आवागमन बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो जो ट्रक यहां माल आम जाता है उसकी जो चौड़ाई थोड़ी ही है उसके पास मिट्टी नहीं है। अगर उसके साथ-साथ दो-दो फुट और अगर ईंट लगाई जाए तो उस सड़क का भी अच्छा हो सकता है। तीसरा, मैं यह भी है कि मेरे संगरिया सादुलशहर से जुड़ता है व गंगानगर जिला जुड़ता है उसमें भी वह सड़क बनने लायक है, उसकी भी मरम्मत कराने वाली है। और एक आपने बणवाली रोड है जो क्रोसिंग रोड है, उसका टेंडर हुआ है तीन साल से वह क्रोसिंग है। किसान जब गाडा लेकर के, ट्रोली लेकर के जाता है उसके लिए बड़ी मुश्किल है। इसलिए उसका भी यह करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। दूसरा, मेरे साथ और दो तीन सुझाव हैं, जो गंगानगर के आम किसान और आम (व्यवधान) के हक में हैं जैसे हमारे वहां के नहर के किनारे बहुत सारे पेड़ जो थे वो उखड़ गये हैं। उखड़ने के बाद सरकार ने नीलाम कर दिये और उसका पैसा जो वह सरकार में जमा हो गया, आज दिन तक वहां पेड़ नहीं लगे हैं। मैंने वन मंत्री महोदय से, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से मैंने वह भी निवेदन किया है। उनको कैसे भी लगवाओ, जो हमारी कैनालें हैं बिलकुल ऐसी हो गई जैसे यहां कोई पानी चलता ही नहीं है। तो आपके माध्यम से यह मेरी एक

विनती है कि ऐसी हरियाली थी जो आज उसमें कहीं देखने में नहीं आती वहां भी अगर वो पेड़ लगाए जाएंगे तो गंगानगर एक हरा-भरा लगेगा वो कैनाल हरी-भरी लगेगी, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि जैसे हम पंजाब से पानी लेते हैं हमारे संगरिया विधान सभा क्षेत्र से बिलकुल पंजाब हरियाणा से जो पंजाब से पानी आता है तो उसमें हरियाणा जो पानी भाखड़ा कैनाल थी उन्होंने बंद कर दी। हमने सीधा सरहंद फ्रीडर से ले लिया। जब भी पानी के हमारे उसका पोण्ड बनाते हैं, आठ फिट साढ़े आठ फिट बनवाते हैं तो वो एक सौ क्यूसिक पानी रोजाना हरियाणा को जाता है। तो मेरा आपसे यह भी निवेदन है मंत्री महोदय आपके माध्यम से सरकार को कि उसका भी पानी जो एक-एक बूंद के लिए हम तरसते हैं...

श्री अध्यक्ष: पानी का भी नोट करें।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): उस पानी का भी किसी न किसी माध्यम से उसका इंतजाम करें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलने दो, नो, नो बैठिये आप, स्थान ग्रहण करें। हां, सरदारजी खतम करें आप तो बात को।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): वहां जो पानी जाता है वो हमारा पानी जाता है उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि उसका भी कोई इंतजाम किया जाए, इतना ही मैं कहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा! (व्यवधान) ऐसा है कि तय यह हुआ था कि दस सत्तापक्ष से बोल ले, पाँच प्रतिपक्ष कांग्रेस से बोल लें और फिर विभिन्न पार्टियां है एक इंडिपेन्डेंट बोले तो एक के बजाय दो इंडिपेन्डेंट बोल लिए और आपका जद (यू) बोल लिया, आपका सी पी एम बोल लिया तो मैं समझती हूं कि अब सात सवा सात बजने को आये, ममताजी के भाषण के बाद क्योंकि आज सारी महिलाओं ने अपना प्रदर्शन कर दिया, यह अकेली बाकी हैं।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक दिन भी समय नहीं दिया गया। कटमोशन देते हैं रोज एक भी दिन समय नहीं दिया गया, कभी भी ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज रिकार्ड बन गया सारी महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किये आज राजेन्द्रसिंहजी की मांग पर।

श्री अध्यक्ष: इसलिए वह अकेली रह गई हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी भी समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: मि. बाबर, प्लीज सिट डाउन। आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 30 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह पॉइन्ट्स बोलना चाहती हूं जो सदन में नहीं आये हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो नजूल संपत्ति है पूरे राजस्थान में वह सब या तो बरबाद हो रही है, टूट रही हैं या उन पर कब्जे हो रहे हैं। अगर आप उनको बेच देते हैं तो कम से कम आपको रेवेन्यू तो मिलती है उससे स्टेट गवर्नमेंट के पास, आपके डिपार्टमेंट के पास उससे रेवेन्यू आती है। बहुत देर से बात चल रही है तारीफों की बहुत बात चल रही है कि यह हुआ, वह हुआ। मैं मानती हूं कि सड़कें बन रही हैं और यह भी बात चली कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटलबिहारीजी के समय से यह है तो हमने उसको बरकरार रखा है, हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने उसको बंद नहीं किया, जैसे आपने राजीव गांधी स्कूलों के नाम बदल दिये, हमने नहीं किया। हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने वहीं और बल्कि आपके बजट बढ़ाया है, आपके बजट को कम नहीं किया। दूसरी बात (व्यवधान) मैं आप बोले तब नहीं बोली, कृपया माफ करें आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें आप।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप डिस्टर्ब नहीं करें क्योंकि पाँच दस मिनट के बाद यह शुरूआत हो जाएगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप व्यवधान नहीं डालें, प्लीज। और महिलाओं को तो खासतौर से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कें सब जगह बन रही हैं लेकिन मेरा छोटा सा सुझाव है आपके लिए कि जो आज शहरों की सड़के बना रहे हैं पूरे राजस्थान में, उनमें नालियों का प्रावधान बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप सड़क बना देते हैं तो जब नालियां नहीं होती

(श्रीमती ममता शर्मा)

तो सड़कें जल्दी से टूटने लग जाती हैं। क्योंकि अभी बहुत बात हो रही थी, क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की। लेकिन क्वालिटी की तरफ आप लोग बिलकुल ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय आप क्वालिटी पर भी ध्यान दें। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि मुख्य मंत्री सड़क योजना जो आपने बनाई है इसमें आपने कहा है कि हम सारे धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि एक भी, बूंदी जिले में तो कम से कम एक भी धार्मिक स्थल का जोड़ के आपने अभी तक कोई खाता नहीं खोला। झालावाड़ की बात दूसरी है, झालावाड़ में आपने जोड़ा हो तो बात और है और ऐसा नहीं है कि भक्त झालावाड में ही रह रहे हो, भक्त तो पूरे राजस्थान में भी रह रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इसको आप जोड़ने का कष्ट करें धार्मिक स्थलों को, दूसरी मैं कहना चाह रही थी कि आर एन यू पी के फोर्थ पेज में आपने जो लास्ट रिन्युअल रखा है वह 95 तक का रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसको 95 तक का नहीं रख कर के आप 98 तक का करें। इसमें बहुत सड़कें सुधर भी जाएंगी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फाइनेंस की आपके पास कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस रिन्युअल को 95 तक का जो क्राईटेरिया रखा है उसको बढ़ाकर 98 कर दें। मेरा यह सुझाव मान लें तो बहुत कृपा होगी आपकी।

दूसरी बात मैं कह रही थी पी एम जी एस वाई में आज जो सड़कें ला रहे हैं, उसमें कई सड़कें मेरे क्षेत्र की भी ऐसी हैं और मैं दूसरी जगह की बात इसलिए नहीं करूंगी कि कमाण्ड एरिया सब जगह नहीं है। कई गांव ऐसे हैं कि एक हजार से भी ज्यादा आबादी है, दो हजार की आबादी है। अभी रिसेन्टली कल मैंने बात की, उन्होंने कहा करीब 1500 की आबादी है लेकिन उस गांव को आप जोड़ने को तैयार इसलिए नहीं हैं कि उस गांव में पहले कभी तीन किलोमीटर कभी सड़क बनी होगी जो बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो गई। तो कृषि उपज मण्डी की सड़कों के बारे में या माइनिंग रोड्स के बारे में जो भी बात है यह तो पी डब्ल्यू डी की जिम्मेदारी है, वह तो आपको लेनी चाहिए। आप क्यों नहीं लेते? कृषि उपज मण्डी एक बार सड़क बना देती है, कृषि उपज मण्डी का पैसा तो कायदे से किसानों के लिए रिजर्व रखना चाहिए। अगर अभी आप चाहें तो वही पैसा किसानों को ओलावृष्टि में दे सकते हैं, सड़कों की बात छोड़िए, सड़कों की जिम्मेदारी केवल पी डब्ल्यू डी की होनी चाहिए। तो मेरा आपसे

(श्रीमती ममता शर्मा)

कहना यही है कि इस तरह का जो गांव है और खासतौर से हमारे यहां कमाण्ड एरिया है तो आप यह भी कह देते हैं कि कमाण्ड एरिया की सड़क है और मेरे क्षेत्र में आ रही है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो यह क्राईटेरिया भी खतम करिए आप कि कमाण्ड एरिया की सड़क होने के कारण हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि पहले इर्रिगेशन डिपार्टमेंट या सी ए डी कहिए वो सड़क बनवाया करता था। लेकिन वर्ष गुजर गये सी ए डी अब कोई सड़क नहीं बनवाता। और आज भी वो गांव अछूते हैं जिसमें सड़कें आप नहीं दे रहे हैं पी एम जी एस वाई के माध्यम से तो मैं चाहती हूं कि जो सड़कें आई सी यू में पड़ी हुई हैं उनको जरा हॉस्पिटल से बाहर निकालने का भी कष्ट करें। एक बात यह है कि अभी माननीय सदस्य जो संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेरा तो 100 प्रतिशत गांव जो है वह सड़कों से जुड़ चुका है तो यह इं-बैलेंस ऑफ रोड्स आपने क्यों रखे हैं? और दूसरे माननीय सदस्यों ने और राजस्थान की जनता ने क्या कसूर किया है कि उनको सड़कों आप नहीं जोड़ रहे हैं। अभी यहां से मैं भूल गई किसने इस बात का जिक्र किया था उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि 99 प्रतिशत वह माननीय सदस्य जो स्नेहलताजी बैठी हैं, डग से आने वाली माननीय सदस्य, उन्होंने भी कहा है तो डग तो स्पेशल इसलिए हो गया कि डग झालावाड़ में है तो आपने 100 प्रतिशत गांवों को वहां कर दिया लेकिन बूंदी भी झालावाड़ में नहीं हुई तो कोटा संभाग में है। माननीय मंत्री महोदय इसलिए बूंदी को भी थोड़ा स्पेशल मानकर के वहां भी कुछ करिए मेरा आपसे निवेदन है। एक बात यह कि माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे स्टेट में सेम स्पेसिफिकेशन होने की वजह से हमारे एरिया में दिक्कत आती है। क्योंकि हमारे यहां काली मिट्टी है काली मिट्टी में जिस लागत की आप एक किलोमीटर की सड़क पूरे राजस्थान में देते हैं और वहीं आप वहां देते हैं तो सड़क बहुत जल्दी धस जाती है। और उसके धसने से आपका जो पैसा लगता है वो भी बेकार जाता है वो भी जनता के काम नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूं कि इसमें फंड्स का थोड़ा सा रखिये कि एक किलोमीटर की जो सड़क है उस एरिया में जहां कि काली मिट्टी है और बैठने की एक टेंडेंसी है उसमें थोड़ा सा फंड्स को आप रेज करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यूबीएम और ग्रेवल वाली सड़कों को आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं लेंगे तो वो गांव कैसे

(श्रीमती ममता शर्मा)

जुड़ेंगे? और जब ग्रेवल की नौबत आती है तो सीधी-सीधी बात यह होती है कि या तो पंचायत समिति मद में से दिलवा दीजिये और या फिर एमएलए अपने फंड से पैसा दे। तो माननीय मंत्री महोदय, हमारे फंड का पैसा हम सड़कों में, ग्रेवल में और इनमें देंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा आपसे निवेदन है कि जिन सड़कों में ये सब हो चुका है पापूलेशनवाइज जो क्राइटेरिया आपका है उसमें इन सड़कों को भी लें कुछ अपने नियम और कानूनों में बदलाव करके, यह अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात पाँच सौ मीटर से कम सड़क को आप यह मान लेते हैं कि गांव जुड़ गया उसको आप नहीं जोड़ते हैं। लेकिन हालत यह है कि जहां मिट्टी है वहां तो पाँच सौ मीटर तो बहुत होती है लेकिन पाँच सौ मीटर का मतलब हो गया आधा किलोमीटर। आप स्कूल तक जोड़कर या पंचायत समिति के ग्राम पंचायत भवन तक जोड़कर उसको खतम कर देते हैं। स्कूल आजकल गांव के काफी बाहर बनने लग गये। और स्कूल बाहर बनने की वजह से जो अन्दर गांव है वो सड़क से वंचित रह जाता है और स्कूल तक सड़क जुड़ जाती है उससे कोई लाभ हो नहीं रहा है । मैं चाहती हूं कि आप इसको टेकअप करें ताकि गांव वालों को रिलीफ मिल सके।

एक बात और यह थी कि पीएमजीएसवाई में जितनी सड़कें नेशनल हाईवे पर आप बना रहे हैं, नेशनल हाईवे से जोड़ रहे हैं सड़कों को माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी एक्सीडेंट प्रोन हो गयी हैं ये पीएमजीएसवाई की सड़कें मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि आप कोई अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगायें। और जो दोनों सड़कें आकर नेशनल हाईवे पर आती हैं उन पर ब्रेकर्स बनवाने का प्रयास करें क्योंकि मोटरसाइकिल, जीपें, ट्रेक्टर उनको कोई ट्रेनिंग तो है नहीं वो कोई नियम कानून समझते नहीं हैं। सीधे गांव से एकदम तेजी से आते हैं नेशनल हाईवे पर और उससे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैं चाहती हूं कि नेशनल हाईवे पर ब्रेकर नहीं बनाकर और वहां ब्रेकर बन जाए ताकि उनकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाए। मैं मानती हूं कि हमारे माननीय मंत्रीजी बहुत कुशल हैं और बहुत एक्सपीरियंशड हैं सारी बात है। लेकिन उसके बाद भी मैं यह पूछना चाहती हूं आपसे कि आपने संभागवाइज कितनी मीटिंग्स की? आपने कितने जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे पूछा कि आप हमें बताइये कि आपकी समस्या क्या है? आप मीटिंग लेते ही नहीं हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इनके पास समय ही कहां है मुख्य मंत्रीजी के आगे-पीछे घूमने के अलावा कि ये संभाग में जाकर मीटिंग लें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आपके पास फीड बैक क्या है? आप अफसरों से फीड बैक लेते हैं तो वो तो अपने हित का फीड बैक आपको देते हैं या आपके कार्यकर्ता जो होंगे जिस तरह से यहां तारीफें हो रही हैं वैसे ही आपके क्षेत्र में तारीफें हो जाती हैं कि साहब पूछिये मत, पता नहीं कितना रिवोल्यूशन आ गया, कितने रिफोर्म्स आ गये आपके कार्यकाल में। तो ये आप मीटिंग्स लीजिये जनप्रतिनिधियों से भी बात करिये और मैं चाहती हूं कि उन मीटिंग्स में आप जिला परिषद के डाइरेक्टर्स को भी बुलाइये, एमपीज को भी बुलाइये और एमएलएज को भी बुलाइये। अभी मैं तारीफ करूंगी माननीय मंत्रीजी, माननीय कटारिया साहब की कि ये महीने में एक बार जरूर मीटिंग लेते हैं या फिर मीटिंग लेते हैं माननीय इर्रिगेशन मंत्रीजी जाट साहब। हालांकि मेरे एरिया में माननीय दिगम्बर सिंहजी भी गये हैं उन्होंने हालांकि मुझे नहीं बुलाया वो बात और है, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जरूर पूछा है क्या बात है। तो माननीय मंत्रीजी, आप यहां हवा में न घूम करके थोड़ा एरिये को भी देखें। पूरे राजस्थान में घूमें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कहां-कहां क्या सिस्टम चल रहा है, क्या करप्शन चल रहा है क्योंकि करप्शन चरम सीमा पर है। अभी कई माननीय सदस्यों ने करप्शन का जिक्र किया।

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया कंक्लूड करें। आपने 11 मिनट ले लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाँच मिनट और चाहूंगी आज आपसे। मैं इर्रिलेवेंट बात भी नहीं कर रही हूं और रिपीटीशन भी नहीं कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कंपेयर कर रही हैं मंत्रियों को आपस में, यह क्या बात हुई?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छे के लिए कर रही हूं कि आप भी ...

श्री अध्यक्ष: आपने अच्छा तो नहीं बताया। आपने बता दिया कि वो करते हैं वैसे नहीं करते हो।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): रूरल एरियाज में जो रोड्स हैं ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, वसुन्धराजी ने इंटरनल असेस्मेंट का काम इनको सौंप रखा है।

श्री अध्यक्ष: हां, यह बात हो सकती है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) संयमजी, आप पर नाराज हो गईं ममताजी।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप कभी सैम्पल चैक कराइये। एक बार आप एरिया में जाकर देखें, आम पब्लिक से मुखातिब हों। जब आप मौके पर जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि रियल्टी क्या है। ग्राउंड लेवल रियल्टी तभी पता लगेगी जब आप मौके पर जाएंगे और एसी कमरों में काम नहीं चलेगा कि चूरू और चूरू से अपने घर। मैं चाहती हूं कि आप पूरे राजस्थान में घूमें। आप पूरे राजस्थान के मंत्री हैं खाली चूरू के नहीं हैं। जहां तक रूरल रोड्स का सवाल है ...

श्री अध्यक्ष: घूमते तो खूब हैं आपके यहां नहीं गये हों तो अलग बात है। घूमते तो खूब हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, रूरल एरियाज की जो रोड्स हैं मैं चाहती हूं कि आप इनको चैक करवाइये। वहां अतिक्रमण इतने हो रहे हैं कि अगर आप इनको कभी आगे आने वाले समय में हटाना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। उस टाइम चाहे सरकार कोई सी भी हो, हम हों या आप हों, आप चाहते हुए भी उन अतिक्रमणों को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए इस पर लगाम लगाना अभी से जरूरी है। कई सड़कें ऐसी हैं गांवों की पीएमजीएसवाई की वो रुकी पड़ी हैं 6-6 महीने से दो जने लड़ रहे हैं कि यहां से मैं चौड़ी नहीं करने दूंगा। इस पर आप कलक्टर्स को आदेश करिये या आपके डिपार्टमेंट को आदेश करिये कि इस पर कुछ न कुछ एक्शन जरूर लें।

स्टेट टाइम के जितने भी डाक बंग्लोज हैं उनकी कोई मेंटीनेंस नहीं है। आप देखिये वो इतने जीर्ण-शीर्ण हालत में हो रहे हैं और धीरे-धीरे खतम हो रहे हैं। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के भी हैं, सीएडी के भी हैं इनको आप क्यों नहीं डिपार्टमेंट में ले लेते हैं, आपका डिपार्टमेंट ले। जिम्मेदारी आपकी है इसमें सब की जिम्मेदारी नहीं है इसलिए आप इसको कम से कम अपने डिपार्टमेंट में लें। आप एक काम और भी कर सकते हैं...

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ...कि जो नदी के किनारे डाक बंग्लोज हैं या लेक के किनारे के डाक बंग्लोज हैं उनको आप टूरिज्म डिपार्टमेंट को सौंपें। हम जनप्रतिनिधि जाते हैं गावों में तो हमें पाँच मिनट कहीं रेस्ट करने की कोई जगह नहीं मिलती लेकिन अगर ये बंग्लोज आपने ले लिये जो स्टेट टाइम के हैं या आजादी के बाद सीएडी ने बनाये या इर्रिगेशन ने बनाये हैं अगर आप ले लेते हैं तो ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। आप देखिये सांगोद में जीएसएस बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ... सब कुछ है लेकिन वहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी जाता है वो बेकार चला आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, कृपया कंक्लूड करें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाँच ही मिनट मांग रही हूं बस मेरे खतम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: पाँच मिनट आपने ले लिये आपने प्रारंभ किया था 7 बजकर 13 मिनट पर और अब हो गये 27 मिनट। 14 मिनट तो आप ले चुकी हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाओं के जमाने में जब सड़कें बनती थीं तो आस-पास वृक्ष भी लगाये जाते थे । आप एनवायरमेंट की तो इतनी बात करते हैं, पर्यावरण की इतनी बात करते हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि कितनी जगह आपने वृक्षारोपण किया? यह आप बताइये।

श्री अध्यक्ष: अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सारा फ्लो टूट जाने की वजह से मैं लेट हो जाती हूं। अगर आप पांच मिनट दे देंगी तो शायद ...

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट तो आप, मैंने कहा न आपने पन्द्रह मिनट ले लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मैं बूंदी जिले की बिलकुल बात नहीं करूंगी। मैं आपको लिखकर दे दूंगी। मिसिंग लिंक्स के बारे में लिख कर दूंगी कि मिसिंग लिंक्स में भी दें। गौरव पथ के नाम पर आपने प्रशासन को कह दिया कि गौरव पथ बना दो। और रघुवीर भवन से देवपुरा तक गौरव पथ बन गया लेकिन फिर उसकी सुध भी लीजिये उसमें डिवाइडर भी बनाइये, नालियां बनाइये, ट्रेफिक लाइट लगाइये कुछ तो करिये। ये सब तो हो नहीं रहा है और गौरव पथ के नाम पर सारे गरीबों को उखाड़ दिया गया है और पुल बहुत इंपोर्टेंट हैं जिस पर कोई नहीं बोला। स्टेट टाइम के जितने भी पुल हैं आप उनको देखें वो एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ते थे एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ते थे। आपने उन पुलियाओं की सुध ही छोड़ दी बिलकुल। मैं तो चाहती हूं कि वो पुलियाएं एक एग्जाम्पल है। आप अपने अधिकारियों को और

(श्रीमती ममता शर्मा)

आपके ठेकेदारों को भेजिये कि ये सौ साल पुरानी पुल आज तक भी चल रही है और आप लोगों की बनाई हुई पुल वो दस साल में चरमरा जाती है, बोल जाती है। और अगर उन पुलियाओं को आप मरम्मत करके ठीक कर देंगे तो जो पुलिया सौ करोड़ में बनेगी वो चार करोड़ में उसकी मरम्मत हो जाएगी और उसका भी लाभ जनता को मिलेगा।

दूसरा मैं उद्यानों के बारे में कहना चाहती थी माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उद्यान जो हैं जितने भी स्टेट टाइम के उद्यान हैं या जो बाद के उद्यान हैं उनमें क्या हो रहा है? सिवाय जंगल उग रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। और आपके जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है उनके यहां वो गमले पहुंचाने का काम करते हैं उनके घर सजाने का काम करते हैं उनके पीछे किचन गार्डन को संभालते हैं। यह कौन सा तरीका है? आम जनता को उन उद्यानों का क्या लाभ मिल रहा है? आपने कोई वाकिंग ट्रेक बना दिया, वहां या आपने कुछ बना दिया, अधिकारियों को खुश करने के लिए कर्मी भी लगे हुए हैं और इस तरह से तो उद्यानों को संभालने के लिए आप कुछ करें नहीं, यह उनकी बपौती थोड़े हो गयी? बपौती राज्य सरकार की है और राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है वह कुछ न कुछ जरूर करें। मैं चाहती हूं दो तीन रपट माननीय मुख्य मंत्रीजी के ही एरिया में कालीसिंध है । कालीसिंध पर दो-तीन रपट है, बालाजी के थाथ की रपट यह सब पर्बत नदी पर बने तो मेरा मानना है ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्या आप बहुत बोल चुकीं, 17 मिनट ले लिये आपने ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, एक सड़क नीति पर मेरे को बोल लेने दीजिए । सड़क नीति जो 96 में बनी थी आपका ही कार्यकाल था ।

श्री अध्यक्ष: नो, नो गलत बात है आपकी । कृपया कन्क्लूड करें आप।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एसटी की डिमांड पर तो बोल लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष: नहीं यह क्या तरीका हुआ आप 17 मिनट ले चुकी हैं । आपने 7.13 पर शुरू किया था । जवाब भी दिलवाना है, दो मंत्री हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, बांसवाडा में एसटी

बालिकाओं की छात्राओं का पीडब्ल्यूडी ने भवन बनवाया था लेकिन वह 13 दिन बाद ही धराशायी हो गया। उसमें कौनसी क्वालिटी लगी थी यह बताइए? इसकी जांच करवाइए और जांच करवा दी तो आपने कोई कार्यवाही तो की नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लोग सस्पेंड हो गये, ब्लैक लिस्ट कर दिया, कार्यवाही की है ना सस्पेंड पडे हैं अभी तक ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप कार्यवाही कीजिए। और जहां तक एसटी का सवाल है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सुन रहे हैं जो ट्राइबल सब प्लान में है उनके लिये तो सारी सुविधाएं हैं और जो एसटी ट्राइबल सब प्लान में नहीं है वह तो मर रहे हैं । उनके लिये कोई सुविधा आप नहीं दे रहे हैं । उनके लिये एनीकट बने, उनके सिंचाई के साधन हो ....

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव बहुत दिये और बार-बार मेरा नाम आता है । (व्यवधान) मेरे को आप सिर्फ दो मिनट दे दें । मैं मांग संख्या 19 लोक निर्माण, मांग संख्या 21 सडकें एवं पुल, मांग संख्या 30 जनजाति श्रेत्रीय विकास के बारे में मैं आपका दो मिनट का समय लूंगा । आपने जो मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, मेरे को कन्क्लूड तो कर लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष: पढ क्या रहे हैं आप, बोलना है तो बोलिए । यहां पढ़ना अलाऊ नहीं है ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं बजट पर नहीं बोलूंगा ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं बजट पर नहीं बोलूंगा उसके अलावा सब चीजों पर बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष: यहां पढ़ना अलाऊ नहीं है बोलना है तो बोलिए ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं इन तीन मांगों पर बोलूंगा यह तो मैंने निवेदन कर ही दिया । बजट पर बोलने के लिये मुझे समय मिलेगा तो बोलूंगा नहीं तो नहीं बोलूंगा । मैं सडकों के बारे में निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत सडकें बनाई हैं वसुंधराजी की सरकार के समय में माननीय राठौड साहब ने वसुंधराजी के नेतृत्व में इसमें कोई दो राय नहीं है । चाहे कोई

गलतियां निकाल दे कि हैबिटेशन नहीं जुडा, फलाना नहीं जुडा वह सारी बातें अलग है और उन पर आऊंगा तो थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, वह मैं नहीं जाऊंगा । मैं केवल सड़कों के बारे में निर्माण मंत्री महोदय को और विशेष तौर से मुख्य मंत्री महोदया को बधाई देते हुए कि बहुत सडकें बनाई और साथ ही साथ यह जब बाढ़ की त्रासदी आई थी उस समय सड़के बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी कोई पता ही नहीं था । उसको तत्काल ठीक कराने के लिये भी मैं बधाई देता हूं । साथ ही साथ मैं इतना ही निवेदन करुंगा कि मेरे को मिसिंग लिंक के रूप में मंत्री महोदय से मैंने बार-बार निवेदन किया है कृपा करके मेरे को 100 नहीं, पीछे से शेरगढ़ से आने वाले माननीय राठौड़ साहब बोल रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: अब आप समय मत खराब करो, जल्दी बोलो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वह 100 बोल रहे हैं तो 50 आप दे दो। लोक निर्माण में मैं निवेदन करूं कि बाढ़ के समय महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय भी पधारे और भी बहुत वीआईपी पधारे लेकिन बहितु में उनके क्षण भर विश्राम करने के लिये भी कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके एक डाक बँगला जो कम से कम 50 लाख रुपये से बने इतना तो आप कर दीजिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जहाजवा पंचायत है जिसमें बहुत ज्यादा अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या है वहां एक आप होस्टल दे दें जिससे मैं आपकी बहुत प्रशंसा करूंगा । मेरे को आपने समय दिया दो मिनट से ज्यादा नहीं हुए होंगे मेरे हिसाब से इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्री के.डी. बाबर ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मेरे को बोलने का समय दिया । आज सुबह से मांग संख्या 19, 21 एवं 30 पर चर्चा हो रही है । हमारी सरकार गरीब को गणेश मान कर काम करती है । जो व्यक्ति झौपडी में बैठा है उसका ध्यान रखती है । माननीय वसुंधराजी हमारी मुख्य मंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय राठौड साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश ने सड़क के मामले में बहुत अच्छी प्रगति की है और प्रदेश का विकास का जो मूल मंत्र है वह सड़क है । अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कई तरह के आरोप

(श्री केसरदेव बाबर)

लगाये । मैं आपसे कुछ आंकडे निवेदन करूं । इनके पाँच वर्ष और हमारे तीन वर्ष । इन्होंने पाँच वर्ष में कुल 1905 करोड़ रुपये खर्च किये ।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने क्या किया वह छोड़ो आप तो अपने कट मोशन पर आओ ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य बात है । इसमें लक्ष्मणगढ़ आयेगा और इसी में सीकर आयेगा ।

श्री अध्यक्ष: आप अपने कट मोशन पर आइए ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): हमने तीन वर्ष में 4055 करोड़ रुपये खर्च किये। प्रतिवर्ष औसत इन्होंने 381 करोड़ और हमने 1351 करोड़, लगभग तीन गुना ।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): यह हमारी नीयत है इनकी नीयत में खोट है हमारी नीयत साफ है । इसलिए हमारी मुख्य मंत्रीजी का जो मैनेजमेंट है यह उसी का परिणाम है । पीएमजीएसवाई में यह प्रदेश भारत वर्ष में प्रथम स्थान पर रहा । इन्होंने पांच वर्ष में 3936 किलोमीटर सड़क बनाई हमने तीन वर्ष में 14724 किलोमीटर सड़क बनाई ।

श्री अध्यक्ष: इनकी गाथा छोड़ो आप अपने कटौती प्रस्तावों पर आओ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने एक वर्ष में ...

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात, आप अपनी बात कहिए जो कहनी है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, जो कागज लिख कर दिया है वही तो पढ़ेंगे, अब आप कह रही हो कि मन से कहो, मन से क्या कहेंगे वह?

श्री अध्यक्ष: अपने कटौती प्रस्तावों पर आओ आप । आपको जो कहना है कटौती प्रस्ताव पर बोलो ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बजट की बात है कि प्रदेश को हमने क्या दिया है और इन्होंने क्या दिया । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पाँच वर्षों में कुल व्यय किया 502 करोड़ रुपये, हमने किये 2233 करोड़ रुपये । पीएमजीएसवाई में गांव जोडे ....

श्री अध्यक्ष: आप क्या मंत्री हो जो यह कह रहे हो सब बातें?

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): मंत्री हमारे हैं ।

श्री अध्यक्ष: तो फिर उनके लिये छोड़ो ना, वह बोलेंगे अपने आप ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष: यह सब मंत्रीजी बतायेंगे आपको अपना जो कटौती प्रस्ताव है उसके बारे में कहना है तो कह दो । अब इतना समय हो गया है, 7.39 हो गये हैं।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं और एक मिनट बोला नहीं बीच में आपने टोक दिया । जब सुबह से सभी सदस्य बोलते हैं और अपनी-अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं और हमारी सरकार की खामियां गिनाते हैं तब क्यों नहीं टोकती आप इनको? अध्यक्ष महोदय, हमने प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनाई और इन्होंने 4 किलोमीटर सड़क बनाई । इन्होंने एक दिन में एक गांव जोडा, हमने एक दिन में 4 गांव जोडे ।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया काम किया ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मिसिंग लिंक सड़क योजना में इन्होंने पाँच वर्ष में निल। एक किलोमीटर सड़क नहीं बनाई। और हमने 2595 किलोमीटर सड़क बनाई । इन्होंने व्यय क्या किया, जब सड़क बनाई ही नहीं तो खर्चा कहां से आयेगा। इन्होंने व्यय किया निल और हमने 243 करोड़ रुपये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आप अपने मेम्बर्स को ऐसी ही तैयारी करवाते हो क्या, ऐसी तैयारी करवाते हो क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनको सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का जवाब मान ले क्या? (व्यवधान) हम उन्हें कैसे कह सकते हैं। आपने वहां कागज दे दिया तो कह तो देते कि इसको बोलने में थोडा सुधार करके बोल लें। ऐसे के ऐसे ही बोलते रहे क्या?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): कागज वापस मंगवा लीजिए ताकि वह अपनी बात कह सके। इस कागज को वापस मंगवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): मैं अपनी ही बात कह रहा हूं। यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। मैं जो कह रहा हूं हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपने एक गांव नहीं जोड़ा मिसिंग लिंक में और हमने 222 गांव जोड़े । केन्द्रीय सड़क निधि योजना में आपने पाँच साल में 3090 किलोमीटर

(श्री केसरदेव बाबर)

सड़क बनाई और हमने 4341 किलोमीटर सड़क बनाई। आप लोगों ने खर्च किया 192 करोड़ 91 लाख, पाँच साल का, और हमने 329.43 लाख रुपये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कहां से आया यह भी बता दीजिए, कौन से मद में आया यह भी बता दीजिए, यह भी बता दीजिए साथ के साथ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेहरबानी करके कुछ मंत्रीजी के रिप्लाई के लिए भी तो छोड़ो। सारा आप ही जवाब दे दोगे तो यह क्या जवाब देंगे?

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपके जो कटौती प्रस्ताव है 109, 110, 111, 112, 113, इनके बारे में कुछ कहना है तो कहिये, बाकी मंत्रीजी के लिए छोड़ दीजिए।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया...

श्री अध्यक्ष: इस बारे में कहना है तो कह दीजिए आप। कहां आप कटमोशन का मतलब ही नहीं समझते।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंत्री महोदय ने..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत काम किया, बहुत अच्छी बात है, बिराजें फिर आप। बहुत काम किया तो बिराज जाओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, दस मिनिट का समय मुझे भी दीजिए।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक सालासर से मुकुंदगढ़ रोड है, सालासर से मुकुंदगढ़ रोड़ है, सालासर से लक्ष्मणगढ़ तक एमडीआर घोषित है। यदि वह रोड यदि लक्ष्मणगढ़ से मुकुंदगढ़ तक और एमडीआर हो जाए तो जो यात्री झुन्झुनूं से दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से आते हैं उनको और फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक मांग और करूंगा जो गांव 500 मीटर से कम की दूरी के गांव है, वो मुख्य मंत्री सड़क योजना में शामिल हो जाएं तो वह गांव जुड जाएंगे और जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं कहीं 250 मीटर है, कहीं 300 मीटर है, कहीं 400 मीटर है लेकिन उससे परेशानी होती है। मंत्री महोदय जब रिप्लाई दें तो इस बात का ध्यान रखें। एक एमडीआर सड़क खुडीबडी से जसरासर, भोजासर वाया पाटौदा होते हुए सरदबुदी से जुड जाती है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से बीचों बीच रास्ता गुजरता है और

(श्री केसरदेव बाबर)

उससे रोडवेज का साधन हो जाएगा, यह भी अगर हो गया तो अच्छा हो जाएगा। गांव तो जुड़ा हुआ है लेकिन रोड ठीक हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक ए.ईएन आफिस है, दूसरा ए.ईन. आफिस नेछवा में हो जाए तो दूरदराज के गांव हैं उनको फायदा होगा। एक ग्राम नेछवा से हसनपुरा आदरणीय मंत्री महोदय ने सड़क बना दी थी, लेकिन वह जो नागौर का बोर्डर है वहां तक तो सड़क बन गई, लेकिन हसनपुरा कुछ दूर रह गया। वह एक-डेढ किलोमीटर और है, नागौर जिले का गांव है, गांव हसनपुरा, वह जुड जाएगा तो नागौर जिला, सीकर जिला...

श्री अध्यक्ष: हां जुड जाएंगे। माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

मांग संख्या 19, 21 व 30 का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी 26 माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आज मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21, ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इतनी जोर से बोलते हैं कि डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी और मंत्रीजी भी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोनों पर विचार व्यक्त करते हुए मेरा और मेरी सरकार का मार्ग प्रशस्त किया है। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों मांगों के सन्दर्भ में...

श्री अध्यक्ष: आप फिर मेरा पर आ गए। आप मेरा पर मत आओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे 314 कटौती के प्रस्ताव मिले हैं। इन 314 कटौती के प्रस्तावों का उत्तर मैं न केवल 48 घंटे में माननीय सदस्य को भिजवाने का काम करूंगा ...

श्री अध्यक्ष: वेरी गुड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बल्कि इन कटौती के प्रस्तावों के माध्यम से और सदन में विचार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्यों ने जो कुछ भावना व्यक्त की है, मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले वर्ष में विभाग की जो कार्यशैली हो उनमें जो कुछ भी मैं उन विचारों से, कटौती के प्रस्तावों से आये विचारों से जो मैं समावेश कर सकूंगा, समावेश करने का प्रयास करूंगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सड़क तंत्र 1 लाख 71 हजार 593 किलोमीटर लंबा है। यह विभाग जहां एक तरफ नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के रख-रखाव का काम करता है वहीं हमारे पास इस वक्त 4800 राजकीय कार्यालय के भवन भी हैं और 18860 सरकारी आवास भी हैं। अब इतना बड़ा काम और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं कोई छोटी-मोटी निर्माण के कार्य में कमी-बेसी भी हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने विचार रखे, उनमें से अधिकांश लोगों ने पिछले तीन वर्षों के अंदर राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमने काम किया, जो अभिनव योजना बनाई उसकी प्रशंसा की, पर इसके साथ कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय सड़कों के निर्माण को लेकर, निर्माण मानक स्तर का न होने की चर्चा भी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा कर रहा हूं कि आज कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से सदन में विचार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्यों ने जिन-जिन सड़कों का उल्लेख किया, जिन-जिन भवनों का उल्लेख किया मैं अतिरिक्त मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक जांच समिति बना रहा हूं जिसमें क्वालिटी कंट्रोल के एस.सी. होंगे, एक्स.ईएन होंगे। और यह जांच समिति अपनी जांच प्रारम्भ करेगी तब भी माननीय सदस्यों को जाकर कहेगी हम अपनी जांच प्रारम्भ कर रहे हैं आपको इस सन्दर्भ में कोई जानकारी है, जानकारी देना चाहे तो दें। और जांच समाप्त करने के पश्चात भी यह सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। उस समय माननीय सदस्यों को भी लिखकर कहेगी कि आपने अमुक सड़क के, अमुक भवन के लिए, उसके निर्माण में मानक स्तर नहीं होने की जो शिकायत की थी उस शिकायत का परिणाम यह आया है, इस शिकायत के बारे में आपको और कुछ कहना है तो जरूर कहें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, एडिशनल चीफ इंजीनियर तक तो आपका सिस्टम सैट है, वो प्रतिशत वाला, उससे आप आगे बढ़ो तो सही जांच होगी।

श्री अध्यक्ष: यह क्या तरीका है आपका? सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी में विधान सभा के सदस्य को ही शामिल कर लिया जाए तो क्या एतराज है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हर बात को, हर चीज को देखने का अलग-अलग तरीका हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को जब आगे बढाऊंगा तब मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि राजस्थान के सड़क तंत्र को न केवल भारत सरकार के वो गुण नियंत्रक और विश्व बैंक की वह टीम जिन्होंने समय-समय पर दौरा किया, आकस्मिक निरीक्षण भी किया उन्होंने कहा कि यह भारत के सर्वश्रेष्ठ सड़क तंत्रों में है। उन्होंने क्या-क्या टिप्पणी की उसके बारे में चर्चा करूंगा। इतना बड़ा सड़क तंत्र है अध्यक्ष महोदय। यह सड़क तंत्र के अंदर, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज चराचर की आयु है, हर चीज की आयु है, तो सड़क की भी आयु है। और सड़क की आयु जब पूरी होती है तो निश्चित तौर पर उस सड़क के मरम्मत के काम भी हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आज किसी भी राज्य के विकास का मापदंड हमारी सड़कें हैं। आज समग्र विकास का जब आंकलन होता है तो रोड इंडेक्स को बहुत बड़ा महत्व दिया जा सकता है। कोई गांव जब सड़क से जुड़ता है तो उसके आर्थिक और सामाजिक परिवेश में परिवर्तन का दृष्टिगोचर होता है चाहे वह किसान के अनाज की मण्डी के बीच में जाने की दूरी कम हो, चाहे विद्यालय और हमारे छात्र-छात्राओं को सरपट जाने के लिये अच्छी सड़कें हों, यह सारा सड़क तंत्र जहां राजस्थान के विकास तंत्र को प्रभावित करता है। वहां चाहे हम राष्ट्रीय एकता और उत्पादकता की बात करें इस सब को प्रोत्साहित करने का काम यह सड़क तंत्र करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान की जिस तरह की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहां की आबादी छितराई हुई है। और छितराई हुई आबादी के कारण एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहां सौ किलोमीटर में राष्ट्रीय औसत से कम सड़क घनत्व है। बिलकुल सही है, जब हमारी जनसंख्या का घनत्व कम है तो उस जनसंख्या के घनत्व के कारण हमारे सड़क तंत्र का प्रति सौ किलोमीटर जो राष्ट्रीय औसत 102 किलोमीटर है, उससे हमारा कम है। पर, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि जब तक यह सड़क तंत्र, मुझे याद आ रहा है, वह समय, 2004 के अन्दर, मुझे आपने अवसर दिया था कि मैं अपने विभाग की मांग के सन्दर्भ में कुछ बातें कहूं। उस समय विरासत में जिस तरह का सड़क तंत्र मिला था, अध्यक्ष महोदय, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2003 के अन्दर राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर 52 प्रतिशत गांव सड़क से जुडे हुए थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन 3 वर्षों में हमने सड़क तंत्र को बढ़ाकर जो राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत आज ग्रामीण का जुड़ाव है, विलेज कनेक्टिविटी है, उससे आगे बढ़कर हमने 65 प्रतिशत गांवों को सड़क से जोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी रुरल कनेक्टिविटी इन तीन वर्षों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी, यह अपने आप में एक ऐसा काम है, एक कीर्तिमान है। मैं यह नहीं कहता कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं यह भी नहीं कहता कि पिछली सरकार के समय योजना नहीं थी। परन्तु पिछली सरकार का पूरा कार्यकाल और आपने रुरल कनेक्टिविटी बढाई थी सिर्फ 2 प्रतिशत। यह है आपके और हमारे काम करने में अन्तर।

अध्यक्ष महोदय, आज हम बात करते हैं, चाहे हम पड़ौसी राज्यों की बात करें, हम गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इन राज्यों की तुलना में हमारी विलेज कनेक्टिविटी आज भी बेहतर है। हम इन वर्षों में गांवों को सड़क से जोड़ने के काम को एक अच्छा अंजाम देने की कोशिश में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। उनमें जो मोटी-मोटी बात सामने आयी, उन्होंने कहा कि सड़कें परिवहन योग्य नहीं होती हैं। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया, यहां यह भी बात आई कि आबादी क्षेत्र में गुजरने वाली सड़कों में पानी के निकास की कमी और यातायात के दबाव के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। डबल्यू.बी.एम. सड़क की बात कही, इन सारी चीजों का हमने गहन परीक्षण कराया और परीक्षण कराकर यह तय हुआ कि जो सड़क जिनकी आयु पूरी हो गयी, उनकी एक तरफ नवीनीकरण की बात थी और दूसरी तरफ आबादी क्षेत्र के अन्दर जो सड़क बनती है उस सड़क पर पानी के निकास का भी आजकल, आप स्वयं देखते हैं, गांवों में और शहरों में, पानी के निकास का प्रबन्ध अधिकांश नगरपालिकाओं में नहीं है। पानी सड़क पर आता है। डामर और सड़क का वैर भी है, सड़कें टूटती हैं। हमने इसके लिये एक योजना बनाई।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर, मैं निवेदन करता हूं, सड़क पर दबाव कितना पड़ रहा है। 2003 के अन्दर हमारे प्रदेश की बात कर रहा हूं, 34 लाख वाहन पंजीकृत थे और अब हम जब बात करते हैं, 51 लाख से ज्यादा उनकी संख्या 2007 में बढ़ गयी। यानी वाहनों का दबाव बढ़ रहा है और इसी कारण से जो हमें विरासत में मिला था, 20 हजार किलोमीटर सड़कें ऐसी थीं जो अपना जीवन जी चुकी थीं। जिनके पुनर्निर्माण करने की समस्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमारे सामने थी। इसी तरह पिछली सरकार हो, उस सरकार ने काम नहीं किया, मैं यह बात नहीं कहता। पर गांवों को सड़क से जोड़ने के नाम पर डबल्यू.बी.एम. की सड़क बनाने में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। गांव के लोगों ने मांग की, आधी-अधूरी सड़कें बनाकर छोड़ दीं, डबल्यू.बी.एम. की सड़क। अब अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं गांव में पधारती हैं। वह सड़क हमने वास्तव में नाम के लिये गांव को जोड़ दिया। परन्तु वास्तविक रूप से गांव के लोगों को उसका कितना लाभ हो सकता है, यह तो गांव के लोग इस बात को समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर 2003 में प्रति लाख जनसंख्या पर 256 किलोमीटर सड़क थी जो आज बढ़कर 306 किलोमीटर हो गयी और राष्ट्रीय औसत 325 है। हम राष्ट्रीय औसत के नजदीक पहुंच रहे हैं। और आज राजस्थान के अन्दर जो कुल सड़कें पूरे देश के अन्दर हैं, उसका 5.07 प्रतिशत सड़क राजस्थान में है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका 8.62 प्रतिशत हमारे प्रदेश के अन्दर है। जो स्टेट हाइ-वे हैं उसका 8.4 प्रतिशत है और जो मुख्य जिला सड़कें हैं उनका 1.58 प्रतिशत और ग्रामीण सड़कों का 5.4 प्रतिशत, यानी अध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों के अन्दर हमने अलग-अलग योजनाओं में 22 हजार से ज्यादा सड़कें बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। आधारभूत आर्थिक व आधारभूत सरंचनाओं का आकलन करने वाली देश की अग्रणी संस्था है, सेण्टर फार मोनिटरिंग इण्डियन इकोनामी, सी.एम.आई.ई., इसके हाल ही के सर्वेक्षण में इन्होंने कहा है। आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में राजस्थान के सड़क तंत्र पर जितना काम इन वर्षों में हुआ है, पूरे देश के पैमाने पर उतना काम पहले कभी नहीं हुआ। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब हमारे सामने कई तरह की चिन्ता हैं। आज हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं, पर्यटन आज हमारा मुख्य व्यवसाय है, लाखों लोग उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गये। पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती है। 2003 में जहां पर्यटक एक करोड़ 31 लाख थे, दिसम्बर, 2006 में 2 करोड़ 45 लाख हो गये। अब अध्यक्ष महोदय, इसलिये राजस्थान के सड़क तंत्र पर हमने अलग-अलग योजनाओं में ओर जो हमने इस पर निवेश किया उसका भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। गत 5 वर्षों में जो शासन कांग्रेस पार्टी के हाथ में था, इन्होंने टोटल राजस्थान के सड़क तंत्र पर 1904.50 लाख रुपये व्यय किये और इन 3 वर्षों में हमने 4054 करोड़ रुपये व्यय कर दिये। जो आगामी वर्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, इस आने वाले वित्तीय वर्ष में, 2007-08 में 3 हजार करोड़ रुपये की राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिये हमने योजना बनाई है।

अध्यक्ष महोदय, यहां कई बातें चलीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात चली। खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने, नवलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने, कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह योजना भारत सरकार की है। मैं इससे मना नहीं करता हूं, योजना भारत सरकार की है और उस योजना का सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान के ग्रामीण को और गांवों की नई तस्वीर बदलना चाह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह सन 2000 में योजना बनी और 2000 में केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय सड़क अधिनियम लेकर आई। अब इस योजना के अन्दर कोई यह कहे कि राजस्थान के आम आदमी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। यह सारी योजना, अगर इस योजना की फंडिंग कहीं से हो रही है तो वह हो रही है, सेस का वह पैसा, जो दो रुपये प्रति लीटर पर राजस्थान का आम व्यक्ति देता है, डीजल पर देता है, पेट्रोल पर देता है। अब अध्यक्ष महोदय डीजल पर जितना सेस का पैसा मिलता है उसका 50 फीसदी पैसा प्रधान मंत्री सड़क योजना में आता है। आज इस 50 पर्सेण्ट पैसे का जब आकलन करें तो राजस्थान का 800 करोड़ से लेकर एक हजार करोड़ रुपये तक का पैसा राजस्थान के लोग इस प्रधानमंत्री सड़क योजना में अपना पैसा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सही है कि आज जो हमारा हिस्सा बनता है, जो मापदण्ड बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसमें हमें 848 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे परन्तु हमने लिया है 2847 करोड़ रुपये। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमें बधाई देनी चाहिए। प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी यह कहना पडा और मैं समझता हूं कि यह सारा काम इसलिये हुआ कि हमारी कार्यक्षमता थी, हमारी दक्षता थी और इस सारे काम को अंजाम देने वाले हमारे मुख्य अभियंता से लेकर हमारे फील्ड में काम करने वाले जे.ईएन. और सारे लोग कटिबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जब हम 2003 में शासन में आये, उस समय यह प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, पूर्ववर्ती सरकार भी थी। अब इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 3936 किलोमीटर सड़क बनाई और 501 करोड़ रुपये इस पर व्यय किये और 918 गांवों को जोड़ने का काम इन्होंने किया। इन 3 वर्षों में अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमने 15519 किलोमीटर सड़कें बनाई, 2380 करोड़ रुपये इसमें व्यय किये और 4847 गांवों को सड़क से जोड़ने का काम हमने किया। कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा, निश्चित तौर पर आंकड़ों के आधार पर कहा। पिछली सरकार का काम, इस सरकार का काम, हम भी देखते हैं, राजस्थान की जनता भी देखती है। पिछली सरकार जहां 4 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनाकर एक गांव को जोड़ रही थी वहां हमारी सरकार ने वसुन्धराजी के नेतृत्व में 12 किलोमीटर सड़क बनाई और 4 गांवों को जोड़ने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज तक पूरे देश के अन्दर इस योजना के अन्तर्गत एक लाख 14 हजार किलोमीटर सड़क बनी, और इन सड़कों में कुल सड़क जो देश में बनी है उस सड़कों में 19455 किलोमीटर सड़क राजस्थान में बनी है। यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जितनी सड़कें बनी हैं उसमें 18 फीसदी सड़क, 18 पर्सेण्ट सड़कें अकेली इस राजस्थान में बनी हैं। और इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह पहले पायदान पर इस योजना के अन्तर्गत खड़े हैं।

(समय : 20.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर इस योजना के अन्दर 5765 गांव जुड़े। मध्यप्रदेश जो हमारा पड़ोसी है, इस योजना में उसने 3768 गांव जोड़े। यू.पी. जो इतना बड़ा प्रदेश है उसमें 4854 गांव जुड़े और गुजरात में माननीय अध्यक्ष महोदय, 1214 गांव जुड़े और माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई तरह की बातें चलीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना की गुणवत्ता की भी बात चली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2004, अगस्त, 2005, मार्च, 2006, अगस्त, 2006 और मार्च 2007, इनमें विश्व बैंक ने हमारे यहां की प्रगति कैसी है, गुणवत्ता कैसी है क्योंकि भारत सरकार इस योजना में विश्व बैंक से भी कुछ पैसा लेती है और विश्व बैंक की एक टीम, जिसमें उनके एक्सपर्टस थे, वह टीम आयी और जो तारीख मैंने बतायी, जो महीने मैंने बताये इन महीनों में राजस्थान के विभिन्न अंचलों के अन्दर गयी और वहां जाकर जब इन्होंने काम को देखा तो इन्होंने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर काम प्रधानमंत्री सड़क योजना का बिलकुल ठीक हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय गुणवत्ता मोनिटर है, एन.क्यू.एम., यह हर महीने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें बनती हैं, यह हर महीने इनकी टीम आकर उसको देखती है। और उनके जो निदेशक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और मुख्य गुणवत्ता समन्वयक हैं वह इसी 4 जनवरी से 7 जनवरी तक जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में गये और उन्होंने इन तीनों जिलों के अन्दर लगभग 72 सड़कों का निरीक्षण किया और इन 72 सड़कों के निरीक्षण के बाद जो उन्होंने टिप्पणी लिखकर दी, जो उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने टिप्पणी की कि कार्य की गुणवत्ता में बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छी पायी गयीं। तीन-चार वर्ष पहले बनी हुई सड़कों की यह अच्छी हालत थी। नागरिक सूचना बोर्ड सड़कों पर लगे हुए थे। अच्छे रोड फर्नीचर लगे हुए थे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सड़कों का ठीक निर्माण नहीं हुआ, मैं यह समझता हूं कि यह पूरे जिस तरह का, पूरी अलग-अलग एजेंसीज ने जांच की है जिन्होंने यह कहा कि सड़कों में काम ठीक हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी सही है कि हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, धोद से आने वाले माननीय सदस्य यह सही कह रहे थे कि पाँच वर्ष के लिए सड़क के निर्माण के बाद उसी संवेदक की गारंटी है कि उस सड़क को उसी रूप में रखें। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अभियंता ने राजस्थान के सारे सांसदों को, विधायकों को, जिला प्रमुखों को, प्रधानों को दिनांक 22.8.2006, 14.2.2007, और 14.3.2007 को पत्र लिखकर यह कहा कि आपके क्षेत्र में अमुक-अमुक स्थान पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कें बनी हुई हैं। इन सड़कों पर यह पाँच साल की डिफेक्ट लायबिलिटी की सड़कें भी हैं। इन सड़कों में अगर कोई सड़क मानक स्तर की नहीं मिले तो आप उन सड़कों का निरीक्षण करके कृपया, हमारा मार्ग-प्रशस्त करें, हमें बतायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारी भावी योजना है। 500 तक की आबादी के कुल 9169 गांव हैं, इनमें से 5765 गांव हम जोड़ चुके हैं और इन्हीं के कारण से हमारी जो ग्रामीण कनेक्टिविटी है, वह 65 प्रतिशत हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय, 3404 गांवों में काम चल रहा है। दिसम्बर तक, इसी दिसम्बर में, माह दिसम्बर, 2007 तक हम इनको भी सड़क से जोड़ने का काम पूरा करेंगे और 75 प्रतिशत हमारी रूरल कनेक्टिविटी इसके साथ हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 250 से 499 तक की आबादी के 1764 गांव हैं। इन 1764 गांव जो मरू क्षेत्र में है, जनजाति क्षेत्र में हैं, इन सारे गांवों

के प्रस्ताव भी हमने बनाकर भेज दिये और हमें उम्मीद है कि जून, 2008 तक, चूंकि प्रस्ताव की लगभग स्वीकृति हमारे पास आने वाली है, हम जून, 2008 से पहले इन गांवों को भी सड़क से जोड़ देंगे और इसके साथ ही राजस्थान में जो ग्रामीण कनेक्टिविटी है वह 80 प्रतिशत हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्दर हेबिटेशन है। निश्चित तौर पर हेबिटेशन है। उसके ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना की गाइड लाइन है, जिस गाइड लाइन से हम बंधे हुए हैं उसके अन्दर यह लिखा हुआ है पैरा 3.4- "The above reference… the population size of habitation; the population as recorded in the census 2001." यह सबसे बड़ी बाधा है वरना माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने जिस तरह कहा कि आप प्रस्ताव भेजें, उन प्रस्तावों के अनुसार हम बात करेंगे। हम निश्चित तौर पर भेजेंगे। भेज देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): 250 से ऊपर पापुलेशन है, पी.एच.ई.डी. विभाग मान रहा है। पी.एच.ई.डी. की सूची, आइडेंटिफाइड सूची भारत सरकार ने अनुमोदित की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पी.एच.ई.डी. का और प्रधानमंत्री ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलिये आप। बाद में पूछ लीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): पी.एच.ई.डी. और पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी. जिसको सूची मान रही है, जनसंख्या को मान रही है, उस जनसंख्या को आप पी.डब्ल्यू.डी. वाले नहीं मानो, यह क्या उचित है क्या? नहीं, आपने जो गांव है, आपने एक योजना बनायी कि जो मूल गांव है उसको तो आप मेन हेबिटेशन आपने नाम दिया और उसमें साथ ढाणियां और उनको अदर हेबिटेशन नाम दिया, उसके आगे पापुलशेन आपने दर्शायी है और वह पापुलेशन 250 से ऊपर है। 1996 की बात ही है यह। मैं 1996 की पापुलेशन उद्धत कर रहा हूं। अब तो वह हो गयी 600-700, पता नहीं कितनी हो गयी लेकिन आप मतलब ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई.डी. की जो अब वहां की ढाणियों को कनेक्ट करने की बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है वह योजना अलग है। भारत सरकार अपनी अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग गाइडलाइन्स देती है। उस गाइड लाइन्स से हम बंधे हुए हैं। पी.एच.ई.डी. क्या कहती है, क्या उसकी गाइड लाइन्स है, उस अनुसार हम काम नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: वह पीने का पानी है। पीने का पानी है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उनके वहां भी हेबिटेशन है और आपके यहां यह हेबिटेशन कहा है। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हेबिटेशन बताया है और वहां भी हेबिटेशन है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भेज तो दीजिए। आप केन्द्र को भेजकर तो देखिये। नहीं करेंगे तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि पहले भी हुई है। आप भेजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप अपनी तरफ से नहीं ... (व्यवधान) जो भेजी है आपने बाड़मेर में, चार सड़कें भेजी हैं। बाड़मेर रूरल की पापुलेशन 4217, उसकी आपने चार सड़कों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे 1 करोड़ 70 लाख के और वह स्वीकृत होकर आ गयी। सड़कें बन गयीं और वह प्रस्ताव पूर्व में भेजे थे हमारी सरकार थी उस टाइम में। अब आपकी सरकार इन प्रस्तावों को भेजने में मतलब क्यों पीछे हट रही है, क्या है, पता नहीं? यह पी.डब्ल्यू.डी. वाले कहीं फंस रहे हैं क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब इनको बचाने के चक्कर में अगर हमारे राजस्थान का नुकसान कर दोगे तो भाई, मर्जी आपकी है, बाकी यह आग ... (व्यवधान) नहीं करेंगे तो हम हाईकोर्ट में रिट भी लगाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आप विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हम प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी से भी मिलेंगे कि आपकी यह गाइडलाइन्स हैं, यह हैं, दूसरा है, यह हो क्या रहा है राजस्थान में? अब आपकी सरकार है, यह प्रस्ताव तक नहीं भेजती है तो ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हम सब भी साथ जाएंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हमारी सरकार नहीं करेगी। (व्यवधान) केन्द्र में हमारी सरकार नहीं करेगी तो हम हमारी सरकार को कह देंगे। हमारी सरकार ने किया। इन्होंने अपना दायित्व निभा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आप विराजिये, साहब। आप विराजिये तो सही।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप भेजो नहीं प्रस्ताव बनाकर और कानून की व्याख्या करो, यह आपके यहां पर भी तो कोई होंगे लॉ-ग्रेजुएट, वह नाथूसिंहजी गुर्जर चले गये क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को पूरी बात तो कहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसे थोड़े ही किया करते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब वे कह रहे हैं कि भारत सरकार के रूल्स के मुताबिक यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रधानमंत्री सड़क योजना, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके दिशा-निर्देश के पैरा 3.4 की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। उन्हीं ग्रामों में बसावटों को जोड़ना है जिनकी जनसंख्या 2001 में दर्ज है पर फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई संकोच नहीं है, आपने जो कहा है, मैं एक बार मेरे अधिकारियों के साथ बैठूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप खड़े हो गये, यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और इसमें अगर कोई रास्ता निकले, हमारी खुद की मंशा रहती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन तो लीजिए पहले उन्हें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारी खुद की मंशा रहती है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह हो गई हेमारामजी, काहे को बार-बार बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सड़क बननी चाहिए। यह सिर्फ अपनी बात पर अड़ गये। अब यह है कि पहले इन्होंने भूल कर दी। भेजी नहीं। आप 250 से 500 वाली उसमें एडिशनल भेज दीजिए, अब आपकी एक

गलती को, उस गलती को छिपाने के लिए आप भले ही कितना ही करो। यह गाइड लाइन्स पढ़िये, यह आपके और भी दूसरे हैं, आप इसको डिस्कस कर लें, नहीं तो मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा ही कोर्ट में जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: जाओ तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): नहीं-नहीं, जाएंगे तो जाएंगे। जाओ, जाने की क्या बात है? यह तो यह गाइड लाइन्स है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत प्रभावी गुणवत्ता और नियंत्रण के लिए थ्री-टायर सिस्टम कर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिला स्तर पर भी ए.ईएन., जे.ईएन. और एक्स.ईएन. को, 100 परसेंट जे.ईएन. को इसमें प्रत्येक सड़क को देखना होता है। ए.ईएन. को 10 परसेंट, एक्स.ईएन. को 5 परसेंट और इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 क्वालिटी कण्ट्रोल डिवीजन बने हुए हैं राजस्थान में, वह भी चैक करते हैं। और रेंडम रूप में राष्ट्रीय गुणवत्ता मोनिटर बने हुए हैं वह भी चैक करते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि कार्यवाही नहीं होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 सी.सी.ए. में हमने 97 प्रकरण दर्ज किये हैं। हमारे पास शिकायत आयी है, हम उनको दंडित करने के लिए जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही है, वह कर रहे हैं और 17 सी.सी.ए. में हमने 54 प्रकरण दर्ज किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास, और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास 137 प्रकरण आये और 130 प्रकरण मेरे पास आये, इन सब की हम जांच भी करवाते हैं और जांच में कमी कोई पाई जाती है तो उसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होती है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो पी.एम.जी.एस.वाई. है, इसकी सारी सूचनाएं हमने वेब पर भी डाल दी हैं। यह ऑन लाइन है और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एस.ई. जो पी.डब्ल्यू.डी. का होगा वह माननीय सांसद महोदय से प्रार्थना करेगा, जिला प्रमुखजी से प्रार्थना करेगा और उनके साथ उनकी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम बनाकर छह महीने में एक बार जहां पर भी वे जांच के लिए जाना चाहेंगे, सड़क पर मौके पर जाएगा, उनके सामने जांच करेगा।

और इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, एक्स.ईएन. जो संबंधित माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधायक हैं और प्रधान महोदय हैं, उनसे प्रार्थना करेगा और उनकी सुविधा अनुसार समय लेगा और मैं निर्देश दे रहा हूं कि तीन महीने में इनके साथ एक्स.ईएन. जाकर पूरे एक दिन जहां-जहां यह कहेंगे, वहां भी जांच करेगा, आकस्मिक निरीक्षण भी करेगा और ए.ईएन. जिस ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में सड़क बनेगी, उसके सरपंच साहब के साथ दो महीने में एक बार जाकर जांच करेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो सड़कें बनेंगी, उसमें संबंधित ए.ईएन. एक निर्धारित परिपत्र हम दे रहे हैं, उस पर उस सड़क का आकलन करके प्रत्येक दो महीने के अंदर एक्स.ईएन. से वैरीफाई कराकर हमारे पास भेजेगा ताकि सड़क की गुणवत्ता के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता की है, इस तरह की गुणवत्ता ठीक बनी रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मुख्य मंत्री सड़क योजना की बात भी हुई। 07 अक्टूबर, 2005 को हमने मुख्य मंत्री सड़क योजना की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, उस समय हमने कहा था हम 2300 करोड़ की योजना बनायेंगे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है हमने न केवल घोषणा की, बल्कि उस पूरी योजना को मूर्त रूप देने का काम भी किया। अध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां मेगा हाइवे परियोजना की बात भी की और यह भी सवालिया निशान लगा दिया कि यह परियोजना जो आपने बनाई है, इस परियोजना के पीछे आपकी मंशा कोई दूसरी रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह उदारीकरण का समय है, वैश्वीकरण का समय है और आज विश्व स्तर की आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करायें आम व्यक्ति को, यह हरेक सरकार की मंशा भी रहती है और सरकारों को संसाधन भी सीमित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसी बार केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में पी पी पी प्रक्रिया के आधार पर भारत में आधारभूत सुविधाओं का विकास द्रुत गति से होना चाहिये, यह बात कही थी और यही नहीं उन्होंने एक वायबिलिटी गैप फण्डिंग का इन्तजाम भी किया और इन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है कि इस क्षेत्र के अंदर निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनसे आप परिचित हैं। राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे सड़कों के स्ट्रेस थे जिसमें दक्षिणी भारत से आने वाले ट्रेफिक को हम डाइवर्ट कर सकते थे और उनकी सब की स्टेडी करवाकर यह बात बनी कि किसी तरह कोई मेगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हाइवे बनायें और उसमें हम निजी निवेशकों को आंमत्रित करें। अध्यक्ष महोदय, 2004 में आर्थिक नीति और प्रशासनिक सुधार परिषद् की बैठक हुई, उसमें यह सिफारिश की गयी कि संयुक्त क्षेत्र में निजी सहभागिता के आधार पर एक संस्था बनायें और उस संस्था को इस तरह का काम हम दें। अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक था कि वित्तीय नियोजन भी हो जाये और कम से कम ऋण पर पैसा भी मिल जाये और इसके लिये कई अनुभवी संस्थाओं को कई दौर पर, कई स्तर पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद हमने आई. एण्ड एल. एफ. एस. कम्पनी के साथ पचास-पचास फीसदी में एक रिडकोर नाम से उपक्रम को बनाया और यह बात भी कही गयी कि आई. एण्ड एल. एफ. एस. किसी व्यक्ति की कम्पनी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह तो विभिन्न संस्थाओं की एक प्रयोजित कम्पनी है। इस कम्पनी में यू.टी.आई. है, हमारे देश की प्रतिष्ठित कम्पनी है, एच.डी.एफ.सी. है, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया है, एल.आई.सी. है, एस.बी.आई. है, यह सारे के सारे हैं। इस कम्पनी का नाम आई. एण्ड एल. एफ. एस. है उसके कांस्ट्यूट्स हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी ने तमिलनाडु और गुजरात के अंदर भी इसी तरह की सहमति के आधार पर यह योजना बनाई थी और जिस तरह की परियोजना, जिस तरह का सपना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सड़क हम राजस्थान की धरती पर बनाकर बतायें। उसी के अनुरूप यह जो कम्पनी बनी, यह किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इसके अध्यक्ष हमारे मुख्य सचिव हैं और इसके तीन डायरेक्टर आई. एण्ड एल. एफ. एस. ने तय किये जो अलग-अलग कांस्ट्यूट्स थे, उनमें से तीन डायरेक्टर सरकार की तरफ से, और इसके अंदर अध्यक्ष महोदय, 1053 कि.मी. लम्बाई की सड़कें जिनका सुदृढीकरण और नवीनीकरण हमें करना था 1500 करोड़ रुपये की लागत से और इसके अंदर अब तक भारत सरकार ने जो नीति बनाई है, उसमें इसी तरह की अगर कोई स्पेशल परपज व्हिकल बने, उसके अंदर भूमि भी सरकार को मुहैया करवानी पड़ती है। इसमें मुआवजा भी जमीन का कम्पनी ने दिया और इसी कम्पनी ने जो एन.एच.आई सड़कें बना रही है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, उससे 17 फीसदी कम राशि, यहां यह बात भी चली कि आपने बहुत मंहगी दरों पर, एक एक करोड़ रुपये प्रति कि.मी. के हिसाब से ठेका दे दिया। एन एच आई भारत सरकार का उपक्रम है । उससे 17 प्रतिशत कम दरों पर यह रिडकोर सड़क बनाने का काम कर रही है। और इसमें अध्यक्ष महोदय, यह भी फैसला हुआ कि जब यह सड़क

बन जायेगी और सड़क पर जब टोल की राशि आयेगी, उसमें जो प्रोफिट का डिविडेंड है, वह डिक्लैयर करेंगे। और चूंकि उसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्य सचिव हैं इसलिए डिविडेंड डिक्लैयर करने के बाद जो पैसा बचेगा, इसमें हमने इन्टरेस्ट फ्री लोन दिया, इसमें कोई शक नहीं, इसमें 240 करोड़ रुपये हमने दिया है। वह सबसे पहले उसकी भरपाई होगी और उसके बाद इसके अंदर इन सड़कों से जुडी हुई जो अन्य सहायक सड़क हो सकती है, उन सड़कों का निर्माण हम करेंगे, फीडर रोड बनायेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, यह बता दो कि 240 करोड़ रुपये जो आपने लोन दिया है, यह राजस्थान की गरीब जनता पर जो सैस 50 पैसे प्रति लीटर आपने लगाया है, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से दिया है आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 1053 कि.मी. सड़क बने, अन्तरराष्ट्रीय मानक की बने और 240 करोड़ रुपये एस.आर.एफ. से हम दे दें तो हम कोई गुनाह कर रहे हैं क्या ? मैं समझता हूं इसके लिये तो आपको धन्यवाद देना चाहिये और इस कम्पनी का मैं फिर कह रहा हूं कि इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं और इसके अंदर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या इसमें पारदर्शिता ...(व्यवधान) आप सुनिये। आप इर्रिटेट मत होइये। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बीच में क्या है यह ? आप बोल चुके न।

एक माननीय सदस्य : सुनने का माद्दा रखें। ...(व्यवधान) आप सुनने का माद्दा रखो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री से कुछ पूछने नहीं देना चाहते तो हम चले जायेंगे यहां से। ...(व्यवधान) किसलिये बैठे हैं हम यहां पर? पूछेंगे नहीं क्या?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी दादागिरी से सदन नहीं चलेगा।

एक माननीय सदस्य : सुनने का माद्दा रखो आप । ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूछने का भी हक नहीं है क्या हमारे को? आपका बहुमत हो गया तो क्या हो गया? हम पूछ नहीं सकते क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मौका मिला है न आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई घर का नहीं है 240 करोड़ रुपया। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप ही अकेले नहीं हो । ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, मैं मेरी बात कह लूं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कह लूं। इसके बाद अगर मैं इनको संतुष्ट नहीं कर पाऊं तो यह अपनी बात कहें। एक मिनट ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं केवल पारदर्शिता की बात कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह पारदर्शिता बरतते तो इससे 50 प्रतिशत रेट में आपकी सड़क बन जाती और आप कहो तो कल ही बात कर लीजिये। कमेटी बिठा दीजिये विधायकों की। ...(व्यवधान) कहां हुआ टेंडर, यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिराजिये। आप बिराजो तो सही। मैं बताता हूं आपको।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कौनसी संस्था है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। परन्तु हम तो यह कहना चाहते हैं कि पारदर्शिता अपना लीजिये। कल ही पता लग जायेगा आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं बता रहा हूं आपको, बिराजो तो सही।

श्री संयम लोढा (सिरोही): अच्छा होता मंत्रीजी यह जो आपने प्रयास किया है इसमें आप ट्रांसपरेन्सी रखते । किस आधार पर आपने उसका चयन किया? आप तमिलनाडु और उसका उदाहरण दे रहे हो । आप ट्रांसपरेन्सी लेकर आते इस बारे में, दस-दस कम्पनियां आ जातीं। वह तो आपने किया नहीं। इसलिए आज आपकी यह सारी कार्यवाही राजस्थान की जनता की निगाह में संदेह के घेरे में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं इन्होंने बड़ी चिन्ता व्यक्त की कि पेट्रोल डीजल पर 50 पैसे सेस लगा दिया। मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या एजुकेशन पर अभी केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है और यह दो रुपये जो आपने डीजल और पेट्रोल पर सेस लगा रखा है, इस पर आप कहते हो प्रधानमंत्री सड़क योजना, सी आर एफ, सब केन्द्र का पैसा है । इसमें हमारा हक नहीं है क्या ? इसमें हमारा हिस्सा नहीं है क्या ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, वह समय चला गया। आज चाहे कोई सरकार हो, केन्द्र की सरकार हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा केन्द्र की सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की जितनी सड़क परियोजना आ रही हैं, एक भी परियोजना ऐसी नहीं है जो पी पी पी माडल पर नहीं हो। एक योजना ऐसी नहीं है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, इस रिडकोर के अंदर जो सड़क बनी। हिन्दुस्तान के प्रमुख समाचार पत्रों में इनकी एन आई टी प्रकाशित की गयी और एन आई टी प्रकाशित करके बिड्स हुई इसके अंदर। मैं निवेदन कर रहा हूं एन एच आई भारत सरकार का उपक्रम है, एन एच आई की औसत प्रत्येक कि.मी. की सड़क के निर्माण में राशि लगती है, उससे 17 प्रतिशत कम राशि इन सड़कों के निर्माण में लगी है और मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी, आपका यह सपना राजस्थान के अंदर शानदार सड़क का निर्माण हो, यह निश्चित तौर पर पूरा होगा। 240 करोड़ रुपये सोफ्ट लोन, इन्टरेस्ट फ्री लोन देकर हम अगर 1053 कि.मी. सड़कें बनायें तो मैं समझता हूं इस पूरे काम के लिये इनको हमें बधाई देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था यहां बहुत बड़ी बात हुई। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और कई दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा सड़क बनती है और सड़क टूट जाती है। मैं मानता हूं आज जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया इस सृष्टि पर जो चीज है, हर चराचर से लेकर हर चीज की उम्र है। अब इन सड़कों की उम्र का निर्धारण यह हमने नहीं किया, यह इण्डियन रोड कांग्रेस ने किया और उस इण्डियन रोड कांग्रेस के द्वारा सड़कों की उम्र के निर्धारण के अनुसार इसका बैकलॉग पूरा करने का काम किसी सरकार ने किया नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शहरी सड़क हैं इनकी उम्र है 4 से 5 वर्ष, जो राज्य उच्च मार्ग हैं इनकी उम्र 6 से 8 वर्ष, जो मुख्य जिला सड़क हैं इनकी उम्र है 8 से 10 वर्ष और जो गांव की सड़कें हैं इनकी उम्र मानते हैं 12 वर्ष और, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीस हजार किलोमीटर सड़क ऐसी थीं जो अपना जीवन जी चुकी थीं। अब इन बीस हजार किलोमीटर सड़क के अन्दर हमने एक योजना बनायी। आप कह रहे थे मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्दर कोई काम नहीं हुआ, हमने योजना बनायी इन सड़कों का पुनर्निर्माण करने की योजना और इस योजना के अन्तर्गत हमने अब तक 14 हजार किलोमीटर सड़कों का रिन्यूअल करने का काम कर लिया और अब आगामी वर्ष में, जो यह वित्तीय वर्ष है इसके अन्दर मैं घोषणा कर रहा हूं कि 1500 किलोमीटर स्टेट हाई-वे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं उन पर 325 करोड़ रुपये खर्च करेंगे हम और 4500 किलोमीटर जो ओर्डीनरी डिस्ट्रिक्ट रोड हैं और विलेज रोड हैं इन पर 387 करोड़ रुपये खर्च कर के यानी कुल

712 करोड़ रुपये राजस्थान की सड़कों के रिन्युअल के लिए हम इस वित्तीय वर्ष के अन्दर खर्च करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि रिन्युअल तो ले रहे हैं परन्तु आप उसको 1998 का ले रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा ...

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 1995 तक का ही ले रहे हैं, मेरा निवेदन था कि आप 1998 तक लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 1995 तक ले रहे हैं। अब जो हमने योजना बनायी है आर.एन.यू.पी. थर्ड, उसके अन्दर हम 1994 तक की सड़कों का रिन्युअल ले रहे हैं और मैं समझता हूं इस रिन्युअल साइकल से जो पहले बारह-बारह सालों से सड़कों का रिन्युअल नहीं हुआ था उन सारी सड़कों का रिन्युअल होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां डब्ल्यू.बी.एम. सड़क की चर्चा चली।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 1994 कर दिया, 1995 बोलिये, आप 1994 बोले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, 1994 ही कह रहा हूं मैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): तो 1994 तो आप और पीछे चले गये, मैं तो 1998 की बात, मैं फोर्थ फेज की बात कर रही हूं आपसे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह आपको पता है कि ममताजी को आपसे ज्यादा जानकारी है इसलिए 1995 ही होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आपने जो सुझाव दिया कि उसको आगे बढ़ाएं, मैंने आपको कहा ...

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): इसका क्राइटेरिया 1995 से 1998 कर दें, मैंने यह सुझाव दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी जो मैंने घोषणा की है 712 करोड़ रुपये की, मैं समझता हूं कि जब इसको हम करेंगे तो आपकी जो मंशा है उसके अनुसार हम 1995 नहीं, 1995 से भी आगे आ जायेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि यहां डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की बात हुई, कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि सड़क बन जाती है, डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क बन जाती है परन्तु कहने को तो गांव जुड़ जाता है पर वास्तविक रूप से नहीं जुड़ता। यह पहली बार हमने सोचा, मुख्य मंत्रीजी जब परिवर्तन यात्रा पर गये थे तो कई ऐसे गांवों में गुजरे और उन गांवों के अन्दर इनका रथ नहीं चला, इन्होंने उसी वक्त कहा कि क्या यह गांव सड़क से जुड़ गया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसका लाभ क्यों नहीं मिला? गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव को सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया क्योंकि यह डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़ गया है यानी यह गिट्टी रोड से जुड़ गया। तब इन्होंने तय किया कि अगर हमें कभी सेवा करने का मौका मिला तो राजस्थान के लोगों के साथ जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के नाम पर नाइंसाफी होगी उसको ठीक करेंगे। इसीलिए हमने मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्दर वो उन सारी सड़कें जो पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन डब्ल्यू.बी.एम. की हैं, उन सारी सड़कों को डामरीकृत करने की हमने योजना बनायी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और अब तक 519 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और इसमें 5195 किलोमीटर सड़क हमने चिन्हित की है जिसको हम डामरीकृत करेंगे। और इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर 236 करोड़ रुपये की 2000 किलोमीटर की सड़क ...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, जो अकाल राहत के तहत डब्ल्यू.बी.एम. बनी हुई हैं उसके बारे में भी आप वक्तव्य दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वो सड़कें हैं जो चाहे तो पी.डब्ल्यू.डी. ने बनायी, कभी अकाल राहत में बनी, कभी एम.एल.ए., एम.पी. लैड में बनी, उन सारी सड़कों को डामरीकृत करने की हमने योजना बनायी है और इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर 236 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। और 2000 किलोमीटर सड़क को, जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क है उन सड़कों को हम डामरीकृत करके नयी सड़क बनाने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सीमेन्ट सड़क के बारे में भी बात चली। सीमेन्ट, कंकरीट सड़क के बारे में बात चली और दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई सीमेन्ट सड़क इनके यहां बन रही थी वो बंद हो गयी, उसका निर्माण बंद हो गया, मैं आज ही निर्देश दे रहा हूं उस सड़क

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का निर्माण क्यों बंद हुआ, दो महीने के बाद उस सड़क का निर्माण न केवल प्रारम्भ करा देंगे बल्कि उसको पूरा भी करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 240 किलोमीटर 144 करोड़ की लागत से हमने जितने भी राजमार्ग और मुख्य जिला सड़क हैं, जो आबादी क्षेत्र से गुजरते हैं यह 91 नगर पालिका और 137 आबादी क्षेत्र में गुजरने वाली 242 किलोमीटर सड़क का 175 करोड़ रुपये की लागत से हमने इसकी स्वीकृति जारी की है। योजना जो बनी थी सिर्फ वो योजना बनी थी 144 करोड़ की पर इसी योजना के अन्दर जब हमने फैसला किया कि हम इसमें सारे राजमार्गों को, राजमार्ग चाहे किसी आबादी क्षेत्र से गुजरे, नगर पालिका क्षेत्र से गुजरे, उनको सीमेन्ट सड़क में तब्दील करेंगे। तो इस योजना के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 175 करोड़ रुपये का 242 किलोमीटर सड़क का काम स्वीकृत कर दिया है और उसमें से अभी 110 करोड़ रुपये व्यय करके 150 किलोमीटर सड़क बना भी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके तीसरे चरण को आगे बढ़ाते हुए अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि नालियों का निर्माण भी इसके साथ हो, निश्चित तौर पर नालियों के निर्माण को भी इसके साथ में शामिल करेंगे और मार्च, 2008 तक 125 किलोमीटर सड़क 100 करोड़ रुपये की लागत से मैं बनाने की घोषणा कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और जिसमें जितने भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं वो जिस किसी भी आबादी क्षेत्र से गुजरेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के अन्दर कोई स्टेट हाई-वे, कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऐसा नहीं रहेगा जो आबादी क्षेत्र से गुजर रहा हो और वहां वो सड़क सीमेन्ट की नहीं हो। यह बहुत पुरानी समस्या थी, इस समस्या का समाधान करने का काम भी हम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अभी कई माननीय सदस्यों ने आज सुबह भी कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर शहर के मध्य के अन्दर एक रेलवे समपार होना चाहिए, आर.ओ.बी. होनी चाहिए। किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया, हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग योजनाओं में 30 आर.ओ.बी. की स्वीकृतियां जारी की हैं और इन 30 आर.ओ.बी. में 11 आर.ओ.बी. का काम प्रगति पर है और 10 आर.ओ.बी. जिसमें आबू अम्माजी, अजमेर-ब्यावर, मांडल-भीलवाड़ा, दौसा जंक्शन, भरतपुर-मथुरा, गंगापुर सिटी, किशनगढ़, लबान, बूंदी, केशोरायपाटन बूंदी और

सवाईमाधोपुर, इन दस आर.ओ.बी. की स्वीकृतियां हमें रेलवे मंत्रालय से मिली हैं, जी.ए.डी. इनका एप्रूव हो गया। इनका इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण करने का काम हम हाथ में लेंगे। और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी से और जो इनके सम्बन्धित माननीय विधायकगण हैं उनसे समय लेंगे, इसका शिलान्यास का काम भी हम करेंगे परन्तु अब भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 ऐसे आर.ओ.बी. हैं जो पात्रता रखते हैं, यानी एक लाख से ज्यादा ट्रेन व्हीकल यूनिट वहां हैं, लम्बे समय से हम भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के सामने बार-बार प्रार्थना कर रहे हैं अगर वो हमें अनुमति दे दें तो इन 9 जो और आर.ओ.बी. हैं इनकी भी स्वीकृति हम करवा दें। मैं प्रतिपक्ष के नेता सहित माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा ...(व्यवधान) आप इसमें मदद करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सुन लिया, इसमें नहीं है, 9 में भी नहीं है। कुछ नहीं है, यों ही नाम लेकर ही राज़ी किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ काम ऐसे होते हैं, हम चाहे पक्ष में हों चाहे प्रतिपक्ष में, यह जो सम्पदा बनती है, यह जो परिसम्पत्ति बनती है यह राजस्थान की धरोहर है। इसलिए मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं में जहां सिर्फ केन्द्र सरकार को अपनी सहमति देनी है तो सहमति दिलाने में अगर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, इनका बड़ा प्रभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आपको मालूम नहीं है कि वर्तमान के अन्दर प्रधानमंत्रीजी से लेकर और रेलवे मंत्री तक इनकी सीधी पहुंच है। मैं समझता हूं कि आपका इतना अनुभव और आपकी इतनी पहुंच, आपकी कृपा हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसके बारे में एक, दो नहीं मुख्य मंत्रीजी ने चार पत्र लिखे हैं और चार पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि रेलवे मंत्रालय इसमें हमें स्वीकृति दे। मैं समझता हूं आपके प्रभाव का इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर पर होगा।

श्री अध्यक्ष: सहयोग का आश्वासन तो दो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय के प्रभाव से लालूजी पिघल सकते हैं। ...(व्यवधान) लालूजी इनकी बात मानते हैं।

श्री अध्यक्ष: वैसे तो आप चाहे जब खड़े हो जाते हो, प्रतिपक्ष के नेता, सहयोग का आश्वासन तो दो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ...(व्यवधान) उनका भी कुछ इलाज कर रहे हैं क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर कथनी और करनी में अन्तर नहीं करेंगे तो हम हमारी तरफ से पूरा सहयोग आपको देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको मेरी कथनी और करनी में कहां अन्तर लगा? आज तक कोई ऐसा मौका आया क्या मेरी कथनी और करनी में अन्तर है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब तो कथनी है करनी आगे बाकी है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा तो प्रतिपक्ष केन्द्र सरकार के सामने जाकर के आपको पूरा सहयोग दिलायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): फर्क यूं लगा मंत्री महोदय जब मुख्य मंत्री नहीं पधारे थे तब तो आपने कहा मैं और मेरी सरकार, ज्योंहि मुख्य मंत्रीजी ने एंटर किया अन्दर, आपने कहा मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में।

श्री अध्यक्ष: हां, कहा था।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह फर्क लग रहा है हमको, इन्होंने कहा मैं और मेरी सरकार और आप ज्योंहि एंटर हुई तो कहा मुख्य मंत्रीजी और हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो मैं सरकार का हिस्सा तो हूं, सरकार का हिस्सा तो हूं ही मैं।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है कि आप पूजा पाठ में और धार्मिक स्थलों को और अच्छा और श्रद्धालु लोग वहां अच्छी तरह जा सकें इसके लिए आपके मन में हमेशा परिकल्पना रहती है। निश्चित तौर पर आपने मुख्य मंत्री सड़क योजना जब हम बना रहे थे तब आपने हमें कहा था कि आप इस योजना के अन्तर्गत कोई न कोई ऐसी योजना थी शामिल करो कि आज राजस्थान में कण-कण के अन्दर इतिहास छिपा है, मान मर्यादा का इतिहास है वहीं यह शक्ति और भक्ति की धरती भी है। और यहां बहुत से ऐसे लोग जो अलग-अलग धर्मों को मानने वाले हो सकते हैं, देवी, देवताओं को मानने वाले हो सकते हैं, ऐसे स्थान भी बहुत हैं जहां बहुत थोड़ी संख्या में धर्मालु लोग जाते भी हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि आप धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए कोई योजना बनाओ। माननीय

अध्यक्ष महोदय, हमने 122 करोड़ की योजना बनाई उस योजना के तहत अब तक हमने 544 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की हैं जिनका काम प्रगति पर है। कुछ काम हो भी गया है। बांसवाड़ा जिले में त्रिपुरा सुंदरी, टोंक जिले में डिग्गी, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी जैन मन्दिर, अजमेर में सलेमाबाद, बीकानेर जिले में देशनोक और बाड़मेर में विरातरा माता, झालावाड़ में सैय्यद बाबा की दरगाह, राजसमंद जिले में देलवाड़ा जैन मन्दिर, सीकर में जीण माता, दौसा जिले में बालाजी का मन्दिर, जोधपुर में शाकम्बरी माताजी, जोधपुर जिले में जम्भोजी और पाली जिले में देवनड़ इन सहित ऐसी कई जगह हैं जहां हम काम हाथ में लेकर इस काम को तो हम सम्पादित करा ही रहे हैं और आगामी वर्ष के लिए बत्तीस करोड़ रुपए का हम इस योजना में प्रावधान रख रहे हैं। जो भी धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान होंगे, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान होंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे।

जैसा माननीय गुढामलानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उनके यहां एक ऐसा मंदिर है उसमें बहुत बड़े श्रद्धालु आते हैं तो ऐसे कोई प्रस्ताव अगर वह देंगे तो उस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, पूर्वी राजस्थान में भी धार्मिक स्थल हैं कई, उनके बारे में भी सोच लीजिएगा, एक भी नाम नहीं है अब तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने....

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी मैं कुछ कहना चाह रही हूं।

पण्डित तू तो कहता था कि पाषाण पिघल जाएगा,
काजी तू भी कहता था कि रहमान बदल जाएगा।
लेकिन मैं कहता हूं अब भी समझो,
यह भूखा इन्सान ईश्वर अल्लाह को निगल जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने भी यह कहा कि बूंदी के अन्दर भी बहुत से ऐसे स्थल हैं। मैं इस टिप्पणी के अन्दर नहीं जाना चाहता कि आप कितनी मंदिर के अन्दर जाती हैं, पूजा करती हैं कि नहीं करती हैं परन्तु आपने कहीं किसी को जाते हुए देखा हो और उनकी संख्या ठीक ठाक लगे तो मुझे प्रस्ताव देना, निश्चित तौर पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह शेर आप पर बहुत करारी टिप्पणी है मंत्रीजी। यह जो शेर फरमाया अध्यक्ष महोदय ने, यह आप पर बहुत करारी टिप्पणी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं मैंने भूखे इन्सान की बात कही है इसके साथ, आप समझो बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने शेर सुनाया तो प्रतिपक्ष के नेता का भी शेर सुनो आप और लिखो भी आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोहागरजी सीकर और झुन्झुनूं दोनों जिलों को कनेक्ट करने वाला एक धार्मिक स्थान है जहां पाण्डवों का लोहा गला था।

श्री अध्यक्ष: देखा था क्या आपने उनका लोहा गलते? देखा था क्या आपने?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो लोहार्गलजी तो आप भी जाती हैं। अपने सब पूर्वज गये हुए हैं और अब तो अस्थियां भी झुन्झुनूं और सीकर की वहां ले जाते हैं, उसको आपने कनेक्ट नहीं किया, आपके ध्यान में ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इनका सहयोग चाहो तो यह बात करना, आप, इनका सहयोग आपको चाहिए तो ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल, बिलकुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एक सेंटर रोड एक्ट 2000 में लेकर आये थे जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया डीजल और पैट्रोल पर जो सैस लगता है उसमें सत्ताइस प्रतिशत पैसा यह केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से राज्य सरकारों को स्टेट हाइवे और एम.डी.आर. के पुन: निर्माण, उत्थान और स्ट्रेन्थन के लिए दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 2001-2002 में तत्कालीन सरकार के समय एक गोल्डन टोकन योजना इन्होंने चलाई थी, जो ओवर लोड करके वाहन लेकर जाते हैं उनको एक टोकन दे देते थे। चाहे वह दो बार जाएं या तीन बार जाएं एक महीने में उस एक टोकन से काम चलता था। भारत सरकार ने उस समय सतहत्तर करोड़ रुपया हमारा रोक लिया और आज भी रुका हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह राशि भी भारत सरकार से निकलकर यहां राजस्थान में आए और हम इसको राजस्थान के सड़क तंत्र पर खर्च करें। इसमें आप मदद करें और इस वर्ष के अन्दर इस योजना के अन्तर्गत इक्कीस जिलों में 11 करोड़ रुपए खर्च करके हम 585

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किलोमीटर सड़क को उन्नयन करने का काम करेंगे और इसमें 54 कार्य हमने चिन्हित भी किये हैं ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, अन्तरराज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए भी वह सड़कें जो राजस्थान को एम. पी. और पड़ोसी राज्यों में जोड़ती हैं, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान और एम. पी को जोड़ने वाला एक सोना का गुर्जा एक पुल था। पिछले एक दशक से उस पुल को ठीक कराने के लिए, पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गया था, पुन: निर्माण करने के लिए कई प्रयास चले और अब हमें इसमें सत्रह करोड़ सैंतालीस लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका काम भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। और जो अन्तरराज्यीय महत्व की सड़कें हैं आगामी वित्तीय वर्ष में तेरह करोड़ तैंतीस लाख रुपए की 76 किलोमीटर सड़क बनाने का भी काम हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि से आपको मालूम है कि अगस्त 2006 में बारह जिले प्रभावित हुए और इन बारह जिलों के अन्दर जो नुकसान हुआ उसके अलावा राजस्थान के सड़क तंत्र को, सड़क और पुलों को भी काफी नुकसान हुआ। हमने सहायता विभाग को भी प्रस्ताव भेजे, 282 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये, कितने बड़े सड़क तंत्र का नुकसान हुआ और केन्द्र सरकार ने बदले में हमें सिर्फ आठ करोड़ रुपए दिये। जब आठ करोड़ रुपए दिये और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य इन्होंने जब कहा कि यह सड़क तंत्र दुरुस्त नहीं होगा तो हमारा आवागमन सुचारू रूप से नहीं चलेगा और आवागमन सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो हमारा जनजीवन प्रभावित होगा। राज्य सरकार ने मुख्य मंत्रीजी ने 55 करोड़ रुपए राज्य मद से हमें दिये और राज्य मद से देकर हमने उस सड़क तंत्र को इसमें नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे के अन्दर पैसा उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की, भारत सरकार दे नहीं। हमने 282 करोड़ का प्रस्ताव भेजा, आठ करोड़ रुपया हमें मिला। अध्यक्ष महोदय, 55 करोड़ रुपया हमें मुख्य मंत्रीजी ने यह सोचकर दिया कि राजस्थान में और वास्तव में इन जिलों के अन्दर लोगों का आवागमन रुक रहा था इनको ठीक किया जाए। और अब तक अध्यक्ष महोदय, कवास के अन्दर पानी भरा हुआ है एन.एच. 112 में, अब वह पानी धीरे-धीरे डूब कर बाहर गया है । अभी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार पैसा दे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे इस बाढ़ के कारण जो सड़क टूट गयी उसको ठीक करवाएं तो हम कोशिश करेंगे कि उसको तुरन्त आवागमन के लिए खोलने के लिए जो तुरन्त कार्यवाही करनी है वह तुरन्त करें और उसके प्रमाणिक रेस्टोरेशन के लिए भी अगर पैसे की आवश्यकता पड़ी तो मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि इसके लिए हमें अतिरिक्त सहायता दें। मुख्य मंत्रीजी ने 6 अक्टूबर, 2006 को इसके लिए पत्र भी लिखा कि नेशनल हाइवे दूसरे स्वीकृत हुए इसके लिए हमें पैसा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले कहा भारत सरकार हो चाहे कोई भी हिन्दुस्तान की सरकार हो अब वह समय आ गया जब निजी निवेशकों को भी हम इस तरह के आधारभूत संरचनाओं के साथ जोड़ने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, अब तक राजस्थान के अन्दर 48 बी. ओ. टी. के प्रोजेक्ट आये उसमें 581 करोड़ रुपए खर्च हुए, एक परियोजना पैंतीस करोड़ की निर्माणाधीन है। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ टोल रोड बनाकर टोल वसूल करने का काम ही नहीं करते, हमने चौबीस परियोजना जिनमें वसूली की लागत पूरी हो गयी, जो इसमें पैसा लगा था वह पूरा हो गया, उन चौबीस परियोजनाओं में टोल बंद करने का काम भी हमने किया है।

अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि उद्यानों की हालत बहुत खराब है ...(व्यवधान) नहीं इन्होंने कहा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बूंदी का ही ज्यादा ख्याल है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों की मरम्मत और संधारण का काम तो करता ही है, उद्यानों के संधारण का काम भी करता है। हमारे पास 38 सार्वजनिक उद्यान हैं और 30 संस्थानिक उद्यान हैं। हमने इसके लिए एक योजना बनाई, योजना बनाकर हमनें जयपुर के अन्दर सिसोदिया रानी का बाग़ और उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, इनको विकसित करने के लिए हमने समितियों का गठन किया, वित्त विभाग से हमने अनुमति ले ली, इन समितियों के माध्यम से जितनी आय यह उद्यान अर्जित करेंगे वह कंसोलिडेटेड फण्ड में जाने के बजाय उन्हीं उद्यानों पर उनके संधारण के लिए, उनके उत्थान के लिए खर्च होंगे और अध्यक्ष महोदय, हमें इसमें बड़ी अच्छी सफलता भी मिली है। और इसी तर्ज पर मण्डौर गार्डन जोधपुर, उम्मेद उद्यान जोधपुर, कम्पनी बाग़, अलवर को भी इसी जो पहले हमने योजना बनायी। समिति

बनाकर इन्हीं के पैसों से इन्हीं को ठीक करें इसके लिये इस तरह का काम हमने हाथ में लिया। सिसोदिया रानी का बाग़, इसके साथ बड़ा इतिहास है। अध्यक्ष महोदय, सिसोदिया रानी का बाग़ अपना मूल रूप खो चुका था। हमने इसमें सात करोड़ चार लाख रुपये व्यय करके पुराने इसके फीचर जो हमे मिले उसके अनुरूप इसको बनाने का काम किया है। पहले इसमें शादियां निरन्तर हुआ करती थी, अब हमने बीच में इसको बंद कर दिया था। 1 अप्रैल से पुनः इसको सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिये खोल रहे हैं पर यह तय कर रहे हैं एक महीने में इसमें तीन से ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो ताकि इसमें जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वह नष्ट नहीं हो जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों कि अगर अब आप जाकर सिसोदिया रानी के बाग़ को देखेंगे तो आपको एक नया रूप लगेगा सिसोदिया रानी का बाग़।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने पहले निवेदन किया कि हमारे पास अब गैर आवासीय भवन 4800 है जो नोन आफिशियल बिल्डिंग हैं। इनके संधारण में 2003-2004 में जो बजट प्रावधान था वह सिर्फ 8 करोड़ रुपये था। रियासत काल के यह भवन हैं, अब के नहीं है। अब जब इनके जीर्ण शीर्ण होने की लगातार शिकायतें आती रहती हैं। आज जहां आफिस चल रहे हैं उन आफिस में अगर छत रिसाव कर रही है, वह आफिस अगर उसमें सफेदी किये हुए वर्षों बीत गये तो इनको ठीक रूप देना, वहां काम करने का वातावरण बने यह भी सरकार की जिम्मेवारी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2006-2007 के अन्दर हमने इस 8 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 65 करोड़ किया और इस वर्ष भी 2007-2008 के अन्दर फिर 65 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब भवन निर्माण के लिये कई तरह की चर्चा यहां चली। इतनी बड़ी संख्या में भवन बनते हैं अब इनमें एक आधी जगह कहीं कोई ठेकेदार ठीक काम नहीं करे उसकी चर्चा तो बहुत हो जाती है पर जो अच्छा काम करे उसकी चर्चा बहुत कम होती है। अभी राजस्थान उच्च न्यायालय का नवीन न्यायालय भवन और पुस्तकालय भवन बना। उसका उदघाटन करने के लिये केन्द्रीय कानून मंत्री आए, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश आए, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आए। जब उस भवन का उदघाटन कर रहे थे मुख्य मंत्रीजी वहां उपस्थित थीं। इन्होंने कहा भवन निर्माण करने वाली एजेन्सी कौन है ? जब इनको कहा कि पी डब्ल्यू डी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है तो पी डब्ल्यू डी के उस मुख्य अभियन्ता को बुलाओ जिसने इतना अच्छा काम किया है और उन्होंने न केवल सराहा बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा पर आगामी वित्तीय वर्ष में सचिवालय के अन्दर भी जिस तरह का काम हुआ, मैं निवेदन करना चाहूंगा सचिवालय में कन्वेंशन हाल बना, सी एम ओ ब्लॉक बना और आज सचिवालय किसी की बपौती नहीं है। लोकतन्त्र के अन्दर सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद सरकार के मुख्य मंत्री बनते हैं। मुख्य मंत्री से मिलने के लिये देश और विदेश के लोग आते हैं। देश और विदेश के लोग आएं और राजस्थान के मान-सम्मान के अनुरूप वहां मुख्य मंत्रीजी का दफ्तर नहीं हो, कन्वेंशन हाल नहीं हो, मैं समझता हूं उचित नहीं है। लोग यह देखते हैं कि हम जहां आये हैं, यहां मिलने आये हैं, इनके आफिस का यह हाल है तो इनकी माली हालत दरिद्रता की होगी। राजस्थान के अन्दर जिस तरह की तस्वीर मुख्य मंत्रीजी खींचना चाहती हैं उन्नत राजस्थान की, उस तस्वीर को वह परिकल्पना लेकर जब मन में आता है और जाकर दफ्तर को देखता है तो शायद वह सही नजर नहीं आती। इसलिये जिस तरह का सी एम ओ आफिस बना है आज उसकी भी प्रशंसा जो लोग आते हैं अध्यक्ष महोदय, वह करते हैं। ...(व्यवधान) बिलकुल पी डब्ल्यू डी ने बनाया है।

अब अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। कुल 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे पास...

श्री अध्यक्ष: पहले ही काफी कुछ बोल दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 5655 किलोमीटर ही है। इसमें से 1436 किलोमीटर तो एन एच आई के पास है। ...(व्यवधान) कम करूं क्या अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने कहा वैसे तो सब बात बहुत विस्तार से आपने बता दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बस दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: फिर भी यदि आप बताना चाहें तो और बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बस दो मिनट में खतम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 4112 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग में जो राशि इसके संधारण के लिये, रख-रखाव के लिये, पुन: निर्माण के लिये लगी है तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वह तो केन्द्र सरकार हमें देती है वह लगाते हैं, परन्तु इसके संधारण और रख-रखाव की जिम्मेवारी हमारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रथम में जो चार महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्ण चतुर्भुज योजना है यह 694 किलोमीटर की है, सात जिलों से निकलती है। यह योजना 3000 करोड़ की थी। चित्तौड़ बाइपास के अलावा इसमें सारा कार्य पूरा हो गया और चित्तौड़ बाइपास का काम भी इसी वित्तीय वर्ष से पहले दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा। इसके अलावा एन एस डी पी, ईस्ट वेस्ट कारीडोर यह 528 किलोमीटर की हमारे राजस्थान से निकलती है सात जिलों से और 2700 करोड़ रुपये इस पर व्यय हो रहे हैं। यह काम भी 2008 तक पूरा हो जायेगा। इसके अलावा नार्थ साउथ कारीडोर है। धौलपुर से मात्र यह निकलती है 28 किलोमीटर। इसमें भी 20 किलोमीटर का काम पूरा हो गया और 8 किलोमीटर का काम प्रगति पर है। जयपुर-आगरा सड़क, इस सड़क की हालत बहुत खराब थी। एन एच-11, 185 किलोमीटर सड़क है और 830 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं तथा दिसम्बर, 2008 तक यह काम भी पूरा हो जायेगा। जयपुर-रींगस और सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग 12, जयपुर-टोंक-देवली, टोंक–झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 2009 तक इसको चार लेन करने के लिये चिन्हित कर लिया। इसकी योजना बन गयी, इसके डी पी आर बन गये हैं और मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से जो कार्यवाही इसमें करनी चाहिये थी राजस्थान सरकार के स्तर पर हमने वह सारी औपचारिकता पूरी कर ली है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार, फैसला भारत सरकार का है, चिन्हित भारत सरकार ने की है। हम प्रयास भी कर रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं भारत सरकार इस पर जल्दी से जल्दी काम प्रारम्भ करे इसके लिये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के समय में 990 किलोमीटर सड़क जो पहले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से इनको क्रमोन्नत किया था अब यह 990 किलोमीटर सड़क क्रमोन्नत हो गयी। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंड बने हुए हैं परन्तु यह 990 किलोमीटर में 13 किलोमीटर सड़क सिंगल लेप की है, 536 किलोमीटर सड़क इंटर मीडियेट लेन की है और 441 किलोमीटर सड़क डबल लेन की है। अब इनमें नये घोषित इस राष्ट्रीय राजमार्ग में दो लेन में परिवर्तित करने के लिये हमने 200 करोड़ केन्द्र सरकार से मांगे कि इसको आपने डिक्लेयर कर दिया। इसके अनुरूप बनाना है तो 200 करोड़ रुपये दो। अब बदले में हमे मिले हैं 12 करोड़ रुपये। मैं समझता हूं यह राजस्थान की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो 14 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इसमें भी 232 किलोमीटर सिंगल लेन की है, 126 किलोमीटर इंटरमीडियेट लेन की है और जो इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड है उनके अनुसार दो लेन में बदलने के लिये 1600 करोड़ की आवश्यकता है और हमारे बार-बार लिखने के बाद भी हमें इसके अन्दर किसी भी तरह की राशि भारत सरकार से नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 10050 किलोमीटर नेशनल हाइवे हैं। बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या भी कई बार कहती हैं, दूसरे सदस्य भी कहते हैं यह नेशनल हाइवे पर जो जाते हैं वह सड़क ठीक नहीं है। अब उस सड़क के जो इसका रिन्युअल है। इसका एक समय तय कर रखा है रिन्युअल के लिये। डेढ़ सौ करोड़ रुपये की राशि की हमें जरूरत है और हमें भारत सरकार ने दिये 35 किलोमीटर। अब आप बताओ किस तरह यह सारे नेशनल हाइवे रिन्युअल होंगे?

हर वर्ष 700 किलोमीटर सड़कें जो सामयिक नवीनीकरण की आवश्यकता इनको होती है। यही नहीं जो साधारण मरम्मत का कार्य है उसके लिये भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार हमें 48 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जब कि हमें दिये हैं सिर्फ 17 करोड़ रुपये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा इसी तरह एन एच आई की सड़कों का मामला है। मैं लम्बी कोई बात नहीं कहूंगा। मार्च, 2006 में केन्द्रीय सरकार ने यह कहा था कि स्वर्ण चतुर्भुज को चार लेने से छह लेन में बदलने के लिये हरियाणा सीमा से बाहर तक 163 किलोमीटर, किशनगढ़ से गुजरात सीमा तक 425 किलोमीटर, इस पर लगातार यातायात बढ़ता जा रहा है। अब छह लेन में बदलने का नीतिगत निर्णय लिया है भारत सरकार ने परन्तु आज तक इसमें कार्यवाही नहीं हुई। केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने 2006 के अन्दर अपने भाषण में यह कहा कि अब समय आ गया है अब दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस हाइवे, अलग से वे बने। आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कुछ काम ऐसे हैं जिनके अन्दर हम सब लोग मिलकर मदद करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी कृपापूर्वक इस बार 2000 किलोमीटर मिसिंग लिंक बनाने की घोषणा की है। 2000 किलोमीटर मिसिंग लिंक जब बनेगी इसके अन्दर निश्चित तौर पर ऐसे-ऐसे लिंक बनेंगे जो छोटे-छोटे टुकड़े बनने से इसके अन्दर कई शहरों की और आवागमन की दूरियां कम हो जायेंगी। इसके अलावा एक हजार तक की आबादी के अब तक 2003

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में 11844 गांव सड़क से जुड़े हुए थे। हमारी सरकार आने के बाद 248 गांवों को सड़क से और जोड़ दिया और शेष बचे जो 93 गांव हैं इसमें से 83 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम प्रगति पर है और दस गांव शेष बचे हैं। पूरे राजस्थान में एक हजार की आबादी की गांवों में सिर्फ दस गांव शेष बचे हैं बाकी सारे गांव हमने ना केवल सड़क से जोड़ दिये और 83 गांव का काम प्रगति पर है और दस गांव बच गये हैं जिनमें से छह गांव तो डूब क्षेत्र में आ गये और चार गांव जो बच गये हैं उनको भी स्वीकृत करके इस वर्ष जोड़ देंगे।

अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी और वर्तमान महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने पहली बार यह सपना देखा था और उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की थी कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय तक तो सड़क चली जाये। जब हम 2003 के अंदर आये तो 8327 ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए थे। हमने इस काम को उसी तरह से आगे बढ़ाया, 1719 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया और जो शेष 142 बच गये हैं उसमें से 129 ग्राम पंचायत मुख्यालय का काम प्रगति पर है, नौ का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कर रखें हैं और चार बचे हैं, इनमें से दो बीसलपुर के डूब क्षेत्र में आ गये और दो जैसलमेर जिले के हैं, इनको भी इसी वित्तीय वर्ष में जोड़ने का काम हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक-एक माडल रोड बनायेंगे। इस बार हम घोषणा कर रहे हैं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक-एक माडल चौराहा बनायेंगे। एक चौराहा ऐसा हो जो बड़ा अच्छा बने, उस चौराहे से जो सड़क से निकलने, जिला मुख्यालय में घुसने या जिला मुख्यालय से बाहर जाने वाला और इसके अंदर अगर कोई निजी संस्था भी हमारा सहयोग करना चाहेगी तो हम उनका भी स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटनाओं पर कई माननीय सदस्य चिंता जब भी हम बात करते हैं तो करते हैं। 2003 में 21993 सड़क दुर्घटनाएं हुई, 6025 लोगों की अकाल मृत्यु हुई और 2006 में 7154 लोग काल का ग्रास बने और 23348 दुर्घटनाएं हुई। कई इस तरह की सड़कें हैं, कई इस तरह के जंक्शन हैं जिन पर लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों की तकनीकी खामियां भी कई बार दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। इस बार सड़कों की तकनीकी खामियों के सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये हम इसी वित्तीय वर्ष में खर्च करेंगे। हमने अलग-अलग स्थान चिन्हित किये हैं। इसके अंदर हम यातायात पुलिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का भी सहयोग ले रहे हैं कि ऐसी कौनसी सड़कें या जंक्शन हैं जहां बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वृक्ष तो कट जाते हैं जब सड़क चौड़ी होती है लेकिन वृक्षारोपण नहीं होता है। नीति यह है कि एक वृक्ष की एवज में चार गुणा मात्रा में वृक्षारोपण होना चाहिए। अभी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कैम्पा एक संस्था बनी हुई है, उसके अंदर अलग-अलग राज्य सरकारों को फंड जाता है लेकिन हमें वहां से वापिस पैसा नहीं मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि उस पैसे को प्राप्त करके वृक्षारोपण के काम को भी हाथ में लें।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान के अंदर बेरोजगार इंजीनियर स्नातक जो बेरोजगारी के आलम में हैं उनका हाथ पकड़ने का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है। उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि बेरोजगार अभियंताओं को दस लाख रुपये तक की राशि का बिना टेंडर के काम हम आबंटित करेंगे। इन अभियंताओं को हम डी श्रेणी के कांट्रेक्टर के रूप में पंजीकृत कर रहे हैं और इनका जो पंजीयन शुल्क है, जो वर्तमान में पंजीयन शुल्क है उसका मात्र दस प्रतिशत होगा। इनके पंजीयन के बाद एक पैनल बनाया जायेगा और मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक समिति गठित करके अलग-अलग काम का अलग-अलग निर्धारण किया जायेगा। उस निर्धारण पर बिना टेंडर इनको काम दे दिया जायेगा। टेंडर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पाँच करोड़ रुपये तक की राशि के टेंडर ई-टेंडर के माध्यम से करने की भी घोषणा मैं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी यह बात भी चली कि सड़क का निर्माण ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ तो हमने जांच बिठायी और जांच करने वाला भी हमारा ही कोई अधिकारी, इसलिए हमने यह तय किया है कि एक विशेषज्ञों का पैनल बनाकर के प्रत्येक जिले में इंडिपेंडेंट क्वालिटी मोनिटर्स नियुक्त करने का काम भी हम करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पांच सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक के समस्त भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निश्चित तौर पर अडाप्ट किया जाये इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति नि:शक्त है, जिसको सरकारी कार्यालयों में आना-जाना पड़ता है, चाहे वह कलेक्ट्रेट हो, चाहे वह महाविद्यालय हो इनमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रैम्प नहीं होने के कारण उसको बड़ी असुविधा रहती है, सीढ़ियों से चढ़ने में दिक्कत होती है। इसी वित्तीय वर्ष में 150 रैम्प और रेलिंग निर्माण का कार्य भी करने का हम हाथ में ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 2001-02 में जो विभाग का कुल काम था उसमें 443 करोड़ रुपये व्यय हुआ करते थे, जब कि आज जब हम बात करते हैं तो यह 3 हजार करोड़ के लगभग हो गये। यानि पांच वर्षों में विभाग का काम छह गुना बढ़ गया है। इसके साथ-साथ जो काम को अंजाम देने वाले लोग हैं, विशेष तौर पर जो हमारे डिप्लोमा और डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंता गण हैं, जे.ईएन. हैं, इनको 24-24, 25-25 वर्ष हो गये, इनको पदोन्नति नहीं मिली। एक तरह से ठहराव आ गया। मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी कृपा की जब हमने उनकी वेदना बतायी कि हमारी वह इकाई जो फील्ड में जाकर के काम करती है, 24-24, 25-25 वर्षों से उनको पदोन्नति नहीं मिली है तो एक फैसला करके विभाग के अंदर 621 कनिष्ठ अभियंताओं के पदों को हम पदोन्नत करके सहायक अभियंता, ए.ईएन. करने का काम हम कर रहे हैं। यह भूतो न भविष्यति। एक साथ इतनी बड़ी समस्या, कितने वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, 24-24 वर्षों से उनकी पदोन्नति नहीं हो रही थी, इन 621 जे.ईएन. को ए.ईएन. में पदोन्नत करने का काम हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 180 नये सहायक अभियंता के उपखण्ड का सृजन करने का काम भी हम कर रहे हैं और एक्स.ईएन. के 60 नये खण्ड खोलने का काम भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा 9 ऐसे जिले थे, कई थे जैसे आपके झुंझुनूं और सीकर में एक एस.ई. था, जिसके कारण से कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता था। यह 9 जिले दौसा, धौलपुर, बूंदी, झुंझुनूं, करौली, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, टौंक और सिरोही। इनमें अधीक्षण अभियंता का वृत कार्यालय नहीं था, इन सब में इसी वित्तीय वर्ष से एस.ई. का आफिस खोलने का काम भी हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जो कि सम्भाग मुख्यालय बना है। वहां अतिरिक्त मुख्य अभियंता का पद नहीं था, भरतपुर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के नये पद का सृजन करने का काम भी हम कर रहे हैं। मुख्यालय में एक मुख्य अभियंता, मुख्यालय का अतिरिक्त एक पद सृजन करने का भी काम हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने कई बात यहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कही। यहां गुणवत्ता को लेकर एक बात भी कही और विशेष तौर पर भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे उन्होंने कोई पत्र लिखा और उसके बाद मैंने दो बार निर्देश भी दिये और कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं वह जांच रिपोर्ट लेकर के आया हूं। 17.2.2007 आफिस आफ चीफ इंजीनियर, रोड का, इसमें इन्होंने एक समिति बनायी जिसमें दामोदर अग्रवाल, एडीशनल चीफ इंजीनियर, आर.के. जैन, एग्जिक्टिव इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, हेमराज शर्मा, टेस्टिंग आफिसर और इन्होंने सारी सड़कों को देखा, जिन सड़कों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया और इसके साथ इसी में लिखा है कि आप एम.एल.ए. साहब को साथ लेकर जाओ। अब यह रिपोर्ट मेरे पास में आयी है, 17 तारीख को यह कमेटी बनी, 19.03 को मेरे पास रिपोर्ट आयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी, छोटी-मोटी जहां कोई बात पायी जायेगी, मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा भी है। इस रिपोर्ट को मेरे अधिकारियों ने भी पढ़ा है। यहां यह कहना कि वहां सारी सड़क टूट गयी, पैर के साथ सड़क जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं रिकार्ड टेबल करूं। तीन बार इन्होंने जिन सड़कों का जिक्र किया, उसकी अलग-अलग जांच हुई। पहली जांच के लिए मैंने वहां के संबंधित एक्स.ईएन. को कहा तो इन्होंने कहा कि वह तो खुद ही इनवाल्व है। फिर एस.ई. को भेजा उन्होंने जांच की और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एडिशनल चीफ इंजीनियर से कराओ और उसके साथ क्वालिटी कंट्रोल की टीम भी भेजो, मैंने वह जांच करवाई। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि किसी और कारण से नाराजगी को इस तरह से व्यक्त नहीं करनी चाहिए कोई और बात हो तो बतायें ... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जिन सड़कों की मैंने चर्चा की है, विधान सभा की सर्वदलीय समिति विधायकों की बना दी जाये और क्वालिटी कंट्रोल टीम उनके साथ भेज दी जाये। वह इस पर कर लें, मैं मान जाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक लाख पचहत्तर हजार ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जांच करने वाले ही सारे इंजीनियर्स हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है उनकी पूरी लम्बाई ही 20-30 किलोमीटर

होगी, अब अगर इतने सड़क तंत्र में, शिकायत की, जांच हुई और मैंने पहले कहा और मैंने मेरे भाषण के शुरूआत में कहा कि माननीय सदस्यगणों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से या अपने विचार व्यक्त करते हुए जिन-जिन सड़कों के, जिन-जिन भवनों के मानक स्तर का निर्माण नहीं होने के कारण निर्माण में कमी, खामी होने की बात कही है, उन सारी सड़कों पर मैं अतिरिक्त मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक टीम बनाकर के जिसमें क्वालिटी कंट्रोल का भी रहेगा और माननीय सदस्यों को टीम सूचित करेगी कि हम यहां जा रहे हैं। माननीय सदस्य अगर उनके साथ जाना चाहें तो उनके साथ जायेंगे और जिस किसी भी लैब में जांच कराना चाहें करायें।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि यह पारदर्शिता होनी भी चाहिए।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सैंया भये थानेदार तो डर काहे का, मैं कह रहा हूं सदस्यों को भेजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संख्या में जहां निर्माण हो वहां छोटा-मोटा काम हो तो उसके लिए मैं

(समय : 21.00 बजे)

समझता हूं कि ...(व्यवधान) माननीय सदस्यों को सूचित करेगी टीम कि हम यहां जा रहे हैं। माननीय सदस्य अगर उनके साथ जाना चाहें तो उनके साथ जाएगी और जिस किसी भी लैब में जांच करवाना चाहते हैं, जांच करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि यह पारदर्शिता होनी भी चाहिए।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सैंया भए थानेदार तो डर काहे का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इतनी बड़ी संख्या के अंदर जहां निर्माण हो वहां छोटा मोटा काम हो तो उसके लिए मैं समझता हूं कि इतनी बात नहीं कहनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क तंत्र ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भादरा से आने वाले माननीय सदस्य की जो शिकायत है, इनको आप ले जाएं अपने साथ। आप अपने साथ ले जाएं इनको, इनकी मौजूदगी में आप उसका निरीक्षण करें, आप निरीक्षण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपका निर्देश होगा तो मैं यह भी करने को तैयार हूं। और मैं चाहूंगा कि जिस दिन मैं जाऊं उस दिन प्रतिपक्ष के नेता आप भी, खुद नहीं जाएं तो किसी को भेज देना मेरे साथ, इसमें कोई संकोच नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत खुले मन के साथ कहा है कि पारदर्शिता रहनी चाहिए, मानक स्तर का काम होना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान का सड़क तंत्र ऐसा हो, राजस्थान के विकास का सपना, नए राजस्थान के निर्माण का सपना, राजस्थान की वार्षिक योजना को जिस तरह से बढ़ाया, राजस्थान में बड़ी पंचवर्षीय योजना तैयार की और मुख्य मंत्रीजी का यह कथन कि राजस्थान के विकास का रास्ता राजस्थान की चौपाल से निकलेगा, हम उस कथन को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जिन माननीय सदस्यों ने यहां विचार व्यक्त किए उनमें से अधिकांश ने सरकार को साधुवाद दिया है, धन्यवाद दिया है कि सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए हमने काम किया। अब वह समय आ गया है जब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान का सड़क तंत्र बीमारू श्रेणी का नहीं है, राजस्थान का सड़क तंत्र विकसित राज्यों की श्रेणी में है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए उन सारे विचारों को मैं आने वाली मेरी कार्य योजना में शामिल करूंगा और कार्य योजना में शामिल करके यह आधारभूत संरचनाओं का जो मुख्य आधार है, सड़क तंत्र और जिसके आधार पर इस चीज का आकलन होता है कि प्रदेश ने कितनी प्रगति की है, उस सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस मांग को पारित किया जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय मंत्रीजी, सड़क आप खूब बना रहे हैं, आपकी सड़क बनी नहीं और लोग दुकान बना देते हैं, कारखाने बना देते हैं और पक्की सड़क पर ट्रेक्टर खुले हुए मिल जाएंगे। इसकी भी आप कोई व्यवस्था करिए, सड़क से दूर। कल को आपको एक्सपेंड करनी पड़ेगी सड़क तो कैसे बढेंगे आप, आप सड़क बनाते हैं वहीं मकान बन जाते हैं, इसकी भी व्यवस्था आप ठीक कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या मैं मांग पारित करने के लिए रखूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पारित करो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,72,11,81,000 (तीन अरब बहत्तर करोड़ ग्यारह लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 सड़क एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,10,35,79,000 (तेरह अरब दस करोड़ पैंतीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मिस्टर कटारा।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जनजाति क्षेत्रीय विभाग की मांग संख्या 30 पर 12 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, 61 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका उत्तर तीन दिन में भिजवा दूंगा।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र पर इतनी महत्वपूर्ण मांग पर मंत्री जवाब दे रहे हैं और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों में से एक ही माननीय सदस्य जनजाति के मौजूद हैं, बाकी नहीं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप गलतफहमी में मत पड़िए, यहां सब कुछ है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अख़बार में आना चाहिए, वह लिख दें बस, बाकी किसको चिंता है? यहां कोई नहीं है, क्या जवाब दिया है, क्या घोषणाएं हुई, कोई चिन्ता नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एस टी में भी भेदभाव कर रहे हैं, उस भेदभाव को खतम करवा दो, मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिन्होंने यहां पर अपना भाषण दिया है और मंत्रीजी का भाषण नहीं सुन रहे हैं मैंने सब के नाम नोट कर लिए हैं कल उनको बोलने का बिलकुल अवसर नहीं मिलेगा। (व्यवधान) हां, तो मैंने देख लिया कि कौन-कौन बैठे हैं और कौन-कौन गए हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रतिपक्ष के सब चले गए, इनको कल मौका नहीं मिलना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे दो बैठे हैं और दोनों आदिवासी हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। यह पहली मुख्य मंत्री हैं जो आदिवासियों के दु:ख-दर्द को समझने वाली हैं, इन्होंने गांव-गांव जाकर मैं सोचता हूं कि मेरे क्षेत्र में तो उस टापरी के अंदर उस घर के अंदर घुस कर भी देखा कि आप कैसे रहते हो। ऐसा स्वर्णिम काल आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का रहा है। आज हम हाउस में सभी चर्चा जरूर करते हैं लेकिन उस जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति, वहां का गरीब व्यक्ति मुख्य मंत्री महोदया का नाम सुनते ही यह मन में सोचता है कि हमारे लिए कुछ न कुछ इस बार पैकेज आएगा, कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। हमने बहुत चिंतन किया, देश आजाद हुए 57-58 साल हो गए, सरकारें आईं और चली गईं, सभी क्रिया-प्रतिक्रिया करते रहे, आंकड़ों में कहते रहे कि आपकी सरकार ने यह किया, हमारी सरकार ने यह किया। हम यह कहते जरूर रहे लेकिन वास्तविक स्थिति में जो काम ...(व्यवधान) मैं बताता हूं आदरणीय, आप तो सम्माननीय हैं मेरे से।

श्री अध्यक्ष: आप सब्र रखो, बताएंगे, सब बताएंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): किसको बताएं, सब गए।

श्री अध्यक्ष: आपने पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर को एक घण्टे बाइस मिनट सुना है, इनको भी बाइस मिनट तो सुनो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, नहीं, पूरा सुनो साहब, सब बताएंगे, बहुत योजनाएं हैं, खूब घोषणाएं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप ही फैसला कर दीजिए दोनों एक जैसे ही हैं क्या, आप फैसला कर दीजिए, दोनों को देखकर फैसला कर दीजिए, दोनों में फर्क है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष: क्या फर्क है मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, क्या फर्क है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब यह क्या बोलेंगे और एक वह बोले हैं।

श्री अध्यक्ष: तो क्या हुआ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फर्क आएगा।

श्री अध्यक्ष: क्या फर्क आएगा?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो आप देख लेना क्या फर्क आएगा।

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलिए कटारा साहब।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आपको कष्ट जरूर होगा लेकिन जिस वर्ग के लिए हम यह चाहते हैं कि उसका उत्थान हो, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे और उनका उद्धार हो, वह ऊपर उठें। चाहे वह शिक्षा की दृष्टि से हो चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, उनका हर तरह से उत्थान हो, उस बात को हम यहां रखते हैं तो उसका उद्धार भी हो, यह हमारा फर्ज बनता है। तो आप निश्चित रूप से इन बातों को सुनेंगे। आज मैं मेरे मन की पीड़ा है, आपकी तो होगी ही लेकिन वास्तविक स्थिति में जो काम हम फील्ड में और जिस क्षेत्र में और जिस घर से निकलकर मैं यहां आया हूं, उसको अच्छी तरह से जानता हूं, जनजाति के उन भाइयों की क्या स्थिति होगी और उनकी क्या परेशानी होगी।

इस समय मैं महामहिम उपराष्ट्रपतिजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उनके काल में बारानी लगान भी माफ हुआ और दस हजार रुपए तक के कर्ज भी माफ हुए और राजनीति के क्षेत्र में पंच-सरपंच कानून बनाकर लाए। और आप देखते हैं आज आप उधर हैं और हम इधर हैं, यह काम भी इस क्षेत्र में हुआ है तो वह आरक्षण के कारण से हुआ है।

आज आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को मैं फिर से धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता में जनजाति के 70 लाख 57 हजार लोग हैं जिनका प्रतिशत 68.57 है। और उसके अंदर भी जनजाति उपयोजना क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अरनोद कुल 23 पंचायत समितियां। माडा और टाडा क्षेत्र और बिखरे क्षेत्र

(श्री कनकमल कटारा)

इसके अंदर भी टीएसपी क्षेत्र के अंदर 45 लाख 14 हजार जनसंख्या, जनजाति की इसमें 30 लाख 93 हजार और इसका 68 प्रतिशत जनजाति क्षेत्र का प्रतिशत। माडा क्षेत्र में कुल 28 लाख 51 हजार की जनसंख्या, 15 लाख 72 हजार इसमें माडा लघु खण्ड है जिसकी जनसंख्या का प्रतिशत 55.15 है। बिखरी में 22092 जनसंख्या। सहरिया के अंदर 74 हजार की जनसंख्या। इन सब के विकास के लिए, उन सबके दुःख-दर्द को मिटाने के लिए आज बजट का प्रावधान करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में मात्र 326.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था वहीं इस सरकार में तीन वर्ष के अंदर 348.28 करोड़ का प्रावधान आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न के अंतर्गत गत सरकार में 44.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस सरकार में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन वर्ष के अंदर महाराष्ट्र पैटर्न का 184 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और इसके तहत आज विकास के काम सम्भव हो रहे हैं। गत वर्ष हमने 47 प्रतिशत खर्च किया था और वर्तमान में 2006-07 में खर्च बढ़ाकर हमने 58 प्रतिशत करने की पूरी कोशिश की है और अभी भी स्वीकृतियां जारी कीं जिसके कारण से इन सब को लाभ निश्चित रूप से मिल पाएगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक इन भाइयों के अंदर और जनजाति भाइयों के अंदर विकास होना सम्भव नहीं है। सरकार की योजनाओं को नहीं समझते, इसलिए राज्य सरकार शिक्षा विभाग की दृष्टि से भी और जनजाति क्षेत्रीय विभाग से जितना भी सम्भव हो सकता है वह पूरी कोशिश कर रहा है और इसका वर्णन तो माननीय सदस्यों ने कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत कुछ किया है, 15 हजार शिक्षक, 5 हजार फिर करने वाले हैं यह पूरा जनजाति क्षेत्र के सभी भाइयों को इसका लाभ मिला है। यह पहली बार हुआ है। मैं सोचता हूं यह बहुत बड़ी बात है। वह इसलिए कि जब तक पढ़-लिखकर आगे नहीं होगा तब तक उसका उत्थान सम्भव नहीं होगा। इसलिए 2004-05 में 14.35 करोड़ रुपये की तुलना में 2007-08 में 39.62 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया जो 30 प्रतिशत है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मंत्रीजी, आप गलतबयानी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी बता दें 15 हजार जनजाति के टीचर लिये हैं क्या आपने?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 5 हजार बैकलॉग, 9 हजार की भर्ती एसटी टोटल। उसमें 1800 बाकी है जो इस बार भर जाएंगे और जो नयी भर्ती की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसमें आपका कोटा आएगा उसके बाद माननीय मंत्रीजी का काम पूरा हो जाएगा।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, अधिकतर जनजाति भाइयों की चिन्ता करते हैं, बैकलाग की बात करते थे, वेल में भी आ गये थे ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बैकलाग एसटी का 5 हजार का पूरा किया और एक से छह तक की ग्रेड के जो 1800 बाकी हैं वहां के लड़के-लड़कियां उपलब्ध नहीं होने के कारण वह बचा रहा। मंत्रीजी ने आग्रह किया कि इस बार जो नयी परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें से 1880 की भर्ती एक्स्ट्रा और हो जाएगी तो कोई बैकलाग राजस्थान में एसटी और एससी का नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ही शिक्षा का है, 4 लाख से ऊपर है, उसमें सारा बैकलाग समाप्त हो गया। राजस्थान पहला स्टेट है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय जब कोटड़ा प्रवास में पधारी थीं और उस समय एक झौपड़ी के अंदर जाकर देखा कि कैसे ये लोग रहते हैं, अपने वेश में गईं, लोगों ने कहा कि अपनी वाली है, यह कौन बाई आई है, अपने वाली आई है। अपनत्व भाव जगा और अंदर जाकर देखा, ये कैसे रहते हैं, कैसे क्या है, एक छोटा सा घर जिसमें केलू पोर्शन है जिसके अंदर चूल्हा, एक तरफ दो मिट्टी की कोठियां बनी हुई हैं जिसमें अनाज भर रहे हैं, बाकी की खाली जगह थी वहां पशु बांधते हैं, दो खाट लगी हुई हैं, ऐसी स्थिति है। उन्होंने देखा तो उस समय एक बच्ची थी, उसको पूछा कि बेटा कहां पढ़ने जाती हो। उसने बताया कि दो-तीन किलोमीटर दूर स्कूल है वहां पर पढ़ने जाती हूं। मुख्य मंत्रीजी ने स्टेज पर बैठे-बैठे मुझे कहा कि कनकमलजी, इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, आपका आदेश हो वह कर लेंगे। इसीलिए जो छात्रावास में नहीं रहती

(श्री कनकमल कटारा)

और जो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर है ऐसी छात्राओं के लिए साइकिल योजना का कार्यक्रम बनाया और जिसके तहत आज उस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कुल 18897 छात्राओं को साइकिल वितरित की।

अध्यक्ष महोदय, साइकिल देने में कई लोगों ने प्रतिक्रिया की, लेकिन उस गरीब ने नहीं सोचा कि दो हजार की साइकिल मेरे पिताजी भी खरीद सकते हैं। उसके घर में अगर वह साइकिल चली गई तो उसका छोटा भाई भी कहने लगा कि यह साइकिल मुझे भी मिलेगी? जब उसके मन में आया कि आप नवीं कक्षा पास करोगे तो आपको भी मिलेगी, उस बच्ची को भी कहा और उसके कारण से मैं कहते हुए प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूं और आपको भी प्रसन्नता होगी कि जब यह साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया, उदयपुर से शुरू किया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में इतनी साइकिलें एक साथ हम वितरित नहीं कर सकते थे, हमने सभी माननीय सदस्यों को भी कहा, जन-प्रतिनिधियों को भी कहा। वहां उन साइकिलों का वितरण किया और वहां उस क्षेत्र के लोगों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की कि वाकई में यह बहुत अच्छा है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर गोकलापाल के अंदर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है वहां पर 100 साइकिलें एक साथ निकलीं। इधर से घाटोल और हमारे पीपलखूंट, बागीडोरा और आनन्दपुरी क्षेत्र के अंदर 200-300 साइकिलें एक साथ उन विद्यालयों से जब वे बच्चियां निकलती हैं तो लोग देखने के लिए दौड़ते हैं, यह क्या स्थिति हो रही है, क्या है, उनके अंदर खुशी का पार नहीं था और दो हजार छात्राओं की संख्या प्रवेश के समय बढ़ गई, यह विद्यालयों में बहुत बड़ी बात है। यह अभूतपूर्व कार्यक्रम मुख्य मंत्री महोदया ने किया है इसलिए क्रिया-प्रतिक्रिया करना तो सरल है, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं, ऐसा काम किया है।

इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कंपीटिशन पढ़ने की दृष्टि से भी बने इसलिए 70 से 75 प्रतिशत के ऊपर अंक बोर्ड की परीक्षा के अंदर जो बच्ची लाएगी उसको स्कूटी देने की योजना है। लोग कह रहे थे यह घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है पूरी होगी या नहीं होगी। आप सब को कहते हुए बड़ी खुशी है कि जनजाति क्षेत्र में जहां आज ये कह रहे हैं कि ये बालक पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे अभी भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन नहीं, यह सुधार हो रहा है। अभी हो गया, ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में भी जो प्रयत्न रहे, उसके प्रयत्न करते-करते आज दिन तक जो स्थिति बनी है

(श्री कनकमल कटारा)

उसमें 12 बच्चियों ने बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाकर 12 स्कूटी पहली बार प्राप्त की हैं और आज आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय उस बच्ची के हाथ लगाकर स्कूटी के पीछे बैठी हुई है उसका फोटो मैंने भेंट किया तो सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वाकई यह स्थिति है क्या? मुख्य मंत्री जब डूंगरपुर पधारी थीं, हमारा वार्डन है, उस वार्डन की बच्ची है, उसने पढ़ाई अच्छी की। दोनों बहनें हैं सागवाड़ा में, उसकी मांग स्वीकार की गई। साधारण एएनएम है, पिताजी कुछ नहीं करते, उनकी हालत मैं कह नहीं सकता वे किस स्थिति में है, वह महिला कैसे इन बच्चों को पढ़ाती होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में दोनों बहनों ने जब 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये, एक ने 80 प्रतिशत प्राप्त किये, एक ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाकर दोनों बहनों ने स्कूटी ली तो खुशी की पार नहीं। उनके दोनों माता-पिता हैं, उनके साथ में सागवाड़ा में बड़ा एक कार्यक्रम करके हमने कहा कि वाकई में बहुत अच्छा है और उसके बाद में जब बच्चे भी मुझे जहां भी गया तो उन्होंने कहा कि मंत्रीजी, आपने वादा करके कि मैं भी स्कूटी लेकर रहूंगी, मैं भी साइकिल लेकर रहूंगी। इसलिए आपको देनी पड़ेगी, मैंने कहा जितनी भी चाहिए उतनी देंगे, आप चिंता मत करो, आप पढ़ाई करो। आगे बढ़िए, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया का आदेश है, निर्देश है उसकी पालना हम निश्चित रूप से करेंगे। इसमें शिक्षा का स्तर भी बढ़ा और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय में ...(व्यवधान) वह पानी पीने जरा आ जाएंगे वापस।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने तो वह भलाई का काम किया, मुख्य मंत्री महोदया, शायद मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन का सपना और रात दिन चिंता करते-करते आज सब भाइयों के बीच में जाते हैं तो लगता है कि वाकई में क्या यह विचार विचार तो नहीं रह जाएगा ? अब क्रियान्वित कौन करेगा? लेकिन मन की भावना है, एक बात मेरे मन की बात जरूर हो गई थी कि हम इस जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आज न कोई आईएएस है, न आरएएस है, अब केवल एक दो हो जाने से किसी क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं हो सकता। और इसीलिए मेरा आग्रह था, मैंने सब भाइयों को भी कहा कि कुछ न कुछ करिए। मैंने, अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के माननीय भाई हैं इनको भी मैंने सभी जगह कहा कि आपसे निवेदन करते हैं कि हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आप कुछ न कुछ करें। धन्यवाद देना चाहता हूं इन सब माननीय सदस्यों को और इस समाज के

(श्री कनकमल कटारा)

अग्रणी बड़े भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि कनकमलजी, चिंता मत करो। उप योजना क्षेत्र के अन्दर ऐसे भाई जो गरीब हैं और आज दिन तक न आईएएस बने, न आरएएस बने तो हमको कोई एतराज नहीं है, आप 5 प्रतिशत का अगर आरक्षण होता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। यह व्यक्तिश: मेरी बात होने पर, अभी इसका मन नहीं हुआ है परन्तु आरपीएमटी की जब बात आई और 5 प्रतिशत वह मन हो गया और रिट दायर की थी उसके कारण से थोड़ी तकलीफ हो गई थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह निवेदन किया कि यह बहुत गलत हो जाएगा। अभी 24 डाक्टर ट्रेनिंग के लिए गये हैं और अब भी जाने वाले हैं, उत्साह बढ़ा है और वह जा रहे हैं। और इसलिए इसके अन्दर यथावत् यह आरक्षण रहना चाहिए और पूरी सरकार ने प्रयत्न किया गया और जिसके कारण से 5 प्रतिशत डाक्टर्स आरपीएमटी की ट्रेनिंग के लिए आज यथावत् करके 24-25 और डाक्टर बनने के लिए तैयार हो गये हैं, यह भावना भी नहीं थी कि मुझे क्या करना है, अध्यापक बनना है कि मुझे चपरासी बनना है। बी.ए. पास लड़का यह सोचता था लेकिन जब यह आगे बढ़ते-बढ़ते अगर इस तरह की स्थिति होती है तो मैं सोचता रहा हूं कि आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं, नहीं तो आप और हम सब कह रहे हैं कि पैसा बहुत आता है। अथाह समुद्र है, पता नहीं कौन खा जाता है। आरोप लगता है जन प्रतिनिधि पर, आरोप लगता है प्रशासनिक अधिकारियों पर, आरोप लगता है, वहां के लोकल रहने वाले लोगों के ऊपर लगता है। लेकिन वास्तविक आंकड़ा अगर मालूम करें तो हमको खुद को सोचना पड़ेगा, उस क्षेत्र के अन्दर जितना पैसा लगता है, अगर कोई बिल्डिंग बनती तो सौ साल की उम्र की बनती है। अगर उसमें 5 साल और 10 साल के अन्दर फिर से पैसा रिपेयरिंग के लिए मांगते हैं तो उसके कारण से यह इतना पैसा जो आता है उससे विकास नहीं होता उससे विनाश ही होता है। और सौ साल के लिए जो हमारी बिल्डिंग बननी चाहिए, गुणवत्ता की बननी चाहिए। इस प्रकार की कोई भी योजना इस सरकार में रहते हुए इस क्षेत्र में की जाती है, मैं सोच रहा हूं कि बहुत बड़ी बात होगी और इसलिए बहुत बड़ा काम आपने किया, इस क्षेत्र के अन्तर्गत। इसीलिए अभी आरएएस परीक्षा में वैसे तो समाज कल्याण विभाग कर रहा है इसको, लेकिन फिर भी हमने परीक्षा तैयारी के लिए 30 हजार और साक्षात्कार में 15 हजार आर्थिक सहयोग के लिए हमने इस वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ इसे किया एक व्यक्ति को।

(श्री कनकमल कटारा)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बात ...(व्यवधान) यह कहना चाहूंगा हमने प्राइमरी स्कूल भी खोल दिये, मीडिल स्कूल भी खोल दिये। हजारों में खोल दिये, सैकड़ों में खोल दिये, सीनियर सैकण्डरी भी हो गये। लेकिन फिर भी कई ऐसी बालिकाएं, ऐसे बच्चे आज जिनकी उम्र 6 से 12 तक है, वह आज भी उसको कोई शिक्षा नहीं देता है और न जा पाता है, अपनी परिस्थितियां हैं क्योंकि वह अपना जीवन निर्वाह कैसे कर सकता है ? आर्थिक स्थिति कैसे उसकी आगे चले और इसके लिए बड़ा लड़का, बड़ी लड़की होती है उसको कहते हैं कि नहीं, गाय, बैल, भैंस चराने का काम करिए। और इसलिए उसके अन्दर कोई शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए मां-बाड़ी योजना के अन्तर्गत इस विद्यालय को प्रारम्भ किया है। और इसलिए आने वाले बजट में यानी कि 2007-08 के अन्दर अनुसूचित क्षेत्र में 150 मां-बाड़ी केन्द्र उस क्षेत्र में खोलेंगे तो इन बच्चों को भी उसका एक लाभ मिलेगा, जो सहरिया में भी 130 जहां पर मां-बाड़ी केन्द्र चलाए हैं वह सफल और अच्छे चल रहे हैं जिसके कारण से लोगों को लाभ मिला है जिसके कारण उसके बजट का प्रावधान भी 4 करोड़ और 12 लाख का किया गया है।

बस्ती विद्युतीकरण, मेरे एक धाम है उधर, एक तो बेणेश्वर धाम है लेकिन एक धाब धाम है जहां पर आदिवासी क्षेत्र में वहां पर वोट डालते हैं। बीच में माही नदी के टापू में रहते हैं वह वोटिंग करने आते हैं तो वह नाव के अन्दर बैठ कर के आते हैं। और साथ जिंदगी में यह बावड़ी बड़गामा, कोचरिया, सिसोड़ का हमारा क्षेत्र है, ऐसे ही दानपुर क्षेत्र, हमारा कुशलगढ़ का क्षेत्र है और आनन्दपुरी भूकिया का और इधर का कोटड़ा का यह पूरा क्षेत्र जिसके अन्दर दूरदराज के क्षेत्र के अन्दर, आज भी वह बच्चा पढ़ता है तो लालटेन में या किस स्थिति में है। जब हम घर पर गये तो पता लगा कि वाकई में इनकी परेशानी है, रात को हम रूके, रात को रूक कर के देखा तो लोगों ने कहा कि वाकई में, साहब, यहां तो वन विभाग पड़ता है। वन विभाग के क्षेत्र के अन्दर कौन रहते हैं। और इसलिए यहां शायद मैं सोचता हूं कि आरएसईबी वाले हमारे यह पोल डालेंगे भी कि नहीं डालेंगे, कितने 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पर यह होगा कि नहीं यह काम, मैंने यह जरूर कहा था निश्चित रूप से समय आएगा तो इस काम को हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं आपको यह कहते हुए बड़ी खुशी जाहिर कर रहा हूं कि हमने गत 3 वर्षों के अन्दर ऐसे क्षेत्र का जहां जो प्रस्ताव आए,

(श्री कनकमल कटारा)

पिछले समय में तो जितने प्रस्ताव आए, उन सब को हमने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, कोई प्रस्ताव बचा ही नहीं। और भी हमने इसकी कोशिश की कि और आगे इसका प्रावधान कैसे किया जाए। यह तीन वर्षों के अन्दर 4 करोड़ 31 लाख रुपये का व्यय कर 150 बस्तियों का हमने विद्युतीकरण किया और 2007-08 के अन्दर 2 करोड़ 95 लाख का प्रावधान किया है कि ऐसे क्षेत्र में जहां पर ऐसी विद्युतीकरण ढाणियों को किया जाना है। प्रस्ताव आएंगे बजट की सीमा को ध्यान में रखे हुए, पूरा पूरा ध्यान देकर हम विद्युतीकरण करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। 118 बस्तियों को इसमें विद्युतीकरण किया जाना है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब बड़े दुःखी हैं चाहे घर के अन्दर बच्चा हो तो भी या उस क्षेत्र में गरीब का बेटा हो तो भी आज शिक्षा प्राप्त करके भी डिग्रियां जला कर आदमी फोरेन चला जाता है, कुवेत में चले जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं। हमारे सिलोह का एक पाटीदार जिसने पूरी बीएड और पता नहीं कौन-कौन सी, एक इंजिनियरिंग पता नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंजिनियरिंग की बात है, इंजिनियरिंग करके आया। कहीं नौकरी नहीं मिली और वह अपनी डिग्री फाड़कर कुवैत चला गया। कुवैत में गया तो उसको वहां पर रोजगार सही ढंग से नहीं मिला, वापस आ गया। इस एरिया में यह बेरोजगारी की जो हालत हम देख रहे हैं और उसके तहत जनजाति क्षेत्रीय विभाग को भी कुछ करना चाहिए। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया का निर्देश था कि उसके अन्दर प्रावधान करिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्रीजी भी हैं, यह भी विचार करते रहते हैं क्योंकि उस क्षेत्र से इनका बहुत लगाव रहा है और इनकी भावना को भी जानते हैं, इनके क्षेत्र में बात है और जानते हैं। और इसलिए इनसे भी मैंने चर्चा की थी। और उसके तहत आज स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ ऐसी योजनाओं को प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिसके अन्दर कि छात्रों को जो 10वीं फैल है, जो 8वीं फैल है या 7वीं पास है, 6वीं फैल है या दूसरी और कोई पास नहीं है, निरक्षर है तो वह बेरोजगार है, उसके भी बच्चे हैं, 4 उसके बच्चे हैं, 3 इसके बच्चे हैं, 2 उसके हैं उसको भी पालन-पोषण करना होता है। उसके लिए क्या करना है, कोई योजना नहीं। किसी विभाग में जाएंगे तो वह कहेगा कि मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर डिग्री भी प्राप्त कर लेता है, बी.ए. पास भी हो गया तो वह नार्म्स में नहीं आता इसलिए उसको कोई नौकरी नहीं मिलती। और इसलिए स्वरोजगार योजनाओं को प्रारम्भ करना आवश्यक होगा और

इसलिए जनजाति क्षेत्रीय विभाग की ओर से हमारी यह कोशिश है कि छोटी मिनी आईटीआई या 15 दिन महीने भर ट्रेनिंग का काम इसमें हमने प्रारम्भ किया, मोटर बाइंडिंग का काम, पंखा रिपेयरिंग का काम, फ्रिक रिपेयरिंग का काम, बैण्ड-बाजे बजाने का काम, यह बहुत बड़ा काम है। यह काम तो ये कर सकते हैं । ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह डूंगरपुर में वही बैण्ड-बाजे बजे थे क्या ?

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि इसको मजाक में नहीं लें। मैं कुछ वेदना प्रकट कर रहा हूं। अगर आपके मन में यह होगा तो आने वाले समय में जिस एरिया से आप वोट प्राप्त करते हैं, केवल वोट प्राप्त करने के लिए, आप राजनीति करने के लिए उस क्षेत्र में न जाएं। मैं तो कह रहा हूं कि वास्तव में उस दुःखी का मन अगर परखते हैं तो उसके जीवन का उद्धार भी हम सब को करना पड़ेगा तभी हम टिक पायेंगे। इसके बारे में निश्चित रूप से हमको विचार करना होगा। इसलिए बैंडबाजे का मैं कह रहा हूं कि जो 5वीं, छठी पास हैं उनको हम क्या नौकरी दे सकते हैं? आज एक शादी होती है तो बैंडबाजे वाला कितने पैसे मांगता है? आप अंदाज लगा लीजिये कि कोई 25 हजार रुपये मांगता है, कोई 50 हजार रुपये मांगता है। हर आदमी को यह होता है, पुराना हो, लेकिन बैंडबाजा हो तो अच्छा है। अब होता है, हम बड़े लोगों में तो यह स्थिति हो रही है, क्योंकि सब लोग बैंडबाजे में आ गये इसलिए नीचे का अंतिम छोर का जो व्यक्ति है वह भी सोचता है कि मैं भी मेरे बच्चे की शादी होगी तो बैंडबाजा लाकर के अपने घर में बजाऊंगा। तो वह इच्छा अब पूरी कर रहा है। आप और हम थक गये और इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, अब कोई दूसरा सिस्टम लगाओ तो पता नहीं अब तो नाच-गान में आर्केस्ट्रा और पता नहीं कौन-कौनसी नाच-गान में पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या शादी ब्याह में होता है। मैं नहीं कहना चाहता लेकिन स्थिति आज हमने देखी है और इसलिए हमने कहा है कि कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम यहीं से। सागवाड़ा के अन्दर हमने शुरू किया...

श्री अध्यक्ष: अब तो अंत करो आप।

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इसलिए मैं कह रहा हूं कि 11-11 व्यक्तियों का समूह बनाकर के... (व्यवधान) सुनिये, मैं

निवेदन करना चाहता हूं कि 11-11 व्यक्तियों का समूह बनाकर के जब इनको जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से बैंडबाजे दिये तो लगभग 44 बच्चों को हमने दिया। उन्होंने ट्रेनिंग ली तो सात दिन के अन्दर जो बजाने वाला था उसको हमने पेंमेंट दिया। उसने 10 रोज के अन्दर सिखाया। फिर कहा कि मैं आ रहा हूं उदघाटन करने के लिए, कितना सिखा रहे हो। मैंने 2-3 बार चैकिंग भी की कि वास्तव में ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कला-कार्यक्रम का आयोजन किया। उनका पूरा ड्रेस है। उनको कोई कह नहीं सकता कि ये जनजाति के बालक हैं और ये इस ड्रेस में भी आ सकते हैं और ऐसा बजा भी सकते हैं। तो जब इन्होंने बैंड बजाया तो आप आश्चर्य करोगे कि गरबा नृत्य भी खेला। यह व्यवस्था की है कि अपने गांव में, अपनी बस्ती में जब भी शादी होगी तो इसी बैंड को रखना। और अगर बैंड वाला पांच हजार मांगे तो आप चार हजार लेना और चार हजार नहीं लो तो तीन हजार लेना, आपके ही मौहल्ले की बात है। यह तो अपना भाई है चलो कोई बात नहीं बैंड बजाने का आपको वैसे ही सरकार ने दिया है लेकिन दो हजार भी, तीन हजार जो भी हो, दोगे तो उसकी आमदनी निश्चित रूप से होगी और उसके बाद के काम में वह और मदद करेगा।

एक माननीय सदस्य : रघुवीर सिंहजी मंगायेंगे तो इनके कितने में भेजोगे बाजा?

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं यह फौज इसलिए तैयार कर रहा हूं, यह बैंडबाजा आपके लिए है आपको रवाना करने के लिए, आपको विदा करने के लिए है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्षजी, यह जो बैंड बाजा आप बजा रहे हो, मंत्रीजी, यह पैसा कहां से आ रहा है? यह पैसा कहां से आ रहा है यह तो हिसाब बता दो।

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): स्वरोजगार में भारत सरकार द्वारा पूरे कार्यकाल...

श्री अध्यक्ष: सब जनजाति का है और कहां का है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो बता दो कि यह पैसा कहां से आ रहा है। यह पैसा कहां से आ रहा है यह तो बता दो आप।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक) : पैसा वहीं से आ रहा है जहां बैंड बजना है आगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजस्थान महोत्सव में वहीं का बैंडबाजा लेकर के आना मुख्य मंत्रीजी ताकि वहां के आदिवासियों को रोजगार मिले।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अब की बार तो हमने सुना है कि मुख्य मंत्रीजी तो कुटियाओं में रहेंगी।

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप जितना बोलोगे उतना ही विलम्ब ज्यादा होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अभी तो देखने ही गई थीं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, अब तो उन कुटियाओं में रहेंगे, छप्परों में रहेंगे न अब की बार तो? मुझे पता है हेमराजजी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का पैसा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अपनों को कौन मारता है थोड़ा शांति से रहो। थोड़ा सा आप यह करो, आप यह करिये कि जो पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हो, पूरे पैसे खर्च करो आप।

श्री अध्यक्ष: नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): गत सरकार द्वारा पूरे कार्यकाल में केवल 6224 व्यक्तियों को लाभान्वित किया वहीं इस सरकार ने 11071 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है जिसके अन्दर व्यक्तिगत आय भी उनकी अर्जित हुई है। 2007-08 के अन्दर 1800 जनजाति युवकों को रोजगारोन्मुख व्यवसाय में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे जिस पर दो करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, काफी हो गया।

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यही नहीं, कृषि क्षेत्र के अन्दर भी 2006-07 के अन्दर उद्यानिकी के माध्यम से 11055 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया और इस वर्ष 2006-07 के अन्दर 978 परिवारों को कृषि कुए गहरे कराने से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 50 लाख का प्रावधान कर उसमें कुए गहरे कराने के लिए 25 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

(श्री कनकमल कटारा)

साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे हैण्डपम्पों के अन्दर पानी बना रहे। हमारे इस क्षेत्र के अन्दर जहां पर ट्यूबवैल है उसके अन्दर पानी का जल स्तर रहे, कुओं के अन्दर जल स्तर बना रहे उसके लिए सिंचाई विभाग अपनी पूरी कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन हम यह कर रहे हैं कि छोटे-छोटे एनीकट बनाकर भी ऐसे क्षेत्र में पानी को रोका जाए ताकि इनका जल स्तर ऊंचा उठे। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को। मैंने निवेदन किया था कि बेणेश्वर धाम, हरिद्वार के बाद में अगर कोई बड़ा स्थान है तो यह पवित्र स्थान त्रिवेणी संगम, सोम, माही और जाखम का हमारे माही नदी बेणेश्वर धाम है। इसके लिए वहां पर कई लोग माघ पूर्णिमा के रोज हर साल फरवरी के महीने में मेले के रूप में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। अब तो विदेश से लोग भी देखने के लिए आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में आपका कार्यक्रम बना, कई माननीय मंत्री महोदय भी पधारे, उन्होंने इस मेले को देखा। उसमें आप पधारे थे उस समय गृह मंत्रीजी आदरणीय कटारिया साहब भी थे और उन्होंने कहा था कि कनकमलजी ये नदियां, ये खुले पड़े हैं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसके अन्दर कुछ करो और तत्काल ही हमने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां त्रिवेणी संगम, तीनों नदियां मिलती है वहीं पर इसको बनाना चाहिए। उसका सर्वे करवाया, साढे चार करोड़ रुपये का सबसे बड़ा एनीकट बनाकर के यहां उस काम को पूरा किया। उसका उद्घाटन भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा किया गया है। उसके कारण से एक योजना और की कि उसके अन्दर हमने लिफ्ट लगाई और लिफ्ट लगाकर उन सब आदिवासी भाई जो जितने भी उस क्षेत्र के हैं, मैं यह कह रहा हूं कि 60-40 का रेश्यो है, जनरल दूसरे भी उसका लाभ लें, 60 प्रतिशत जनजाति क्षेत्र के भाई भी रहें, उसके अन्दर लिफ्ट से सिंचाई करके उन खेतों को पानी पहुंचाया जाएगा जिसके कारण से वहां पर खेती होगी। उसके अन्दर बेरोजगार व्यक्ति है, किसान ऐसा है जिसके कारण से बाहर कमाने जाए तो वहां पर मजदूरी बराबर नहीं मिलती तो अब यह स्थायी रोजगार की पलायन रोकने के लिए व्यवस्था की है। आज हमने वहां बेणेश्वर धाम पर भी लिफ्ट इर्रिगेशन करके उसमें उन काश्तकारों को लाभ देने की योजना बनाई है और बना रहे हैं जिसके कारण से उनको लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में 222

(श्री कनकमल कटारा)

एनीकटों का निर्माण करवाया गया जिसके कारण से आज भी वहां इतनी बारिश हुई लेकिन फिर भी, मैं यह नहीं कहता कि पूरे, 2-4 ऐसे भी हो सकते हैं जिसके कारण से उसकी ऊपरी टूटी हो लेकिन फिर भी गुणवत्ता से बने जिसके कारण से पानी आज भी इसके अन्दर रह रहा है। 2007-08 में सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करने के लिए एनीकट के निर्माण में 11 करोड़ 36 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

सामुदायिक जलोत्थान, जिसके बारे में माननीय मीणाजी भी चर्चा करते रहते हैं और उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया है कि हमारी बंद पड़ी लिफ्टें हैं उनको चालू करें। इस बात का तो उत्तर मैं आपको एक वाक्य में देता हूं कि आपकी बंद पड़ी लिफ्टों को हम चालू करवा देंगे, आप उसमें चिंता नहीं करें। हम तो सोच रहे हैं कि ऐसी लिफ्ट और भी अधिक लगे इसके लिए भी हमने पूरी कोशिश की है। पिछले समय में हमने एक स्थान पर जहां नदी के किनारे पर 120 करोड़ रुपये की लिफ्ट का प्रावधान कर दिया, उसका काम चालू है, पोल भी डल रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका लाभ हम ले पायेंगे। 87 सामुदायिक जलोत्थान योजनाएं पूर्ण की गई हैं जिन पर 5 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर एक हजार परिवार लाभान्वित हुए हैं। पिछले समय में उस क्षेत्र के अन्दर जो मेरे पास में रिपोर्ट है, आपने अभी बताया है, इसके पहले मेरे ध्यान में आ जाता तो 121 लिफ्टें पुनर्जीवित की हैं जो बंद पड़ी थीं। 101 लिफ्ट पुनर्जीवित कर इन सब भाइयों को कहा कि लिफ्टें लीजिये और चलाइये और उसके अन्दर आप अपने खेतों में पानी ले जाइये। उसमें फल, सब्जी और गेहूं इत्यादि फसल उगाइये, जिसके कारण से आपको उसका लाभ मिल सकता है। वर्ष 2007-2008 में सामुदायिक जलोत्थान योजना में तीन करोड़ 33 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यह लिफ्ट बंद पड़ जाती हैं। उसका कारण है, पिछले समय से पानी नहीं गिरा। कई ऐसे कारण रहे लेकिन इन लिफ्टों को चालू कराने के बारे में सम्माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, अपने क्षेत्र में जहां लिफ्ट होगी, उसकी देखरेख किस प्रकार की जानी है, उसकी मोनेटरिंग कैसे होगी। हमने बनाकर दे दिया कि डी.आर.डी.ए. के माध्यम से डी.आर.डी.ए. को, जनजाति की ओर से जनजाति विभाग को, किसी और संस्था की तरफ से, उसकी तरफ से बनाने का काम किया होगा। लेकिन

(श्री कनकमल कटारा)

उसको लम्बे समय तक काश्तकार चला नहीं पाते हैं क्योंकि उसके अन्दर सामन्जस्य नहीं रहता है जिसके कारण से लिफ्टें बंद हो जाती हैं। और उसके कारण से हमारे यह परिस्थिति रही है कि इसमें हम इसको आगे आने वाले समय में चिंता जाहिर करते रहे। मैंने कहा नहीं, उसके लिए स्थाई रूप से कोई कमेटी गठित करनी चाहिए जिसके कारण से वह बंद होती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए हमने कहा कि इसके लिए पंचायत समिति का बी.डी.ओ. जिम्मेदार होगा। उसके अन्दर जो जे.ईएन. होता है, वह देखरेख करे और आर.एस.ई.बी. का जे.ईएन. उसके अन्दर है, जो लाइट कनेक्शन कर जाता है, वह क्यों कटा, किसने काटा? अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको काट ले, नहीं उपयोग करते हैं तो उसको यथावत रखें। उसकी निगरानी भी आर.एस.ई.बी. का जे.ईएन. रखेगा और इसके लिए दो काश्तकार उस समिति के अन्दर हैं और दो जनप्रतिनिधि हैं और पी.ओ.टी. कार्यालय का एक व्यक्ति होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ये जितनी भी जलोत्थान योजना हैं, वह चल इसलिए नहीं पाती हैं कि इनका कामर्शियल चार्जेज लेती है आर.एस.ई.बी., इसके कारण से वह आदिवासी इतना पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका जो एग्रीकल्चर चार्जेज है, वह अगर हो जाता है तब वह उसका मेन्टेन कर पायेंगे, बाकी नहीं हो पायेगा।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने चिंता जाहिर की है...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप भी एक घंटा 22 मिनट लेंगे? उससे कम में काम चला लेंगे, यह भी बताओ। यह तो बताओ आप।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने जो चिंता जाहिर की है, उसमें मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था और कृषि रेट के आधार पर उन्होंने कर दिया है। इसका प्रावधान है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसके कारण से इन काश्तकारों को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: 9 बजकर 42 मिनट हो गये हैं। माननीय मंत्रीजी, जरा घड़ी की तरफ देखिये, 9 बजकर 42 मिनट हो गये हैं। तो आप भी पूरे एक घंटा 22 मिनट लेंगे? यह है क्या?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 42 गांवों के लिए समग्र विकास योजना में पढ़ाई करानी चाहिए, जिसमें 6000...(व्यवधान) किया जा रहा है। बथोड़ी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत भी इस वर्ष तीन करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लेट नम्बर आ रहा है, सब माननीय सदस्यों को जाने की जल्दी है। लेकिन यह छोटा विभाग जैसा भी समझें, गरीब लोगों का यह जो विभाग है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यह प्रचार-प्रसार नहीं है। जब यह कहने का अवसर आया तो निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आपको भी ध्यान होना चाहिए कि मेरे उस गरीब भाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर हमने सामग्री देने की पूरी कोशिश की है, इस बार प्रचार-प्रसार करके कोशिश पूरी करेंगे ताकि इसका लाभ निश्चित रूप से लें। आप कह रहे हैं कि इसका बजट का प्रावधान है कि इतना व्यय नहीं हुआ, इतना व्यय है, यह केन्द्र सरकार का है। जितना लेट आता है, फिर यह व्यय नहीं करने से, यह बी.पी.एल. के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर बजट का प्रावधान होना चाहिए। वह सब करने जा रहे हैं जिसके कारण से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मंत्रीजी, आप वह खाली जगह वार्डन की, उसकी स्पेसिफिक भर्ती के लिए कोई कमेटी बना रहे हैं या अपना कोई तकनीकी अधिकारी लगा रहे हैं, क्या हुआ, उसके बारे में आप कुछ करने वाले हैं क्या?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, जो स्थिति हम सब ने देखी है, उसके लिए हमने पूरी कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जो प्रश्न यहां नहीं उठाये गये हैं, उनका आपको उत्तर देना आवश्यक नहीं है। आप तो जो कटौती के प्रस्ताव हैं, उन्हीं का दे दो।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सदस्यों ने जो बात कही थी...

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री

महोदय से एक बात पूछूंगा। मैंने विशेष रूप से बहुत जोर इस बात पर दिया था, सरकार ने आदिवासी को नमक बांटा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं यह बात कर रहा हूं। मैं इसका जवाब दे रहा हूं ना मेरे जवाब देने के बाद में आप बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उस नमक हलाली नहीं करके नमक हरामी की थी क्योंकि...(व्यवधान) आप बैंड बजाने लग गये और आप साइकिल बांटते-बांटते बैंड बजाने लग गये। मुझे लगा कि वह पाइंट ही भूल गये हैं आप। मैंने सोचा कि आप अपनी बात खतम कर रहे हैं। बताओ बताओ।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं, दे रहे हैं जवाब।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्योंकि आपने कहा था कि नमक में घोटाला हो गया। आपने यह कहा था कि नमक में घोटाला हुआ, नमक में कोई घोटाला नहीं हुआ। हमने जांच भी करवा ली इसकी। उसमें तीन लोग थे। सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी और सांभर साल्ट का एक प्रतिनिधि। उनसे जांच करवाई जिसके कारण इसमें उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस नमक में आयोडीन की मात्रा न्यूनतम 15 पीपीएम होनी चाहिए। जांच कराने पर डूंगरपुर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर और अलग-अलग तहसीलों में, उन क्षेत्रों में उसकी जांच की गई तो 15 पीपीएम से ऊपर ही उसमें पाया गया, नीचे नहीं पाया गया, जिसके कारण से कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें नमक नहीं हो और इसलिए...

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह सरासर गलत है। मैं तो यह कह रहा हूं कि ठीक इन्क्वायरी करो। हमारा आरोप है, सांभर साल्ट की नमक पैदा करने की जो खदान है, कडाना कम्पनी है, उसने एम.ओ.यू. किया था। उन्होंने प्लांट लगाया और उच्च कोटि का जो नमक पैदा होगा, उस नमक को बांटने का था।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसकी रिपोर्ट मेरे पास में है। इसमें जैसी आपकी व्यथा थी, इसमें तुरन्त एक्शन लिया और इसकी रिपोर्ट आई है पूरी और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पूरी जांच

में 15 पीपीएम से ऊपर आया है। इससे ऊपर का जब आता है तो नमक की बराबर मात्रा है, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई भविष्य में भी आपको कोई लगता है तो मुझे स्पेशल बात कर लेना अलग से, मैं आपको बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): जो जांच करा रहे हैं सांभर साल्ट से और हम कह रहे हैं सांभर साल्ट से मत कराइये। हां, सांभर साल्ट के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान) मंत्रीजी, मेरी सुन लो, आप हमारी बात सुन लो। एक बात आप बात सुन तो लो, सुनने में क्या दिक्कत हो रही है आपको। सुन लो, सुन लो, सुनने में क्या दिक्कत है आपको। (व्यवधान) हमारा आरोप है, हमारा आरोप यह था, हमारा सांभर साल्ट के ऊपर आरोप था कि उनके पास में अच्छी क्वालिटी का नमक पैदा होता है, वह तो दूसरी जगह भेज रहे हैं। कडाना की कम्पनी से उन्होंने एम.ओ.यू. किया। वहां 7000 मैट्रिक टन उच्च क्वालिटी का नमक पैदा हुआ। वह तो उन्होंने एक नावां की कम्पनी को बेच दिया और वहां से 20 प्रतिशत कम आयोडीन का, सोडियम क्लोराइड उसमें कम था, उसके बावजूद भी महंगा नमक खरीदकर उन लोगों को दिया।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं निवेदन कर रहा था कि 15 पीपीएम तक तो वेलिड है। 15 पीपीएम से ऊपर है तो दिक्कत कहां आ रही है और उसकी जांच रिपोर्ट यह है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हम कह रहे हैं कि सांभर साल्ट के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं और आप जांच उनसे करवा रहे हो। सांभर साल्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह केवल इसकी जांच यहां नहीं होती है, दिल्ली में जांच होती है, कोई यह अकेले नहीं होती है, जिस तरह की आप बात कर रहे हो। उसकी जांच यहां नहीं होती है। ओरिजिनल महिला बाल विकास विभाग की जो बहिनें हैं, सी.डी.पी.ओ. और उनकी एल.ए.एस. हैं, उनको भी हमने दे दिये हैं उसकी जांच करने के लिए और वह भी जांच करके दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय मंत्रीजी गलत तथ्य दे रहे हैं। इनसे तो बेकार ही चर्चा करना है। (व्यवधान) क्या इस समग्र विकास

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो कोई नहीं कहना है? मंत्रीजी स्वयं भी उनकी हामी कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुन: जांच करायेंगे क्या आप?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर एक बात और कही थी। आपने एक खेलकूद विभाग में एकलव्य योजना के बारे में, खेल प्रतिभावान छात्रों के सम्बन्ध में यह बात कही थी और जिसके अन्दर ट्रेंड और कैसे लोग हों? तीरंदाजी के बारे में पता नहीं आपने क्या-क्या बात कही? मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और खेल-कूद मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो तीन प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी जिसके तहत आज दिन तक भी श्यामलाल और लिम्बाराम को कोई नौकरी नहीं दे सके लेकिन वर्तमान सरकार ने इनको नौकरी देने का काम किया है। इसमें एक और खेल छात्र लोधा के लिए मैंने खुद ने निवेदन किया कि ले आइये इनको कि अगर 10वीं पास नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे बाप-दादा भी अगर तीर-कमान चलाते हैं तो उसके लिए कोई बी.ए. पास नहीं चाहिए, कोई एम.ए. पास नहीं चाहिए। तीर तो वैसे ही चलता है। उसके अन्दर वह ट्रेंड है इसलिए चिंता की बात नहीं है। लिम्बारामजी चलिये। इसको फर्स्ट ग्रेड में बनाकर रखा है और यह श्यामलाल को भी इसके अन्दर रखा है और लोधाजी, श्यामलाल और खैरवाड़ा के अन्दर सूरज किरणियान तीरंदाजी में है और उदयपुर में गिरधारी सिंह तीरंदाजी में है और लिम्बाराम जो अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वह जयपुर के अन्दर यहां पर है। वह उनके लिए ट्रेंड है, अनट्रेंड नहीं है। धनुष के लिए आप फिर सुनो। आप सुनो धनुष के लिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ओलम्पियन्स ढूंढते नहीं है। उसका धनुष तो ओलम्पिक में जो धनुष काम में लिया था, उसका धनुष तो वह कोच बेच खाया। मूलचन्दजी ने जो ओलम्पिक में जो धनुष काम में लिया था, वह तो कोच बेच खाया है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं कह रहा हूं, बात सुनो। धनुष की बात जब आई तो जनजातीय क्षेत्र में 14 लाख रुपये की सामग्री, उसमें 1.25 लाख, 1.00 लाख, 75000 रुपये और इस तरह से धनुष सहित 14 लाख रुपये की खेल सामग्री हमने खरीद करके उस खेल छात्रावास में रखेंगे जिसका उदयपुर, डूंगरपुर, सब जगह उसका उपयोग कर रहे हैं।

(श्री कनकमल कटारा)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जीतमलजी खांट, जो बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, ने यह व्यथा बताई थी कि आई.ए.एस. और आर.ए.एस. में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपने करीब-करीब सब का जवाब दे दिया है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): छह छात्राएं हैं, छह छात्राओं की भर्ती की बात है। उन फर्जी डिग्री की जांच करवाई।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, एक प्रश्न मेरा है। मंत्री महोदय, एक प्रश्न मेरा है। आपका तीर तो निशाने पर लग गया। मंत्री महोदय का तीर तो निशाने पर लग गया।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जांच करने के बाद उनको नियमित कर दिया गया और उदयपुर में उसी क्षेत्र के लोगों को वहां पर इनका सलेक्शन किया गया है। इसलिए वहां पर...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, मंत्री महोदय, आपका जो सब ट्राइबल प्लान एरिया है, मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा: आश्रम छात्रावास में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपने दे तो दिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है मेरा।

श्री कनकमल कटारा: उदयपुर ग्रामीण से आने वाली सदस्या ने कहा था कि कुर्सी-टेबल का प्रावधान, निश्चित रूप से छात्रावासों में कुर्सी-टेबल...

श्री अध्यक्ष: आपके जवाब से सब माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये। सब संतुष्ट हो गये।

श्री कनकमल कटारा: प्रस्ताव विचाराधीन है, निश्चित रूप से हम उसकी पालना करके इनको देंगे। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्री महोदय, ट्राइबल सब प्लान एरिया के बाहर जिस क्षेत्र में टाडा और माडा नहीं है वहां ट्राइबल रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो?

श्री कनकमल कटारा: अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुसूचित क्षेत्र में भी उन्होंने एक मांग की थी, बड़गांव पंचायत समिति, पैंतीस ग्राम गिरवा पंचायत समिति के शेष, इन 108 गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है। इसको शीघ्र से शीघ्र हम भिजवा देंगे और जो भी सर्वे करके, माडा, टाडा, जिस क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं उसका सर्वे कराकर हम निश्चित रूप से भारत सरकार को भेजेंगे ताकि इन सब भाइयों को लाभ मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं....

श्री अध्यक्ष: अब बिराजो आप। अब बस, बहुत अच्छा। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र में जनजाति के सभी भाइयों का त्याग, समर्पण और बलिदान जो हुआ है उसके लिए भी और जिनकी निष्ठा और त्याग को प्रतीक मानते हैं जो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसमें मानगढ़ धाम के अंदर जो साढ़े तीन हजार जनजाति भाई मरे, उनका आज दिन तक कोई नाम लेने वाला नहीं, न कोई इतिहास में नाम है। इसलिए इतिहास की पुनर्रचना करें माननीय शिक्षा मंत्रीजी, तो उसमें भी यह बात तय करें कि वाकई में ऐसे लोग कौन हैं जिन्होंने इस देश के लिए समर्पित होकर, जो अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने संघर्ष करते-करते अपने जीवन का बलिदान कर दिया, ऐसे लोगों की पूछ कौन करेगा। ऐसे नानाभाई, कालीभाई, जिन्होंने डूंगरपुर के अंदर शिक्षा के लिए अपना पूरा सर्वस्व बलिदान दे दिया। ऐसे ही इस क्षेत्र के अंदर मैं सोच रहा हूं कि डूंगरपुर में डूंगरिया भील ने डूंगरपुर को बसाया। बादशाह भील ने बांसवाड़ा को बसाया। ऐसे ही हमारे भोराईपाल, जो ऋषभदेव के पास में भोराईपाल है जिसमें मोहनजी भाई करके नाम है, उसका आज भी लोक गीत में वहां के क्षेत्र के लोग गाते हैं, ऐसे क्षेत्र में ऐसे समर्पित और ऐसे वहां पर शासक रहे हुए, ऐसे समर्पित लोग, ऐसे बलिदानी हुए, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से याद करना चाहिए। और इतिहास में भी इनका नाम जोड़ना चाहिए ताकि पता लगे कि वास्तव में इस क्षेत्र में जनजाति भाइयों का क्या बलिदान रहा है। ऐसे सभी इनकी संतानें हैं, यह अभी भी गरीब रहे हैं, यह हमारे लिए बड़े दुःख की बात होगी। इसलिए आप और हम सब ऐसे विचार रखें और उसके अंदर विचार ही नहीं, अपने क्षेत्र में जाकर के केवल एक दिन नहीं जायें, आप पांच साल में एक बार नहीं जायें, इसमें पांच साल में पांच सौ बार जाकर के उनकी खैर-खबर लें ताकि पटवारी से लेकर के ऊपर पंचायत समिति बीडीओ से लेकर

(श्री कनकमल कटारा)

एसडीओ, तहसीलदार और कलक्टर तक वह भाई निसंकोच होकर के वहां पहुंचे, एक किलोमीटर से जूता बाहर निकाल-निकाल कर दब-दब कर जाता है, उस समय कष्ट होना चाहिए हम सब को। वाकई में यह परिस्थिति क्या है? यह कब हो जायेगी ऐसी स्थिति, इसके लिए हम सब पूरी कोशिश करें कि वाकई में हम उसको उस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमारा मन, सब का मन है। यही आग्रह करते हुए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि मांग 30 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,93,37,25,000 (रुपये आठ अरब तिरानवे करोड़ सैंतीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 30 स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरूवार, दिनांक 22 मार्च, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.54 बजे, गुरुवार, 22 मार्च, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सहायक ग्राम सचिव को देय वेतन में वृद्धि

194. श्री बत्तीलाल मीणा (टोड़ाभीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक सचिव से ग्राम सेवक पदेन सचिव पद पर पदस्थापितों का वेतन मात्र 1200 रुपये प्रतिमाह है?

(2) क्या सरकार ग्राम सेवक पदेन सचिवों को चयनित वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहायक सचिव से ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर निर्धारित योग्यता रखने वालों को 1200 रुपये प्रतिमाह पर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर समायोजित किया गया था। बाद में दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाने के आदेश जारी किये गये। दिनांक 15.03.2007 को इन कर्मचारियों को 3000/- रुपये प्रतिमाह वेतन देने की घोषणा की जा चुकी है। तदनुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को पूर्व से ही चयनित वेतनमान दिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या-195

(स्थगित)

स्थगि प्रश्न दिनांक 2 मार्च, 2007

चैम्पियन्स ट्राफी के क्रिकेट मैच से आय

6. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) एवं **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में चैम्पियन्स ट्राफी मैचों के आयोजन के समय राजस्थान क्रिकेट अकादमी द्वारा टिकट एवं पास छपवाये गये थे? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के कुल कितने टिकट छपवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मैचों के टिकटों में कुछ आर.सी. गेस्ट के रूप में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मुक्त पास (कम्पलीमेन्ट्री) जारी किये गये थे? यदि हां, तो किन-किन लोगों को कितनी राशि के व किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मैचों के आयोजन हेतु प्रदेश के किन्हीं राजकीय उपक्रमों व संस्थाओं ने राजस्थान क्रिकेट अकादमी को धनराशि भेंट की थी? यदि हां, तो किन-किन ने कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रिकेट अकादमी द्वारा इस आयोजन के लेखों का संधारण व अंकेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्ष 2006 में माह अक्टूबर से नवम्बर, 2006 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम पर चैम्पियन्स ट्राफी के 6 क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया।

राजस्थान क्रिकेट संघ ने अपने पत्र दिनांक 2.3.2007 के द्वारा परिषद को सूचित किया है कि जयपुर में सम्पन्न आई.सी.सी. चैम्पियनशिप ट्राफी के टिकिट जयपुर में प्रिन्ट नहीं करवाये गये थे। चैम्पियनशिप ट्राफी का आयोजन आई.सी.सी. द्वारा किया गया था और टिकटों की प्रिन्टिंग बी.सी.सी.आई. द्वारा करवायी गई थी।

राजस्थान क्रिकेट संघ से प्राप्त जवाब के अनुसार मैचों के लिये पास नहीं थे, लेकिन बी.सी.सी.आई. और आई.सी.सी.आई. के बीच हुये अनुबन्ध के तहत स्टेडियम के उत्तरी और दक्षिणी भाग के कुछ ब्लाक्स कम्पलीमैन्ट्री ब्लाक्स के रूप में काम में लिये गये थे।

(2) राजस्थान क्रिकेट संघ ने अपने पत्र दिनांक 2.3.2007 के द्वारा सूचित किया है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये सार्वजनिक चर्चा के दायरे से बाहर है। इसकी सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 4 में आपराधिक शिकायत संख्या 1603/2006 हरि सिंह विरुद्ध ललित मोदी व अन्य विचाराधीन है। अत: इस सवाल का जवाब तब ही दिया जा सकता है, जब इस केस का निर्णय हो जायेगा।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान क्रिकेट संघ ने अपने पत्र दिनांक 2.3.2007 के द्वारा सूचित किया गया है कि चैम्पियनशिप ट्राफी का हिसाब-किताब के मिलान का

(युवा एवं खेल मंत्री)

कार्य चल रहा है। आई.सी.सी. ने बी.सी.सी.आई. के स्तर पर लेखों को देखने हेतु आडिटरों की नियुक्ति की है, जो हिसाब देखेंगे।

फीडर सुधार कार्यक्रम पर व्यय

196. श्री अमराराम धोद (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा फीडर रिनोवेशन पर जनवरी, 2007 तक कितना व्यय किया गया तथा इससे छीजत में कितनी प्रतिशत कमी आई?

(2) क्या यह सही है कि सुपर ट्रांसफार्मर वास्तविक उपभोग से अधिक रिडिंग बताता है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई?

(3) राज्य में फीडर रिनोवेशन पर अनुमानित व्यय कितना होगा तथा सम्पूर्ण 11 के.वी. फीडरों का रिनोवेशन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) फीडर रिनोवेशन पर माह जनवरी, 2007 तक, कुल 664.74 करोड़ रु. व्यय किया गया है इससे विद्युत छीजत में जनवरी, 2006 से जनवरी, 2007 के मध्य लगभग 4.88 प्रतिशत कमी आई है।

(2) जी नहीं।

(3) फीडर रेनोवेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 के.वी. के 8475 फीडरों पर कुल 3914 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। यह कार्य वर्ष 2008-09 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

प्रश्न संख्या-197

(स्थगित)

तिजारा (अलवर) नगरपालिका की आय में वृद्धि हेतु उपाय

198. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगरपालिका, तिजारा जिला अलवर को अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2003 से अब तक कब और कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तिजारा तहसील में होने वाली भूमि व भवन की रजिस्ट्री पर निश्चित प्रतिशत सरचार्ज के रूप में लगाकर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो आर्थिक स्थिति ठीक करने के अन्य क्या उपाय हैं?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2003 से नगर पालिका तिजारा को दिये गए अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। नगर पालिका तिजारा द्वारा पालिका क्षेत्र में अवस्थित सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर ½ प्रतिशत सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव पारित कर बाइ-लाज सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं, जो अनुमोदन की प्रक्रिया में है। नगर पालिकाएं, नगर पालिका अधिनियम, 1959 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपनी आय में वृद्धि के लिये कर लगा सकती है। इसके अलावा भूमि आबंटन से, लीज मनी से, भूमि रूपान्तरण इत्यादि से भी आय प्राप्त कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती है।

परिशिष्ट-''अ''

नगर पालिका तिजारा को वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक दिए गए अनुदान का मदवार विवरण

क्र. सं.	मदनाम	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
1	चुंगी पुनर्भरण	08.05.2003	167000	10.05.2004	175000	19.05.2005	201000	12.05.2006	222000
		31.05.2003	167000	17.05.2004	28000	31.05.2005	201000	31.05.2006	222000
		30.06.2003	167000	17.05.2004	14000	30.06.2005	201000	30.06.2006	222000
		31.07.2003	167000	31.05.2004	175000	08.08.2005	201000	31.07.2006	222000
		30.08.2003	167000	30.06.2004	175000	31.08.2005	201000	31.08.2006	222000
		30.09.2003	167000	05.08.2004	175000	09.10.2005	201000	29.09.2006	222000
		31.10.2003	167000	31.08.2004	175000	22.10.2005	201000	31.10.2006	222000
		28.11.2003	167000	30.09.2004	175000	30.11.2005	201000	30.11.2006	222000
		31.12.2003	167000	30.10.2004	175000	31.12.2005	201000	31.12.2006	222000
		31.01.2004	167000	30.11.2004	175000	31.01.2006	201000	31.01.2007	222000
		28.02.2004	167000	30.11.2004	14000	28.02.2006	201000	28.02.2007	222000

क्र. सं.	मदनाम	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
		31.03.2004	167000	31.12.2004	14000	23.03.2006	12000		
				31.12.2004	175000	31.03.2006	201000		
				31.01.2005	175000				
				31.03.2005	350000				
				31.03.2005	28000				
		Total	**2004000**	**Total**	**2198000**	**Total**	**2424000**	**Total**	**2442000**

2	सामान्य अनुदान	18.10.2003	181983	31.07.2004	192488	28.07.2005	144250	31.07.2006	11629
		01.11.2003	79096	31.10.2004	384512	09.12.2005	288498	31.08.2006	11634
		03.12.2003	79096			02.01.2006	48083	29.09.2006	11634
		01.01.2004	79096			01.02.2006	48083	31.10.2006	11634
		05.02.2004	79096			01.03.2006	48083	30.11.2006	11634
		10.03.2004	79096					31.12.2006	11634

						31.1.20007		11634	
क्र.सं.	मदनाम	वर्ष 2003-2004		वर्ष 2004-20005		वर्ष 2005-2006		वर्ष 2006-2007	
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
								28.02.2007	11634
								P.F. & Other Deduction	483933
		Total	**577463**	**total**	**577000**	**Total**	**576997**	**Total**	**577000**
3	राज्यवित्त आयोग	28.02.2004	247000	25.05.2004	209000	03.06.2005	1400000	30.10.2006	158000
		25.03.2004	247000	01.10.2004	51000				
				06.11.2004	51000				
				01.12.2004	51000				
				01.12.2004	51000				
				01.01.2005	51000				
				02.02.2005	51000				
				17.03.2005	304000				
		Total	**4940000**	**Total**	**819000**	**Total**	**1400000**	**Total**	**158000**

क्र.सं.	मदनाम	वर्ष 2003-2004		वर्ष 2004-2005		वर्ष 2005-2006		वर्ष 2006-2007	
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
4	11वां वित्त आयोग	31.12.2003	108000	29.09.2004	180000	Nil	Nil	Nil	Nil
		01.01.2004	36000	11.03.2005	179000				
		05.02.2004	36000	12.03.2005	179000				
		10.02.2004	144000		179000				
		10.03.2004	36000						
		Total	**360000**	**Total**	**538000**				
5	12वां वित्त आयोग	Nil	NIL	NIL	NIL	22.02.2006	613000	14.02.2007	404000
						31.03.2006	194000		
						Total	**807000**	**Total**	**404000**

पंचायत राज विभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाले हैण्डपम्पों की राशि में वृद्धि

199. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लगाये जाने वाले हैण्डपम्पों की लागत 60 हजार रुपये एवं ग्राम पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले हैण्डपम्प की लागत 33 हजार रुपये प्रति हैण्डपम्प निर्धारित है? यदि हां, तो एक समान कार्य हेतु इतना विरोधाभास क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतों को भी प्रति हैण्डपम्प 60 हजार रुपये का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

छात्रावासों हेतु क्रय की गई सामग्री में अनियमितताएं

200. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में छात्रावासों के लिये कितनी राशि की सामग्री किस-किस संस्था/फर्म से क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वित्त विभाग ने निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बिना टेंडर के सामान क्रय किये जाने पर आपत्ति करते हुये पत्र लिखा है? यदि हां, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को यह पत्र कब प्राप्त हुआ और इस पर क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि क्रय से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन आवश्यक था? यदि हां, तो क्या अनुमोदन प्राप्त किया गया? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों व इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में छात्रावासों के लिये संस्था/फर्म से क्रय की गई

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

सामग्री तथा राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। विभाग को यह पत्र दिनांक 18.4.2006 को प्राप्त हुआ जिसका प्रतिउत्तर वित्त विभाग को दिनांक 17.05.2006 को दिया गया। पत्र की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट–'ब' एवं 'स' सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) वित्त विभाग से केन्द्रीयकृत खरीद की सहमति आवश्यक होने के कारण विभाग द्वारा आई.डी. संख्या 661 दिनांक 1.1.2005, 585 दिनांक 03.10.2005 एवं 166 दिनांक 27.3.2006 द्वारा सहमति प्राप्त की गई थी। विभाग द्वारा वस्त्रों की खरीद वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.3.97 परिशिष्ट 'द' के निर्देशानुसार उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.9.19997 एवं 09.01.2001 परिशिष्ट 'य' निर्धारित दरों एवं विशिष्टयों के अनुसार खरीद की गई। विभाग द्वारा बिस्तरों की खरीद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों एवं राजकीय उपक्रम राजस्थान हाथकरघा विकास निगम से की गई है उसमें किसी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं है इसलिए कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजगढ़ (चूरू) तहसील में शराब तस्करी के दर्ज प्रकरण

201. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हरियाणा राज्य से राजस्थान में शराब की तस्करी होती है? यदि हां, तो तहसील राजगढ़ (चूरू) में शराब तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज हुए?

(2) सरकार शराब तस्करी रोकने के लिए क्या प्रयास करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में चालू वित्तीय वर्ष में हरियाणा निर्मित मदिरा के 23 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

(2) विभाग द्वारा शराब की तस्करी रोकने हेतु हरियाणा राज्य की सीमा पर निरन्तर चौकसी एवं गश्त की जा रही है तथा आबकारी निरोधक दल पार्टियों के सहयोग से उच्चाधिकारियों के निर्देशन में विशेष आबकारी धावों

(आबकारी मंत्री)

का आयोजन भी किया जा रहा है। तथा पूर्ण सतर्कता से कार्यवाही की जाकर शराब की तस्करी रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

उप खण्ड निम्बाहेड़ा में क्रीड़ा उप केन्द्र की स्थापना

202. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में क्रीड़ा उप केन्द्र (स्पोर्टस सब सेन्टर) खोले गये हैं? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले में केन्द्र कहां-कहां व कब से खुले हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा क्रीड़ा उप केन्द्र खोलने के लिए मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय निम्बाहेड़ा में क्रीड़ा उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को एवं प्रतापगढ़ में 3 मई, 2003 को खेल उप केन्द्र खोले गये हैं।

(2) क्रीडा परिषद द्वारा जिले में खेल उप केन्द्र खेल सुविधा, परिणाम को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं।

(3) जी हां। निम्बाहेड़ा में क्रीड़ा उप केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है एवं शीघ्र ही उप केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।

विधायकों को क्षेत्रीय दौरे हेतु आवास/वाहन सुविधा

203. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर रहने वाले अन्य विधान सभा क्षेत्र के विधायकों सहित स्थानीय विधायक को जिला मुख्यालय पर स्थित सर्किट हाऊस का उपयोग करने पर प्रतिबंध है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा प्रसारित परिपत्र के अनुसार जिले के विधायकों को माह में 10 दिन वाहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश है? यदि हां, तो किस-किस जिला कलक्टर ने यह सुविधा देना प्रारम्भ कर दिया है?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(3) क्या पूर्व में जिला पूल में गाड़ी उपलब्ध न होने या एक से अधिक वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें किराये पर वाहन लेकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में जिला कलक्टर ने किराये पर लेकर वाहन उपलब्ध कराये और किस-किस जिला कलक्टर ने वाहन उपलब्ध नहीं कराये व उसके क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार निर्धारित समय पर जिला कलक्टर द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में विधायकों को उसी दर पर अपने स्वयं के वाहन अथवा किराये पर वाहन लेकर विधान सभा क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक वाहन का प्रयोग करने की स्वीकृति देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय सर्किट हाउस नियमावली के प्रावधानानुसार जिस जिले के निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक निर्वाचित है, यदि उक्त निर्वाचन क्षेत्र जिला मुख्यालय से दूर है, तथा उक्त जिला मुख्यालय विशेष पर माननीय विधायक को ना तो कोई राजकीय आवास आबंटित है, और ना ही कोई स्वयं का निजी आवास है, तथा स्थानीय निवासी भी नही है तो उक्त प्रावधानानुसार माननीय विधायक राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर निर्धारित अवधि तक जिला मुख्यालय पर स्थित विश्राम भवन में रियायती दर पर ठहर सकते हैं। विश्राम भवन, जयपुर में उक्त प्रावधानानुसार सुविधा देय नहीं है।

(2) जी हां। मोटर गैराज विभाग द्वारा प्रसारित पत्र दिनांक 3.3.2005 द्वारा जिले के माननीय विधायकों को माह में 10 दिन वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये हैं तथा इसकी पालना वाहन की उपलब्धता अनुसार सभी जिला कलक्टरों द्वारा की जा रही है।

(3) जी हां। मोटर गैराज द्वारा प्रसारित उक्त निर्देशों द्वारा माननीय विधायकगणों की मांग के समय जिला पूल में गाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर जिला कलक्टरों को किराये पर वाहन लेकर उन्हें उपलब्ध कराने हेतु भी अधिकृत किया गया है, जिसकी पालना आवश्यकतानुसार सभी जिला कलक्टरों द्वारा की जा रही है।

(4) जी नहीं।

आवासन मण्डल बारां द्वारा अवाप्त शुदा भूमि का बेचान

204. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमराज मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल बारां द्वारा 19.13. हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो कब व अवाप्त शुदा भूमि का बेचान किस कारण किया गया?

(2) क्या यह सही है कि अवाप्त शुदा भूमि में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये थे?

(3) उक्त भूमि बेचान में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई?

(4) क्या सरकार उक्त मामले की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम नलका (बारां) में 19.13 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई। इसके लिए धारा 17(4) की अधिसूचना दिनांक 13.08.1999 को जारी हुई व मण्डल को दिनांक 17.04.2000 को कब्जा सम्भलाया गया। इस भूमि का दिनांक 10.04.2002 को अवार्ड जारी हुआ। भूमि के एक खातेदार श्री नन्द लाल आत्मज श्री हरनारायण धाकड़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए खसरा नम्बर 435 की 7.78 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 02.06.2005 को कर दिया गया।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2000 को यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये।

(3) उक्त भूमि बेचान में जिम्मेदार अधिकारी क्रमश: श्री जगन्नाथ मीणा तहसीलदार बारां व नाथू लाल मीणा उप पंजीयक बारां है।

(4) प्रकरण में जिला कलक्टर बारां द्वारा जांच उप जिला कलक्टर बारां से कराई गई। उप जिला कलक्टर बारां ने अपनी जांच में प्रथम दृष्टया तत्कालीन उप पंजीयक श्री नाथू लाल मीणा एवं तत्कालीन तहसीलदार श्री जगन्नाथ मीणा को दोषी पाया। जिला कलक्टर बारां द्वारा श्री जगन्नाथ मीणा तहसीलदार बारां के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, जो विचाराधीन है। श्री नाथू लाल मीणा तत्कालीन उप पंजीयक के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को निवेदन किया जा चुका है।

अजमेर जिले की पेराफेरी पंचायतों को आबादी भूमि स्वीकृति के अधिकार

205. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में कितनी ग्राम पंचयत व ग्राम पेराफेरी की सूची में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पेराफेरी पंचायतों को आबादी भूमि देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पेराफेरी गांवों में पंचायतों को आबादी भूमि का पट्टा देने का अधिकार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पेराफेरी पंचायतों की जो जमीन नगर सुधार न्यास/पालिका/परिषद में आ गई है, को निरस्त कर पंचायतों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की 43 ग्राम पंचायतों के 111 राजस्व ग्राम नगरपालिका/नगर परिषद व कन्टोनमेट के पेराफेरी में है। जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गै.मु. चरागाह अथवा गै.मु. सिवाय चक भूमि उपलब्ध होने पर आबादी में नियमानुसार परिवर्तन कर आबादी हेतु ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

(3) पेराफेरी ग्रामों की पंचायतों में ग्राम पंचायतों को पट्टा देने का अधिकार है, किन्तु पट्टा भूमि का विकास नगर परिषद/नगर विकास न्यास अधिनियमों के तहत ही किया जावेगा।

(4) जी नहीं। क्योंकि नगरपालिका/परिषद/न्यास के प्रावधान पेराफेरी क्षेत्र के विकास के लिए लागू होतें है।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय जिला परिषद अजमेर

अजमेर जिले के पेराफेरी ग्राम पंचायत/ग्रामों की सूची

क्र.सं.	उपखंड/ तहसील	पेराफेरी पंचायत	पेराफेरी राजस्व ग्राम
1	2	3	4
1	अजमेर	सेंदरिया	सेंदरिया, बड़गांव
2	अजमेर	पालरा	पालरा, किरानीपुरा, खाजपुरा
3	अजमेर	हाथीखेड़ा	हाथीखेड़ा, बोराज-काजीपुरा
4	अजमेर	चाचियावास	लोहागल
5	अजमेर	रसूलपुरा	रसूलपुरा, मदारपुरा, कांकरदा भूणाबाय, गुवारड़ी
6	अजमेर	घूघरा	घूघरा, कायड
7	अजमेर	नारेली	नारेली
8	अजमेर	बडलिया	बडलिया
9	अजमेर	माकडवाली	माकड़वाली
10	अजमेर	गगवाना	गगवाना
11	अजमेर	दौराई	दौराई
12	अजमेर	सोमलपुर	सोमलपुर
13	अजमेर	सराधना	सराधना
14	अजमेर	डूमाडा	डूमाडा
15	अजमेर	मायापुर	नाहरपुरा
16	अजमेर	तबीजी	तबीजी
17	अजमेर	हटूण्डी	हटूण्डी
18	अजमेर	कडैल	कडैल, डुंगरियाखुर्द, गुढा, मझेवला, रेवत
19	अजमेर	देवनगर	देवनगर, बासेली, कानस, नेडलिया, लीलासेवड़ी
20	अजमेर	खोरी	खोरी, कंवलाई, होकरा
21	अजमेर	गुनाहेडा	गुनाहेडा, चावण्डिया, पुष्कर नाला
22	अजमेर	तिलोरा	तिलोरा, किशनपुरा, गोयला
23	ब्यावर	ब्यावर खास	ब्यावर खास

1	2	3	4
24	ब्यावर	सरमालिया	सरमालिया, मकरेड़ा
25	ब्यावर	नून्द्री गेन्द्रातान	फतेहपुरिया 2, रतनपुरासरदारा, ठीकरानामेन्द्रतान नून्दी मेहन्द्रतान, शोभापुरा, रामपुरा मेवातियान, मेडिया, डूंगरखेडा, छावनी परेड, नरसिंहपुरा, दौलतगढसिगा
26	ब्यावर	बलाड	बलाड, गढीथोरियान, कुशलपुरा
27	ब्यावर	देलवाड़ा	देलवाड़ा, दौलतपुरा बलाईयान, माडावास, शेषपुरा
28	ब्यावर	नून्द्री मालदेव	गणेशपुरा, शिवनाथपुरा, गोविंदपुरा, नून्द्रीमालदेव, नयानगर, सेदरिया, शाहपुरा, विचली
29	अजमेर	जालिया प्रथम	जालिया प्रथम, बाडियाजग्गा, बाडियाश्यामा, रामसर बलाईयान, सोवनिया, बनेवडी
30	अजमेर	नरबदखेडा	भोजपुरा, केसरपुरा, सिगाडिया
31	अजमेर	सुहावा	ठीकरानागूजरान, फतेहपुर
32	किशनगढ़	मालियो की बाड़ी	मालियो की बाड़ी
33	किशनगढ	सरगाव	नयागाव
34	नसीराबाद (केन्टोमेंट क्षेत्र)	राजोसी	राजोसी
35	नसीराबाद (केन्टोमेंट क्षेत्र)	नान्दला	नादला, बूवानिया
36	नसीराबाद (केन्टोमेंट क्षेत्र)	देराठू	देराठू, राताखेडा, बारापत्थर
37	नसीराबाद (केन्टोमेंट क्षेत्र)	दिलवाड़ा	दिलवाड़ा, दिलवाड़ी, बेवन्जा
38	नसीराबाद (केन्टोमेंट क्षेत्र)	भटियानी	भटियानी, चाट जगपुरा, धोलादांता देराठू
39	मसूदा	बाडी	बाडी, सूतीखेडा, बड़ा आसन्न, इन्द्रगढ़
40	मसूदा	बरल 2	बरल 2
41	मसूदा	शिखरानी	शिखरानी, नगर
42	मसूदा	सथाना	सथाना, भगवानपुरा,
43	पीसागन	-	कोटाज, केसरपुरा

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

कोटपूतली में आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

206. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्रों को वर्तमान में छात्रवृत्ति दी जा रही है? विद्यालय एवं महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वर्तमान में दी जा रही छात्रवृत्ति विद्यालय एवं महाविद्यालय वार विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

धार्मिक स्थलों पर प्राप्त चढ़ावे की राशि

207. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के धार्मिक स्थलों पर आने वाली चढ़ावे की राशि का मन्दिर के पुजारी/अधिकारियों द्वारा गबन/दुरुपयोग किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त गबन/दुरुपयोग की रोकथाम हेतु उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों में आने वाली चढ़ावे की राशि का कोई गबन/दुरुपयोग/पुजारी/अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों में रखी गई भेंट पेटियों को विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष खोला जाता है। भेंट पेटियों में प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों की आय को राजकोष में तथा आत्मनिर्भर मंदिरों की आय को विभागीय संयुक्त निधि में जमा कराया जाता है।

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत देवस्थान विभाग में पंजीकृत लोक न्यासों के द्वारा आय एवं सम्पत्ति के दुरुपयोग की शिकायतों पर अधिनियम की धारा 38 एवं 49 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शहरों में सीवरेज लाइन पर व्यय हेतु स्वीकृत राशि

208. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के कुछ शहरों में सीवरेज सिस्टम के लिए ''अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट'' के तहत राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किन-किन शहरों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आई.एच.एस.यू.डी.पी. के तहत भी इसी वित्तीय वर्ष में कुछ राशि कई नगरों के विकास हेतु स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किन-किन शहरों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा शहरों का चयन किस पात्रता के आधार पर किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट के तहत जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन (JNNURM) के अंतर्गत भारत सरकार से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के उत्तरी-पश्चिमी व पूर्वी-दक्षिणी भाग में सीवर सुविधाओं के लिये 74.95 करोड़ की वृहद योजना स्वीकृत करवाई गई है एवं जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर सीवरेज परियोजना फेज द्वितीय राशि 110.86 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कराई गई है।

अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

टाऊन (UIDSSMT) योजनान्तर्गत जालोर, सुमेरपुर व झालावाड़-झालरापाटन शहरों हेतु क्रमश: 1066.31, 927.74 व 1904.02 लाख रुपये की सीवरेज योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं।

(2) जी हां। इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग एण्ड स्लम डवलपमेन्ट प्रोग्राम (IHSDP) के अन्तर्गत विभिन्न शहरों के लिए इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

IHSDP योजना जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर को छोड़ कर राज्य की शेष समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू है। सभी निकायों को भारत सरकार से इस परियोजना के प्राप्त दिशा-निर्देश भेज कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने के निर्देश दिये गये थे। जिन-जिन निकायों ने अपनी डी.पी.आर. निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बना कर प्रस्तुत की है, उनका अप्रेजल करवाया गया तथा सेन्ट्रल सैंक्सनिंग कमेटी द्वारा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

परिशिष्ट 'अ'

आई.एच.एस.डी.पी. के तहत नगरीय निकायों को स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम निकाय	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	बीकानेर	332.19
2	टोंक	446.18
3	गुलाबपुरा	124.43
4	चित्तौड़गढ़	669.57
5	रानी	79.34
6	बाली	329.90
7	सादड़ी	128.90
8	सीकर	544.18
9	झालरापाटन	421.254
10	भवानीमण्डी	181.69
11	छबडा	446.97
12	आसीन्द	508.35
13	फालना	446.48
14	सोजत	315.89
15	बारां	969.86

स्थगित प्रश्न दिनांक 6 मार्च, 2007

विशेष आर्थिक जोन हेतु अवाप्त कृषि भूमि

56. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विशेष आर्थिक जोन हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की किस्म क्या है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार कृषि योग्य भूमि को भी विशेष आर्थिक जोन के लिए अवाप्त कर रही है? यदि हां, तो कितनी व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने भूमि मालिक किसान को विशेष आर्थिक जोन में हिस्सेदार बनाने की शर्त रखी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सेज हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की किस्म चाही, जाव, बारानी, बंजड व गैर मुमकिन है।

(2) सेज हेतु कुल 1435.02 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि 1340.63 हैक्टेयर है। कृषि योग्य भूमि को अवाप्त करने के बारे में नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(3) भूमि मालिक किसान को अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक) विकसित भूमि मुआवजे के रूप में दी जावेगी। सेज में हिस्सेदारी दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव/नीति विचाराधीन नहीं है।

बी.पी.एल. सूची में चयन हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

209. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के बी.पी.एल. परिवारों की चयन सूची जारी करने पर वंचित रहे लोगों को पुन: अपील करने का समय दिया गया था? यदि हां, तो अपील की क्या प्रक्रिया अपनाई गई? निश्चित की गई समय सीमा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में बी.पी.एल. परिवारों की चयन सूची में जुड़ने के लिये कितने परिवारों की अपीलें प्राप्त हुई? प्राप्त अपीलों में कितनी अपीलों का निस्तारण किया गया और कितनी अपीलों का निस्तारण करना शेष है? शेष अपीलों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की सूची को अब तक अन्तिम रूप नहीं देने के कारण लाखों बी.पी.एल. परिवारों को देय लाभों/सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है? यदि हां, तो इन परिवारों की चयनित अन्तिम सूची कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अपील प्रक्रिया के संबंध में जारी दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में बीपीएल परिवारों की चयन सूची के विरूद्ध माह फरवरी, 2007 तक 24073 परिवारों की व्यक्तिगत अपीलें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से 40 अपीलें नाम काटने के लिये हैं, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा करवाये गये SUO MOTO पुन: सत्यापन में 10323 परिवारों के नाम जोड़ने तथा 8526 नाम काटने के लिये अपीलें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार कुल 42922 अपीलें सूची में संशोधन के लिये प्राप्त हुई हैं। प्राप्त अपीलों में से 8732 का निस्तारण कर 3299 नाम जोड़ने का निर्णय किया जा चुका है। शेष 34190 अपीलों का निस्तारण शेष है। दर्ज शेष अपीलों का निस्तारण प्रक्रियाधीन है। द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया सूचियों के प्रभावी रहने तक निरन्तर जारी रहेगी। अत: प्रक्रिया के निरन्तर जारी रहने के कारण समय-समय पर दर्ज अपीलों के निस्तारण की निश्चित तिथि निर्धारित नहीं है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में बीपीएल परिवारों की सूची दिनांक 15.09.2006 को जारी कर दी गई है जो कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं हेतु तत्काल प्रभावी हो गई है। खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु सूचियां संशोधन के पश्चात प्रभावी की जावेगी। सतत अपील की प्रक्रिया बी.पी.एल. सूची-2002 के प्रभावशील रहने तक जारी रहेगी।

(दिशा-निर्देशों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

देवयानी सरोवर फुलेरा हेतु जलापूर्ति

210. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए गत तीन वर्षो में कितनी राशि के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये और उनमें से कौन-कौन से कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के सांभर कस्बे में स्थित देवयानी सरोवर हिन्दू धर्म के लोगों का प्रमुख आस्था स्थल है और यहां कार्तिक मास व अन्य दिनों हजारों तीर्थ यात्री स्नान के लिए आते हैं? यदि हां, तो इस सरोवर व इसके आस-पास के स्थानों के विकास व विस्तार के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरोवर में पानी की कमी होती जा रही है? यदि हां, तो इस सरोवर में पानी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर, देवयानी एवं अन्य स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2005-06 में रुपये 10.00 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये एवं जिला कलक्टर, जयपुर को रुपये 3.75 लाख आबंटित किए गये, राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में वर्ष 2006-07 में उक्त कार्यों हेतु पुन: रुपये 7.00 लाख स्वीकृत किए गए है।

(2) जी हां। राज्य योजनान्तर्गत सांभर देवयानी कुण्ड के विकास हेतु वर्ष 2006-07 में राशि रुपये 7.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं एवं इस राशि से देवयानी सरोवर के विकास कार्य जिला कलक्टर के माध्यम से करवाये जायेंगे।

(3) जी हां। वर्तमान में इस सरोवर में पानी की आपूर्ति के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आबकारी कर में छूट योजनान्तर्गत जमा राशि

345. श्री अमराराम धोद (धोद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मार्च, 2006 तक आबकारी ठेकेदारों पर टैक्स की कितनी राशि बकाया थी? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा छूट योजना जारी की गई थी? यदि हां, तो योजना क्या थी?

(3) उक्त योजना में कितनी राशि जमा हुई तथा कितनी राशि की छूट का लाभ मिला?

उत्तर

(1) मार्च, 2006 तक आबकारी ठेकेदारों पर आबकारी राजस्व राशि रुपये 217.19 करोड़ बकाया थी। वर्षवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(42)/वित्त/आब.2005 दिनांक 14.09.2006 द्वारा आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2006-07 जारी की गई थी। योजना का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(3) इस योजना के अन्तर्गत मूल राशि रुपये 174.10 लाख तथा ब्याज राशि रुपये 3.56 लाख की वसूली हुई तथा इस योजना के प्रावधान के अनुसार मूल राशि में रु. 1168.44 लाख तथा ब्याज राशि रुपये 2634.56 लाख की छूट दी गयी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उपखण्ड मुख्यालय तिजारा पर उप कोषागार की स्थापना

346. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील व उपखण्ड तिजारा मुख्यालय पर उपकोषागार कार्यालय नहीं है, जब कि राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशकेड़ा यहां स्थित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर काफी मात्रा में राजकीय कार्यालय संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

तिजारा में उपकोष कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील व उपखण्ड तिजारा मुख्यालय पर पहले से ही उपकोषागार कार्यालय कार्यरत है जिसका कार्य तहसीलदार पदेन उपकोषाधिकारी तिजारा द्वारा सम्पादित किया जाता है। जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी व खुशखेड़ा यहां स्थित हैं।

(2) तहसील व उपखण्ड तिजारा क्षेत्र में कुल 44 आहरण एवं वितरण अधिकारियों के कार्यालय हैं। तहसील व उपखण्ड तिजारा मुख्यालय पर पहले से ही उपकोषागार कार्यालय कार्यरत है जिसका कार्य तहसीलदार पदेन उपकोषाधिकारी तिजारा द्वारा सम्पादित किया जाता है।

सर्किट हाउस कर्मियों की स्थानान्तरण नीति

347. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सर्किट हाउस सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति बनाई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्या स्थानान्तरण का आधार निम्न माना जाता है :-

(अ) शारीरिक विकलांगता में गृह जिले में पदस्थापन।

(ब) योग्यता, अनुभव एवं प्रशंसनीय कार्य पर इच्छित स्थान।

(स) वरिष्ठता क्रम में सम्भागीय मुख्यालय।

(द) शिकायत पर स्थान का चयन किस आधार पर किया जाता है?

(2) विगत 3 वर्षो में सर्किट हाउस प्रबन्धकों के कितने स्थानान्तरण किये गये, इनका क्या आधार रहा एवं एक से अधिक बार स्थानान्तरण किन-किन व्यक्तियों का किया गया? सूची अवधि सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विकलांग व्यक्तियों को गृह जिलों से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्किट हाउस सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति नहीं बनाई गई है। स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये जाते हैं।

(2) विगत 3 वर्षों में सर्किट हाउस के 23 प्रबन्धकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये गये। एक से अधिक बार 8 प्रबन्धकों के स्थानान्तरण किये गये जिसकी सूची परिशिष्ट 'क' पर है।

(3) स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाता है।

परिशिष्ट 'क'

विगत 3 वर्षों में (01.01.2004 से) एक से अधिक बार स्थानान्तरण किये गये प्रबन्धकों की सूची

क्र.सं.	नाम प्रबन्धक		कहां से	कहां को	स्थानान्तरण आदेश का दिनांक
1.	श्री घनश्याम दास अगनानी	1	विश्राम भवन कोटा	विश्राम भवन बून्दी	5.7.2004
		2	निलम्बन में मुख्यालय सा.प्र. विभाग में		22.4.2006
		3	निलम्बन से बहाल आदेश प्रतीक्षा में सा.प्र.वि. में		5.7.2006
		4	आदेश प्रतीक्षा से	विश्राम भवन झालावाड़	15.7.2006
2	श्री बिशन सिंह	1	विश्राम भवन दौसा	ट्रांजिट होस्टल जयपुर	5.7.2004
		2	ट्रांजिट होटल जयपुर	विश्राम भवन जयपुर	15.7.2006
3	श्री देवेन्द्र सिंह फौजदार	1	ट्रांजिट होस्टल जयपुर	राज. हाउस नई दिल्ली	5.7.2004
		2	आदेश प्रतीक्षा में सा.प्र. विभाग		28.7.2005
		3	आदेश प्रतीक्षा से	विश्राम भवन बीकानेर	20.9.2005

क्र.सं.	नाम प्रबन्धक		कहां से	कहां को	स्थानान्तरण आदेश का दिनांक
4	श्री राजसिंह मीणा	1	विश्राम भवन भीलवाड़ा	वि.भ. जयपुर	08.07.2004
		2	वि.भ. बीकानेर		21.9.2005
		3	विश्राम भवन जयपुर	विश्राम भवन अजमेर	15.7.2006
5	श्री बी.के. माथुर	1	रा. स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली	विश्राम भवन चित्तौड़गढ़	15.07.2006
		2	विश्राम भवन चित्तौड़गढ़	सम्पर्क अधिकारी बीकानेर हाउस, नई दिल्ली	16.11.2006
6	श्री दया शंकर त्रिपाठी	1	विश्राम भवन सिरोही	विश्राम भवन झालावाड़	30.09.2004
		2	विश्राम भवन झालावाड	विश्राम भवन जयपुर	15.7.2006
7	श्री हेमन्त कान्त विनय	1	विश्राम भवन उदयपुर	विश्राम भवन जयपुर	7.1.2002
		2	आदेश प्रतीक्षा में सा.प्र. विभाग		6.9.2005
		3	आदेश प्रतिक्षा से	विश्राम भवन चित्तौड़गढ़	20.9.2005
		4	विश्राम भवन चित्तौड़गढ़	रा. स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली	15.7.2006
8	श्री बाबूलाल जांगिड	1	विश्राम भवन अलवर	विश्राम भवन जयपुर	2.8.2003
		2	आदेश प्रतीक्षा में सा.प्र. विभाग		26.10.2006
		3	आदेश प्रतिक्षा से	विश्राम भवन भरतपुर	14.2.2007

राजगढ़ (चूरू) तहसील के मृत राज्य कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति

348. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा देने के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा तहसील राजगढ़ (चूरू) में मृत कर्मचारियों के आश्रितों के गत 5 वर्षों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितनों को नौकरी दे दी गई?

उत्तर

(1) जी हां। ''राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996'' विद्यमान हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) तहसील राजगढ़ (चूरू) के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के समस्त विभागों में गत 5 वर्षों में 72 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं व इनमें 60 आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थानान्तरित समीक्षक अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रविष्ट के नियम

349. श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रतिवेदक अधिकारियों के कार्यालय में होते हुए समीक्षक अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण पश्चात स्वयं के स्तर पर कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी के रूप में प्रविष्टियां/प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित किये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार के प्रतिवेदन स्वीकार योग्य हैं? यदि हां, तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन फार्म में प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी की अलग-अलग प्रविष्टियां प्राप्त किये जाने का क्या औचित्य है?

(3) क्या उक्त प्रकार की प्रविष्टियों से समीक्षक अधिकारी के पद का दुरुपयोग प्रदर्शित होता है? यदि नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विशेष परिस्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी के विरुद्ध गवाही या वाद किया हो तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुदेश 11(v) के अन्तर्गत उच्च अधिकारी अपने स्तर से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर सकते हैं। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) विशेष परिस्थितियों में भरे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार योग्य हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जारी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुदेशों में यह व्यवस्था की हुई है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन कम से कम दो स्तर तक कराया जावे ऐसा कराना न्यायसंगत तर्क संगत एवं नियमों के अनुकूल है।

(3) विशेष परिस्थिति में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुदेश 11 (v) के अन्तर्गत उच्च अधिकारी अर्थात समीक्षक अधिकारी अपने स्तर से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर सकते हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

संविदा/ठेके पर कार्यरत कर्मी को नियमित नियुक्ति में परिवीक्षा काल में छूट

350. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नई भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों हेतु दो वर्ष तक परिवीक्षा काल लागू किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को आर्थिक हानि एवं मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है? क्या सरकार उक्त परिवीक्षा काल को एक वर्ष तक सीमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार दो वर्ष तक किसी सरकारी विभाग में संविदा/ठेके पर कार्यरत कर्मी द्वारा सफलतापूर्वक दो वर्ष सेवाएं देने एवं वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उसका चयन सरकार के द्वारा जारी विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार पास करने के आधार पर हो जाता है, तो क्या सरकार उक्त अभ्यर्थी को परिवीक्षा काल से छूट देकर निर्धारित वेतन श्रृंखला देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने सेवा नियमों में दिनांक 20.01.2006 को यह संशोधन किया है कि भविष्य में नियुक्तियां परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में होंगी। इस परिवीक्षाकाल में कमी करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। संविदा/ठेके पर कार्यरत कर्मियों पर सेवा नियम लागू नहीं होते हैं।

पाली नगर परिषद द्वारा मूल पत्रावली के अभाव में जारी पट्टे

351. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद, पाली द्वारा वर्ष 2006 में ऐसी कितनी भवन निर्माण स्वीकृतियां जारी की गई, जिनमें पट्टे संबंधित मूल पत्रावलियां परिषद कार्यालय में उपलब्ध नही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी स्वीकृतियां मूल पट्टे की प्रति के आधार पर एवं कितनी स्वीकृतियां परिषद की आफिस कापी की सत्यापित प्रति के आधार पर जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पट्टे की मूल पत्रावली एवं मूल पट्टा उपलब्ध नहीं होने पर पट्टे हेतु जमा कराई गई राशि की रसीद बुक से उसका मिलान कर पट्टे की सत्यता का पता लगाया गया? यदि हां, तो किन-किन पट्टों का? राशि जमा कराने की रसीद की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद, पाली द्वारा वर्ष 2006 में कुल 117 भवन निर्माण स्वीकृतियां जारी की गई, जिनकी मूल पट्टे संबंधित पत्रावलियां नगर परिषद कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त में से 114 भवन निर्माण स्वीकृतियां मूल पट्टे की सत्यापित प्रति के आधार पर एवं 2 स्वीकृतियां परिषद से सत्यापित प्रति जारी कर, उसके आधार पर एवं 1 स्वीकृति कलक्टर पाली कार्यालय से जारी पट्टे की सत्यापित प्रति के आधार पर दी गई। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 5 में अंकित है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आजाद बाडी बिल्डर्स, जयपुर द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण

352. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आजाद बाडी बिल्डर्स के मालिक द्वारा फैक्ट्री व गणेश कालोनी जयपुर के बीच बने हुए आम रास्ते को बन्द करते हुए अपनी फैक्ट्री परिसर में शामिल कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों? इस आम रास्ते से सम्बन्धित पुराने नक्शे व फैक्ट्री मालिक के मालिकाना हक से संबंधित पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस आम रास्ते पर बने हुए अल्पसंख्यक समुदाय के उपासना स्थल को भी कब्जे में लेकर उसके आम रास्ते को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस आम रास्ते को खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिटी सर्वे 1950 के रिकार्ड में रास्ता अंकित नहीं है। प्रति संलग्न है। फैक्ट्री का नजरी नक्शा, जिसमें मजार व गुरूद्वारा बना हुआ है, प्रति संलग्न है। फैक्ट्री मालिक द्वारा जरिये विक्रय पत्र यह भूमि सन 1991 में क्रय की गई थी। विक्रय पत्रों की प्रतियां संलग्न है। कारखाना परिसर में मौके पर दो मजार व गुरूद्वारा बने हुए हैं, जो निजी उपासना स्थल है।

(2) इस खण्ड का जवाब खण्ड संख्या एक के उत्तर में निहित है।

(रिकार्ड की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकारियों की दूरभाष सुविधा पर व्यय

353. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के किन अधिकारियों को कार्यालय/निवास पर दूरभाष/मोबाइल फोन के अलावा ब्राड बैण्ड (इन्टरनेट) सुविधा दी

(श्री संयम लोढ़ा)

जा रही है? यदि हां, तो किन-किन को? उक्त अधिकारियों के नाम व पद मय दूरभाष/मोबाइल नम्बर के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दूरभाष संख्या 2705535 पर ब्राड बैण्ड (इन्टरनेट) सुविधा दी गई है? यदि हां, तो उक्त दूरभाष कनेक्शन किस अधिकारी के पदनाम से है व वह वर्तमान में कहां स्थापित है? उक्त दूरभाष के दिनांक 01 जनवरी, 2006 से आज तक बी.एस.एन.एल. से प्राप्त बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त दूरभाष के बिलों का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त दूरभाष में ब्राड बैण्ड (इन्टरनेट) की सुविधा देने के क्या कारण हैं? उक्त अधिकारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण में किस प्रकार का कार्य सौंप रखा है? उक्त दूरभाष किस अधिकारी के आदेश द्वारा जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अधिकारी के कार्यालय/निवास/मोबाइल नम्बर क्या हैं? जिनके बिलों का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न अधिकारी को कार्यालय निवास एवं मोबाइल फोन के अलावा ब्राड बैण्ड कनेक्शन हेतु अनापत्ति दी गई है :-

श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5 एवं उपायुक्त (सुराज)

दूरभाष संख्या

कार्यालय – 2573248

निवास – 2705535

मोबाइल- 98298-71144

(2) जी हां। ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन दूरभाष संख्या 2705535 पर प्राप्त करने हेतु उक्त अधिकारी को अनापित्त दी गई है। यह अनापत्ति श्री इकबाल खान को उपायुक्त जोन-5 एवं उपायुक्त (सुराज) के पदनाम से दी गई है जो वर्तमान में उनके निवास स्थान 3/33, गांधी नगर, जयपुर पर लगाया हुआ है। उक्त दूरभाष के बिल प्राप्त हो रहे हैं परन्तु ब्रॉड बैण्ड का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है। 1 जनवरी, 2006 से अब तक बीएसएनएल से प्राप्त बिलों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। लेकिन ब्रॉड बैण्ड (इन्टरनेट) का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है।

श्री इकबाल खान, उपायुक्त, जोन-5 के साथ-साथ उपायुक्त (सुराज) का भी कार्य कर रहे हैं। चूंकि सुराज मोनेटरिंग कमेटी के प्रमुख सलाहकार एवं कई सदस्य बैंगलोर अथवा दिल्ली में निवास करते हैं, अत: उनके द्वारा आवश्यक पत्राचार एवं मीटिंग से संबंधित दिशा-निर्देश एवं अन्य सूचनाएं ई-मेल द्वारा ही दी जाती हैं।

तदनुसार जवाब भी ई-मेल द्वारा ही प्रेषित किया जाता है। अत: कार्यालय समय के पश्चात आवश्यकता होने पर उक्त कार्य करने हेतु उपायुक्त (सुराज) को उनके निवास के टेलीफोन नम्बर 2705535 पर ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन हेतु अनापत्ति जारी की गई है। ब्रॉड बैण्ड सुविधा के बिल का भुगतान संबंधित अधिकारी द्वारा किये जाने की शर्त पर अनापत्ति सक्षम स्तर से जारी की गई है।

(4) उक्त अधिकारी के कार्यालय निवास पर स्थापित दूरभाष तथा मोबाइल का नम्बर, जिनके बिलों का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, का विवरण निम्नानुसार है :-

दूरभाष संख्या

कार्यालय – 2573248

निवास – 2705535

मोबाइल – 98298 – 71144

इसमें ब्राड बैण्ड कनेक्शन संबंधी सुविधा के उपयोग का भुगतान स्वयं अधिकारी द्वारा ही किया जा रहा है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आदर्श नगर, जयपुर में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत

354. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बी-19, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर जयपुर शहर में एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है? उक्त अवैध निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण तथा जयपुर नगर निगम के

(श्री सुरेश मीणा)

किन-किन अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ? क्या इस इमारत की नींव का पत्थर जयपुर नगर निगम के वर्तमान महापौर द्वारा रखा गया था? यदि हां, तो इस कार्यक्रम में कौन-कौन अधिकारी शामिल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त भूखण्ड में कुल कितनी भूमि है तथा भूमि के कितने हिस्से पर निर्माण की अनुमति प्रदान की गई? मौके पर कितनी भूमि पर निर्माण कार्य किया गया अथवा चल रहा है? अवैध रूप से निर्मित किये गये इमारत के भाग को गिराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूखण्ड पर व्यावसायिक अथवा आवासीय भवन के निर्माण की मंजूरी किस प्राधिकारी द्वारा किन शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई? अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी लिखित शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई व प्राप्त शिकायतों का क्या निस्तारण किया गया?

उत्तर

(1) भूखण्ड संख्या बी-19, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर को आवासीय प्रयोजनार्थ 12.24 मीटर ऊंचाई बेसमेन्ट+रिस्टल्ट+भूतल+2 मंजिल के भवन निर्माण की स्वीकृति बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 12.04.2001 के निणर्य की पालना में जयपुर नगर निगम के पत्र क्रमांक 981 दिनांक 09.07.2001 के द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति पत्र परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

इस भवन में स्वीकृति विरुद्ध एक मंजिल तथा सैटबैक एक कमरा (वाशिंग रूम) निर्माण कर लिया है, जिस पर निगम द्वारा धारा 170(11) ए.बी./171/251 में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति परिशिष्ट 'ब' संलग्न है। इस इमारत के नींव का पत्थर वर्तमान महापौर महोदय द्वारा नहीं रखा गया है और न ही नगर निगम जयपुर के कोई कार्यकारी इस कार्यक्रम में शामिल थे।

(2) उक्त भूखण्ड में कुल 1254 वर्गमीटर (1500 वर्गगज) भूमि है। इस भूखण्ड की (33.17 प्रतिशत) 415.98 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूतल पर

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

आवासीय निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। अवैध रूप से निर्मित भाग के लिए धारा 170(11)ए.बी./171/251 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है।

श्री के.के. पोद्दार पुत्र स्व. श्री मोहन पोद्दार, निवासी बी-19, गोविन्द मार्ग का माननीय न्यायालय अति. सिविल न्यायालय (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं. 19, जयपुर नगर निगम, जयपुर में चालान किया गया है। चालान की प्रति परिशिष्ट 'स' संलग्न है। माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं. 4 जयपुर द्वारा उक्त भूखण्ड पर यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। आगामी पेशी दिनांक 23.04.2007 नियत है।

प्रकरण में जो आंशिक भाग स्वीकृति के विपरीत निर्मित है के संबंध में नोटिस/चालान आदि की कार्यवाही की गई है। माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त हुआ है। अत: न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं तदुपरान्त यदि किसी का दोष पाया गया तो तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) उक्त भूखण्ड पर रिहायशी निर्माण की स्वीकृति जयपुर नगर निगम के पत्र क्रमांक एफ.1()/ननिज/पी.सी./2001/981 दिनांक 09.07.2001 को आयुक्त (आयोजना) व सचिव, भवन मानचित्र समिति द्वारा जारी की गयी। स्वीकृति पत्र की प्रति परिशिष्ट –'अ' संलग्न है।

उक्त भूखण्ड के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण की स्वीकृति बाबत बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 24.08.2006 में निम्न निर्णय लिया गया।

1. भू-रूपान्तरण समिति की बैठक दिनांक 8-9/09/2003 में लिये निर्णय अनुसार एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स व तकनीकी मानचित्र प्रस्ताव अनुसार संशोधनों के साथ व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाते हैं।
2. ऐजेण्डा में वर्णित अग्र सैटबैक में किये गये निर्माण को हटाने के पश्चात ही मानचित्र जारी किये जावें।
3. आवेदक से नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि लिये जाकर भवन मानचित्र जारी किये जावें।

उक्त तीन शर्तों की भवन मालिक द्वारा पालना नहीं की जाने के कारण अभी तक व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अनुमोदित भवन मानचित्र जारी नहीं किया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(4) इस ईमारत के निर्माण के संबंध में कोई लिखित शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आवासन मण्डल, जयपुर की मानसरोवर योजना की लाटरी

355. श्री सुखलाल मीणा (सपोटरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2004 के मध्य मानसरोवर योजना में आवासन मण्डल द्वारा मकान आबंटन हेतु सही पाये जाने वाले प्रकरणों की लाटरी माह अप्रैल, 2006 में निकाली जाना नियत था? यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं में आवास आबंटन हेतु लाटरी निकाली जा चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त लाटरी को निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माह अप्रैल, 2006 में उक्त लाटरी नहीं निकाली जा सकी। पत्रावलियों का परीक्षण प्रगति पर होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ है।

(2) जी हां। उक्त लाटरी दिनांक 13.3.2007 को निकाली जा चुकी है।

बनीपार्क/सांगानेर क्षेत्र जयपुर के निजी खातेदारों की आवासीय कालोनियों का नियमन

356. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क/सांगानेर में किन-किन गृह निर्माण सहकारी समिति/निजी खातेदारों की आवासीय योजना की किस-किस खसरा नम्बरान की भूमि की धारा 90बी की कार्यवाही की गई जिनके नियमन हेतु कैम्प नहीं लगे? इन योजनाओं के कैम्प नहीं लगने के क्या कारण रहे? प्रत्येक योजना के कैम्प नहीं लगने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क/सांगानेर के उन गृह निर्माण सहकारी समिति/निजी खातेदारों की आवसीय योजना जिनकी जयपुर विकास प्राधिकरण

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

द्वारा 90-बी की कार्यवाही की गई है परन्तु, कैम्प नहीं लगाए गए हैं उसकी सूची कारण सहित परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। सूची में कैम्प नहीं लगने का कारण भी अंकित किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) नगरपालिका द्वारा विकास कार्यों पर व्यय

357. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा अगस्त, 2005 से जनवरी, 2007 तक विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में टेण्डर प्रक्रिया के तहत कितने ठेकेदारों को किस दर पर कितना कार्य आबंटित किया गया?

(3) नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा उक्त अवधि में कुल कितने बी.पी.एल. परिवारों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा अगस्त, 2005 से जनवरी, 2007 तक विकास कार्यों पर 2,04,38,150 रुपये की राशि व्यय की गई है। वार्ड वाइज सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में टेण्डर प्रक्रिया के तहत जिन ठेकेदारों को कार्यादेश दिया गया, सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। जिसमें वांछित विवरण अंकित है।

(3) नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा अगस्त, 2005 से जनवरी, 2007 तक बी.पी.एल. परिवारों के 28 व्यक्तियों को बैंक से ऋण दिलवाया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गोविन्दपुरा, जयपुर की बालाजी विहार आवासीय योजना हेतु आवश्यक सुविधाएं

358. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(1) क्या यह सही है कि बालाजी विहार-द्वितीय, ग्राम गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में लगभग 80 प्रतिशत मकानों का निर्माण होने के पश्चात भी अभी तक सड़क, पानी, सीवर लाइन व रोड लाइट नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासीय कालोनी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपरोक्त योजना में सड़क का निर्माण उपलब्ध जमा विकास शुल्क राशि के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है। जल आपूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा किये जाने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित नहीं है। कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा क्षेत्र में सीवर लाइन डालने हेतु प्रथम चरण में मुख्य/उपमुख्य सीवर लाइन के प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू नेशनल रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत कराये जा चुके हैं। इस क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन उपलब्ध होने के बाद द्वितीय चरण में इस क्षेत्र की कालोनियों में आन्तरिक सीवर लाइन डालने के कार्य हेतु तकनीकी फिजीबिलिटि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर योजना बनाई जा सकेगी।

विकास कार्य मौके की आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणों में करवाये जाते हैं। इस संबंध में कोई समयावधि निश्चित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजना

359. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। क्रीडा परिषद की तहसील मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में विद्यमान योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

क्रीडा परिषद की तहसील मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में विद्यमान योजनाओं का विवरण

1. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन : केन्द्रीय ग्रामीण 21 दिवसीय आवासीय ग्रामीण खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले चयनित (16 वर्ष से कम आयु के) खिलाड़ी भाग लेते है। शिविर का आयोजन माह मई-जून जब ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है, में किया जाता है। शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को यात्रा/दैनिक भत्ता, भोजन, आवास, टी-शर्ट, खेल सामग्री, चिकित्सा आदि की सुविधाऐं उपल्बध करवायी जाती हैं।

2. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन : पंचायत स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर ग्रामीण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जिला स्तरीय ग्रामीण प्रतियोगिताएं प्रदेश के सभी जिलों में एथलेटिक, वालीबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, हाकी, भारोत्तोलन, रस्सा -कसी एवं तीरन्दाजी खेलों में आयोजित की जाती है।

राज्य प्रतियोगिता में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता भी एथलेटिक, वालीबाल, फुटबाल, कबडडी, खो-खो, कुश्ती, हाकी, भारोत्तोलन, रस्सा-कसी एवं तीरन्दाजी खेलों में आयोजित की जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतियोगिता 3 वर्गों में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिसमें प्रदेश के चयनित राज्य स्तरीय खिलाड़ी भाग लेते हैं एवं राष्ट्रीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता से पूर्व चयनित खिलाड़ियों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। जिसमें खिलाड़ियों को आवास, खेल किट, चिकित्सा एवं यात्रा व दैनिक भत्ता क्रीड़ा परिषद द्वारा दिया जाता है।

3. बेणेश्वर मेला : बेणेश्वर महादेव मेला माह फरवरी में डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। इस मेले में तीरन्दाजी, मटका दौड, जलेबी दौड, कबड्डी, एथलेटिक खेलों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विजेता खिलाडी को नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

4. महाराणा सांगा स्मृति मेला : यह मेला होली के पश्चात चैत्र कृष्णा दक्षम एकादशी को चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है। मेले में घुड-दौड,

ऊंट-दौड़, रस्सा-कसी, कबड्डी इत्यादि खेलों में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मनित किया जाता है।

जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम का विकास

360. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम का नाम शहीद योगेश अग्रवाल स्टेडियम रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट एवं तरणताल व वाक-वे आदि बनाने तथा क्रिकेट मैदान को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर स्टेडियम का नाम शहीद योगेश अग्रवाल स्टेडियम रखने के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है। निर्णय होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। विद्याधर नगर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एवं तरणताल तथा क्रिकेट के अभ्यास नेट बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिये जयपुर विकास प्राधिकरण से निवेदन किया गया है।

सुपर ताप बिजलीघर कोटा में कोल बंकर दुर्घटना की जांच

361. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दिनांक 25 सितम्बर, 2003 को कोटा सुपर ताप बिजलीघर की छठी इकाई के कोल बंकर गिरने की दुर्घटना में अधिकारियों को चार्जशीट दी गई थी? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारियों में से किसी को दुर्घटना का जिम्मेदार मानकर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में उक्त अधिकारियों में से किसी को पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो वर्तमान में वह कहां पर कार्यरत है?

(4) क्या यह सही है कि कोटा सुपर ताप बिजलीघर की सातवीं इकाई

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के निर्माण में उक्त चार्जशीटेड अधिकारियों में से किसी को पदस्थापित किया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 25 सितम्बर, 2003 को कोटा सुपर ताप बिजलीघर की छठी इकाई के कोल बंकर गिरने की दुर्घटना में जिन अधिकारियों को चार्जशीट दी गई थी उनका व्यौरा निम्नानुसार है -

1. श्री आर.के. माखरिया, मुख्य अभियन्ता (के.टी.पी.एस.) कोटा।
2. श्री जे.आर. गखड़, उप मुख्य अभियन्ता (के.टी.पी.सी.), कोटा।
3. श्री के.जी. गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल-के.टी.पी.एस.), कोटा।
4. श्री एस.एस. अरोड़ा, अधिशासी अभियन्ता (के.टी.पी.एस.), कोटा।
5. श्री आर.के. शर्मा, सहायक अभियन्ता (के.टी.पी.एस.), कोटा।

(2) जी हां। इन अधिकारियों को दुर्घटना का जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. श्री आर.के. माखरिया – चेतावनी दी गई।
   मुख्य अभियन्ता (के.टी.पी.एस.)
2. श्री जे.आर. गखड़ -चेतावनी दी गई।
   उप मुख्य अभियन्ता (के.टी.पी.एस.)
3. श्री के.जी. गुप्ता
   अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) – तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी।
4. श्री एस.एस. अरोड़ा –
   अधिशासी अभियन्ता (के.टी.पी.एस.)– सैन्सर की पैनल्टी दी गई।
5. श्री आर.के. शर्मा
   सहायक अभियन्ता (के.टी.पी.एस.) – एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी।

(3) जी हां। उक्त अधिकारियों में से एक केवल एक अधिकारी श्री जे.आर. गखड़, उप मुख्य अभियन्ता को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई। वे 31.07.2006 को सेवा निवृत्त हो गये हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी हां। उक्त चार्जशीटेड़ अधिकारियों में से श्री के.जी. गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को सातवीं इकाई के निर्माण हेतु लगाया गया है।

सलूम्बर में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

362. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत 32 के.वी. जी.एस.एस, ग्राम पंचायत डगार इण्टालीखेड़ा हेतु कब एवं कितनी राशि का स्वीकृत हुआ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत ग्राम खरका, खरका मोड़ पर 32 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डगार इण्टालीखेडा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन हेतु 23.38 लाख रुपये की राशि दिनांक 19.10.2005 को स्वीकृत की गई है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत ग्राम खरका, खरका मोड़ पर 33/11 के.वी. सब-स्टेशन की स्वीकृति दिनांक 23.02.2007 को जारी कर दी गई है।

नागौर जिले में कृषि कनेक्शनों हेतु मीटरयुक्त ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता

363. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कितने मीटरयुक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी कृषि उपभोक्ताओं को मीटरयुक्त ट्रांसफार्मर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्तमान में 1368 मीटरयुक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मीटर प्रणाली से ही विद्युत कनेक्शन दिए जा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी नये कृषि उपभोक्ताओं को मीटरयुक्त ट्रांसफार्मर से ही कनेक्शन जारी किया जाना अनिवार्य कर दिया है तथा पुराने फ्लेट रेट पर आधारित कृषि उपभोक्ताओं को भी मीटर से विद्युत आपूर्ति किया जाना तय किया है। ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च, 2008 तक की छूट राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा दी गई है।

फीडर रेनोवेशन योजना का कार्य वर्ष 2008 में पूरा करने का लक्ष्य है।

जयपुर शहर की विद्युत लाइनों का भूमिगत परिवर्तन

364. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर की चारदीवारी एवं कालोनियों में जो बिजली के तार मकान के सामने या ऊपर होकर गुजर रहे हैं उनको भूमिगत करने के संबंध में कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसी जगहों के तारों को कब तक भूमिगत कर दिया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर के सौन्दर्यकरण की दृष्टि से पर्यटन मार्गों तथा शहर की चारदिवारी में जयपुर नगर निगम तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम के माध्यम से बिजली के तारों को भूमिगत करने का कार्य अवश्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सौंथली वालों के रास्ते में कार्य शुरू किया गया है जो जून, 2007 में पूरा हो जावेगा।

(2) इस संबंध में अभी तक स्थानों का चिन्हीकरण नहीं किया गया है।

जोधपुर शहर में हाइटेन्शन विद्युत लाइनों से हादसे

365. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर में गत तीन वर्षों में बिजली के खुले हाइटेन्शन लाइनों द्वारा करंट से आम नागरिकों के मरने की कितनी घटनाएं हुई?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु पुराने बिजली के तारों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में पिछले तीन वर्षों में बिजली की खुली हाइटेन्शन लाइनों द्वारा करंट से केवल एक नागरिक की घातक दुर्घटना हुई है।

(2) जी हां। सुरक्षा की दृष्टि से जहां भी आवश्यक होता है, पुराने तारों को बदला जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय करवर (बूंदी) में पदस्थापित कर्मी

366. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियंता (वितरण), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड करवर (जिला बून्दी) के पास 3 सब-स्टेशन, 52 राजस्व ग्राम एवं 300 किलोमीटर विद्युत लाइन तथा लगभग 300 से अधिक वितरण ट्रांसफार्मर के संधारण व संचालन का कार्यभार होने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो पदस्थापित स्टाफ के मानदण्डों सहित कनिष्ठ अभियंता करवर के अधीन स्वीकृत व कार्यरत कार्मिकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ अभियंता, करवर के अधीन स्टाफ की अपर्याप्तता के कारण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहती है तथा सीजन के समय काश्तकारों को समस्याओं को सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त के अधीन पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

(3) सहायक अभियन्ता, नैनवां क्षेत्र के लिए कितने स्टाफ की नियुक्ति के मानदण्ड निर्धारित हैं तथा वर्तमान में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं तथा शेष की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप कार्यालय कनिष्ठ अभियंता (वितरण), करवर वितरण उपखण्ड, नैनवा के अधीनस्थ है। इसके अनतर्गत तीन 33 के.वी. सब स्टेशन, 52 विद्युतिकृत ग्राम एवं 300 कि.मी. एच.टी.-एल.टी. लाइन हैं, जिनके संचालन एवं संधारण के लिये 10 तकनीकी कार्मिक नियुक्त हैं। स्टाफ तैनाती

(ऊर्जा मंत्री)

के कोई तय मापदण्ड वर्तमान में प्रभावी नहीं है तथा अलग-अलग क्षेत्र में कार्य की प्रकृति के अनुरूप व विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों की उपलब्धता क आधार पर विभिन्न कार्यालयों के अधीन स्टाफ की तैनाती की जाती हैं। अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होने पर विभिन्न कार्य संविदा के आधार पर तथा आकस्मिक श्रमिक लगाकर सम्पादित कराये जाते हैं। कनिष्ठ अभियन्ता, करवर के अधीन 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों का परिचालन एवं संधारण आदि कार्य संविदा आधार पर कराये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जैसा कि प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, विभिन्न कार्यालयों में स्टाफ की तैनाती के कोई तय मापदण्ड वर्तमान में प्रभावी नहीं हैं। सहायक अभियन्ता (पवस), जयपुर निगम, नैनवा के अन्तर्गत वर्तमान में 34 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य ठेके पर तथा अस्थायी श्रमिक लगाकर सम्पादित किए जा रहे हैं। तय मापदण्ड के अभाव में तुलनात्मक ब्यौरा सम्भव नहीं है।

तहसील स्तर पर महिला छात्रावासों की स्थापना

367. श्री निर्भय लाल मीणा (रूपवास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए कहां-कहां छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं हेतु तहसील स्तर पर छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्यालय स्तर की तरह कालेज और विश्वविद्यालय स्तर पर भी छात्राओं हेतु छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिये संचालित छात्रावासों की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने के मध्यनजर विचार किया जा सकेगा।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) सम्भाग मुख्यालयों पर कालेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है। भवन निर्माण पूर्ण होने पर इन छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट 'अ'

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./स्वच्छकार कन्या छात्रावास वर्ष 2006-07

क्र.सं.	नाम जिला	जाति	नाम छात्रावास	स्थान का नाम	स्वीकृत संख्या
1	अजमेर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	अजमेर	35
2	भीलवाड़ा	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	धोलागढ़	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	जहाजपुर	50
3	नागौर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	नागौर	35
4	टोंक	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	मालपुरा	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	पीपलू	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	अलीगढ़	25
5	बीकानेर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बीकानेर	40
6	चूरू	बी.के.एम.	राजकीय कन्या छात्रावास	चूरू	35
7	हनुमानगढ़	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	रावतसर (टिब्बी)	25
8	श्रीगंगानगर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	श्रीगंगानगर	40
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	रायसिंह नगर	50
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	विजय नगर	25
9	अलवर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	अलवर	40
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	किशनगढ़वास	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	मुण्डावर	25
10	भरतपुर	एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सावोरा	25
		ओ.बी.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	भरतपुर	40

क्र.सं.	नाम जिला	जाति	नाम छात्रावास	स्थान का नाम	स्वीकृत संख्या
11	दौसा	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	दौसा	50
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	मह्वा	50
12	धौलपुर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	धौलपुर	35
13	जयपुर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	गांधी नगर जयपुर	80
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	मनोहरपुर	25
		बी.के.एम.	राजकीय कन्या छात्रावास	गांधी नगर-द्वितीय जयपुर	50
14	सीकर	बी.के.एम.	राजकीय कन्या छात्रावास	सीकर	35
15	बाड़मेर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बाड़मेर	25
16	जैसलमेर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	मोहनगढ़	25
17	जालौर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	जालौर	35
18	जोधपुर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	जोधपुर	35
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	पीपाडशहर	35
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	फलौदी	25
		बी.के.एम.	राजकीय कन्या छात्रावास	मदवासिया	35
19	पाली	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	पाली	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सुमेरपुर	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	निमाज	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सादड़ी	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	मुण्डारा	25

क्र.सं.	नाम जिला	जाति	जाति	नाम छात्रावास	स्वीकृत संख्या
20	सिरोही	एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	माउन्ट आबू सिरोही	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास		25
21	बारां	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बारां	35
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	देवरी	25
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	खेडलीगंज	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	गरड़ा	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	नाहरगढ़	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	समरानिया	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	शाहाबाद	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	चरडाना	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	भूलोन	25
		एस.टी	राजकीय कन्या छात्रावास	रायथल	25
		बी.के.एम.	राजकीय कन्या छात्रावास	अटरू	50
			राजकीय कन्या छात्रावास		
22	बून्दी	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बून्दी	40
24	झालावाड	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	झालावाड	35
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	डग	35

क्र.सं.	नाम जिला	जाति	जाति	नाम छात्रावास	स्वीकृत संख्या
25	करौली	एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	करौली	40
26	कोटा	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	छावनी, कोटा	75
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	पीपल्दा	35
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	नानतपा, कोटा	25
27	सवाईमाधोपुर	एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सवाई माधोपुर	50
28	बांसवाड़ा	एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बागीदौरा	65
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बांसवाड़ा	60
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	गढ़ी	60
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	घाटोल	40
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	कुशलगढ़	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	पीपलखूंट	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सज्जनगढ़	35

क्र.सं.	नाम जिला	जाति	जाति	नाम छात्रावास	स्वीकृत संख्या
29	चित्तौड़गढ़	एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	अरनोद	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बेंगू	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	धमोत्तर	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	प्रतापगढ़	80
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सालमगढ़	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	देवगढ़	25
30	डूंगरपुर	एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	भीलूड़ा	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बिछीवाडा	45
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	बूचियावाडा	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	चीखली	45
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	पुनाली	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सांवला	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सांगवाड़ा	80
			राजकीय कन्या छात्रावास	डूंगरपुर	35
31	राजसमन्द	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	राजसमन्द	35
		बी.के.एम.	राजकीय कन्या छात्रावास	देवगढ़	35

क्र.सं.	नाम जिला	जाति	जाति	नाम छात्रावास	स्वीकृत संख्या
32	उदयपुर	एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	मधुबन	60
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	उदयपुर	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	झाडोल एफ	80
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	खैरवाड़ा	35
		एस.सी.	राजकीय कन्या छात्रावास	कोटड़ा	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	नाई	35
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	सलूम्बर	25
		एस.टी.	राजकीय कन्या छात्रावास	गोगुन्दा	25
				नीमच माता डबोक	25
			योग (90)		

विभाग स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. अनुदानित कन्या छात्रावास वर्ष 2006-07

क्र. सं	नाम जिला	जाति	नाम छात्रावास	स्थान का नाम	स्वीकृत संख्या
1	अजमेर	एस.सी.	अनु. जाति कन्या छात्रावास	हटूण्डी	75
		एस.टी.	अनु. जनजाति कन्या छात्रावास	हटूण्डी	25
2	भरतपुर	एस.सी.	अनु. जाति कन्या छात्रावास	बैर	90
3	दौसा	एस.टी.	अनु. जन जाति कन्या छात्रावास	गीजगढ़	25
		एस.टी.	अनु. जन जाति कन्या छात्रावास	मण्डावरी	25
4	झुन्झुनूं	एस.सी.	अनु. जाति कन्या छात्रावास	अरडावता	50
5	बारां	एस.टी.	अनु. जन जाति कन्या छात्रावास	किशनगंज	25
6	डूंगरपुर	एस.टी.	अनु. जन जाति कन्या छात्रावास	डूंगरपुर	25
7	उदयपुर	एस.सी.	अनु. जाति कन्या छात्रावास	उदयपुर	160
		एस.टी.	अनु. जनजाति कन्या छात्रावास	झाडोल (एफ)	85
		एस.टी.	अनु. जनजाति कन्या छात्रावास	झाडोल (एफ)	25
		एस.टी.	अनु. जनजाति कन्या छात्रावास	झाडोल (एफ) उदयपुर	95
			योग (12)		

बूंदी जिले के छात्रावासों में उपलब्ध छात्र संख्या

368. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बूंदी में किस-किस संस्था द्वारा किस-किस स्थान पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिये छात्रावास किस-किस संस्था द्वारा संचालित हैं तथा प्रत्येक छात्रावास के लिये कितने-कितने विद्यार्थियों के लिये किस-किस प्रकार के स्थान सुरक्षित हैं और प्रत्येक छात्रावास को प्रतिवर्ष किस आधार पर कितना बजट आबंटित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत छात्रों की संख्या के स्थान पर प्रतिवर्ष कुल कितने-कितने छात्र वहां पर रहे और स्वीकृत छात्रों की संख्या में से प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने छात्रों के लिये आरक्षित स्थान रिक्त रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने छात्रावास राजकीय एवं कितने छात्रावास निजी भवनों में संचालित हैं और निजी भवन किन-किन छात्रावासों के लिये उपयोग में लिये जा रहे हैं एवं प्रतिमाह कितना-कितना किराया दिया जा रहा है? क्या वहां पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(4) क्या सरकार जिन छात्रावासों में स्वीकृत संख्या से प्रतिवर्ष कम छात्र उपलब्ध होते हैं, उन स्थानों को बूंदी जिले के अन्य छात्रावासों में जहां पर विद्यार्थी उपलब्ध हैं, पर रिक्त पद भरने के उद्देश्य से ऐसे विद्यार्थियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के विभाग एवं संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों का स्थान, स्वीकृत छात्र संख्या एवं छात्रावासवार वर्गवार आरक्षण का विवरण परिशिष्ट-अ तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रति छात्र प्रतिमाह रु. 725/- के हिसाब से एक शैक्षणिक सत्र के लिए रु. 6887.50 बजट उपलब्ध कराया जाता है। विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में स्वीकृत छात्र संख्या एवं छात्रावास में प्रवेशित एवं रिक्त स्थानों का वर्गवार विवरण उपरोक्त परिशिष्ट-अ में सम्मिलित है?

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) राजकीय एवं निजी भवनों में संचालित छात्रावासों का विवरण तथा निजी भवनों के उपयोग एवं प्रतिमाह किराया एवं उपलब्ध सुविधाओं का विवरण दिये जा रहे परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जिन छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या से कम छात्र उपलब्ध होते हैं, उन रिक्त स्थानों के विरुद्ध जिले में संचालित अन्य छात्रावासों में मांग होने एवं स्थान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त छात्रों को रिक्त स्थानों के विरुद्ध प्रवेश दिया जा सकता है।

परिशिष्ट -'अ'(1)

जिला बूंदी में संचालित छात्रावास एवं छात्रावास में विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित स्थानों का विवरण वर्ष 2004-05

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2004 के अनुसार अनुसूचित जाति योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास में 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 25 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये आरक्षित है। अनुसूचित जन जाति योजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों में 75 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति व 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु स्थान आरक्षित है। आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं की कमी को दूसरे आरक्षित वर्ग से पूरा किया जा सकता है।

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्रसंख्या	आरक्षणानुसार सीट			प्रवेशित छात्र संख्यां			रिक्त स्थान मय वास्तविक स्थिति		
			अनु. जाति	अनु. जन जाति	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति	अनु. जाति	अनु. जन जाति	योग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति
1	आदिम जाति सेवक संघ (अनुदानित अनुसूचित जन जाति छात्रावास) बूंदी	25	6	19	-	7	18	25	+1	-1	-
2	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास बूंदी	60	45	15	-	22	38	60	-23	+23	-
3	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास हिण्डोली	60	45	15	-	40	20	60	-5	+5	-
4	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, लीखेरी	40	10	30	-	15	25	40	+5	-5	-
5	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, डाबी	40	10	30	-	10	30	40	-	-	-
6	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, समिधि	25	6	19	-	-	23	23	-6	+4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, नमाना	50	13	37	-	19	31	50	+6	+6	-
8	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, गरडदा	25	19	6	-	12	8	20	-7	+2	-
9	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, लक्ष्मीपुरा	40	30	10	-	22	18	40	-8	+8	-
10	राजकीय अनु. जाति छात्रावास के. पाटन	80	60	20	-	46	15	61	-14	-5	-
11	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, इन्द्रगढ़	40	30	10	-	14	21	35	-16	+11	-
12	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, लवाण	25	19	6	-	-	-	-	-19	-6	-
13	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, करवर	35	26	9	-	10	15	25	-16	+6	-
14	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, कन्या बूंदी	40	30	10	-	19	21	40	-11	+11	-
15	राजकीय अनु. जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, कापरेन	40	40	-	-	40	-	40	-	-	-
16	राजकीय अनु. जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, देई	40	40	-	-	40	-	40	-	-	
17	राजकीय अनु. जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, बूंदी	25	25	-	-	22	-		-3	-	-
	योग :-	**690**	**454**	**236**	-	**338**	**283**	**621**	**-116**	**+47**	-

परिशिष्ट 'अ' (3)

जिला बून्दीन में संचालित छात्रावास एवं विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित स्थानों का विवरण वर्ष 2006-07

राजस्थान एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2004 के अनुसार जाति योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास में 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति 25 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये आरक्षित है। अनुसूचित जन जाति योजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों में 75 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति व 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु स्थान आरक्षित है। आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं की कमी को दूसरे आरक्षित वर्ग से पूरा किया जा सकता है।

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र संख्या	आरक्षणानुसार सीट			प्रवेशित छात्र संख्या				रिक्त स्थान मय वास्तविक स्थिति		
			अनु. जाति	अनु. जन जाति	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति	अनु. जाति	अनु. जन जाति	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति	योग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति
1	आदिम जाति सेवक संघ (अनुदानित अनुसूचित जन जाति छात्रावास) बूंदी	25	6	19	-	3	22	-	25	-3	+3	-
2	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तुजाति छात्रावास बूंदी	60	45	15	-	15	24	7	46	-30	+9	-
3	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तुजाति छात्रावास हिण्डौली	60	45	15	-	36	24	-	60	-9	+9	-
4	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, लीखेरी	40	10	30	-	16	21	-	37	+6	-9	-
5	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, डाबी	40	10	30	-	13	25	-	38	+3	-5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, समिधि	25	6	19	-	-	24	-	24	-6	+5	-
7	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, नमाना	50	13	37	-	15	35	-	50	+2	-2	-
8	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, गरडदा	25	19	6	-	6	11	-	17	-13	+5	-
9	राजकीय जन जाति छात्रावास, लक्ष्मीपुरा	40	30	10	-	19	21	-	40	-11	-11	-
10	राजकीय जन जाति छात्रावास के. पाटन	80	60	20	-	34	16	--	50	-26	-4	-
11	राजकीय जन जाति छात्रावास, इन्द्रगढ़	40	30	10	-	14	20	-	34	-16	+10	-
12	राजकीय जन जाति छात्रावास, लवाण	25	19	6	-	14	11	-	25	-5	+5	-
13	राजकीय जन जाति छात्रावास, करवर	35	26	9	-	6	14	-	20	-20	+5	-
14	राजकीय जन जाति छात्रावास, कन्या बूंदी	40	30	10	-	23	17	-	40	-7	+7	-
15	राजकीय जन जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, कापरेन	40	40	-	-	40	-	-	40	-	-	-
16	राजकीय जन जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, देई	40	40	-	-	34	-	-	34	-6	-	
17	राजकीय जन जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, बूंदी	25	25	-	-	24	-	-	24	-1	-	-
	योग :-	**690**	**454**	**236**	-	**312**	**285**	**7**	**604**	**-142**	**+49**	-

शिष्ट 'अ-(3) 3

जिला बूंदी में संचालित छात्रावास एवं छात्रावास में विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित स्थानों का विवरण वर्ष 2006-07

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2004 में आंशिक संशोधन आदेश दिनांक 16.5.06 के अनुसार (1) अनुसूचित जाति योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास में 65 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 15 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति, 10 प्रतिशत ओ.बी.सी., 10 प्रतिशत बी.पी.एल. व विकलांग (2) अनुसूचित जन जाति योजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों में 65 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति, छात्र-छात्राओं की कमी को दूसरे वर्ग से पूरा किया जाता है। (4) बी.पी.एल. व विकलांग एवं विधवा पुत्रों की संख्या उसी आरक्षित वर्ग में सम्मिलित है।

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र संख्या	आरक्षणानुसार सीट					प्रवेशित छात्र संख्या						रिक्त स्थान मय वास्तविक स्थिति				
			SC	ST	OBC	DT	BPL	SC	ST	OBC	DT	BPL	Total	SC	ST	OBC	DT	BPL
1	आदिम जाति सेवक संघ छात्रावास) बूंदी (एस टी)	25	4	16	3	-	2	7	18	-	-	-	25	+3	+2	-3	-	-2
2	राजकीय विमुक्त जाति छात्रावास बूंदी (डी.टी)	60	-	-	6	54	-	19	27	4	10	-	60	+19	+123	-2	-44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	राजकीय विमुक्त जाति छात्रावास हिण्डोली (डी.टी)	60	-	-	6	54	-	26	23	6	-	-	55	+26	+3	-	-54	-
4	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, लीखेरी	40	6	26	4	-	4	14	24	2	-	-	40	+8	+9	-2	-	-4
5	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, डाबी	40	6	26	4	-	4	8	29	3	-	-	40	+2	-1	-1	-	-4
6	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, समिधि	25	4	16	3	-	2	-	25	-	-	-	25	-4	+4	-3	-	-2
7	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, नमाना	50	8	33	5	-	5	18	32	-	-	-	50	+10	+11	-5	-	-5
8	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, गरडदा	25	4	16	3	-	2	1	20	-	-	-	21	-3	+3	-3	-	-2
9	राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, लक्ष्मीपुरा	40	26	6	4	-	4	20	17	3	-	-	40	-6	+11	-1	-	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	राजकीय अनु. जाति छात्रावास के. पाटन	80	52	12	8	-	8	46	15	3	-	-	64	-6	+3	-5	-	-8
11	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, इन्द्रगढ	40	26	6	4	-	4	25	14	1	-	-	40	-1	+8	-3	-	-4
12	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, लवाण	25	16	4	3		2	7	15	2	-	-	24	-9	+11	-1	-	-2
13	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, करवर	35	23	5	4	-	3	8	17	-	-	-	25	-15	+12	-4	-	-3
14	राजकीय अनु. जाति छात्रावास, कन्या बूंदी	40	26	6	4	-	4	20	17	3	-	-	40	-6	+11	-1	-	-4
15	राजकीय अनु. जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, कापरेन	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	राजकीय अनु. जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, देई	40	40	-	-	-	-	34	-	-	-	-	34	-6	-	-	-	-
17	राजकीय अनु. जाति (स्वच्छकार) छात्रावास, बूंदी	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
	योग :-	**690**	**306**	**172**	**61**	**108**	**44**	**318**	**293**	**27**	**10**	-	**648**	**+12**	**+121**	**-34**	**-98**	**-44**

परिशिष्ट ''ब''

छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रति छात्र उपलब्ध कराये गये बजट का विवरण

क्र.सं.	**मद**	**प्रति माह**	**प्रति सत्र 9½ माह के लिये**
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईधन	535	5082.50
2.	स्कूल यूनीफार्म मय सिलाई, जूते-मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि	85	807.50
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	26	247.00
4.	चद्दर, तकिया खोली एवं खेस आदि धुलाई	20	190.00
5.	बिजली-पानी	53	503.50
6.	समाचार पत्र-पत्रिकाएं आदि	6	57.00
	योग -	**725**	**6887.50**

परिशिष्ट-'स'

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	छात्रावास का नाम व स्थान	छात्रावासों के भवनों की स्थिति		भवन किराया प्रतिमाह	सुविधाओं का विवरण	विशेष विवरण
		राजकीय	किराया			
1	राजकीय अम्बेडकर अनु. जाति बालक छात्रावस, गरड़दा	-	किराया	325/-	बिजली की सुविधा है, पानी हेतु हैण्डपम्प की सुविधा उपलब्ध है।	-
2	राजकीय अम्बेडकर अनु. जाति बालक छात्रावस, इन्द्रगढ	राजकीय	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
3	राजकीय अम्बेडकर अनु. जाति बालक छात्रावास, करवड़	-	किराया	1113/-	पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध है।	भवन निर्माणाधीन।
4	राजकीय अम्बेडकर अनु. जाति बालक छात्रावास, केशरायपाटन	राजकीय	-	-	पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध है।	-
5	राजकीय अम्बेडकर अनु. जाति बालक छात्रावास, लक्ष्मीपुरा	राजकीय	-	-	पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध है।	भवन निर्माणाधीन।

क्र. सं.	छात्रावास का नाम व स्थान	छात्रावासों के भवनों की स्थिति		भवन किराया प्रतिमाह	सुविधाओं का विवरण	विशेष विवरण
		राजकीय	किराया			
6	राजकीय अम्बेडकर अनु. जाति बालक छात्रावस, लबान	-	किराया	3000/-	पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध है।	भवन निर्माणाधीन।
7	राजकीय सावित्री बाई फूले अनु. जाति कन्या छात्रावास, बूंदी	राजकीय	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
8	राजकीय अम्बेडकर अनु. जन जाति बालक छात्रावास, डाबी	-	किराया	1200/-	पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध है।	-
9	राजकीय अम्बेडकर अनु. जन जाति बालक छात्रावास लाखेरी	राजकीय	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
10	राजकीय अम्बेडकर अनु. जन जाति बालक छात्रावास, नमाना	राजकीय	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
11	राजकीय अम्बेडकर अनु. जन जाति बालक छात्रावास, बूंदी	-	किराया	2996/-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	भवन निर्माणाधीन।
12	राजकीय अम्बेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास, हिण्डौली	-	किराया	3730/-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	भवन निर्माणाधीन।

क्र. सं.	छात्रावास का नाम व स्थान	छात्रावासों के भवनों की स्थिति		भवन किराया प्रतिमाह	सुविधाओं का विवरण	विशेष विवरण
		राजकीय	किराया			
13	राजकीय अम्बेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास, हिण्डौली	-	किराया	1900/-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
14	राजकीय अम्बेडकर स्वच्छकार बालक छात्रावास, बूंदी द्वितीय	राजकीय	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
15	राजकीय अम्बेडकर स्वच्छकार बालक छात्रावास, देई	राजकीय	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
16	राजकीय अम्बेडकर स्वच्छकार बालक छात्रावास, कापरेन	राजकीय	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-
17	अनुदानित अनु. जन जाति बालक छात्रावास, बूंदी	संस्था का स्वयं का भवन	-	-	बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।	-

आस्था योजनान्तर्गत विकलांगों को देय सुविधाएं

369. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा विकलांगों को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विकलांगों को आस्था कार्ड जारी किये गये हैं? यदि हां, तो अब तक जारी कार्डो की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्ड जारी किए जाने के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आस्था कार्ड के अन्तर्गत विकलांगों को क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विकलांगों को उपलब्ध करवायी जा रही सहायता का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। अब तक जारी आस्था कार्डो की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) आस्था कार्ड जारी किये जाने के प्रावधान की प्रति परिशिष्ट 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) आस्था कार्ड के अंतर्गत विकलांगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'द' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर जिले में दलित समाज पर अत्याचार के दर्ज प्रकरण

370. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मगणगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार एवं संगीन मारपीट आदि के प्रकरणों में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के मामलों में कितनी सहायता? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसरदेव बाबर)

(2) सीकर जिले में गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के किन-किन व्यक्तियों को किस-किस प्रकरण में कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सीकर जिले में वर्तमान में ऐसे कितने प्रकरण आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने हेतु कब से विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला सीकर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की हत्या, बलात्कार एवं संगीन मारपीट आदि के प्रकरणों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' एवं नियम की प्रति परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सीकर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्त्यिों को वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 01.04.2006 से 28.02.2007 तक दी गई आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सीकर जिले में वर्तमान में आर्थिक सहायता हेतु विचाराधीन 52 मामले हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। लम्बित प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से शीघ्र जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मूक बधिर संस्थानों को देय सहायता में वृद्धि

371. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक मूक बधिर तथा विकलांग बच्चों से जुडी कौन-कौनसी संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों में कितने बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है? वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं को देय अनुदान में कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी व क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त संस्थाओं को देय अनुदान पुन: बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक मूक बधिर तथा विकलांग बच्चों से जुडी संस्थाओं को दिये गये अनुदान का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) उक्त संस्थाओं में लाभान्वित बच्चों की वर्षवार एवं जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। संस्थाओं के देय अनुदान में कोई कटौती ही नहीं की गई है। अत: पुन: बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित गांधी वाचनालय

372. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में कितनी ग्राम पंचायतें है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर गांधी वाचनालय कब से प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कितने गांधी वाचनालय चालू व कितने बन्द हैं? यदि बन्द हैं तो कब से व क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 276 ग्राम पंचायते हैं। जिसकी पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'अ'

(2) जिले की 276 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गांधी वाचनालय माह 10 जुलाई, 2003 से प्रारम्भ किये गये हैं।

(3) वर्तमान में 261 वाचनालय चालू हैं तथा 15 वाचनालय बन्द हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

इन 15 वाचनालयों के बन्द होने के संबंध में उल्लेख एवं बन्द होने के कारण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

373. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2004 से अब तक लक्ष्य के विरूद्ध कितने इन्दिरा आवासों (नये निर्माण क्रमोन्नत) का निर्माण किया गया? वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में कितनी राशि कब-कब जिला परिषदों को उपलब्ध कराई गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक उक्त योजनान्तर्गत कितने पात्रों को आवासों हेतु ऋण अनुदान प्रदान कर दिया गया? उक्त अनुदान हेतु प्रदान की गई राशि का विवरण वर्षवार व जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2004 से अब तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों/अनुसूचित जाति/जनजाति/गैर अनुसूचित जाति/जनजाति/मुक्त बधुंआ मजदूरों को निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितने आवास आबंटित किये गये? वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) केन्द्र सरकार की सिफारिश पर आधारित उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वितों की प्रतीक्षा सूची कितने ग्राम पंचायतों के प्रमुख स्थल पर चस्पा कर दी गई है? उक्त ग्राम पंचायतों की संख्या जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(6) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में कितने आवासों के द्वितीय किश्त हेतु आवेदन केन्द्र सरकार को कब-कब प्रेषित किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए मकानों के पुन: निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्र सरकार को आवेदन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(8) क्या वर्ष 2004-05 व 2005-06 में उक्त योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र रिपोर्ट तथा अंकेक्षण रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(9) वर्ष 2006-07 में उक्त योजनान्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में कितने आवासों हेतु 50 हजार रुपये अनुदान की अनुमति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इंदिरा आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2004-05 से माह फरवरी, 07 आवासों का निर्माण निम्नानुसार कराया गया :-

वर्ष	नये निर्माण		क्रमोन्नत	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2004-05	20805	21058	10132	9778
2005-06	26514	27930	11112	10443
2006-07 (फरवरी, 07 तक)	34094	11580	0	2111

वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आवासों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2(क), 2(ख) एवं 2(ग) पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2004-05 से माह फरवरी, 07 तक ऋण अनुदान योजना अंतर्गत लाभांवित व्यक्तियों एवं उनको प्रदान की गई अनुदान राशि का विवरण वर्षवार व जिलेवार परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों/अनुसूचित जाति/जन जाति/ गैर अनुसूचित जाति/जन जाति/मुक्त बन्धुआ मजदूरों के लिए अलग-अलग कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किये गये हैं। वर्ष 2004-05 से माह फरवरी, 07 तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों/अनु. जाति-जनजाति/गैर-अनु. जनजाति/बंधुआ मजदूरों को वास्तविक आबंटित आवासों का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट—4 (क), 4(ख) एवं 4 (ग) पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(5) केन्द्र सरकार की सिफारिश पर आधारित उक्त योजना अंतर्गत लाभांवितों की प्रतीक्षा सूची 9188 ग्राम पंचायतों को प्रमुख स्थल पर चस्पा कर दी गई है। ग्राम पंचायतों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(6) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में 34094 नये आवासों के द्वितीय किश्त हेतु आवेदन केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये जिनका जिलेवार एवं तारीखवार विवरण परिशिष्ट-6 पर अंकित है।

(7) इंदिरा आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2006-07 में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए मकानों के पुन: निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्र सरकार को आवेदन नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा 12 जिले जो कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए, में लगभग 1.00 लाख आवासों की क्षति/नष्ट होने की रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रति जिला 50.00 लाख रुपये (केन्द्रीय अंश+राज्यांश) स्वीकृत कर प्रथम किस्त की राशि जिलों को जारी की गई। आबंटित राशि से एक जिले में अधिकतम 200 नये आवासों का निर्माण कराया जा सकता है।

(8) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में उक्त योजना अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र रिपोर्ट तथा अंकेक्षण रिपोर्ट केन्द्र सरकार को समय पर प्रस्तुत कर दी गई है। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 की प्रस्तुत रिपोर्ट परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(9) वर्ष 2006-07 में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में 3299 आवासों हेतु 50000/- रुपये अनुदान की अनुमति प्रदान की गई। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गामड़ी (डूंगरपुर) ग्राम पंचायत की विद्यालय भूमि का अवैध बेचान

374. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गामड़ी, अह्ाड़ा, पंचायत समिति बिछीवाडा में ग्राम पंचायत द्वारा रातापाणी सड़क पर विद्यालय की भूमि पर दुकान बनाने के लिये पट्टा आबंटित किया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुशील कटारा)

(2) क्या सरकार पंचायत द्वारा विद्यालय की भूमि पर गलत तरीके से पट्‌टा जारी करने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचाव रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह पट्‌टा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य, नियम, 1961 के नियम 266 के अंतर्गत नि:शुल्क जारी किया गया है।

(2) जी हां।

रायपुर (पाली) ग्राम पंचायत के सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही

375. श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अतिरिकत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली द्वारा अपने पत्र क्रमांक/नियम/1459 दिनांक 15 फरवरी, 2007 द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर, पंचायत समिति रायपुर के विरूद्ध गैर मुमकिन प्राचीन गणेश तालाब की पाल खसरा नंबर 1865 के रकबा 7.03 बीघा के भूभाग पर बिना स्वामित्व की जांच किये कांग्रेस भवन बनाने की अनुमति देने के कारण सरपंच, रायपुर (पाली) को पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 में दोषी पाये जाने का आरोप पत्र बनाकर संभागीय आयुक्त जोधपुर को अग्रिम कार्यवाही करने को उक्त तिथि को आरोप पत्र भेजा गया है? यदि हां, तो सरकार संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा उक्त सरपंच के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) सरकार उक्त सरपंच को कब तक पद मुक्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक/नियम/1459 दिनांक 15, फरवरी, 2007 से जांच प्रतिवेदन सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को भेजा। जांच प्रतिवेदन में आरोप सिद्ध पाये जाने से श्री विजयराज पालडिया, सरपंच, ग्राम पंचायत रायपुर, पंचायत समिति रायपुर को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसकी सुनवाई 4.4.07 रखी गई है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) उक्त सरपंच से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

रायथल (जालौर) ग्राम पंचायत के पक्के कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

376. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रायथल, पंचायत समिति आहोर, जिला जालौर में वर्ष 1995 से 2000 तक के सरपंच के कार्यकाल के दौरान कराये गये पक्के व कच्चे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार/गबन किये जाने की शिकायत पंचायती राज विभाग व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है शासन सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में किसी को दोषी माना गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार, निरोधक ब्यूरो, जोधपुर से परिवाद सं. 102/2000 स्वपूर्ण टिप्पणी प्राप्त होने एवं उसमें 6 कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा दिनांक 21.4.05 से श्रीमति दाखू देवी सरपंच, ग्राम पंचायत रायथल को 6 आरोपों में स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु नोटिस दिया गया। आरोपी सरपंच द्वारा नोटिस का जवाब दिये जाने पर विभागीय पत्र दिनांक 14.6.05 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर को विस्तृत जांच कराने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाये जाने एवं उसमें भी आरोप साबित होने पर आरोपी सरपंच को दिनांक 15.10.05 से परिनिर्णय लेखबद्ध का नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। राज्य सरकार द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर संतुष्ट न होने की दशा में विभागीय आदेश दिनांक 20.1.06 से श्रीमति दाखू देवी सरपंच, ग्राम पंचायत रायथल को परिनिर्णय लेखबद्ध करते हुए अन्तर राशि 48562.00 रुपये मय दण्डनीय ब्याज के साथ वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये।

(पंचायती राज मंत्री)

उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी सरपंच द्वारा राज्य सरकार के समक्ष पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाकर विभागीय आदेश दिनांक 22.6.06 से पूर्व में जारी आदेश दिनांक 20.1.06 को अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित किया गया। प्रकरण सुनवाई में चल रहा है।

इसी प्रकरण में एक और शिकायत विभाग में प्राप्त होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर को दिनांक 12.4.05 से जांच कराने हेतु लिखा गया। उनके द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें भी दोषी माना गया। आरोपी सरपंच को विभाग द्वारा दिनांक 27.09.05 से स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा जवाब दिया गया। विभागीय आदेश दिनांक 19.12.05 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर को विस्तृत जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें भी आरोप साबित होने पर विभागीय पत्र दिनांक 2.5.06 से परिनिर्णय लेखबद्ध का नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा जवाब दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा जवाब का अवलोकन कर सुनवाई का अवसर दिया गया। जो अब प्रकरण सुनवाई में चल रहा है।

(2) जी हां। सरपंच, कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम सेवक को दोषी माना गया है।

सरपचं के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण भाग-1 में उल्लिखित है तथा कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम-16 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है जो अन्तिम चरण में है।

चम्बल टूरिस्ट बंगला कोटा का गैर पर्यटकीय उपयोग हेतु आबंटन

377. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने टूरिस्ट बंगले हैं? इनमें से कितने सरकार द्वारा ठेके पर दिये गये तथा कितने स्वयं संचालित किए जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त बंगलों को विवाह समारोह हेतु भी आबंटन किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2006-07 में कोटा का चम्बल ट्यूरिस्ट बंगला कितनी बार विवाह समारोह व सामूहिक भोज हेतु आबंटित किया गया तथा इससे सरकार को कितनी आमदनी हुई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के दौरान टूरिस्ट बंगलों में ठहरने वाले अन्य देशी व विदेशी पर्यटकों को असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस प्रकार के समारोह हेतु ट्यूरिस्ट बंगले के आवबंटन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के टूरिस्ट बंगले (होटल), मोटल एवं केफेटेरिया की संख्या कुल 72 है। जिनमें से निगम द्वारा संचालित 46 इकाइयां, लीज/लाइसेंस पर 12 इकाइयां एवं 14 इकाइयां बन्द स्थिति में है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटलों आदि को शादी समारोह के लिए भी किराए पर दिया जाता है। वर्ष 2006-07 में दिनांक 13.3.2007 तक होटल चम्बल कोटा को कुल 43 बार शादी समारोह आदि के लिए किराए पर दिया गया, जिससे इस इकाई को राशि रु. 592,313/- (रुपये पांच लाख बानवे हजार तीन सौ तेरह मात्र) की आय प्राप्त हुई है।

(3) जी नहीं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम को निगम की होटलों में ठहरने वाले अन्य देशी/विदेशी पर्यटकों से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की वर्तमान में संचालित/लीज, लाइसेंस/बंद पड़ी इकाइयों की जिलेवार नवीनतम सूचना

अजमेर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल खादिम		
सरोवर पुष्कर		
टूरिस्ट विलेज पुष्कर		
अलवर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
मीनल होटल अलवर		कैफेटेयिा तालवृक्ष
लेक पैलेस सिलीसेढ		
टाइगर डेन सरिस्का		
मिडवे बहरोड		
करौली		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
	यात्रिका कैलादेवी	
भरतपुर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
सारस होटल	मोटल डीग	
भीलवाड़ा		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
		कैंफेटेरिया मैनाल
	होटल भीलवाड़ा	मिडवे गुलाबपुरा
बीकानेर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल ढोलामारू		
बूंदी		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल वृन्दावती		

बाड़मेर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल खडताल		मिडवे बालौतरा
चूरू		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल चिरमी		
मिडवे रतनगढ़	यात्रिका सालासर	
चित्तौड़गढ़		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल पन्ना		
दौसा		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
मिडवे दौसा		
मिडवे महुआ		
डूंगरपुर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
मिडवे रतनपुर		
धौलपुर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
मिडवे धौलपुर		
जयपुर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल गणगौर		
होटल तीज		
होटल स्वागतम		
होटल टूरिस्ट		
कैफे. नाहरगढ़		
झील, टूरिस्ट विपेज रामगढ़		
कैफेटेरिया मावठ आमेर		
मिडवे शाहपुरा		

जैसलमेर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल मूमल		
समढ़ाणी		
मिडवे पोकरण		
जोधपुर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
		मिडवे फलौदी
	मिडवे ओसियां	
	मिडवे बाप	
	मिडवे ढेंचू	
झुन्झुनूं		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल झुन्झुनूं	मिडवे मंडावा	
झालावाड़		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल चन्द्रावती		
होटल गावडी तालाब		
कोटा		
संचालित	**बन्द इकाईयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल चम्बल		
नागौर		
संचालित	**बन्द इकाईयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल कुरजां	मिडवे मेडता	
पाली		
संचालित	**बन्द इकाईयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल पणिहारी		
होटल शिल्पी		
मिडवे बर		
राजसमन्द		
संचालित	**बन्द इकाईयां**	**लीज/लाईसेंस पर**
यात्रिका नाथद्वारा		रेस्टहाउस हल्दीघाटी
गोकुल नाथद्वारा		

सवाई माधोपुर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल झूमर बावड़ी		
विनायक होटल		
सिरोही		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
शिखर होटल मा. आबू	पुरजन निवास होटल	मोटल पिण्डवाडा
		सरोवर कैफेटेरिया
		अपोलो कैफेटेरिया
सीकर		
संचालित	**बन्द इकादयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल हवेली फतेहपुर	मिडवे सीकर	
	कैफैटेरिया महन्सर	
टोंक		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
	मिडवे देवली	
हनुमानगढ़		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
	होटल हनुमानगढ़	
उदयपुर		
संचालित	**बन्द इकाइयां**	**लीज/लाइसेंस पर**
होटल कजरी		होटल जयसमन्द
		मोटल गोगुन्दा
होटल गवरीॠषभदेव		

संचालित	**:**	**46**
लीज/लाईसेंस	**:**	**12**
बन्द	**:**	**14**
कुल	**:**	**72**

सहाड़ा के महिला बाल विकास कार्यालय में रिक्त पद

378. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दो परियोजनाएं संचालित हैं बाल विकास परियोजना, सहाडा एवं बाल विकास परियोजना, रायपुर (ग्रामीण)। इन परियोजनाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

परियोजना सहाड़ा			
पद नाम	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**	**पद रिक्त होने की तिथि**
1 बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	1	17.7.06
2 महिला पर्यवेक्षक	5	2	02.10.05
3 कनिष्ठ लेखाकार	1	-	16.09.06
4 वरिष्ठ लिपिक	1	-	
5 कनिष्ठ लिपिक	1	-	
6 वाहन चालक	1	-	
7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-	

परियोजना रायपुर

पद नाम	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**	**पद रिक्त होने की तिथि**
1 बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	1	09.08.04
2 कनिष्ठ लेखाकार	1	-	
3 वरिष्ठ लिपिक	1	-	
4 कनिष्ठ लिपिक	1	-	
5 महिला पर्यवेक्षक	5	-	
6 वाहन चालक	1	-	
7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-	

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी उपलब्ध होते ही रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। अन्य विभागों से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर उपल्बध होने पर भी रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कर दी जायेगी।

महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

निवाई में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

379. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? इन केन्द्रों पर कितने पद किस-किस प्रकार के स्वीकृत हैं और इनमें से कितने कहां-कहां रिक्त हैं? सरकार द्वारा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर कौन-कौन कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक उक्त क्षेत्र में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में 177 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिनमें से बाल विकास परियोजना, निवाई के अधीन 142 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना, टोंक ग्रामीण के अधीन 35 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक-एक पद कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी के स्वीकृत है।

आगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वीकृत पदानुसार इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 21 पद कार्यकर्ता, 55 पद सहायिका एवं 81 पद सहयोगिनी के रिक्त हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी के रिक्त पदों को आगामी ग्राम सभाओं में चयन प्रस्ताव प्राप्त कर, चयन आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

(2) उक्त केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी कार्यरत है। जिसकी केन्द्रवार सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जनवरी, 2004 से अब तक उक्त विधान सभा क्षेत्र की बाल विकास परियोजना, निवाई में 32 नवीन केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना, टोंक (ग्रामीण) में 4 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। इस प्रकार निवाई विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल 36 नवीन केन्द्र खोले गये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए वर्ष 2006-07 में 1510 नवीन अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें टोंक जिला भी सम्मिलित है। इस स्वीकृति को राज्य में प्रवृत्त करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके उपरांत ही केन्द्रों की संख्या एवं स्थल निर्धारण का कार्य प्रारंभ हो सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेविका (द्वाकरा) को चयनित वेतनमान

380. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम सेविका (द्वाकरा) को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें। इन नियमों के अन्तर्गत कितनी ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया शेष किन-किन ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान देय है? इन्हें अभी तक चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एक ही केडर में दोहरी नीति अपनाने के लिए एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

(3) क्या सरकार विलम्ब करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती वन्दना मीणा)

(4) शेष ग्राम सेविकाओं को अब कब तक चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) ग्राम सेविका का पद द्वाकरा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत था। राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 दिनांक 18.7.98 से प्रभावी हुए हैं। उक्त नियम प्रभावी होने से पूर्व ग्राम सेविकाओं को वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.92 के पैरा 5 में प्रावधानुसार वित्त विभाग की राय अनुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये तथा विभागीय नियम प्रभावी होने की दिनांक 18.7.98 के पश्चात 9, 18, 27 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.16(2)वित्त/98 दिनांक 17.2.98 के प्रावधान अनुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये। आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

वर्तमान में कार्यरत ग्राम सेविकाओं में से 52 ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। सूची परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है। 129 ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना शेष है। सूची परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है। द्वाकरा योजना दिनांक 1.4.99 को समाप्त होने पर ग्राम सेविकाओं के पद आदेश दिनांक 25.03.2000 द्वारा दिनांक 1.3.2000 से समाप्त होने पर इन्हें अधिशेष घोषित कर महिला सुपरवाइजर के पदों के विरूद्ध अपनी स्वयं की वेतन श्रृखंला में अग्रिम आदेशों तक पदस्थापित किया हुआ है। इन ग्राम सेविकाओं को महिला सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति प्रदान करने संबंधी सेवा नियमों में संशोधन विचाराधीन है। वित्त विभाग की राय के अनुसार विभागीय सेवा नियमों में संशोधन होने के उपरांत ही ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है। वित्त विभाग की राय से विभागीय सेवा नियम 1998 के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.92 के पैरा 5 के अनुसार एकल पद मानकर स्वीकृत किया गया था।

(3) जी नहीं। क्योंकि विभागीय सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन उपरांत वित्त विभाग की राय के अनुसार ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(4) विभागीय सेवा नियम-1998 में आवश्यक संशोधन व वित्त विभाग की राय पश्चात ही चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चित्तौड़गढ़ जिले के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

381. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में स्वयं के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के भवन कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है? तहसीलवार सूचना उपलब्ध कराते हुए यह भी बताने का कष्ट करें कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं हैं?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में स्वयं के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 706 है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में तीन हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण की घोषणा की है। बजट प्रस्ताव 2007-08 पर नीति निर्धारण एवं जिलेवार लक्ष्य निर्धारण का काम बजट पारित होने के उपरान्त प्रारम्भ हो सकेगा। अत: तहसीलवार विवरण उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में 253 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्डपम्प नहीं लगे हुए हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पचार (सीकर) ग्राम की बन्द निगम बस सेवाओं का पुनर्संचालन

382. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले के पचार ग्राम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कौन-कौनसी बस सेवाएं संचालित हैं? गत तीन वर्षों में इन बस

(श्री नवरतन राजोरिया)

सेवाओं में कितना यात्री भार रहा तथा उससे कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर व सीकर के लिए उक्त ग्राम से अतिरिक्त बस सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम से अजमेर के लिए भी निगम की बस सेवा प्रारंभ की गई थी? यदि हां, तो कब? क्या इस बस सेवा को बंद कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर जिले के पचार ग्राम में राजस्थान परिवहन निगम की निम्न मार्गों पर बस सेवायें संचालित हैं :-

1- सीकर से पचार 2 परिचक्र दैनिक

2- जयपुर से पचार 2 परिचक्र दैनिक

उक्त बस सेवाओं को गत 3 वर्षों में यथा 2004, 2005 एवं 2006 में उपलब्ध हुये यात्रीभार एवं आय प्रति कि.मी. का विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में संचालित बस सेवाओं को उपलब्ध हो रहे यात्रीभार के अनुसार बस सेवायें पर्याप्त हैं अत: अतिरिक्त बस सेवा के संचालन का निगम का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। दिनांक 18.1.2007 से 15 दिवस के लिये अजमेर-रेनवाल मार्ग पर 15.15 बजे संचालित बस सेवा को पचार तक वृद्धिकृत कर संचालित किया गया था परन्तु आय प्रति कि.मी. 11.14 रु. एवं यात्रीभार 54 प्रतिशत ही प्राप्त होने के कारण इसका संचालन बन्द कर दिया गया।

उक्त बस सेवा का संचालन पुन: दिनांक 1.3.2007 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

परिशिष्ट "1"

सीकर जिले के पचार ग्राम तक संचालित निगम बसों की मार्गवार प्राप्त औसत आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	मार्ग का नाम	औसत आय (प्रति कि.मी.) (पै.)	औसत यात्री भार प्रतिशत में
1	2004	सीकर-पचार-सीकर	1135	66
2	2005	सीकर-पचार-सीकर	1190	65
3	2006	सीकर-पचार-सीकर	1228	62
4	2004	जयपुर-पचार	0951	55
5	2005	जयपुर-पचार	1130	66
6	2006	जयपुर-पचार	1214	61

जयपुर किशनपुरा (चौमूं) बस सेवा का पुनर्संचालन

383. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से किशनपुरा (चौमूं) निगम बस सेवा संचालित थी? यदि हां, तो इसे बंद करने के क्या कारण रहे?

(2) क्या सरकार उक्त सेवा को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से किशनपुरा मार्ग पर पूर्व में 2 बसें संचालित थी जिनमें से निम्नानुवार संचालित एक बस सेवा का संचालन माह अगस्त, 2005 से कम आय प्राप्त होने के कारण बन्द कर दिया गया :-

चौमूं	किशनपुरा	किशनपुरा	चांदपोल
0700	0815	0830	1115
चांदपोल	किशनपुरा	किशनपुरा	चांदपोल
1350	1635	645	1920
चांदपोल	चौमूं		
1930	2030		

(यातायात मंत्री)

इस बस सेवा को गत 4 माह में औसतन 10.88 रु. आय प्रति कि.मी. प्राप्त हुआ है।

एक बस सेवा का संचालन यथावत किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। प्रश्न के भाग संख्या-1 में अंकित कारण से इस बस सेवा का संचालन पुन: प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

यात्रियों की सुविधार्थ जयपुर से किशनपुरा मार्ग पर निम्न समयानुसार एक बस सेवा का संचालन यथावत किया जा रहा है:-

किशनपुरा	जयपुर	जयपुर	किशनपुरा
0630	0840	0850	1050
1100	1300	1510	1720
किशनपुरा	चौमूं	चौमूं	किशनपुरा
1730	1830	1900	2000

जगतपुरा ग्राम से आकेड़ा (जयपुर) तक मिनी बसों का संचालन

384. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मार्ग संख्या 17 महल योजना, जगतपुरा से ग्राम आकेड़ा तक संचालित है? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर संचालित मिनी बस ग्राम आकेड़ा तक नहीं जाकर भट्टा बस्ती थाना तक ही संचालित है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस संबंध में सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस से व इन प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 2006 से मार्च, 2006 तक उक्त मार्ग पर संचालित आठ मिनी बसों के चालान विभाग के निरीक्षकों द्वारा किए गये हैं? यदि हां, तो किस-किस मिनी बस के? किये गये चालानों की प्रति एवं चालान से वसूल की गयी जुर्माने की राशि की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि चालान का जुर्माना वसूल नहीं किया गया तो उसके लिए कौन दोषी है तथा क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर संचालित मिनी बसों को ग्राम आकेड़ा तक संचालित करने हेतु मिनी बस मालिकों को पाबंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मार्ग संख्या 17 महल योजना जगतपुरा से ग्राम आकेड़ा तक संचालित हैं तथा इसी के अनुरूप अनुज्ञापत्र जारी हैं। किन्तु जांच कराने पर यह जानकारी प्राप्त हुयी कि इस मार्ग की बसें प्राय: आकेड़ा गांव तक नहीं जाकर भट्टा बस्ती थाने तक ही संचालित हो रही हैं। निर्धारित मार्ग पर नहीं चलने के कारण मार्ग के वाहनों के विरूद्ध चालान बनाये गये हैं तथा अनुज्ञापत्र धारियों को निर्धारित मार्ग पर संचालन हेतु पाबन्द किया गया है।

(2) जी हां। विभाग के निरीक्षकों द्वारा जनवरी 2006 से मार्च 2006 तक वस्तुत: उक्त मार्ग की वाहनों के 6 चालान किये गये हैं। जिन वाहनों के चालान बनाये गये उनके पंजीयन नम्बर निम्नानुसार है :-

1. RJ14P-2689 2. RJ14P-4971

3. RJ14P-4031 4. RJ23P-0250

5. RJ14P-4891 5. RJ05P-0469

बनाये गये चालनों की प्रति तथा रसीद की प्रति विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है। उक्त 6 चालानों में से 5 चालान, चालान बनाये जाते समय वाहन निर्धारित मार्ग पर होने के कारण पत्रित कर दिये गये, जब कि एक वाहन का चालान माननीय न्यायालय द्वारा 100/- जुर्माना राशि वसूल कर निर्णित किया गया।

(3) जी हां। उक्त मार्ग की बसों को ग्राम आकेड़ा तक संचालित करने हेतु परमिटधारियों को पाबंद कर दिया गया है। इस हेतु उन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जनजाति आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पद

385. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं का वर्ष 2005-06 में बोर्ड परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहा? यदि हां, तो विद्यालयवार परीक्षा परिणाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बालिका आवासीय विद्यालय का

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहने का कारण अध्यापकों की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं का वर्ष 2005-06 में बोर्ड परीक्षा परिणाम तुलनात्मक रूप से कम रहा है।

विद्यालयवार परीक्षा परीणाम परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बालिका आवासीय विद्यालय का परीक्षा परिणाम कम रहने के कारणों में अध्यापकों की कमी रहना भी है। सरकार द्वारा वर्तमान सत्र में रिक्त विषयाध्यापक पदों पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

परिशिष्ट 'अ'

जनजाति अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रवेशित एवं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	उदयपुर	1. सलूम्बर (छात्र) 2. खैरवाड़ा 3. कोटड़ा	30 42 15	8 12 1	26.67 28.57 6.67
2	बांसवाड़ा	4. कुशलगढ़	48	5	10.42
3	चित्तौड़गढ़	5. प्रतापगढ़	27	18	66.67
4	डूंगरपुर	6. सीमलवाड़ा	47	6	12.77
5	सिरोही	7. आबूरोड़	13	-	0.00
6	टोंक	8. निवाई (छात्रा)	41	15	36.59
7	बारां	9. शाहबाद	23	1	4.35
	योग		**286**	**66**	**23.08**

जमवारामगढ़ में ग्राम सम्पर्क कार्यक्रमान्तर्गत लम्बित प्रकरण

386. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यदि हां, तो कब से कब तक एवं इसका क्या कार्य समय निश्चित किया गया था?

(2) उक्त कार्यक्रम जिस उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया और इसकी क्या उपलब्धियां रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने व समय पर कार्य नहीं करने के कारण उक्त कार्यक्रम का आयोजन सरकार को करना पड़ा? यदि हां, तो भविष्य में किसानों एवं आम लोगों का कार्य अपेक्षित कार्यालय समय पर पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त कार्यक्रम के तहत कितने प्रार्थना-पत्र सूचना किस-किस व्यक्ति से किस-किस कार्य के लिए प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों का निपटारा हुआ तथा कितने प्रकरण निपटारे के लिए शेष हैं? शेष प्रकरणों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम दिनांक 2 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2007 तक पूरे राज्य में आयोजित किया गया। कुछ ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम माह फरवरी, 2007 में भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का कार्य समय प्रात: 9.00 बजे से कार्य समाप्ति तक निश्चित किया गया था।

(2) उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनके द्वार पर राहत पहुंचाने के साथ-साथ विकास कार्यों में उनकी भागीदारी एवं सहयोग सुनिश्चित करना व पारदर्शिता लाना था। इस कार्यक्रम की उपलब्धियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। उक्त कार्यक्रम सरकार द्वारा आम जनता को उनके द्वार पर राहत पहुंचाने के साथ-साथ विकास कार्यों में उनकी भागीदारी एवं सहयोग सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता लाने हेतु किया गया था।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति जमवारामगढ़ के 375, पंचायत समिति शाहपुरा की 3 ग्राम पंचायतों के 49, पंचायत समिति विराटनगर के 72 तथा पंचायत समिति आमेर के 27 अर्थात कुल 523 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से 385 प्रार्थना-पत्रों का निपटारा किया गया तथा 138 प्रकरण निपटारे के लिये शेष हैं। शेष प्रकरणों का निपटारा शीघ्र कर दिया जायेगा। कुल प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

387. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिस परिवार में दो व्यक्ति विकलांग हों, उनको बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए आस्था कार्ड जारी करने का सरकार ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो जिला बूंदी की विभिन्न पंचायत समितियों में ऐसे कितने व्यक्तियों को आस्था कार्ड जारी किये गये और इस प्रकार के कितने परिवारों का चयन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने इस प्रकार के चयनित व्यक्तियों को अन्त्योदय अन्न योजना के तीसरे विस्तार में शामिल करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो जिला बूंदी में उक्त प्रकार के ऐसे कितने लोगों को अन्त्योदय अन्न योजना के तीसरे विस्तार में शामिल किया गया?

(4) क्या राजस्थान के अन्य जिलों में इस प्रकार के परिजनों को आस्था कार्ड जारी कर दिये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कितने-कितने व्यक्तियों को आस्था कार्ड जारी किये गये और कितने ऐसे परिवारों का चयन किया गया जिनमें आस्था कार्ड जारी होना अब भी शेष है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) जी हां। बून्दी जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में 60 आस्था कार्ड जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। आस्था योजनान्तर्गत चयनित व्यक्ति या परिवार अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित होने का स्वत: ही पात्र नहीं है। अन्त्योदय अन्न योजना में लाभान्वितों के चयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों में चयन की प्राथमिकताएं स्पष्ट की जाती है। ऐसे परिवार जिनके मुखिया निशक्त हो या ऐसे व्यक्ति जो स्वयं निश्चित हो किन्तु उनकी आजीविका/जीवन निर्वाह का सुनिश्चित स्रोत या सोसायटी की सुनिश्चित सहायता नहीं हो, का अन्त्योदय अन्न योजना में चयन किया जा सकता है। केन्द्र सरकार के निर्देशों के संदर्भ में जारी विभागीय पत्र दिनांक 19.12.2005 की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

बून्दी जिले में विधवा एवं स्थाई बीमार/विकलांग व्यक्तियों/60 वर्ष से अधिक आदि के प्राथमिकता संदर्भ में बीपीएल सूची में से 367 व्यक्तियों का अन्त्योदय अन्न योजना में चयन किया गया है।

(4) राजस्थान में आस्था योजनान्तर्गत चयनित परिवारों एवं जारी आस्था कार्डों की संख्या एवं शेष रहे परिवारों की संख्या का विवरण परिशिष्ट- 'स' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला परिषदों में रिक्त पद

388. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के जिला परिषदों में नवीन मानदण्डों पर आधारित कितने पदों के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला परिषद द्वारा वर्ष 2004 से अब तक कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक राज्य के कितने जिला परिषदों के

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कार्यालय निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2006-07 में जिला परिषद की प्रशासन योजनान्तर्गत किस-किस जिले की द्वितीय किस्त का आवेदन विलम्ब से केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया और इसके क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जिला परिषद (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) में भारत सरकार की डीआरडीए प्रशासन योजना के स्टाफिंग पेर्टन अनुसार जिलेवार व पदवार सूचना परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। इस पेर्टन के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की जिलेवार एवं पदवार सूचना विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(2) जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2004 से अब तक कर्मचारियों को नियुक्त कर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की सूचना परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2004 से अब तक जिला परिषद (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) झालावाड़, बून्दी, बारां, धौलपुर एवं भरतपुर के लिए कार्यालय निर्माण हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं, जो परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(4) वर्ष 2006-07 में जिला परिषदों की प्रशासन योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त का आवेदन प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण कटौती नहीं की गयी है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सामाजिक अंकेक्षण

389. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2007 में चलाये गये ग्राम सम्पर्क अभियान के दौरान किये गये सामाजिक अंकेक्षण में कितनी परिसम्पत्तियों का अस्तित्व ही नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है? जिलेवार संख्या विवरण व सिरोही जिले की ऐसी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सामाजिक अंकेक्षण में कितनी सम्पत्तियों में निर्धारित से कम राशि व्यय होने के प्रकरण सामने आए? जिलेवार संख्या विवरण व जिला सिरोही की पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2007 में चलाये गये ग्राम सम्पर्क अभियान के दौरान किये गये सामाजिक अंकेक्षण में कुल 146 परिसम्पत्तियां अस्तित्व में नहीं पाई गई। अस्तित्व में नहीं पाई गई परिसम्पत्तियों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सिरोही जिले में अस्तित्व में नहीं पाई गई परिसम्पत्तियों की संख्या शून्य है।

(2) ग्राम सम्पर्क अभियान के दौरान किये गये सामाजिक अंकेक्षण में निर्धारित से कम राशि व्यय की गई कुल 334 परिसम्पत्तियां पाई गई हैं जिनकी संख्या का जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम 4 पर उपलब्ध है।

सिरोही जिले में केवल पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत दत्ताणी में ऐसे 3 प्रकरण पाये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

ग्राम सम्पर्क अभियान के दौरान परिसम्पत्तियां जो अस्तित्व में नहीं पाई गई एवं जिन पर निर्धारित से कम राशि व्यय हुई का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	परिसम्पत्तियों की संख्या जो अस्तित्व में नहीं पाई गई	परिसम्पत्तियों की संख्या जिन पर निर्धारित से कम राशि व्यय हुई
1	अजमेर	-	-
2	अलवर	10	33
3	बांसवाड़ा	-	-
4	बारां	3	17
5	बाड़मेर	11	16
6	भरतपुर	-	-
7	भीलवाड़ा	-	-
8	बीकानेर	-	23
9	बून्दी	-	7
10	चित्तौड़गढ़	1	-
11	चूरू	-	4
12	दौसा	1	1

क्र.सं.	जिले का नाम	परिसम्पत्तियों की संख्या जो अस्तित्व में नहीं पाई गई	परिसम्पत्तियों की संख्या जिन पर निर्धारित से कम राशि व्यय हुई
13	धौलपुर	-	-
14	डूंगरपुर	1	10
15	गंगानगर	5	12
16	हनुमानगढ़	16	17
17	जयपुर	8	23
18	जैसलमेर	-	-
19	जालौर	25	42
20	झालावाड	1	-
21	झुन्झुनूं	12	4
22	जोधपुर	-	-
23	करौली	17	37
24	कोटा	-	8
25	नागौर	-	9
26	पाली	3	-
27	राजसमन्द	-	-
28	सवाई माधोपुर	32	64
29	सीकर	-	-
30	सिरोही	-	3
31	टोंक	-	-
32	उदयपुर	-	4
	योग	**146**	**334**

परिशिष्ट-2

बिन्दु संख्या 2 से संबंधित सूचना

क्र.सं.	**ग्राम पंचायत**	**पंचायत समिति**	**कार्य का विवरण**	**प्रकरण में की गई कार्यवाही**
1	दत्ताणी	रेवदर	श्री बाबू/खेता के कुएं के पास चैक डेम निर्माण	उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमेटी गठित कर कमेटी द्वारा जांच करवायी जा रही है।
2	दत्ताणी	रेवदर	वाटर डायवरसन पुराना पिपलिवा का निर्माण कार्य	उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमेटी गठित कर कमेटी द्वारा जांच करवायी जा रही है।
3	दत्ताणी	रेवदर	नाली निर्माण पूनमसिंह के घर से भरत भाई के घर तक एवं सी.सी. रोड निर्माण	उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमेटी गठित कर कमेटी द्वारा जांच करवायी जा रही है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-191 की सूची)

आगारवार वित्तीय वर्ष 2006-07 (अप्रैल, 06 से जनवरी, 07) के संकलित शुद्ध लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ हानि में रहे आगार

लाभ में रहे आगार

क्र.सं.	**आगार का नाम**
1.	डीलक्स आगार
2.	जयपुर
3.	जालोर
4.	सांगानेर
हानि में रहे आगार	
क्र.सं.	**आगार का नाम**
1.	आबूरोड़
2.	अजयमेरू
3.	अजमेर
4.	अलवर
5.	अनूपगढ़
6.	बांसवाड़ा
7.	बारां
8.	बाड़मेर
9.	ब्यावर
10.	भरतपुर
11.	भीलवाड़ा
12.	बीकानेर
13.	बून्दी
14.	चित्तौडगढ़
15.	चूरू
16.	दौसा
17.	धौलपुर
18.	डीडवाना
19.	डूंगरपुर

क्र.सं.	आगार का नाम
20.	फालना
21.	गंगानगर
22.	हनुमानगढ़
23.	हिण्डौन
24.	झालाना डूंगरी
25.	झालावाड़
26.	झुन्झुनूं
27.	जोधपुर
28.	खेतड़ी
29.	कोटा
30.	कोटपूतली
31.	लोहागढ़
32.	मत्स्यनगर
33.	नागौर
34.	पाली
35.	फलौदी
36.	सरदारशहर
37.	सीकर
38.	सिरोही
39.	श्रीमाधोपुर
40.	तिजारा
41.	टोंक
42.	उदयपुर
43.	वैशाली नगर
44.	विद्याधर नगर

परिशिष्ट-1

निगम को हानि से उबारने हेतु किये जा रहे प्रयास

निगम को हो रही हानि से उबारने के लिए निगम स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:-

1. दिनांक 1.3.2007 से नई ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू की जा रही है जिससे वाहन उपयोगिता बढ़ सके एवं सेवाओं का समानान्तर संचालन न हो।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6.7.2006 द्वारा यात्री किराये में वृद्धि की गई थी जिसके क्रम में निगम द्वारा दिनांक 11.7.2006 से नई किराया दर लागू की गई।
3. डीजल औसत और टायर लाइफ में सुधार किया जा रहा है।
4. गैर संचालित आय में सुधारात्मक तथा अधिक आय अर्जित करने के प्रयास जारी है।
5. तेल कम्पनियों से डीजल एवं आयल लुब्रीकेन्ट की खरीद पर नेगोसियेशन कर 450 रु. प्रति किलोमीटर छूट प्राप्त की गई है, जिससे निगम को लगभग 4 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की बचत होगी।
6. इसके अतिरिक्त निगम के विभिन्न आगारों एवं कार्यशालाओं में उपलब्ध अनुपयोगी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।
7. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगभग 2.50 कि.मी. की वृद्धि की गई है। वर्ष 2005 में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन संचालन 72.68 कि.मी. था जिसे इस वर्ष 2006 तक बढ़ाकर 75.18 कि.मी. प्रति कर्मचारी प्रतिदिन किया गया।
8. वाहनों का आकस्मिक एवं प्रभावी निरीक्षण कराया जा रहा है।
9. अनाधिकृत संचालन पर रोक हेतु राज्य सरकार की सहायता से समय-समय पर अभियान चलाकर रोक लगाई जा रही है।
10. प्रतिस्पर्धा में टिकिने हेतु युक्तिपूर्ण तरीके से किराये में कमी की जा रहे है।
11. निगम प्रबन्धन द्वारा समस्त फील्ड अधिकारियों को गीयर अप किया जा रहा है तथा नियमित रूप से समय-समय पर संचालन परिणामों की समीक्षा की जा रही है।

12. बसों की स्थिति में सुधार कर विभिन्न भौतिक पैरामीटर्स यथा वाहन उपयोगिता, वाहन बेडा उपयोगिता, डीजल औसत, ब्रेक डाउन दर, दुर्घटना दर आदि में सुधार किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07 (जनवरी, 2007 तक)
1.	वाहन उपयोगिता प्रति बस प्रतिदिन कि.मी.	342	346	370	380
2.	वाहन बेडा उपयोगिता प्रतिशत	94	96	96	96
3.	डीजल औसत कि.मी. प्रति लीटर	4.96	5.00	5.09	5.00
4.	ऑयल टॉप अप औसत प्रति कि.मी. प्रति लीटर	2319	2903	3208	3477
5.	ब्रेक डाउन दर प्रति दस हजार कि.मी.	0.12	0.11	0.11	0.11
6.	दुर्घटना दर प्रति एक लाख कि.मी.	0.12	0.12	0.11	0.11

परिशिष्ट-1

राजस्थान परिवहन निगम की पड़ौसी राज्यों में संचालित हो रही राज्यवार दैनिक संचालन हेतु स्वीकृत एकल परिचमों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	संचालित दैनिक संवाऐं
1.	हरियाणा	456
2.	मध्य प्रदेश (अधिसूचित मार्ग पर)	509
3.	उत्तर प्रदेश	378
4.	गुजरात	268
5.	पंजाब	71
6.	चण्डीगढ़	6
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू व कश्मीर	12
9.	महाराष्ट्र (विधिवत कोई करार नहीं है परन्तु अस्थाई अनुज्ञापत्रों पर बस सेवायें संचालित हैं)	8
10.	उत्तरांचल	39
11.	दिल्ली	442

परिशिष्ट-1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

निगम में दिनांक 01.02.2007 की स्थिति में वर्गवार कार्यरत स्टाफ की सूची

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष	1	1	-
2.	प्रबन्ध निदेशक	1	1	
3.	वित्तीय सलाहकार	1	1	
4.	कार्यकारी निदेशक	3	2	1
5.	कार्यकारी निदेशक (अभियांत्रिकी)	1	1	-
6.	अधीक्षण अभियन्ता (निर्माण)	1	1	-
7.	महाप्रबन्धक	3	3	-
8.	महा प्रबन्धक (लेखा)	1	3	1
9.	संयुक्त महा प्रबन्धक	7	5	2
10.	सचिव	1	1	-
11.	उप महा प्रबन्धक	9	8	1
12.	अधिशासी अभियन्ता (निर्माण)	2	2	-
13.	सम्भाग यांत्रिक अभियन्ता	15	11	4
14.	भण्डार नियंत्रक	2	-	2
15.	सम्भाग प्रबन्धक	15	14	1
16.	सहायक महा प्रबन्धक (प्रशासन)	1	1	-
17.	सहायक महा प्रबन्धक (सांख्यिकी)	4	3	1
18.	सहायक सम्भाग प्रबन्धक	38	29	9
19.	सहायक अभियन्ता (निर्माण)	5	5	-
20.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	1	1	-
21.	सहायक वास्तुविद	1	1	-
22.	निजी सचिव	4	4	-
23.	कार्मिक अधिकारी	1	1	-
24.	लेखाधिकारी	20	12	8
25.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	44	21	23

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
26.	क्रय एवं भण्डार अधिकारी	6	-	6
27.	जन सम्पर्क अधिकारी	1	1	-
28.	ए.सी.सी.	1	1	-
29.	मुख्य विधि सहायक	3	3	-
30.	सांख्यिकी अधिकारी	5	5	-
31.	प्रशासनिक अधिकारी	28	6	22
32.	प्रेस अधीक्षक	1	1	-
33.	श्रम कल्याण अधिकारी	5	5	-
34.	वरिष्ठ निजी सहायक	17	15	2
35.	आगार प्रबन्धक	46	18	28
36.	सहायक लेखाधिकारी	58	46	12
37.	कनिष्ठ अभियन्ता-ए	54	10	44
38.	वरिष्ठ कार्यदेशक	18	6	12
39.	कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण)	6	5	1
40.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	1	-	1
41.	प्रोग्रामर	2	2	-
42.	भण्डार अधीक्षक	13	9	4
43.	लेखाकार	134	119	15
44.	निजी सहायक	30	24	6
45.	कार्यालय अधीक्षक	40	24	16
46.	कनिष्ठ अभियन्ता-ब/कनिष्ठ कार्यदेशक	264	211	53
47.	सहायक आगार प्रबन्धक/याता निरीक्षक	145	91	54
48.	वरिष्ठ प्रारूपकार (निर्माण)	2	1	1
49.	श्रम कल्याण निरीक्षक	10	4	6
50.	सहायक सांख्यिकी	28	25	3
51.	विधि सहायक	50	33	17
52.	कार्यालय सहायक	80	69	11
53.	भण्डार निरीक्षक	56	51	5
54.	कनिष्ठ लेखाकार	228	205	23
55.	सुरक्षा निरीक्षक	1	-	1
56.	शीघ्रलिपिक	19	6	13

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
57.	सहायक यातायात निरीक्षक	319	179	140
58.	प्रारूपकार (तकनीकी)	1	-	1
59.	संगणक	146	144	2
60.	वरिष्ठ लिपिक	403	335	68
61.	भण्डार उप निरीक्षक	149	122	27
62.	कनिष्ठ प्रारूपकार (निर्माण)	1	-	1
63.	टेलीफोन मोनीटर	1	-	1
64.	आर्टिजन ग्रेड-प्रथम	1095	959	136
65.	मुख्य सुरक्षा प्रहरी	52	29	23
66.	कम्पाऊण्डर ग्रेड-तृतीय	3	1	2
67.	टेलीफोन ऑपरेटर	3	3	-
68.	कनिष्ठ लिपिक	1053	866	187
69.	आर्टिजन ग्रेड-द्वितीय	1550	1143	407
70.	पेन्टर	1	1	-
71.	वायरमेन	1	-	1
72.	सुरक्षा प्रहरी	246	69	177
73.	मशीन मैन	3	2	1
74.	वायरमैन ग्रेड-तृतीय	1	-	1
75.	आर्टिजन ग्रेड-द्वितीय	1880	1579	301
76.	जमादार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	544	489	55
77.	फैरोमैन	1	-	1
78.	बागवान	2	2	-
79.	स्वीपर	159	145	14
80.	उप अधीक्षक पुलिस	2	-	2
81..	वृत्त निरीक्षक	1	-	1
82.	उप निरीक्षक पुलिस	3	-	3
83.	मुख्य आरक्षी	2	-	2
84.	आरक्षी	5	-	5
85.	बुकिंग क्लर्क	1371	1020	351
86.	टेसर	1	1	-
87.	चालक	7869	6645	1224
88.	परिचालक	7920	7032	888
	योग :-	**26322**	**21891**	**4431**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-192 का विवरण)

(अ) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में बिखरी जनजाति हेतु वर्ष 2005-06 व 2006-07 में व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2005-06	222500
2006-07	3500

(ब) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में बिखरी जनजाति योजना में लाभान्वित व्यक्तियों/कार्यों की सूची :-

(i) प्रतिभावान छात्रवृत्ति

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	ग्राम	उपलब्ध कराई राशि
वर्ष 2005-06			
1	दलीप कुमार/अमर सिंह मीणा	सोटवारा	3500.00
2	रवि शंकर/सावर मीणा	तोगड़ा कलां	3500.00
वर्ष 2006-07			
3	रवि शंकर/सावर मल मीणा	तोगड़ा कलां	3500.00

(ii) जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	ग्राम	उपलब्ध कराई राशि
वर्ष 2005-06			
1	सुनीता/गोकुल चन्द मीणा	मुकन्दगढ़	3500.00

(iii) हिस्सा पूंजी अंशदान राशि वर्ष (2005-06)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	ग्राम	उपलब्ध कराई राशि
1	2	3	4
1.	बनवारीलाल/बिलासराम मीणा	टोंक छिलरी	50.00
2.	भंवरलाल/बिलासराम मीणा	टोंक छिलरी	50.00
3.	ताराचन्द/दोलाराम मीणा	टोंक छिलरी	50.00
4.	सोनाराम/मालाराम मीणा	गिरधरपुरा	50.00
5.	दिनेश कुमार/प्रभात मीणा	गिरधरपुरा	50.00
6.	किशोर/सोनाराम मीणा	गिरधरपुरा	50.00
7.	जगदीश/सुरजा राम मीणा	गिरधरपुरा	50.00
8.	धनराज/जगदीश मीणा	गिरधरपुरा	50.00
9.	लाली देवी/जगदीश मीणा	गिरधरपुरा	50.00
10.	दलीप कुमार/बनवारी मीणा	गिरधरपुरा	50.00
11.	गोपाल/बनवारी मीणा	गिरधरपुरा	50.00
12.	सुभाष चन्द/रामपाल मीणा	टोंक छिलरी	50.00
13.	राकेश कुमार/रामपाल मीणा	टोंक छिलरी	50.00
14.	वियाधर/रामपाल मीणा	टोंक छिलरी	50.00
15.	शिवजीराम/कानाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
16.	कैलाश चन्द/कानाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
17.	राकेश/रामपाल मीणा	टोडपुरा	50.00
18.	कुमजी देवी/रामपाल मीणा	टोडपुरा	50.00
19.	पोकरमल/भगुताराम मीणा	टोडपुरा	50.00
20.	गणपत/मनाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
21.	श्रीचन्द/कानाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
22.	प्रमोद कुमार/गणपत मीणा	टोडपुरा	50.00
23.	महीपाल/भगतू राम मीणा	टोडपुरा	50.00
24.	महेश/जोधाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
25.	गोमाराम/श्योपाल मीणा	टोडपुरा	50.00
26.	नागरमल/मनाराम मीणा	टोडपुरा	50.00

1	2	3	4
27.	छोटूराम/मनाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
28.	बिरजू राम/बालूराम मीणा	टोडपुरा	50.00
29.	श्रीराम/बिरजूराम मीणा	टोडपुरा	50.00
30.	मूलाराम/बिरजूराम मीणा	टोडपुरा	50.00
31.	किशोर/बिरजूराम मीणा	टोडपुरा	50.00
32.	चोथूराम/छोटूराम मीणा	टोडपुरा	50.00
33.	महावीरप्रसाद/भागूराम मीणा	टोडपुरा	50.00
34.	तुलसीराम/सायरराम मीणा	टोडपुरा	50.00
35.	कमला देवी/रघुनाथ मीणा	टोडपुरा	50.00
36.	प्रहलाद/मूलाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
37.	रामपाल/भाला राम मीणा	टोडपुरा	50.00
38.	सुवालाल/मनाराम मीणा	टोडपुरा	50.00
39.	प्रभात राम/करणराम मीणा	टोडपुरा	50.00
40.	पूर्णमल/श्रीकृष्ण मीणा	टोडपुरा	50.00

(iv) स्वरोजगार (एस.एफ.डी.सी. द्वारा) वर्ष 2005-06

क्र.सं.	नाम	ग्राम	अनुदान राशि	उद्देश्य
1.	गीता देवी/रामस्वरूप मीणा	नवलडी	10000	भैस पालन
2.	पाना देवी/राजपाल मीणा	नवलडी	10000	भैस पालन
3.	नागरमल/अर्जुनराम मीणा	नवलडी	10000	आटा चक्की
4.	सत्यनारायण/जगुराम मीणा	मुकन्दगढ़	10000	डेयरी
5.	संतरा देवी/नारूराम मीणा	मुकन्दगढ़	10000	डेयरी
6.	चुन्नीलाल/जगुराम मीणा	मुकन्दगढ़	10000	ऊंटगाड़ी

परिशिष्ट-3

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

लोहार्गल तीर्थस्थल पर सुविधाओं विषयक

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं शेखावाटी के प्रसिद्ध तीर्थराज लोहार्गल में श्रद्धांलुओं की सुविधाओं के मद्देनजर राज्य सरकार एवं पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि झुंझुनूं जनपद के दक्षिण की सीमा में स्थित नवलगढ़ से 30 किलोमीटर एवं सीकर से 30 किलोमीटर तथा ग्राम चिराना से 3 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य राजमार्ग से जुडा हुआ शेखावाटी एवं पूरे देश में प्रसिद्ध तीर्थस्थान लोहार्गल है, जहां पर हर वर्ष श्रावण मास में दस लाख कावड़िये अपने ईस्टदेव शिव पर जल चढ़ाने हेतु गोमुख नाले से जल-पात्र भर कर ले जाते हैं। उक्त लोहार्गल तीर्थ लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र है और भाद्रपद मास की गोगा नवमी से अमावस्या के दिन तक यहां चौबीस कोस की परिक्रमा लगती है। यात्री लोहार्गल स्नान करके गोल्याणा, चिराना, तीर्थ किरोड़ी, शाकम्भरी माता, नागकुण्ड, टपकेश्वर महादेव, बारह तीबारा, नीमड़ी की घाटी, रघुनाथगढ़, कुण्ड आदि स्थानों पर होते हुए पुन: स्नान करने हेतु अमावस्या को लोहार्गल में आकर मालकेतु की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा में छह दिन तक यात्री अरावली पर्वतमालाओं में स्थित पारम्परिक रीति के अनुसार तीर्थ स्थानों पर रात्रि विश्राम करते हैं। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त परिक्रमा के मार्ग पर स्थान-स्थान पर खुर्रे बने हुए हैं जिनकी मरम्मत किया जाना नितांत आवश्यक है, साथ ही परिक्रमा के मार्ग एवं लोहार्गल में रोशनी की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था तथा तीर्थ यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल एवं चिकित्सा सुविधा हेतु भी साधन उपलब्ध कराया जाना निहायत ही जरूरी है।

यह लोहार्गल तीर्थ न केवल धार्मिक आस्था से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से भी अति मनोरम दृश्य यहां उपलब्ध है। यह तीर्थराज सजल, सघन वनों से सुशोभित है तथा आम्रकुंजों से

आच्छादित है। यहां की भूमि रमणीय एवं चित्ताकर्षक है। ऊंची-ऊंची पर्वत श्रेणियां हरियाली से ढ़की होने के कारण पर्यटकों की आंखों को वरवश मुग्ध कर लेती हैं। ऐसे रमणीय एवं पवित्र तीर्थराज लोहार्गल में ही महर्षि परशुरामजी ने अपने पापों का प्रायाश्चित करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया था। शास्त्रों के अनुसार इस यज्ञ में इन्द्र आदि देवता एवं वशिष्ठ आदि ऋषि, मुनि सभी सहर्ष आये और तीर्थ की रमणीयता को देखकर अति मुग्ध एवं हर्षित हुए। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पाण्डव भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहां आये थे।

इन सब पौराणिक एवं धार्मिक विशिष्टताओं का उल्लेख मैं यहां इसलिए करना समीचीन समझता हूं कि इस तीर्थराज क्षेत्र पर जो कोई भी साधु, विद्वान, राजनेता तथा भक्तगण एवं पर्यटक आये, उसे किसी भी प्रकार की कोई शंका यहां आने में न रहे, सर्व प्रकार की सुविधाएं सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हों, शुद्ध पेयजल यात्रियों को मिल सके, चिकित्सा साधनों की पर्याप्त एवं सुदृढ़ व्यवस्था हो, आवागमन के रास्तों एवं परिक्रमा मार्ग पर चलने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, रोशनी का समुचित प्रबन्ध हो ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र हिन्दुस्तान ही नहीं, वरन विश्व के नक्शे पर अग्रणी स्थान पर आ सके एवं उसका लाभ राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय आम जनता को भी प्राप्त हो सके। शेखावाटी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है एवं यदि शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियां तथा पुरातात्विक स्मारकों को संरक्षण देने के साथ ही धार्मिक स्थलों को सुविधायुक्त एवं आकर्षक बनाया जाता है तो यह धार्मिक आस्थाओं का आदर तो होगा ही, साथ ही राजस्व बढ़ोत्तरी में भी सहायक सिद्ध होगा।

अतएवं मैं राज्य सरकार एवं पर्यटन मंत्री से पुरजोर शब्दों में निवेदन तथा अनुरोध करना चाहता हूं कि तीर्थराज लोहार्गल पर सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जाय तथा चौबीस कोस परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था की जाये। अपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

के. डी. बाबर

(लक्ष्मगणगढ़)

ईसाई मिशनरीज के कार्यकलाप विषयक

महोदय,

ईसाई मिशनरियों द्वारा राज्य भर में धर्मान्तरण की कार्यवाही की जा

रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने शासन में जो तुष्टिकरण की नीति अपना कर देश में धार्मिक अराजकता, साम्प्रदायिक वैमनस्य एवं राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के बीज बोये हैं आज उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

महोदय, इन मिशनरियों की शर्मनाक हरकतों का एक नमूना हाल ही में भट्टा बस्ती थाना इलाका शास्त्री नगर जयपुर स्थित एक अंग्रेजी स्कूल के प्रिंसिपल जार्ज जकारिया द्वारा मासूम बच्चे का यौन शोषण करने का मामला है। ये लोग साम दाम दण्ड और भेद सभी तरके अपना कर गरीब लोगों का शोषण करते हैं। जकारिया ने ट्यशून के या अच्छे अंक से पास करने के बहाने छात्रों को अपने घर बुलाया और फेल करने का डर बताकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया यह अत्यन्त अमानवीय है गुरू शिष्य के पावन रिश्तों को कलंकित करने वाले ऐसे लोगों को उद्धत करने योग्य दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिये।

मामला जकारिया को दण्डित करने से ही समाप्त नहीं होगा सरकार को ऐसे प्रकरणों की तह में जाना चाहिये। ईसाई मिशनरियों ने षडयंत्रपूर्वक जो जाल राज्य भर में फैलाये हैं और जिस तरह सुनियोजित ढंग से जो राष्ट्राविरोधी गतिविधियों का संचालन करते है उसका भण्डाफोड भी किया जाना चाहिये। राज्य में सैकड़ों जकारिया है जो गरीबों और आदिवासियों को लालच या भय दिखाकर उनका शोषण करते हैं। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में इनकी गतिविधियों को सख्ती से रोके जिसे देश में

गुरूवार ब्रह्मा गुरूविष्णु गुरूदेवा महेश्वर:

गुरूवार र्साक्षात परब्रहमा:विस्मै श्री गुरवे नम: से गुरू की वन्दना की जाती है वही गुरु के वन्दित पद को कलंकित करने वाले नर पिशाच अपनी धिनौनी हरकता से बाज नहीं आ रहे है।

छदम निरपेक्षता का सहारा लेने वाली कांग्रेस सरकारों ने इन ताकत लों का पोषण कर इन्हें रक्त-बीज बना दिया है। अत: महोदय मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन राष्ट्रविरोधी ताकतों को समय रहते पहचान कर इनके कुकृत्यों से राष्ट्र और राज्य को निजात दिलावे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मा. मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट कर विशेषत: दक्षिण राजस्थान में अपना शिकंजा कस कर आदिवासियों का भ्रमित कर उनका आर्थिक दैहिम एवं भावनात्मक शोषण करने वाली इन विध्वंशकारी ताकतों को तुरंत रोके जाने का आग्रह करता हूं।

बंशी लाल खटीक

(राजसमन्द)

पशुपालकों के पलायन के दौरान लूट, चोरी, डकैती व हत्या जैसी घटनाओं से निजात दिलाने हेतु शस्त्र लाइसेन्स

महोदय,

पश्चिमी राजस्थान में बार-बार अकाल पड़ने पर प्रतिवर्ष यहां के पशुपालक विशेषकर पाली, जालोर, सिरोही जिलों के रेवारी (देवासी) जाति के लोग अपने घर बार छोड़ कर मवेशी (भेड़ बकरी) को चराने हेतु पैदल निस्क्रमण पर राजस्थान से मध्यप्रदेश को जाते हैं। ये लोग अपने मवेशी के साथ ही सोते जागते जंगलों व खेतों में ही डेरा डाल कर रहते हैं। जहां इनको हमेशा भय रहता है। अनेकों बार इनके साथ लूट/चोरी व हत्या जैसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं तथा गत वर्षों में नौ-नौ पशुपालकों तक को मारा भी जा चुका है। मारपीट व लूट की घटनाएं तो आम हो चुकी हैं। ये लोग लड़ते झगडते पांच से आठ माह तक अपने मवेशी को बचाने हेतु मजबूर होकर प्रदेश से बाहर इन खतरों को सहन करते हैं व अपना जीवन गुजार रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गरीब, मजबूर तथा लाचार पशुपालकों को अपने पशुधन के निस्क्रमण के दौरान अपने जान-माल, मवेशी को चोरी, लूट तथा अपने बच्चों व महिलाओं आदि की आत्मरक्षा करने हेतु राजस्थान से पलायन करने वाले पशुपालकों को शस्त्र का लाईसेन्स दिया जाये।

मेरे पूर्व में भी अनुरोध करने पर मा. मुख्यमंत्री महोदया ने समस्त जिला कलक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को लाईसेन्स जारी करने के निर्देश दिये गये थे जिसकी एक प्रति मुझे भी दी गई थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे क्षेत्र के एक भी पशुपालक को आज तक उक्त निर्देशों की पालना में शस्त्र (गन) लाईसेन्स जारी नहीं किया गया है। अत: इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाईसेन्स उपलब्ध करा कर राहत प्रदान करावें।

साथ ही मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनके पशुओं में कई बार ऐसी बनस्पति खा लेने से पूरा का पूरा (रेवड़) पशुधन भेड़-बकरी एक साथ मध्यप्रदेश अथवा रास्ते में ही मर जाता है। ऐसे में इनको बीमा क्लेम का लाभ भी नहीं मिल पाता है। अत: ऐसा सरल रास्ता निकाला जाये ताकि अन्य प्रदेशों में भी ऐसी घटना होने पर बीमा क्लेम दिलाया जाये। साथ ही प्रतिवर्ष अकाल को देखते हुए भेड़, बकरी व ऊंट को भी फेमीन कोड़ में शामिल किया जाना आवश्यक है। जिससे इन गरीब पशुपालकों को प्रदेश से बाहर दर-दर की ठोकरें खाने से निजात मिल सके।

खुशवीर सिंह जोजावर

(खारची)

मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतनमान

मैं सदन का ध्यान नियम राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति में मुख्य भूमिका निभाने वाले राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारी जो सन 1950 से 1987 तक वेतनमान के हिसाब से तृतीय श्रेणी अध्यापक, कम्पाउण्डर, पशुपालन, तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, प्रुफ शोधक रिडर एवं सहायक जेलर के समकक्ष या ऊपर रहे हैं। इसके पश्चात 1989 में इन कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं में कमी की गई और उन्हें तृतीय श्रेणी अध्यापक से भी कम वेतनमान दिया गया। यहां तक कि एक तृतीय श्रेणी अध्यापक की वेतन श्रृंखला वरिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला से भी अधिक कर मंत्रालयिक कर्मचारियों का मनोबल गिराने का प्रयास किया गया। इन सब के बावजू भी मंत्रालयिक कर्मचारी की भूमिका को नकारा नहीं जा सक एवं इसी बात को मध्यनजर रखते हुये विगत भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के निर्देशानुसार दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 को राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ एवं राज्य सरकार के मध्य कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान 3050-4590 से संशोधित कर 4000-6000 किया जाने बाबत एक लिखित समझौता हुआ था। दुर्भाग्यवश उस समय चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाने के कारण उक्त समझौते की क्रियान्विति नहीं हो पाई। इसके पश्चात कांग्रेस सरकार ने उक्त समझौते को नकारते हुये इसकी क्रियान्विति नहीं की, जब कि उक्त समझौता किसी पार्टी द्वारा नहीं किया जाकर राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इस समझौते को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त अपनी सहमति दी थी जब वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद पर थीं।

माननीया अध्यक्षजी ने भी 8 जनवरी, 2004 को कर्मचारी संघ द्वारा मनाये गये शौर्य दिवस के अवसर पर इस समझौते को लागू करवाने का आश्वासन कर्मचारियों को दिया था।

अत: मैं माननीय अध्यक्षजी के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त समझौते को लागू करवा कर राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों को राहत प्रदान करावें।

मदनलाल मेघवाल

(जायल)

9- ग्रेनेडियर्स इन्फेन्ट्री में मेवाड़ के लोगों की भर्ती

महोदय,

तत्कालीन मेवाड़ रियासत के दौरान भोपाल इन्फेन्ट्री और सज्जन इन्फेन्ट्री नाम की दो बटालियन मेवाड़ सेना की थी। बाद में इन दोनों बटालियन का विलय कर मेवाड़ इन्फेन्ट्री नाम दिया गया। रियासती के विलय के समय इस बटालियन का 1954 में भारत सरकार में विलय कर दिया गया था और उसका नाम 9-ग्रेनेडियर्स कर दिया गया 1961 में केन्द्रीय सरकार ने 9 ग्रेनेडियर्स के लिए ये तय किया गया कि इसमें 50 प्रतिशत राजपूत, 25 प्रतिशत जाट और 25 प्रतिशत डोमरा होंगे।

धीरे-धीरे इसमें से मेवाड़ के लोग कम होते गये और आज इसमें मेवाड़ के मात्र 5-10 प्रतिशत लोग रह गये हैं। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यह बटालियन मेवाड़ की है और उसमें सिर्फ मेवाड़ संभाग के लोगों को ही लिया जाय। इसमें राजपूत, जाट के अलावा क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाय क्योंकि यह वर्ग मेवाड़ रियासत के समय पर भी मेवाड़ी सेना के साथ दुश्मनों से लोहा लेता था। डोगरों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। परंतु मेवाड़ में कहीं भी कोई डोगरा नहीं है। इसलिए इसकी जगह अनु.जनजाति के लोगों को लिया जाय इस बटालियन में निर्धारित मापदंड में भी पहाड़ी इलाके में जिस तरह 2 सेन्टीमीटर की छूट दी गई उसी छूट के अनुसार ऊबा व फिजिकल स्टेण्डर्ड में छूट दी जानी चाहिये।

मेवाड़ इन्फेन्ट्री में केवल मेवाड़ के लोगों का चयन हो ऐसा केन्द्र सरकार आदेश करे जिससे जनजाति क्षेत्र के लोगों को भी सेना में भर्ती होने का और अवसर मिल सके।

रणधीर सिंह भीण्डर

(बल्लभनगर)

नवलगढ़ क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है इनके निर्माण के समय घटिया सामग्री प्रयोग करने का ही नतीजा है कि ये सड़कें निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही टूट जाती हैं उनकी साइड कट जाती है उनमें साइडों तथा सड़कों के बीच में भी बड़े-बड़े खड्डे बन जाते हैं।

थोड़े समय पूर्व में ही निर्मित नवलगढ़ शहर की मुख्य सड़क जिसका निर्माण रेलवे स्टेशन नवलगढ़ से नानसागेट तक किया गया था उस रोड में भी घटिया निर्माण सामग्री लगने से टूट चुकी है सड़क के बीच में खड्डे बन गये साईड टूट चुकी हैं।

ग्राम डकरा से सोटवारा होते हुए माण्डासी तक की 6 कि.मी. सड़क तथा डूण्डलोद से मिर्जवास तक करीब 3 कि.मी. सड़क की स्थिति तो यह है कि उसमें से वाहन निकलना भी मुश्किल होता है।

इसी प्रकार डूण्डलोद फाटक से टीटनवाड, नवलगढ़ से बीबासर नवलगढ़ से उदयपुरवाटी वाया गोल्यासा, झाझडा से परसरामपुरा रोड के भी साइडों में काफी कटा होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सडकों में भी जगह जगह खड्डे बने हुए हैं जिन्हें निर्मित हुए अभी महीने ही हुए हैं उनके साइडों में भी काफी कटाव हो चुका है, डामर भी उखड चुकी है कोई भी सड़क समतल नहीं है नवलगढ़ क्षेत्र में गारन्टी अवधि में किसी भी सड़क में किसी भी प्रकार का मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सड़कों के निर्माण की घटिया निर्माण सामग्री एवं निर्माण में निर्धारित मापदण्डानुसार कार्य नहीं करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

प्रतिभा सिह

(नवलगढ़)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली में 100 रोगी भर्ती शैया संख्या एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फालना 50 रोगी भर्ती शैया सुविधा स्वीकृति चाहने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र बाली के बाली मुख्यालय एवं गेट-वे आफ गौडवाड़ के नाम से मशहूर नगर पालिका औद्योगिक क्षेत्र फालना के राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर मात्र 50 एवं 6 रोगी भर्ती शैय्या सुविधा ही उपलब्ध है। जो इन दोनों ही क्षेत्रों की घनी आबादी क्रमश: 20,000 एवं 35,000 के साथ विस्तृत

ड्रेनेज एरिया जिसमें सैकड़ों बी.पी.एल. आदिवासी गांव, ढाणी सम्मिलित है। नित्य प्रति जहां विधान सभा क्षेत्र बाली मुख्यालय में 5000 नागरिक बन्धुओं का आवागमन रहता है, वहीं फालना में केन्द्रीय विशालय बस सेवा के चलते नित्य प्रति 2000 से अधिक नागरिकों का अवागमन रहता है। ऐसे में इन दोनों ही केन्द्रों पर दुर्घटनाग्रस्त व आम रोगियों का बढ़ना लाजमी है। इन दोनों ही स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों का भारी दबाव रहता है। बाली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्त्री रोग, आंख रोग, आपरेशन, लैंस प्रत्यारोपण, फर्स्ट रैफरल यूनिट, ब्लड स्टोरेज सेन्टर जैसी सुविधाएं होने से आस-पास के 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ड्रेन यही होता है। परिणामस्वरूप यहां रोगियों की बड़ी संख्या बनी रहती है। यहीं हाल फालना स्वास्थ्य केन्द्र का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फालना में क्रमश: 50 एवं 6 रोगी से अधिक भर्ती नहीं किये जा सकते हैं। ऐसे में यहां से नित्य प्रति बड़ी संख्या में गंभीर रोगियों को जिला मुख्यालय पाली अस्पताल के लिये रैफर कर दिया जाता है। क्षेत्र में इतनी गरीबी है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर इलाज करवाने में रोगी व उसके परिजन असमर्थ रहते हैं। जैसे-तैसे पहुंचनें का प्रयास करते हैं तो बहुत से रोगी रास्ते में ही दम तोड़ देते है। अत: मानव जीवन एवं स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील प्रकरण पर गौर फरमाकर बाली में 100 रोगी भर्ती संख्या एवं 50 रोगी भर्ती संख्या की सुविधा स्वीकृत करवाकर अनुग्रहित करें।

पुष्पेन्द्र सिंह राणावत

(बाली)

नगर परिषद पाली में जमीनों का अतिक्रमण

महोदय,

उपरोक्त नियम के तहत मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि नगर परिषद पाली के सभापति अपने पद का दुरुपयोग कर नगर परिषद के हितों की रक्षा करने के बजाय परिषद की बेशकीमती भूमि पर कब्जे करने वाले अतिक्रमियों की खुलेआम मदद कर रहे है।

पाली के महावीर नगर के बेशकीमती भूखण्ड संख्या 43 पर उसके पड़ौस के भूखण्ड संख्या-44 के मालिक ने वर्षों से कब्जा कर रखा है। पूर्व में अतिक्रमी द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश ले लेने के कारण कब्जा नहीं

हटाया जा सका परन्तु करीब एक वर्ष पूर्व न्यायालय द्वारा परिषद के पक्ष में फैसला दे दिया गया। फैसले के बावजूद भी सभापति द्वारा भूखण्ड परिषद के कब्जे में लेने की बजाय अतिक्रमी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से परिषद की 15.7.06 की साधारण सभा में नियम विरूद्ध यह प्रस्ताव ले लिया कि उक्त भूखण्ड को आज की बाजार दर से अतिक्रमी को दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाये।

यह प्रस्ताव ना तो परिषद द्वारा जारी एजेन्डे में था, ना ही यह प्रस्ताव तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्तुत किया गया, ना ही इस प्रस्ताव पर पार्षदों की सहमति प्राप्त की गई थी सभापति ने अपनी मनमर्जी से ही प्रस्ताव प्रोसेडिंग रजिस्टर में लिखवा दिया गया ताकि अतिक्रमी को आगामी कोर्ट से पुन: स्थगन मिलने का अवसर मिल सके राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को नियम विरूद्ध बताते हुये उक्त भूखण्ड को बाजार दर से अतिक्रमी को ही दिये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की ना ही अतिक्रमी को आगामी कोर्ट में स्थगन हेतु अपील करने के बावजूद भी स्थगन दिया। कोर्ट का स्थगन ना होने एवं राज्य सरकार द्वारा आज की दर से भूखण्ड अतिक्रमी को दिये जाने की स्वीकृति नहीं दिये जाने के बावजूद भी परिषद सभापति ने इस भूखण्ड को अभी तक अतिक्रमी के कब्जे से मुक्त करा परिषद के कब्जे को अभी तक अतिक्रमी के कब्जे से मुक्त करा परिषद के कब्जे मैं नहीं लिया गया है।

साथ ही भूखण्ड संख्या 44 के मालिक ने इस भूखण्ड के पीछे स्थित परिषद की रिक्त पड़ी करीब 24625 फुट की भूमि पर भी कब्जा कर रखा है। परिषद को 15.7.06 को साधारण सभा की बैठक में इस भूमि को भू-पट्टी के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है परन्तु अतिक्रमी से अब तक कोई राशि वसूल नहीं की गई है भूखण्ड संख्या 43 के पीछे परिषद की रिक्त पड़ी करीब 24625 फुट की भूमि पर भी इसी अतिक्रमी ने कब्जा कर रखा है जिस पर भी सभापति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मान्यवर जी परिषद सभापति ने अतिक्रमी से भारी राशि लेकर परिषद की लाखों रुपये की भूमि पर से उसे बेदखल नहीं कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और अपने पद का दुरुपयोग किया है। कृपया नगर पालिका अधिनियम के तहत सभापति के विरूद्ध कार्यवाही करावें एवं अतिक्रमी के कब्जे से परिषद की भूमि को मुक्त करावें।

ज्ञान चन्द पारख

(पाली)

भीम पंचायत को नगरपालिका बनाने के संबंध में

महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम एक बड़ा कस्बा है जहां की जनसंख्या 18 हजार से भी ऊपर है। एवं इसके अलावा भी यह कस्बा मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है जिसके तहत 30 वार्ड आते है यह कस्बा राजसमंद जिले का आखिरी उप जिला हैडक्वाटर है जहां पर उप जिलाधीश, उप अधीक्षक, सी.आई. सर्कल एवं तहसील एवं सभी विभागों के सभी राजकीय कार्यालय विद्यमान हैं। यह कस्बा नेशनल हाईवे नं. 8 पर स्थित है। अध्यक्ष महोदय मेरा यह क्षेत्र आर्थिक सामाजिक भौगोलिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी काफी कमजोर है। भीम कस्बा एक विधान सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एवं इसका आबादी क्षेत्र भी काफी बड़ा है जिसकी वजह से विकास कार्य जो होने चाहिये वह नहीं हो पाते है। अगर भीम नगरपालिका बन जाय तो आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से यहां पर नये आयाम एवं नये विकास के रास्ते खुलेंगे एवं जो स्वच्छता नहीं हो पाती है अगर नगरपालिका बन जायेगी तो नगरपालिका द्वारा स्वयं कर्मचारियों के द्वारा सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो पायेगी।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बजट सत्र में भीम कस्बे को नगरपालिका घोषित कराने का श्रम कराकर भीम की जनता को राहत प्रदान करावें।

धन्यवाद।

हरीसिंह रावत

(भीम)

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की कृषि भूमि की गिरदावरी विषयक

मान्यवर,

यह कि हिण्डौली तहसील क्षेत्र में 134854.05 बीघा कृषि भूमि गैर मुमकिन किस्म सरकारी रेकार्ड के अनुसार दर्ज है। इस भूमि में से सरकार रेकार्ड के अनुसार 14872 बीघा भूमि पर 126 गांव के सैकड़ों किसानों पर वर्षों पूर्व से अतिक्रमण कर काश्त की जा रही है। इसके साथ ही ऐसी भूमि भी है जिस पर वास्तविक रूप से तो किसान खेती कर रहे हैं लेकिन यह खसरा गिरदावरी में अंकित नहीं हो पायी है। इन किसानों को भू राजस्व अधिनियम की धारा-91

के अन्तर्गत फसलों की कीमत के जुर्माने तथा जेल की सजा भुगतना पड़ रहा है। भू-आबंटन नियमों में भी इस प्रकार की भूमि को आबंटन किये जाने पर प्रतिबन्ध है। इस कारण किसानों को जुर्माना व सजा भुगतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इस गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में मैंने दिनांक 7.4.05 एवं दि. 8.1.06 और 29.11.06 एवं दिनांक 12.01.07 को पत्र लिखे। राजस्व विभाग द्वारा और विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 23 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2081 के द्वारा भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और समय-समय पर माननीय राजस्व मंत्रीजी से मिलकर तथा पत्र लिखकर भी ध्यानाकर्षित किया। सरकार द्वारा विधान सभा में तथा लिखे पत्रों के जवाब में आश्वासन देने के बाद भी यह समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। मुझे इस मांग को उठाये लगभग 2 वर्ष हो गये लेकिन अभी तक भी किस्म परिवर्तन के आदेश प्रसारित नहीं हो पाये। जिला प्रशासन द्वारा इस मामले को पूर्व में दिनांक 20.2.06 को इस भूमि को काबिलकाश्त गैर मुमकिन भूमियों की किस्म परिवर्तन करने की सिफारिश कर दी और साथ ही आपने पुन: दि. 4.12.06 को उक्त भूमि की नवीन किस्म के प्रस्ताव भी भेज दिये हैं।

अफसोस इस बात का है कि इतने लम्बे समय से उचित मांग के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा सहमति अभिव्यक्त करने के पश्चात उनके द्वारा भेजे गये प्रस्तावों एवं विधान सभा में उठाने के बाद भी सरकार क्रियान्विति नहीं कर पा रही है जो अनुचित है। मैं दिनांक 9.1.07 को आपके कार्यालय में गया एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्व से भी इस सम्बन्ध में मिला था लेकिन आश्वासनों के अतिरिक्त आदेश नहीं निकल पा रहे हैं। आपने पुन: अपने पत्र दिनांक 29.01.07 के द्वारा इस प्रकरण को दिखवाने का आश्वासन दिया है लेकिन जिला कलक्टर की अभिशंषा के बाद भी इस उचित एवं वैधानिक कार्य को भी करने में विभाग टालमटोल कर रहा है।

अत: इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर इस समस्या का समाधान नहीं होने के फलस्वरूप किसानों में पैदा हो रहे जनाक्रोश की ओर दिलवा रहा हूं ताकि रावला, घड़साना और टोंक सहित अन्य स्थानों पर हुए किसान आन्दोलन की परिणत हिण्डोली में न हो पाये और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तत्काल इस वैधानिक समस्या का समाधान करने हेतु जिला कलक्टर के प्रस्तावानुसार 127 ग्रामों की 14872 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन करने की घोषणा विधान सभा में कर किसानों के राहत पहुंचायें और अपना वादा पूरा करें।

हरिमोहन शर्मा

(हिण्डौली)

दुगारी बांध की ऊंचाई उठा कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु

मान्यवर,

तहसील नैनवां (बून्दी) में स्थित दुगारी बांध का निर्माण रियासत कालीन समय में हुआ था। बांध में शनै-शनै मिट्टी का भराव हो जाने के कारण भराव क्षमता कम हो गई है तथा केचमेण्ट क्षेत्र फिलहाल कम है, जिसे बढ़ाया जाकर पानी की आवक बढ़ाई जाकर दर्जनों गांवों में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई विभाग के प्रारम्भिक अनुमान के मुताबिक करीब 55 किलोमीटर का फ्री केचमेण्ट एरिया उपलब्ध होता है, जिसके बरसाती पानी का बहाव दुगारी बांध में मोड़ा जाने पर बांध कम वर्षा वाले वर्ष में भी पूरा भर सकेगा। यदि इस बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाती है, तो इस अतिरिक्त पानी मिलने से पूरा बांध भर सकेगा। वर्तमान में बांध की ऊंचाई कम होने से तथा बांध में मिट्टी भर जाने से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने से किसान विपन्न होते जा रहे हैं। किसान हर वर्ष फसल प्राप्ति हेतु कड़ी मेहनत करता है, खाद-बीज का इंतजाम करता है, किन्तु सिंचाई जल उपलब्ध नहीं हो पाने से वह कर्जे में दबा जा रहा है। दूसरी ओर पानी नहीं मिलने पर भी उससे सिंचाई शुल्क वसूल किया जाता है।

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं जन हित का मामला है, जो क्षेत्र के आम किसान से जुड़ा हुआ है। पानी का संग्रहण अधिक होने पर पेयजल के लिए भी पानी सुरक्षित रखा जा सकेगा।

अत: प्रार्थना है, कि जनहित में दुगारी बांध (बून्दी) की ऊंचाई 5 फीट बढ़ाये जाने तथा केचमेण्ट क्षेत्र बढ़ाया जाने के लिए जल संसाधन विभाग को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रामनारायण मीणा

(नैनवां)

प्रदेश में लुप्तप्राय: हो रहे गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करने की आवश्यकता बाबत

मान्यवर,

प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या पांच करोड़ के लगभग है। प्रकृति ने मरे हुए पशु के निस्तारण हेतु गिद्धों की व्यवस्था की थी जो अपना कार्य बखूबी से सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे थे। एक दशक से पूर्व समूचे भारत व राजस्थान में लाखों की संख्या में गिद्ध पाये जाते थे जो अब लुप्त होने के

कगार पर है। प्राप्त जानकारी अनुसार गिद्धों की 97 प्रतिशत आबादी खत्म हो चुकी है। इनकी संख्या कम होने का मुख्य कारण पालतू पशुओं के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली दर्द निवारक दवा डाईक्लोफिनेक (Diclofenace) है। इस दवा के उपयोग के बाद यदि पशु की मृत्यु होती है व उसको गिद्ध खाते हैं तो उनका मरना तय है। डाईक्लोफिनेक दवा के उपयोग पर अब प्रदेश में व राष्ट में पाबन्दी लगा दी गई है मगर इस पर अमल हो रहा है या नहीं कहना कठिन है? दवाई पर प्रतिबन्ध लगाना ही पर्याप्त नहीं है व प्रदेश में पशुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए गिद्धों के संरक्षण पर पशुपालन विभाग व वन विभाग को ध्यान देना होगा। हरियाणा सरकार ने पिंजोर में तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने बक्सा टाईगर रिजर्व ईस्ट जलपाईगुडी जिले में गिद्धों के संरक्षण हेतु केन्द्र चला रखे हैं। राजस्थान में भी गिद्धों के संरक्षण हेतु केप्टिव ब्रिडिंग केन्द्र चलाने की आवश्यकता है। यह केन्द्र रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में कायम किया जा सकता है। इस प्रकार के केन्द्रों को चलाने में BNHS (बोम्बे नेचुलरल हिस्ट्री सोसायटी) तथा RSPB (दी रायल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन आफ द बर्डस) या फिर अन्य विदेशी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश में पांच करोड़ से अधिक पशुओं के होने के कारण यह प्रशासन का दायित्व ही बनता है कि मृत पशुओं को खुले में सडने देने के स्थान पर गिद्धों का संरक्षण कर इस प्रकृति के बेहतरीन स्केवेंजर को हम जीने का अवसर प्रदान करें।

हाल ही में अतिवृष्टि के कारण बाड़मेर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हजारों की संख्या में पशुओं के मरने के बाद जिला प्रशासन के सामने मवेशियों के शवों का निस्तारण करना बड़ी समस्या बन गयी थी। सफाई कर्मचारियों का अभाव था व जयपुर, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर नगर परिषद से व अन्य नगरपालिकाओं से सफाई कर्मचारियों को लाने का प्रयास किया गया था। लाखों रुपये इन मृत मवेशियों के निस्तारण पर खर्च किए गये थे व कैमीकल्स का उपयोग कर शवों को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। इस घटना से प्रशासन को सबक लेना चाहिए व गिद्धों के संरक्षण पर ध्यान देकर केप्टिव ब्रिडिंग सेन्टर आरम्भ करने चाहिए तथा डाईक्लोफिनेक दवा की बिक्री व इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध पर अमल करना होगा। समय रहते यदि हम नहीं चेते तो संभव है कि गिद्धों का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है।

भरत सिंह

(दिगोद)

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 19, लोक निर्माण कार्य पर

प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय -

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

1. दूदू मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विभागीय निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश स्तर पर एक मानिटरिंग सेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

3. राज्य में लोक महत्व के निर्माण कार्य गांवों और ढाणियों तक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

4. विभागीय निर्माण कार्य की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

5. झुंझुनूं जिले के खेतड़ी कस्बे में निर्मित कालेज के बरामदे में घटिया सामग्री उपयोग से गिर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश के सर्किट हाऊस में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ठेकेदारों से मिलकर घटिया सामग्री के उपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

7. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्दवाजी, आंधी, नीमला, गठवाड़ी, एवं रायसर (जयपुर) के भवनों को पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अपने विभागाधीन लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विभिन्न योजनाओं में सरकारी संस्थानों के निर्मित भवनों को लोक निर्माण विभाग द्वारा रिकार्ड में लेने एवं रख-रखाव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

9. राजकीय भवनों की मरम्मत एवं नये सरकारी कार्यालय के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

10. लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं सस्ता, सुन्दर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

11. बांदीकुई में डाक बंगला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

12. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों की दुर्दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

13. तहसील मुख्यालय छोटी सादड़ी में अतिथि गृह (डाक बंगला) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

14. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर व रायपुर में डाक बंगलों का निर्माण एवं स्टाफ लगाने पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सरकारी भवनों की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

16. बर तथा पाली के डाक बंगले के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

17. विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

18. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कानोड़ के कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

19. विधान सभा क्षेत्र घाटोल मुख्यालय पर एस.डी.एम. निवास भवन का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत निनामा)

20. विधान सभा क्षेत्र घाटोल मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियंता का कार्यालय भवन पीपलखूंट में निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव सेनावास की उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के प्रांगण में 60-50 के प्रार्थना भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम पंचायत भवन गोरछा के पास खाद व बीज के गोदाम भवन के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

24. जिला बीकानेर में निर्मित विभिन्न भवनों की मरम्मत/रख-रखाव पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

25. लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

26. खटकड़ (बूंदी) में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग की चौकी मीणा मंदिर की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा (रायथल) जिला बूंदी को आबंटित भूमि पर सीमाबन्दी हेतु दीवार निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. उप स्वास्थ्य केन्द्र रायथल (बूंदी) को आबंटित भूमि की सीमाबंदी हेतु दीवार निर्मित करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

29. मुण्डावर में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. शाहजहांपुर (अलवर) में रेस्ट हाउस की जर्जर हालत को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

31. मुण्डावर सब डिवीजन हैडक्टवार्टर पर रेस्ट हाउस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

32. अलवर जिले की तहसील तिजारा के सब-तहसील मुख्यालय पर रेस्ट हाउस निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. अलवर जिले की तहसील व उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस की मरम्मत करवाये जाने व अतिरिक्त कमरों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

34. विधान सभा क्षेत्र लूणी में उप तहसील कार्यालय में संचालित हो रहे तहसील कार्यालय लूणी के अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त नवीन भवन का निर्माण किये जाने एवं तहसील मुख्यालय लूणी में आधुनिक सुविधाओं युक्त विश्राम गृह/डाक बंगले का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

35. उप खण्ड कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग गंगरार में डाक बंगला व कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

36. विधान सभा क्षेत्र कपासन में डाक बंगलों के भवन विस्तार व मण्डफीया सांवरियाजी में सर्किट हाऊस के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

37. डाक बंगलों का रख-रखाव ठीक नहीं होने तथा बंगलों को बेचने की खबर से व्याप्त जन आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांति लाल चपलोत (मावली) :

38. राज्य के सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूलों को लोक निर्माण कार्य में सम्मिलित कर भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

39. अजमेर में आगरा गेट स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के गोदाम को अन्यत्र स्थानान्तरित करने व उस स्थान को पार्किंग के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

40. रामगढ़ (अलवर) में रेस्ट हाउस बनाये जाने की आवयकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

41. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं निवास भवन को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी, जहाजपुर के कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) :

44. राजकीय उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन (करोली) को सामुदायिक भवन, बस स्टेण्ड हिण्डौन में यात्रियों के ठहराव हेतु सामुदायिक भवन के निर्माण व राजकीय उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन में मरीजों हेतु भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

45. कस्बा बानसूर में पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस के निर्माण की नितान्त आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. बहरोड़ कस्बे में पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस निर्माण तथा शाहजहांपुर कस्बे के पी.डब्ल्यू.डी. डाक बंगले की मरम्मत व उसके सुधारीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

47. सिरोही जिले में प्रस्तावित भवनों के निर्माण के लम्बित प्रस्तावों पर चर्चा के लिये।

48. सिरोही जिले में वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

49. सिरोही जिले में वर्ष 2006-07 के अधूरे पड़े भवनों के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

50. विभाग द्वारा सिरोही जिले में बनाए गए कतिपय भवनों का काम व्यवस्थित न होने के संबंध चर्चा के लिये।

51. सिरोही जिले में अधूरे पड़े भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

52. विधान सभा क्षेत्र बैराठ के शाहपुरा कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग को ऊंचा उठाये जाने के बाद कस्बे व कॉलोनी का पानी अवरूद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

53. कुचामन सिटी में अधिशासी अभियंता का पदस्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

54. परबतसर शहर में बस स्टेण्ड एवं चिकित्सालय परिसर में यात्रियों एवं मरीजों के सुविधार्थ विश्राम स्थली निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. परबतसर शहर में लघु विश्राम स्थली का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. परबतसर शहर में महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय हेतु भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. परबतसर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. परबतसर शहर में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय हेतु भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

59. विभाग द्वारा मारवाड़ जंक्शन/देसूरी के डाक बंगलों का नवीनीकरण/मरम्मत एवं विस्तार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

60. जयपुर शहर एवं उसके आस-पास की सार्वजनिक निर्माण विभाग की चौकियों की भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

61. पुलिस थाना बाली जिला पाली के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्फत से स्टाफ क्वाटर्स निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

62. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा तहसील बाली (पाली) के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली के लिये स्टाफ क्वाटर्स निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र जीवदा तहसील बाली जिला पाली के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. पुलिस थाना सेवाडी तथा पुलिस थाना नाणा तहसील बाली जिला पाली के जीर्ण-शीर्ण पुराने भवनों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय -

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

1. अकाल राहत योजना में बनायी गई ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।
2. राज्य में विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़कों में पट्टीयों पर ध्यान देने, ओ.डी.आर. व ग्रामीण सड़कों पर भी कस्बे के भाग में सीमेन्ट सड़क बनाने एवं प्रत्येक सड़क पर साइन बोर्ड लगाये जाने के साथ-साथ ब्रेकर के स्थान पर सफेद पट्टी बोर्ड आदि लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

3. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के नदी-नालों पर काजवे व पुल निर्माण करवाने तथा सड़कों को चौड़ी और उनके दोनों तरफ सोल्जर बांधे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

4. धौलपुर और राज्य में सड़कों की खस्ता हालत पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

5. मुख्य ठेकेदार द्वारा ठेका सब-लेट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. ठेकेदारों द्वारा पूल करके ठेका/लेने की रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. डामरीकरण सड़कों के कार्य में गुणवत्ता के अभाव व घटिया सामग्री का उपयोग करने पर चर्चा के लिये।
8. प्रदेश की समस्त सड़कें जो चाहे किसी अन्य विभाग ने भी बनवाई हों उसे सा. निर्माण विभाग के अधीनस्थ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भिजवाने से बाड़मेर जिले में 250 से अधिक आबादी की हैबीटेशन के सड़क से न जुड़ पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. मिसिंग लिंक सड़कों के अन्तर्गत सबसे कम दूरी (लैन्थ) की सड़कों को प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदान करने की नीति तय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. बाड़मेर जिले की तहसील गुढामालानी के ग्राम बूठ जैतमाल की आबादी 1000 से अधिक होने के उपरान्त भी सड़क से नहीं जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. बाड़मेर जिले की भाटाला-नेहरों की ढाणी की सड़क के जीर्ण-शीर्ण हो जाने से मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. बाड़मेर जिले की भीनमाल-धनाऊ सड़क के ग्रेफ को दे दिये जाने के बाद उसकी देखरेख व मरम्मत पर ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

14. पी.एम.जी.आर.वाई. सड़क चैनपुरा, कानीखोर, कोलीवाड़ा की गिट्टी उखड़ने एवं पीचिंग कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों को निर्माता अधिकृत ठेकेदार द्वारा छोटे-छोटे और अकुशल ठेकेदारों को ठेके पर दिये जाने से क्वालिटी गिरने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. चन्दवाजी से राजपुरबास, नकटी घाटी से नांगल सड़क की मरम्मत करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

17. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रस्ताव राजस्व गांव न होकर आबादी को आधार बनाने एवं 02 किलोमीटर तक के मिसिंग लिंक को नये डामरीकरण सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

18. झुंझुनूं जिले के तहसील नवलगढ़, उदयपुर, खेतड़ी, गुढा आदि कस्बों में सड़क व्यवस्था दुरस्थ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

19. प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कों की घटिया सामग्री के उपयोग, सड़कों पर लगे ब्रेकरों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

20. लो. नि. वि. के द्वारा छोटे ग्राम ढाणियों की सड़कें एवं क्षतिगस्त पुलियाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

21. बूंदी-बांसी-भजनेरी-देई सड़क के मध्य 'भजनेरी' की नदी पर पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

22. मिसिंग लिंक रोड़, गोठड़ा से भवानीपुरा, थाना से गुढा गोकुलपुरा, चेता से एन.एच. 12, रीरान्दा से छाबड़िया का नया गांव, दबलाना से धोबड़ा, शक्करगढ़ से बन्धा खेड़ा आदि अन्य सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र हिन्डोली में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों में वन विभाग द्वारा डाली गई बाधा को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

24. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में लिंक रोड्स निर्माण के लिये स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) :

25. बालाहेड़ा से बालाहेड़ी सड़क पर बाण गंगा नदी पर पुल बनाने के क्रम में चर्चा के लिये।

26. गुढलिया से कोल्वा रेलवे स्टेशन होते हुए देलाड़ी सड़क तक मिसिंग लिंक सड़क बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

27. विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम के ग्राम पंचायत मुख्यालय दलपुरा से जीरना को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

28. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़कों के विस्तार एवं निर्मित सड़कों की खस्ता हालत पर सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

29. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम अलमदीका का दाड़का पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में ग्राम चिकानी से वाया बहादुरपुर से रामगढ़ तक कस्बा बहादरपुर में सी.सी. सड़क व बाकी डामरीकरण निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में ग्राम न्याणा को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम बाझोट व ग्राम अलमदीका को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

33. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत ग्राम पांबा (विसमा) ईटों का खेत तथा छिपाल-गोगुन्दा के गांवों को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बोखाड़ा से कुर्रा-गोरिया रोड़, घणावल से आत्री तथा सुरजगढ़ से माडा खेत (झाडोल फ.) तथा रावछ से क्यार का खेत एवं कडेच से चांपा की नाल मिसिंग लिंक या किसी भी योजना में पक्की सड़क बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पला से पिपरना रोड़ व सायरा से कुर्रा रोड़ पर पुल निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उमरवाला भोमिया का धरा-पुलिया मजाम, ढेमड़ी का ऊडा पुलिया मजाम तथा चित्रावास से साकरिया सड़क पर साकरिया पुलिया व कड़ेच स्कूल जाने हेतु पुलिया बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पुल भाट में जाने हेतु पंचायत काछवा तथा पंचायत गोगरूद में मुख्य सड़क पालछा से पाटिया चतरारामजी के घर के पास पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

38. चित्तौड़गढ से मध्यप्रदेश सीमा बांगरेड़ा चौकी (राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 79) तक सड़क को फोर लेन में परिवर्तित करने व एन.एच.-79 का निम्बाहेड़ा में नया बाई-पास निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखां

39. एन.एच.-113 पर छोटी सादड़ी कस्बे व बाड़ी ग्राम में नया बाई-पास निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा (40 कि.मी.) सड़क को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करने व एन.एच. 79 या 113 के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर परिवहन व वाणिज्य कर चैक पोस्ट के पास सड़क पर ''ले-बाई'' निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. एन.एच.-113 सरीपीवली (प्रतापगढ़) से काला-कोट-पीलीखेड़ा-साटोला-करजू-जलोदा जागीर (एस.एच.-15) से बम्बोरी-विनोता-ठोरिया-लसड़ावन-कारूण्डा-भाबलिया-मांगरोल (एन.एच.-79) से अरनोडा-उदपुरा-पालछा-विजयपुर रोड़ तक नया स्टेट हाइवे रोड़ स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

43. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के वर्षा ऋतु में विभागीय रोड़ पर जहां पानी भरा रहता है- पुलिया निर्माण एवं ग्रामीण आबादी क्षेत्र में टूटी हुई ग्रामीण सड़कों पर सीमेन्ट सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों की पुलियां बैठने एवं क्षतिगस्त सड़कें जो गारन्टी पीरियड में हैं, उनको अविलम्ब ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की मिसिंग लिंक सड़कों एवं धार्मिक स्थलों की सड़कों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायतों द्वारा बनायी गयी डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

47. पाली नगर में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. जवाई बांध रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

49. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 100 से ऊपर की आबादी की प्रत्येक ढ़ाणी को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 08 पर बावड़ी से बड़ नगर सड़क पर साहबी नदी पर काज-वे निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के गोरधनपुरा से राजनौता सड़क पर साहबी नदी पर काजवे निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

53. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम सिंधपुरा की आबादी 500 से अधिक होने के कारण इस गांव को गुडाबिजा तह. सोजत की सड़क से जोड़ा जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के गांव देवली कलां से बोयल की तरफ पुरानी डब्ल्यू.बी.एम. सड़क को डामरीकरण करने खारिया मीठापुर से लोटांती की सड़क पर गुर्जरों की ढ़ाणी तक डामर की सड़क बनाने हेतु पाचेरिया से बांता पुरानी डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के गांव गुडाबिंजा एवं रायराकलां के बीच, खोड़िया एवं रायराखुर्द के बीच, गिरी गांव में नहर पर, करमावास कुशालपुरा के बीच नदी पर, रायपुर दीपावास नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में गांव मोहरा से करमावास, झूंठा से करमावास, कुशालपुरा से आगेवा, जगमालपुरा से अजमेर सीमा तक, कुशालपुरा से जैतारण सीमा तक, देवली से छितरीया, पाली सीमा देवली गांव से हर्षा देवल तक सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. एन.एच. 14 पर दिल्ली-अहमदाबाद रेल मार्ग पर सेन्दड़ा के पास ओवरब्रिज निर्माण, दिल्ली-अहमदाबाद रेल मार्ग पर ग्राम रायपुर, रानी, फालना में गांवों के बीच फलाई ओवर का निर्माण जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन रेलमार्ग पर पुलिस लाईन रेल फाटक एवं एन.एच.-14

(श्री सी.डी. देवल)

पर रेल लाईन पर फ्लाई ओवर का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

58. राज्य में सड़कों व पुलों की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

59. राज्य में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये।

60. राज्य में सड़कों व पुलों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

61. राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15 पर बाड़मेर शहर में सर्किट हाउस के पास उत्तरलाई चौराहे पर रेल्वे का ऊपरी पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

62. राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 112 पर बाड़मेर शहर में तिलक बस स्टैण्ड के पास रेलवे का ऊपरी पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कें, कटान मार्ग स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ऐसे क्षेत्रों को जहां नया राजस्व ग्राम नहीं है, परन्तु उन ढाणियों की आबादी 500 से अधिक है, उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अतिवृष्टि से क्षतिगस्त सड़कों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

66. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गांव गनोड़ा से घाटोल सड़क, गांव बोरदा नाला पर टूटी रपट के स्थान पर पुल का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांच गोव राठौड़ व गांव बाड़ला के बीच नाला पर रपट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव घंटाली में मोबाइ नाला पर बने रपट के बजाय पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव जामली से गांव बानघटी के बीच मोका-टौक नाला पर पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवीनत निनामा)

70. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव बस्सी कुण्डा से टुकवाग के बीच दो कि.मी. अधूरी पड़ी सड़क को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

71. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत विजयगढ़ से नेहड़ी सड़क का पं.स. एवं जिला परिषद के प्रस्ताव के अनुसार पुन: सर्वे अविलम्ब करवाकर स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

72. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के नौगावा-चिड़वा रोड़ पर नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 500 से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों को सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

74. खानपुर कस्बे के मैन रोड पर खरंजे पर डामर करने एवं सारोला कलां में खानपुर अकलेरा मैन रोड पर अधूरी पुलिया को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

75. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम रम्भा में नदी पर पुल निर्माण एवं बगवा तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में बाईपास रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र निवाई में ग्राम नला से सिरस तक, राहोली पंचायत से तुंबीपुरा होते हुए डाबिच तक एवं ग्राम रजवास से खेड़ा अनवरपुरा तक सड़क निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

78. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कडैल से बैजनाथ, बस्सी से होकरा, तक सड़क निर्माण, अजमेर की सड़कों के रखरखाव, तिलोरा-बस्सी ओडीआर-एमडीआर करने अजमेर-बवायचा, एम.डी.आर-II लेन करने, पुष्कर-गोविन्दगढ़ सड़क ओडीआर को एम.डी.आर. करने, देवनगर से बस्सी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल बाहेती)

79. पुष्कर से अजयसर अजयपाल होते हुए ब्यावर रोड़ डबल फाटक तक व पुष्कर में परिक्रमा मार्ग में सड़क निर्माण एवं पुष्कर में मेला क्षेत्र को जोड़ते हुये रिंग रोड़ निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

80. सड़कों के निर्माण में भेदभाव व गुणवत्ता में कमी पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

81. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के बूंदी जिले में ग्राम गुडा के पास खाड़ी पुलिया निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम खरवण में पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

83. लूणकरणसर-कालू रोड़ पर रेल्वे ओवर ब्रिज/रेल्वे अन्डर ब्रिज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 से सुरनाणा रोड़ पर रेल्वे ओवर ब्रिज/रेल्वे अन्डर-ब्रिज निर्माण किये जाने पर चर्चा के लिये।

84. बखूसर से महाजन, मोतीगढ़ से सत्तासर, गोरीसर से महादेववाली, राणीसर से खारड़ा-रूणिमा बड़ा बास तथा तहसील छतरगढ़ की रोड़ नं. 11 व 12 की रिपेयर/पुनर्निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

85. कस्बा नापासर में रेल्वे क्रासिंग से मुख्य बाजार होकर रामसर रोड व देशनोक रोड को सी.सी. रोड से जोड़ना तथा कस्बा लूणकरणसर में कालू रोड़ से मुख्य बाजार होकर कुम्हारों की धर्मशाला तक सी.सी. रोड़ से जोड़ने का कार्य करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

86. कतरियासर से मोलानिया, उत्तमर्दसर से धीरेरां स्टेशन, सवाईसर से मकड़ासर, हिम्मतासर से बीकानेर-जोधपुर बाईपास खारबारा से तख्तपुरा, सुरनाणा से लूणकरणसर, गुसाईसर से खेरेरां, सबनिया से सिंगरासर, ढाणी भोपालाराम से सहजरासर-खारड़ा होकर पुनरासर, लाखनसर से कृष्णनगर की सड़क निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

87. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में सनवाड़ से राजगर की ओर जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की केलवा से सापोल तथा मोखमपुरा से निर्झरना सड़कों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बंशीलाल खटीक)

89. खण्डेल से कीट की चौकी सड़क एम.डी.आर-33 (31 कि.मी.) को चोड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की राज्यावास से मोही, सुन्दरचा से मुण्डोल वाया डिप्टी मिसिंग लिंक के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

91. राज्य में सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं उचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

92. खैरथल कस्बे में बाईपास सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

93. पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क व पुलों के निर्माण में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

94. साचोद से हरियाणा बॉर्डर तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जाट बहरोड़ स्कूल से मुण्डनवाड़ा कलां तक के सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम गोपीपुरा से तेहड़का-काली पहाड़ी तक एवं रानोठ से पेहल परवा तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

97. राजगढ़ (चूरू) में सदाउ से सूरतपुरा मिसिंग लिंक रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र सार्दुलपुर में घानोठी बड़ी से घानोठी, छोटी ददेउ मोहनसिंह से हमीरवास डिगली से सुलखनिया छोटा मिसिंग लिंक रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. राजगढ़ (चूरू) में पिलानी फाटक पर बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग पर रेल्वे ओवर-ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. राजगढ़ (चूरू) में हमीरवास से खुडीया बास मिसिंग लिंक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

101. राजगढ़ (चूरू) में नांगल बड़ी से दुमकी एवं नांगल बड़ी से घानोठी बड़ी पर सड़कों का रि-कारपेट करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

102. किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर कार्यरत कम्पनियों (एल.एन.टी. एवं के.एम.सी.) द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा कृषि उपज मण्डी की सड़कों को क्षतिग्रस्त किये जाने से उनकी मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. बराना जलवाड़ा रोड पर पुलिया निर्माण करने, बजरंगगढ़, किशनगढ़ रोड पर गोर्बच्चा गांव के पास की पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने तथा बजरंगगढ़-किशनगंज रोड मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

104. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति में कोटड़ा काबरा सड़क के विस्तारीकरण पर चर्चा के लिये।

105. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में कोटड़ा काबरा जवाजा पं.स. के बाईपास निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के छावनी मार्ग रात बावरा रोड की रेल्वे फाटक पर अण्डर ब्रिज बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. ब्यावर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर पानी का भराव होने से सी.सी. सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जवाजा पंचायत समिति में मातासों की बर्र से दघालेश्वर महादेव तक मिसिंग लिंक सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़, सीकर) :

109. राज्य में डामर सड़क की मोटाई 13 एम.एम. से बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

110. लक्ष्मणगढ़ एन.एच. 11 भगवान दास तोदी कॉलेज से बगडिया स्कूल तक सीसी सड़क निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

111. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में खूड़ी बड़ी से सेयव बड़ी वाया पाटोदा एमडीआर घोषित करने पर चर्चा के लिये।

(श्री केसर देव बाबर)

112. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में अलखपुरा से टिण सड़क निर्माण करने, जाजोद से राजास बगड़ी से बाउसर, काछवा से मलाणी, सेवद से मीरण बासणी से बैरास सड़क निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

113. लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रोसबड़ी से राजास, खूड़ी सड़क से भोजासर छोटा, डालमास से सापल्दा, जूलीयासर से तिडोमी एवं नवलगढ़ से बिडोदी छोटी की सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. से पीटी करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

114. नसीराबाद-ब्यावर मार्ग से बिडक्यावास से लीडी तक वर्तमान सड़क का सुदृढ़ीकरण व कारपेन्टिंग करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. नसीराबाद-राताखेड़ा व नसीराबाद-देरांठ सम्पर्क सड़कों को 100 टन क्षमता के भारी वाहनों हेतु बनाने व नसीराबाद-ब्यावर मार्ग की मरम्मत करने पर चर्चा के लिये।

116. नसीराबाद से ब्यावर रोड पर बाई-पास बनाने पर चर्चा के लिये।

117. नसीराबाद में अजमेर से आ रहे राजमार्ग व कोटा रोड मार्ग की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण हेतु चर्चा के लिये।

118. नसीराबाद-ब्यावर राजमार्ग पर नसीराबाद स्टेशन पर आर.ओ.बी. बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

119. कोटड़ी से बांसी (तलवास) जिला बूंदी सम्पर्क सड़क निर्माण करवाने में सरकारी उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. भजनेरी (नैनवां) जिला बूंदी की नदी पर देई-बांसी सड़क का आवागमन सुगम बनाने के लिये पुलिया निर्माण कराने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये।

121. बूंदी से जरवाना सीधे सड़क मार्ग के मध्य के हिस्से पंचायत मुख्यालय बम्बोरी से रायथल पंचायत मुख्यालय तक सड़क निर्माण किया जाकर सीधा सड़क मार्ग उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

122. बूंदी से उनियारा वाया विषधारी, काला नला, बांसी, डूगारी, नैनवां बलाई सड़क मार्ग को राज्य राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. राज्य राजमार्ग संख्या 34 के संधारण, जीर्णोद्धार तथा केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त राशि के कार्यों में ठेकेदारों द्वारा विभागीय कर्मचारियों से मिलकर किये जा रहे भ्रष्टाचार से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

124. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त विलेज पोर्शन की सड़कों की शीघ्र मरम्मत एवं नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र डेगाना की क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम खींवताना सड़क कांटा से हनुमानजी मन्दिर तक 02 कि.मी. डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में मेवाड़ा से बिखरनियां कलां 05 कि.मी., डावोली मीठी से घड़नवाड़ा 06 कि.मी., डावोली मीठी से खटूबड़ी 03 कि.मी. बिखरनियां कलां से पालड़ी कलां 04 कि.मी. का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

128. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के मोड़क रेल्वे फाटक पर पुल निर्माण, ढांकिया-चेचट, अलोद-खेड़ारूद, गणेशपुरा-पीपल्दा जैसे महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

129. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में आनन्दपुर कालू से फालका व पलुन्दा से खराड़ी व काणेचा रोड पर रपट का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. जैतारण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय फूलमाल व आसरलाई व विरोल की सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल)

131. जैतारण क्षेत्र में दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कों के बीच में आने वाले ग्रामों के बीच सी.सी. रोड के निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

132. जैतारण क्षेत्र में निम्बाज से सागावास व पिपलीयां खुर्द से मुण्डावा व लौटोती से बेड़कलां, व मालपुरिया से काणेचा फारा तक छोटे-छोटे मिसिंग लिंक को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

133. विधान सभा क्षेत्र लूणी से चार जिलों को जोड़ने वाली सड़क का धाणा (आहोर) से सामुजा (सिवाना) तक डामरीकरण, आहोर तहसील के ग्राम घाणा के पास बह रही सुकड़ी नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. जोधपुर-बासनी-सर-धुन्धाड़ा-धाणा-भवरानी-विशनगढ़-जालोर सड़क मागर् को स्टेट हाईवे घोषित करने बोरनाडा-झंवर-चिंचड़ली-परालिया-आगोलाई सड़क मार्ग को एम.डी.आर. में अपग्रेड करने, धुन्धाड़ा सामुजा जिला सीमा तक सड़क का डामरीकरण करने, रोहिचाखुर्द, धुन्धाड़ा सड़क, धुन्धाडा-उत्तेसर सड़क, सतलाना-रैंदड़ी वाया भैरानाडा का सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र लूणी में डोली से खुडाला मार्ग, रैंदड़ी-खाण्डी पाली जिला सीमा तक, निम्बला से खाराबेरा पुरोहितान मार्ग का, खाटावास से खुडाला मिसिंग लिंक मार्ग, ओ.डी.आर. 69 से लोलासनी मार्ग, स्टेट हाईवे 68 के कांकाणी-गुडा-पीथावास-डांगियावास तक सड़क का रिनेबल सर से माधोपुरा सतलाना वाया राजोर मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र लूणी के मिसिंग लिंक सड़कों-डोली गांगाणा सड़क से झंवर मार्ग, सेनाई से बाड़मेर जिला सीमा तक, मार्ग का, नारनाडी फांटा से नंदवान मार्ग, परिहारों की ढ़ाणी से चिंचड़ली मार्ग का, मिसिंग लिंक सड़कों-ओ.डी.आर. 69 से मोडी सतलाना मार्ग, लूणी से धांधिया मार्ग का, रैंदड़ी से करनियाली मार्ग का, गंगाराम प्याऊ गुडा से रसीदा मार्ग का, रामासनी से खारी खुर्द मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

137. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के गांवों से गुजरने वाली सड़कों यथा-हिण्डोली, मांगी-कुण्डिया, राशमी, उपरेड़ा, भीमगढ़, रूद, ऊंचा, मुरोली, पहुंना, खाटखन्दा, बोरदा, मण्डपिया जवासिया, साडास तुम्बडिया गांवों में सीमेन्ट सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

138. चित्तौड़गढ़ से गंगापुर (भीलवाड़ा) वाया राशमी सड़क को ओ.डी.आर. से एम.डी.आर. सड़क में घोषित करने, डामर सड़कों की पटरियों पर ग्रेवल कार्य व झाडियों की सफाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में मिसिंग सड़कों के निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि के आबंटन, डामर सड़क से 02 कि.मी. दूर स्थित गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की स्वीकृति के लिये चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के प्रमुख देवालय-मतवाली माता सड़क राशमी, चावण्डा माता सड़क बोरदा, सगरामाता सड़क मेड़ीखेड़ा, जाडेश्वर महादेव सड़क राशमी को डामरीकरण सड़कों से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र गंगरार बनास नदी पर निर्मित सांखली पुलिया को बड़ा बनाने, बनास नदी पर निर्मित ऊंचा पुलिया को बड़ा बनाने, बनास नदी पर निर्मित मरमी काज-वे को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-6

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

1. जनजाति क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा योजनाबद्ध विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

2. राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर जनजाति क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

3. प्रदेश में जनजाति के विकास हेतु जन जागरण अभियान प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

4. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में माडा क्षेत्र के अन्तर्गत एनीकट कानीदह-नीमता, दामोलाई, पातलवास लम्बित कार्य को शीघ्र पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

5. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में अनुसूचित जन जाति बाहुल्य गांवों को माडा क्षेत्र में चयनित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

6. जनजाति क्षेत्रों में केशवबाड़ी योजना को प्रभावी व सभी को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

7. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में जनजाति बाहुल्य गांवों को पुन: सर्वे करवाकर नये माडा गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. तहसील छोटी सादड़ी के माडा क्षेत्र ग्राम पंचायत मुख्यालय कालाकोट या पीलीखेड़ा में जनजाति आश्रम छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखां)

9. तहसील छोटी सादड़ी के माडा क्षेत्र में आने वाले गांवों में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, विद्यालयो में कक्षा हेतु कक्षों, ग्रामीण सड़कों व अन्य निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. तहसील छोटी सादड़ी की जनजाति बाहुल्य दस ग्राम पंचायतों को जनजाति उप योजना (टी.एस.पी.) में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिये।

11. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छोटी सादड़ी तहसील में प्रस्तावित ऊंट की गोडी एनीकट निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

12. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में स्थित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिये उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

13. राज्य में जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. राज्य में जनजाति के कल्याण व विकास हेतु कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

15. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जाजवा में जनजाति छात्रावास का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के कृषकों के लिए पेयजल हेतु टांकों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

17. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव जेदला व नागदला की सरहद पर गांधी आश्रम की 45 बीघा जमीन पर जनजाति छात्रावास भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम पंचायत गोरछा के संबंधित गांव घाटे की नाल में हल्का पटवारी द्वारा बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे ठीक प्रकार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

19. बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा में अनुसूचित जनजाति की पर्याप्त जनसंख्या होने पर भी माडा एवं अनुसूचित जनजाति विकास का पृथक से कार्य नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

20. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की ग्राम पंचायत मुण्डोल के गांव भगवांदा खुर्द में जनजाति छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. राजसमंद मुख्यालय पर जनजाति कार्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. पंचायत समिति राजसमंद की ग्राम पंचायत मुण्डोल, मोही, पीपलांगी में माडा में महाराष्ट्र पैटर्न/बिखरी आबादी योजना में सी.सी. रोड व सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

23. राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं की उचित क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

24. किशनगंज-शाहबाद एवं टी.एस.पी. क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों में स्टाफ की रिक्तियां भरने एवं भर्ती की प्रक्रिया का अधिकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. किशनगंज व शाहबाद में दो छात्रावास वर्षों से अधूरे पडे, दोनों आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराने एवं चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में स्वच्छ परियोजना में स्टाफ की भर्ती में हो रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया विकास समिति द्वारा विकास के कार्य सम्पादित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया छात्रावास में वार्डन की भर्ती करने, टी.एस.पी. क्षेत्र में छात्रावास भर्ती का अधिकार जनजातीय विभाग को देने व वार्डनों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

29. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की सब तहसील मण्डाना क्षेत्र के भील आदिवासियों के बच्चों के लिये रानपुर मुख्यालय पर आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

30. विधान सभा क्षेत्र कपासन में निवासरत जनजातीय विकास योजना लागू करने एवं उपखण्ड मुख्यालय कपासन में जनजातीय छात्रावास निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

31. सरकारी सहायता से आदिम जाति सेवक संघ द्वारा संचालित छात्रावास बूंदी के छात्रों के लिये पर्याप्त जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. जनजाति उपयोजना क्षेत्र पैटर्न के मुताबिक माडा योजना क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करवाने में सरकारी लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. राज्य के विद्यालयों के आकड़ों में दर्शायी गई जनजाति क्षेत्रों की संख्या के अनुसार सभी छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर स्वीकृत कर वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. माडा योजना के ग्राम रायथल तथा गम्भीरा में आश्रम विद्यालयों की स्थापना करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

35. महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार माडा योजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने में सरकारी अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

36. जनजातीय समुदाय जो सब प्लान में नहीं आते उन्हें ट्राईबल सब प्लान में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

37. विधान सभा क्षेत्र सीकर में घुमक्कड़ व कालबेलिया जाति के लिये मकान आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

38. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों के अधिकतम ठहराव नियत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

39. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले लोगों के लिये आर.ए.एस./आर.टी.एस. तथा राज्य की सभी सेवाओं के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण अलग से देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. उदयपुर संभाग में आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

41. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के माडा, लघु खण्ड के कुराडिया एनीकट मय फीडर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के माडा लघु खण्ड में सामुदायिक कृषि नलकूप की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचंद कान्त (सिवाना) :

43. जनजाति क्षेत्र के अलावा बिखरे हुये जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

44. ट्राइबल सब प्लान में रहने वाले आदिवासियों तथा नान-ट्राईबल सब-प्लान में निवासरत आदिवासियों को व्यक्तिगत योजना के साथ नहीं मिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. अनुसूचित जनजाति की छितराई जनसंख्या के लिये वित्तीय प्रावधान को बढ़ाने तथा संभागीय आयुक्त के यहां प्रस्तावित दो सड़कों के लिये राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

46. सिरोही जिले में वर्ष 2006-07 के लक्ष्य प्राप्त न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. सिरोही जिले के छात्रावासों में विद्यार्थी क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. सिरोही जिले में वर्ष 2006-07 में आबंटित धन को व्यय न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. सिरोही जिले को समुचित धन आबंटित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

50. माडा क्षेत्र के गांवों में फलों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

51. जयपुर जिले में जनजाति की बालिकाओं के छात्रावासों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

52. बस्सी क्षेत्र में माडा योजना में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. माडा योजना क्षेत्र बस्सी में एनीकट, सी.सी. रोड आदि कार्य कम कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

54. विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा चयनित ग्राम खेतरली में माडा छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा चयनित आदिवासी ग्राम-ढाणियों को विद्युतीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी बाहुल्य माडा चयनित क्षेत्र गोरिया से पदराड़ा वाया विस्मा तक तीन कि.मी. लम्बी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा चयनित क्षेत्रों में कुएं गहरे कराने एवं सारण निर्माण कर आदिवासी लघु सीमान्त काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. माडा क्षेत्र की आंगनबाडियों में कक्षा पांच उत्तीर्ण सहयोगिनियों को नियुक्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

59. राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र कुशलगढ़ में जनजाति के विकास करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

60. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम भाद्राजून में अनुसूचित जनजाति हेतु आवासीय छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. जिला जालोर में जनजाति के व्यक्तियों हेतु समुचित विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।